सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

विधि और न्याय मंत्रालय
MINISTRY OF LAW & JUSTICE

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2022-23

सत्यमेव जयते

H 001-Annual Report.indd 2 3/27/2023 4:12:24 PM

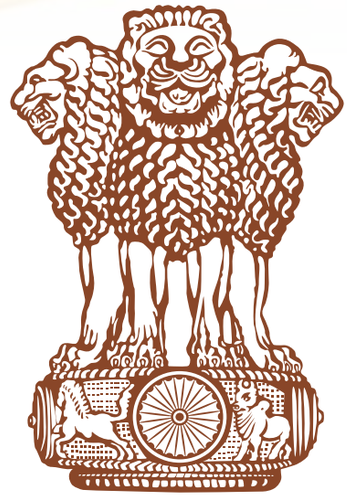

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2022-2023

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

H 001-Annual Report.indd 3 3/27/2023 4:12:25 PM

सत्यमेव जयते

H 001-Annual Report.indd 4 3/27/2023 4:12:25 PM

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और विधि और न्याय मंत्रालय का संगठन	VI
2.	अध्याय 1	विधि कार्य विभाग	1
3.	अध्याय 2	विधायी विभाग	111
4.	अध्याय 3	न्याय विभाग	180

H 001-Annual Report.indd 5 3/27/2023 4:12:25 PM

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात् गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग सम्मिललित है। विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है।

H 001-Annual Report.indd 6 3/27/2023 4:12:26 PM

मिशन

विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता लाने के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में सुधार करना।

विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर-मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तरदायित्व और एक दृढ व्यावसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करें। मुकदमों की भारी संख्या, उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तिया प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाह / राय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई-शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।
- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

H 001-Annual Report.indd 7 3/27/2023 4:12:26 PM

सत्यमेव जयते

H 001-Annual Report.indd 8 3/27/2023 4:12:27 PM

संदेश

मुझे विधि एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मंत्रालय ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर एक नागरिक केंद्रित प्रौद्योगिकी संबद्ध आधुनिक कानूनी प्रणाली को विकसित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अवसंरचना विकास, कल्याण, मानव पूंजी विकास, विवाद प्रबंधन तथा न्याय तक सभी की पहुंच से लेकर मानव कल्याण के सभी क्षेत्रों में मौलिक विकास को गति प्रदान करने के लिए अन्य सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों के साथ मिलकर एक समन्वित प्रयास किया है। इस दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनेक कानूनी पहल किए गए हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं में कानून का मसौदा तैयार करने और कानूनी शिक्षा उपलब्ध कराने को संभव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कानून देश के सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ हो। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को स्थापित करके आर्बिट्रेशन के मामले में अवसर को व्यापक आधार प्रदान किया गया है जो अनुबंध के प्रवर्तन में सुनिश्चितता लाकर तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता को पूरा करेगा। अन्य देशों के साथ कानूनी सहायता के आदान-प्रदान से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। जैसे-जैसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम इस बात के प्रति भी सचेत हैं कि लक्ष्य स्वयं भी निरंतर परिवर्तनशील है तथा नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ ही इसमें बदलाव आता रहता है। हम देश के सभी नागरिकों को बेहतर एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा इसके लिए सृजनात्मकता एवं नवाचार की संस्कृति को निरंतर बढ़ावा देते हैं।

किरेन रीजीजू
माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री

H 001-Annual Report.indd 9 3/27/2023 4:12:27 PM

सत्यमेव जयते

H 001-Annual Report.indd 10 3/27/2023 4:12:28 PM

राज्य मंत्री का संदेश

मुझे विधि और न्याय मंत्रालय का वर्ष 2022-23 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता है | यह प्रतिवेदन मंत्रालय कि गत वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डालने का अलावा. देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय की पहुँच, हितधारकों, विशेष रूप से आम आदमी को मुकदमेबाजी के विवेकपूर्ण संचालन के माध्यम से न्याय सुलभ कराने में मदद करना आदि संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने को प्रयास को दर्शाता है | साथ ही, लोगों के कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा कि गयी महत्वपूर्ण विधायी गतिविधियों के बारे में भी इस प्रतिवेदन में वृस्त्रित उल्लेख है | यह प्रतिवेदन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कानूनी व्यवस्था को अनुकूल बनाकर कमजोर वर्गो के अधिकारों और हितों कि रक्षा करने कि दिशा में भारत सरकार द्वारा किये जा रहे अनवरत प्रयासों कि जानकारी से परिपूर्ण है, जो एक सन्दर्भ पुस्तक के रूप में भी उपयोगी होगा |

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल
माननीय विधि व न्याय राज्य मंत्री

H 001-Annual Report.indd 11 3/27/2023 4:12:28 PM

सत्यमेव जयते

H 001-Annual Report.indd 12 3/27/2023 4:12:30 PM

विधि कार्य विभाग

I. विधि कार्य विभाग के बारे में 1

- ध्येय 1
- लक्ष्य 1
- उद्देश्य 1
- कार्य 1
- संगठनात्मक ढ़ांचा 3

II. सलाह 6

III. न्यायिक कार्य 12

- दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा 15
- मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, तीस - हजारी, नई दिल्ली 16
- लिम्ब्स (विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली) 18

IV. विधिक सुधार 23

- भारतीय बार काउंसिल 23
- विधिक शिक्षा 24
- बिजन @ 2047 28

V. पारदर्शिता 30

- सूचना का अधिकार सेल 30
- लोक शिकायत (पीजी) सेल 31
- सतर्कता एकक 32
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति 34

VI. नोटरी 35

VII. डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा 40

- साइबर सुरक्षा पर विभाग की पहल 42
- जागरूकता सत्र 42
- साइबर नीति को संस्थागत बनाना 43

VIII. बजट एवं लेखापरीक्षा 44

- एकीकृत वित्त प्रभाग/अनुभाग 44
- लेखा परीक्षा टिप्पणियों की स्थिति 45

IX. वैकल्पिक विवाद समाधान 46

- भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र 47
- माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 और भारत की माध्यस्थम परिषद 48

- मध्यस्थता विधेयक, 2021 — 49
- एएमआरसीडी/एएमआरडी — 49

X. मानव संसाधन प्रबंधन — 54

- क्षमता निर्माण — 54
- प्रशिक्षण प्रभाग — 55
- भारतीय विधि सेवाओं का प्रशासन — 56
- लैंगिक समानता — 63
- विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व — 64

XI. राजभाषा एकक — 65

XII. आयकर अपीलीय अधिकरण — 69

XIII. भारत का विधि आयोग — 78

XIV. भारतीय विधि संस्थान — 83

XV. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग — 86

XVI. शाखा सचिवालय — 90

1. शाखा सचिवालय, बेंगलुरु — 90
2. शाखा सचिवालय, चेन्नई — 91
3. शाखा सचिवालय, कोलकाता — 93
4. शाखा सचिवालय, मुंबई — 95

XVII. अंतर्राष्ट्रीय कानून और संबंधित अनुभाग — 98

- अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां — 98
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) — 99
- पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (एमएलएटी) — 100
- हेग कन्वेंशन के तहत समन की तामील — 100

XVIII. उपलब्धियां और प्रमुख विशेषताएं — 101

- निगरानी और मूल्यांकन अनुभाग ढ़ांचा — 101
- विशेष अभियान 2.0 — 101
- इंटर्नशिप कार्यक्रम — 104
- युवा प्रोफेशनल्स — 105

XIX. कार्यक्रम और सोशल मीडिया — 105

- सोशल मीडिया सेल — 105
- सोशल मीडिया सेल द्वारा संचालित/समन्वित गतिविधियां — 106

H 001-Annual Report.indd 14 3/27/2023 4:12:31 PM

चित्रों की सूची

चित्र I 1:	विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक ढांचा	3
चित्र II 1:	सलाह अनुभाग	6
चित्र II 2:	संगठनात्मक सेटअप और प्रक्रिया	7
चित्र II 3:	सलाह की विषयवार श्रेणियां	9
चित्र II 4:	मंत्रालय/विभागवार दी गई सलाह	11
चित्र III 1:	न्यायिक अनुभाग	12
चित्र III 2:	दिल्ली उच्च न्यायालय (मुकदमा अनुभाग)	15
चित्र III 3:	मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, तीसहजारी नई दिल्ली	17
चित्र III 4:	विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली अनुभाग	18
चित्र III 5:	लिम्ब्स पोर्टल का आउटरीच	20
चित्र IV 1:	प्रशासन	24
चित्र IV 2:	विजन 2047 की मुख्य विशेषताएं	29
चित्र V 1:	सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ	30
चित्र V 2:	लोक शिकायत प्रकोष्ठ	32
चित्र V 3:	सतर्कता एकक	33
चित्र VI 1:	नोटरी सेल	36
चित्र VI 2:	भौतिक से कागज रहित शासन में परिवर्तित	38
चत्र VII 1:	साइबर प्रकोष्ठ	40
चित्र VII 2:	साइबर सुरक्षा संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) की विशेषताएं	41
चित्र VII 3:	साईबर सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें।	43
चित्र IX 1:	वैकल्पिक विवाद समाधान	46
चित्र IX 2:	एएमआरसीडी की संरचना	50
चित्र IX 3:	एएमआरडी की प्रक्रिया	52
चित्र X 1:	प्रप्रशिक्षण विभाग और प्रशासन 1	55
चित्र X 2:	प्रप्रशासन चतुर्थ	59
चित्र X 3:	प्रशासन द्वितीय	60
चित्र XI 1:	राजभाषा इकक	65
चित्र XI 2:	श्री किरेन रिजीजू, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री एक हिंदी प्रतियोगिता के विजेता को *प्रमाण-पत्र वितरित करते हुए*	68
चित्र XII 1:	आईटीएटी की स्थिति	69
चित्र XII 2:	आईटीएटी के लंबित मामले	74
चित्र XII 3:	वर्ष 2022 में आईटीएटी की उपलब्धियां	77
चित्र XIV 1:	भारतीय विधि संस्थान	83
चित्र XV 1:	केंद्रीय अभिकरण अनुभाग	86

H 001-Annual Report.indd 15 3/27/2023 4:12:32 PM

चित्र XV 2:	केंद्रीय अभिकरण अनुभाग और इसके मुख्य कार्य	87
चित्र XV 3:	पुरुष और महिला कर्मचारियों की प्रतिशत भागीदारी	88
चित्र XV 4:	केंद्रीय अभिकरण अनुभाग द्वारा प्राप्त मामलों की संख्या	89
चित्र XV 5:	लंबित, निपटाए गए और दायर किए गए मामलों की संख्या (देखें अनुबंध- I II और III)	89
चित्र XVI 1:	शाखा सचिवालय, बेंगलुरु	90
चित्र XVI 2:	शाखा सचिवालय, चेन्नई	92
चित्र XVI 3:	शाखा सचिवालय, कोलकाता	93
चित्र XVI 4:	शाखा सचिवालय, मुम्बई	96
चित्र XVIII 1:	विधि कार्य विभाग के पुस्तकालय में स्वच्छता अभियान	102
चित्र XVIII 2:	युवा प्रोफेशनल्स	104
चित्र XIX 1:	सोशल मीडिया प्रकोष्ठ	105
चित्र XIX 2:	सोशल मीडिया कार्य-निष्पादन	108

तालिकाओं की सूची

तालिका III 1:	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पैनलबद्ध काउंसेलों की संख्या	14
तालिक III 2:	दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमें	16
तालिक III 3:	बजटीय आवंटन और व्यय रु. में (2022-23)	16
तालिक III 4:	दिल्ली में विभिन्न जिला न्यायालयों के साथ-साथ उपभोक्ता मंचों/अधिकरणों के समक्ष	17
तालिका V 1:	आरटीआई आवेदन और निपटान	31
तालिका V 2:	सीपीग्राम्स में लोक शिकायतों की स्थिति	32
तालिका VI 1:	शुरूआत से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी	36
तालिका VI 2:	सर्विस प्लस से एनओएपी में परिवर्तन	39
तालिका VIII 1:	वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लिए शीर्ष-वार व्यय विवरण	45
तालिका VIII 2:	जनवरी, 2000 से सभागार के निर्माण हेतु उपयोग न किए गए अनुदान के संबंध में रिपोर्ट सं. 2020 की 6 का लेखा परीक्षा पैरा सं. 12.1	45
तालिका IX 1:	सचिवों की पहले स्तर की समिति द्वारा निपटाए गए मामलों की सूची	53
तालिका X 1:	पदों के नाम और उनके समूह	61
तालिका X 4:	महिला कर्मचारियों की संख्या	64
तालिका X 5:	कर्मचारियों की संख्या और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उनका प्रतिशत	64
तालिका XII 1:	आईटीएटी की स्थिति	70
तालिका XII 2:	आईटीएटी का प्रशासनिक ढांचा	71
तालिका XII 3:	आईटीएटी पीठों में संख्या	71
तालिका XII 4:	पीठों के क्षेत्रवार स्थान	73
तालिका XVIII 1:	विशेष अभियान 2.0 की उपलब्धियां	102

H 001-Annual Report.indd 16 3/27/2023 4:12:32 PM

विधि सचिव की टिप्पणी

विधि कार्य विभाग के लिए वर्ष 2022 महत्वपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण रहा। नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 को भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 के रूप में संशोधित किया गया ताकि भारत को माध्यस्थम के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। मध्यस्थता विधेयक की राज्य सभा समिति द्वारा जांच की गई और इसकी रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई। सदस्यों की नियुक्ति के साथ, भारत के विधि आयोग ने कार्य शुरू किया। विधि और न्याय के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि के उद्देश्य से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का 9वां शिखर सम्मेलन मंत्रीस्तरीय स्तर पर आयोजित किया गया। व्यावसायिक सोशल मीडिया टीम को शामिल करके विभाग की संचार कार्यनीति में सुधार किया गया, जिससे विधि कार्य विभाग में होने वाली घटनाओं के बारे में जनता को जानकारी प्रदान करने में सहायता मिली। केवड़िया, गुजरात में विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसने शासन में सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को मजबूत करने में मदद की। भारतीय विधि प्रणाली को नागरिक केंद्रित और व्यापार के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण और सरलीकरण के संबंध में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया। कानूनी और अदालती कार्यवाही में हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया। भारतीय बार काउंसिल ने विधि शिक्षा के साथ-साथ अदालती कार्यवाही में हिंदी का उपयोग करने सहित देश में कानूनी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। बुल्गारिया और ईरान के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों की पुष्टि की गई। कानूनी सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ बातचीत जारी रही।

आंतरिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और स्वचालन के बिना यह सब संभव नहीं हो सकता था। एक करोड़ से अधिक आधिकारिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया गया, भौतिक फाइल प्रणाली का त्याग किया गया और इसे ई-ऑफिस 7.0 की प्रगतिशील प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। सभी अधिकारियों को कार्यालय स्वचालन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अनुसंधान और समसामयिक कानूनी मुद्दों के विश्लेषण में विभाग की सहायता के लिए युवा प्रोफेशनल्स को नियुक्त किया गया जो सार्वजनिक नीति में सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगा और सरकार को भारत के इस अमृत काल में नागरिक-केंद्रित, प्रौद्योगिकी संचालित और नागरिकों के व्यापक सामान्य कल्याण की दृष्टि से भविष्य के लिए तैयार करेगा।

संक्षिप्त टिप्पणी केवल पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ा सकती है। वार्षिक रिपोर्ट में विवरण पाठकों की जिज्ञासा को पूरा करने में मदद करेगा ।

नितेन चंद्र

डॉ. नितेन चंद्र

H 001-Annual Report.indd 17 3/27/2023 4:12:33 PM

I

विधि कार्य विभाग के बारे में

ध्येय

भारत के संविधान में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कानूनी मामलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

लक्ष्य

सरकार में व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को विधि सलाह, मुकदमा, विधि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने वाले वातावरण को डिजाइन करना, विकसित करना और उसे बनाए रखना।

उद्देश्य

1. विभाग के ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कानूनी सुधार लाना;
2. सुशासन के उद्देश्य से मंत्रालयों और विभागों के कामकाज को उचित कानूनी सलाह और राय प्रदान करना है।
3. भारतीय विधि सेवा को कुशल और उत्तरदायी बनाने के लिए उसमें सुधार करना;
4. मुकदमों के संचालन के लिए एक व्यापक ई-गवर्नेंस समाधान विकसित करना;
5. सूचना-प्रौद्योगिकी के माध्यम से विधि कार्य विभाग की कार्य प्रणाली में बदलाव लाना;
6. मुकदमों को कम करने और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना;
7. कानूनी पेशे में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना;
8. विधि शिक्षा में सुधार लाना।

कार्य

भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार विभाग को निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गए हैं;

1. संविधान और कानूनों की व्याख्या सहित कानूनी मामलों पर मंत्रालयों को सलाह देना तथा जहां भारत संघ एक पक्षकार है; उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में भारत संघ की ओर से उपस्थित होने के लिए परामर्श दाताओं की नियुक्ति करना;
2. भारत के महान्यायवादी, भारत के महॉसालिसिटर, और राज्यों के केंद्र सरकार के अन्य विधि अधिकारी जिनकी सेवाएं भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा साझा की जाती हैं;
3. केंद्र सरकार की ओर से और केंद्रीय एजेंसी योजना में भाग लेने वाली राज्यों की सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन;
4. दीवानी अदालतों की डिक्री के निष्पादन के लिए दीवानी मुकदमों में सम्मन की तामील के लिए तथा रख-

H 001-Annual Report.indd 1 3/27/2023 4:12:34 PM

रखाव के आदेशों के प्रवर्तन के लिए और भारत में निर्वसीयत मरने वाले विदेशियों की सम्पदा के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था;

5. संविधान के अनुच्छेद 299(1) के तहत राष्ट्रपति की ओर से अनुबंधों और संपत्ति के हस्तांतरण को निष्पादित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना और केंद्र सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध वादों या लिखित बयानों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना;
6. भारतीय विधि सेवा;
7. सिविल कानून के मामलों में विदेशों के साथ संधियाँ और समझौते;
8. भारत का विधि आयोग;
9. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) और उच्च न्यायालयों के समक्ष वकालत करने के पात्र व्यक्तियों सहित विधि व्यवसाय;
10. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र का विस्तार और उसे और शक्तियां प्रदान करना;
    उच्चतम न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने के पात्र व्यक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के संदर्भ;
11. नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) का प्रशासन;
12. आयकर अपील अधिकरण।

विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन भी आवंटित किया गया है:-

1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961
2. नोटरी अधिनियम, 1952
3. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001
4. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015
5. इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट, 2019

इसके अतिरिक्त, आयकर अपीलीय अधिकरण और भारत का विधि आयोग विभाग के प्रशासनिक दायरे में आते हैं। विभाग भारतीय विधि सेवा के सभी प्रशासनिक पहलुओं का भी प्रभारी है। यह विभाग भारत के महान्यायवादी, भारत के महॉसालिसिटर और भारत के अपर महा महॉसालिसिटर की नियुक्ति को भी देखता है। यह विभाग विधि शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और कानूनी पेशे को आगे बढ़ाने में सक्रिय विशिष्ट संस्थानों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान को अनुदान सहायता भी प्रदान करता है।

H 001-Annual Report.indd 2 3/27/2023 4:12:34 PM

संगठनात्मक ढ़ांचा

विधि कार्य विभाग का मुख्य सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है, और शाखा सचिवालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में स्थित हैं। इनके उत्तरदायित्व वाले कार्यों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सलाह कार्य और मुकदमा कार्य। विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट नीचे देखा जा सकता है-

चित्र I 1:

विधि कार्य विभाग का संगठनात्मक ढांचा

H 001-Annual Report.indd 3 3/27/2023 4:12:35 PM

मुख्य सचिवालय

1. मुख्य सचिवालय विधि सचिव, अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों एवं विधि सलाहकारों के कई स्तरों के साथ संगठित है। विभाग के विधि सलाहकार छोटे समूहों में संगठित हैं, जिनका नेतृत्व आमतौर पर अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार के स्तर का अधिकारी करता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनके संबंधित समूहों को सौंपा गया है, विधि सलाहकारों के ये समूह कानूनी मुद्दों और हस्तांतरण विलेखों पर कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

2. रेलवे बोर्ड और दूरसंचार विभाग संगठनों से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा देखा जा रहा है। इसके अलावा, एसएफआईओ, एनटीआरओ, सीबीआई, रक्षा मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारतीय कानूनी सेवाओं के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

3. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग, जो वर्तमान में विधि सचिव के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं और भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता संवर्ग के अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी के कार्य को संभालता है। केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ प्रशासनों के रूप में।

4. मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग, वर्तमान में एक अपर विधि सलाहकार के नेतृत्व में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय और कैट (प्रधान पीठ) में मुकदमेबाजी के कार्य को संभाल रहा है।

5. मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, जिसका पर्यवेक्षण वर्तमान में एक सहायक विधि सलाहकार द्वारा किया जाता है, दिल्ली की जिला न्यायपालिका में मुकदमों के कार्य को संभाल रहा है।

6. विभाग ने भारत के विधि आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2015 के प्रशासन को संभालने के लिए 'कार्यान्वयन सेल' नामक एक अलग सेल की स्थापना की है। प्रकोष्ठ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 26 के तहत प्रदान किए गए 'विधि शिक्षा' के विषय को भी प्रशासित करता है।

H 001-Annual Report.indd 4 3/27/2023 4:12:35 PM

विधि कार्य विभाग के बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में शाखा सचिवालय हैं।

1. शाखा सचिवालय, बेंगलुरु: इसका क्षेत्राधिकार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में है। इसका नेतृत्व अपर विधि सलाहकार स्तर के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है।

2. शाखा सचिवालय, चेन्नई: इसका अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है। इसका नेतृत्व उप विधि सलाहकार स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

3. शाखा सचिवालय, कोलकाता: इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा, असम, बिहार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। इसकी अध्यक्षता अपर सरकारी अधिवक्ता स्तर के एक अधिकारी द्वारा की जाती है।

4. शाखा सचिवालय, मुंबई: इसका अधिकार क्षेत्र पूरे पश्चिमी क्षेत्र पर है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता के रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाती है।

सभी शाखा सचिवालय मुख्य सचिवालय का विस्तारित कार्य करते हैं, जैसे कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत संबंधित राज्यों में कानूनी राय देना और केंद्र सरकार से संबंधित मुकदमें को संभालना।

H 001-Annual Report.indd 5 3/27/2023 4:12:36 PM

II

सलाह

1. विधि कार्य विभाग में तीन सलाह अनुभाग हैं, अर्थात सलाह 'क', 'ख' और 'ग' सलाह क और सलाह ख अनुभाग कानूनी राय के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त फाइलों/संदर्भों से संबंधित फाइलों के संचलन की सुविधा प्रदान करते हैं। कानूनी सलाह के लिए प्राप्त संदर्भ संबंधित समूह प्रमुखों के समक्ष रखे जाते हैं जिन्हें एक विशेष मंत्रालय/विभाग आवंटित किया गया है। कामकाज को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सलाह 'क' और सलाह 'ख' वर्गों के बीच वितरित किया गया है।

चित्र II 1:

सलाह अनुभाग

सलाह 'क' अनुभाग निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को देखता हैः

1. गृह मंत्रालय
2. विदेश मंत्रालय
3. कार्मिक, प्रशिक्षण और पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय
4. रक्षा मंत्रालय
5. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
6. श्रम और रोजगार मंत्रालय
7. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
8. इस्पात मंत्रालय

H 001-Annual Report.indd 6 3/27/2023 4:12:37 PM

9. खान मंत्रालय
10. न्याय विभाग
11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
12. कोयला मंत्रालय
13. संचार मंत्रालय
14. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
15. उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास
16. संघ लोक सेवा आयोग
17. कर्मचारी चयन आयोग
18. केंद्रीय सूचना आयोग
19. पोत परिवहन मंत्रालय
20. नागरिक उड्डयन मंत्रालय
21. जनजातीय कार्य मंत्रालय
22. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
23. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
24. पर्यटन मंत्रालय
25. भारत का चुनाव आयोग
26. केंद्रीय सतर्कता आयोग
27. सभी मंत्रालयों और विभागों के गृह निर्माण अग्रिम मामलों सहित हस्तांतरण संबंधी मामले।

चित्र II 2:

संगठनात्मक सेटअप और प्रक्रिया

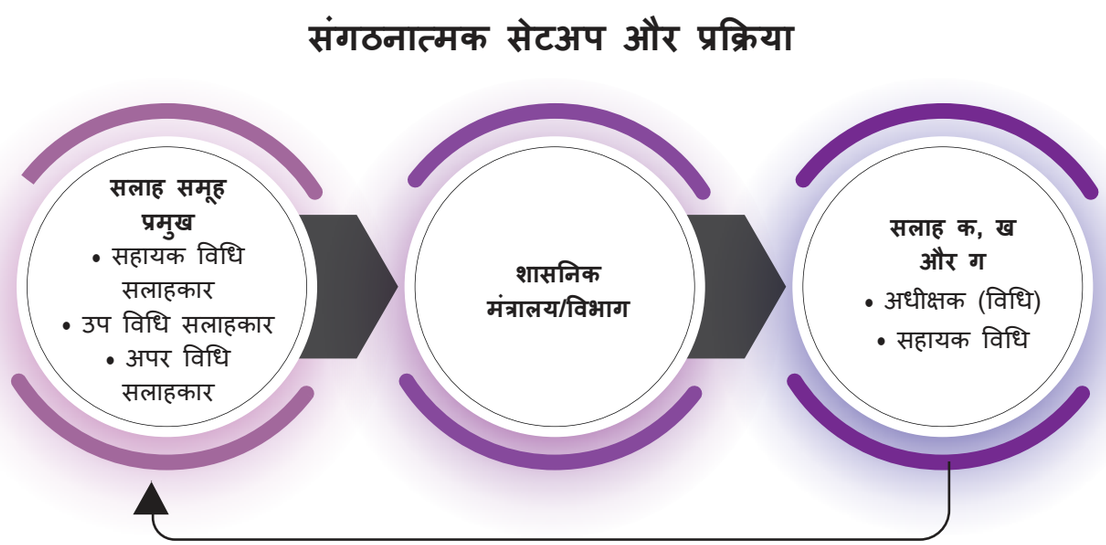

H 001-Annual Report.indd 7 3/27/2023 4:12:38 PM

सलाह 'ख' अनुभाग निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को देखता हैः

1. वित्त मंत्रालय
2. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
3. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
5. रेल मंत्रालय
6. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
7. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
8. संसदीय कार्य मंत्रालय
9. लोकसभा सचिवालय
10. राज्य सभा सचिवालय
11. राष्ट्रपति सचिवालय
12. प्रधान मंत्री कार्यालय
13. कैबिनेट सचिवालय
14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
15. जल शक्ति मंत्रालय
16. वस्त्र मंत्रालय
17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
18. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
19. परमाणु ऊर्जा विभाग
20. विद्युत मंत्रालय
21. भारत के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
22. नीति आयोग
23. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
24. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
25. कृषि मंत्रालय
26. ग्रामीण विकास मंत्रालय
27. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
28. शिक्षा मंत्रालय
29. संस्कृति मंत्रालय
30. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
31. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
32. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
33. अंतरिक्ष विभाग
34. पंचायती राज मंत्रालय
35. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
36. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
37. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
38. सहकारिता मंत्रालय
39. आयुष मंत्रालय
40. विधि कार्य विभाग
41. विधायी विभाग
42. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सलाह 'क' अनुभाग में प्राप्त संदर्भ

1.1.1. सलाह 'क' अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 5091 संदर्भ कानूनी दस्तावेजों की जांच और विभिन्न मुद्दों पर कानूनी राय/सलाह देने के लिए प्राप्त हुए हैं। इस विभाग के अधिकारियों ने सलाह कार्य के लिए 153 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में भी भाग लिया।

1.1.2. हस्तांतरण विलेखों की दृष्टि से जांच से संबंधित 168 संदर्भ प्राप्त हुए, जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय समझौते भी शामिल हैं।

H 001-Annual Report.indd 8 3/27/2023 4:12:38 PM

1.1.3. 4608 एसएलपी/मुकदमे संबंधी मुद्दे 89 कैबिनेट नोट/विधायी प्रस्ताव, और राज्य विधेयकों और अध्यादेशों से संबंधित 73 संदर्भों की जांच की गई।

1.1.4. विधि सलाह देने के अलावा, इस अनुभाग ने माननीय मंत्री और इस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त संदर्भों और अन्य संचारों को भी देखा।

1.1.5. सलाह अनुभागों से संबंधित 64 आरटीआई आवेदनों और 20 जन शिकायतों का निपटान किया गया।

चित्र II 3:

सलाह की विषयवार श्रेणियां

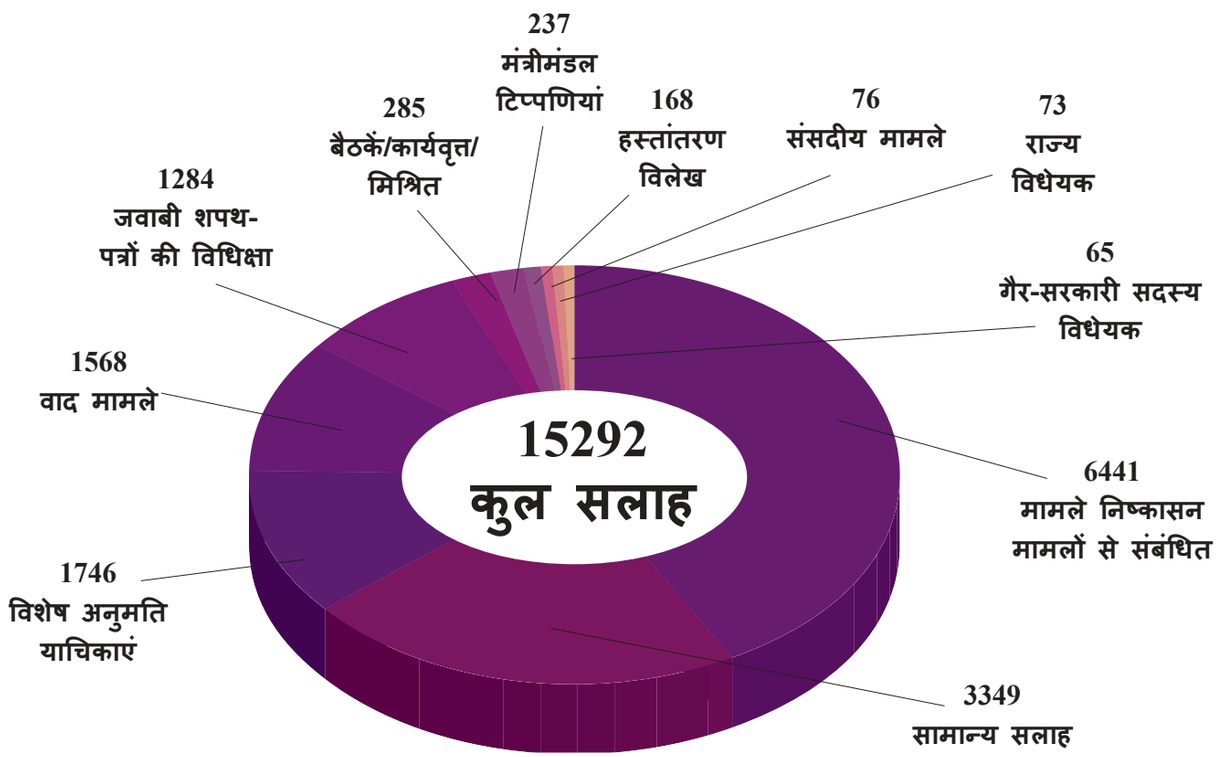

H 001-Annual Report.indd 9 3/27/2023 4:12:38 PM

1.2. सलाह 'ख' अनुभाग में प्राप्त संदर्भ

1.2.1. सलाह ख अनुभाग को विभिन्न मुद्दों पर कानूनी दस्तावेजों की जांच और कानूनी राय/सलाह के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 9780 संदर्भ प्राप्त हुए।

1.2.2. 148 कैबिनेट नोट/विधायी प्रस्ताव, और 2358 एसएलपी/मुकदमे संबंधी मामले जांच/सलाह के लिए प्राप्त हुए थे।

1.2.3. इस विभाग के अधिकारियों ने सलाह कार्य के लिए 132 राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भाग लिया।

1.2.4. इस अनुभाग ने माननीय मंत्री के कार्यालय और इस विभाग के अधिकारियों द्वारा प्राप्त संदर्भों और आधिकारिक संचारों को भी देखा।

1.2.5. आश्वासनों सहित 76 संसदीय प्रश्नों पर कार्रवाई की गई।

1.3 सलाह 'ग' अनुभाग में प्राप्त संदर्भ

1.3.1 जैसा कि सलाह ग अनुभाग में डिजिटलीकरण और पूर्व निर्णयों को समाप्त करने की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है, इस अनुभाग के माध्यम से, विभिन्न विषयों पर केवल सात नए मामले भारत के विद्वान महान्यायवादी, भारत के महासॉलिसिटर और भारत के अपर महासॉलिसिटर की राय के लिए भेजे गए थे जिनमें से पांच मत प्राप्त हुए और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजे गए।

1.3.2 अनुभाग ने विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों को और विभिन्न विषयों पर पूर्व निर्णय खोजने में सामान्य और सचिवीय सहायता प्रदान की है।

1.3.3 सलाह 'ग' अनुभाग ने इस वर्ष तीन आरटीआई आवेदनों को निस्तारित किया।

1.3.4 944 से 2022 तक के विधि अधिकारियों से संबंधित और 1991 से 2019 तक हमारे विभाग के अधिकारियों की सलाह से संबंधित फाइलों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 4.59 लाख पन्नों वाली 8937 फाइलों को स्कैन किया गया, जिसमें वर्ष 1944 से 2022 तक महान्यायवादी की राय और वर्ष 1991 से 1997 तक इस विभाग के अधिकारियों की राय से संबंधित फाइलें भी शामिल हैं।

1.3.5 सलाह ग में स्कैन की गई 8937 फाइलों में से महान्यायवादी की राय से संबंधित 2061 फाइलें ई-ऑफिस पोर्टल पर अपलोड की गई हैं।

1.3.6 वर्ष 1944 से 1997 तक के न्यूनतम 25 वर्ष पुराने रिकॉर्ड के मूल्यांकन के संबंध में फाइलों की विषय सूची तैयार की गई और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

H 001-Annual Report.indd 10 3/27/2023 4:12:38 PM

चित्र II 4:

मंत्रालय/विभागवार दी गई सलाह

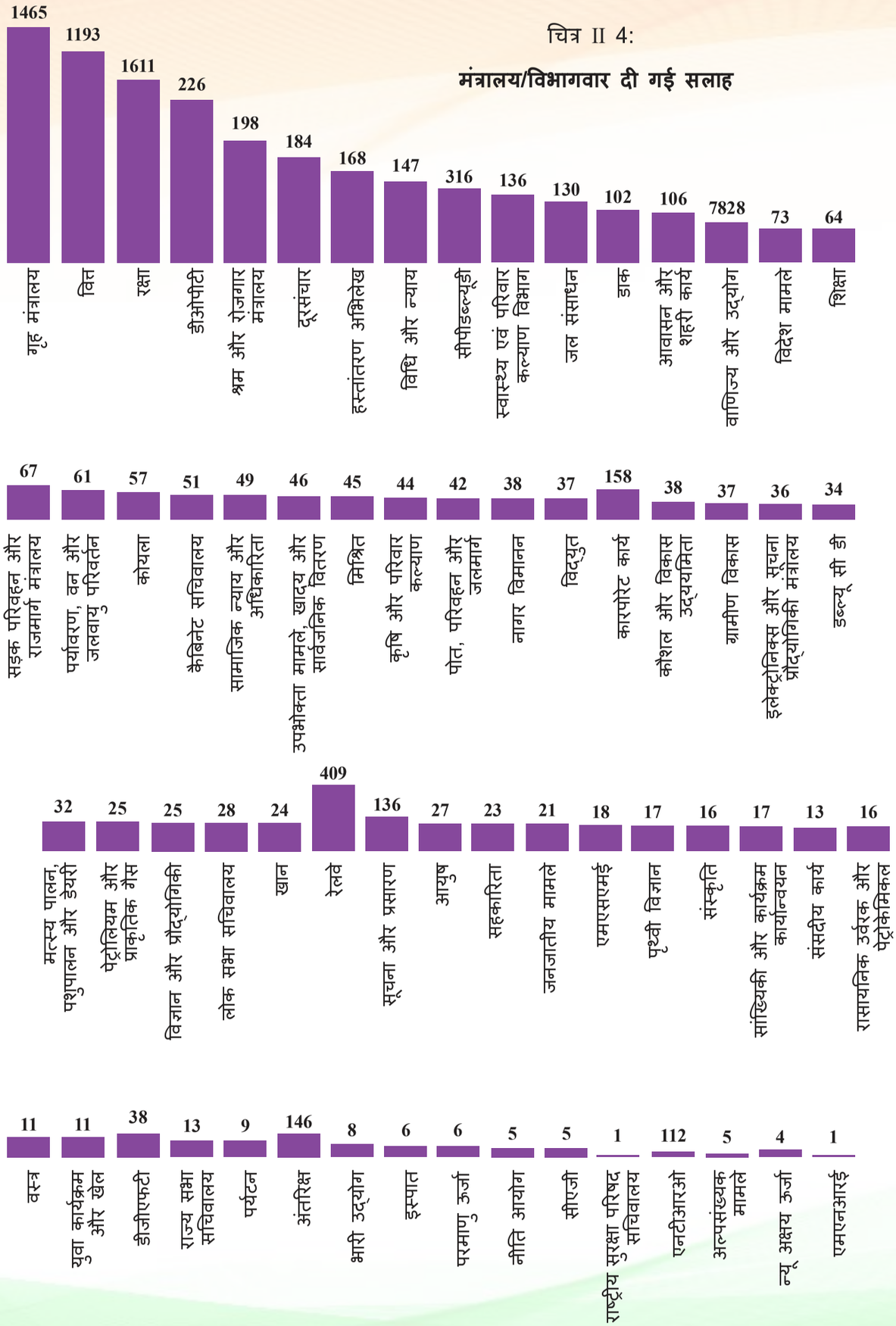

H 001-Annual Report.indd 11 3/27/2023 4:12:39 PM

III

न्यायिक कार्य

न्यायिक अनुभाग, उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों और जिला न्यायालयों के समक्ष भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के मुकदमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्यों में भारत के महान्यायवादी, महासालिसिटर और भारत के अपर महासॉलिसिटर, केंद्र सरकार की ओर से मुकदमा कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों, जिला न्यायालयों और विभिन्न राज्यों में उपभोक्ता मंचों में केंद्र सरकार के काउंसेल की नियुक्तियाँ, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, अधिकरणों, जांच आयोगों, जिला न्यायालयों, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों आदि के समक्ष मामलों के संचालन के लिए मंत्रालयों/विभागों की ओर से विधि अधिकारियों और अन्य वकीलों की नियुक्तयाँ शामिल है। इसके कार्यों में मामलों के संचालन के लिए उनके निबंधन और शर्तों का निर्माण और निपटान भी शामिल है। न्यायिक अनुभाग भारत सरकार के विभिन्न विभागों और निजी पक्षकारों के बीच विवादों में मध्यस्थों के नामांकन के लिए भी उत्तरदायी है।

चित्र III 1:

न्यायिक अनुभाग

H 001-Annual Report.indd 12 3/27/2023 4:12:41 PM

यह अनुभाग सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश, नियम 1 के तहत सिविल क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय के समक्ष वादों और लिखित बयानों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने या केंद्र सरकार के द्वारा या विरुद्ध रिट कार्यवाही के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत करने वाले वैधानिक आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है। यह अनुभाग अधिकारियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति की ओर से अनुबंधों और समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी अधिकृत करता है।

यह अनुभाग सिविल मुकदमों में समन की तामील करने, सिविल न्यायालयों के आदेशों के निष्पादन, भरण-पोषण के आदेशों को लागू करने और भारत में निर्वसीयत मरने वाले विदेशियों की सम्पदा के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था के कार्य से भी संबंधित है।

भारत ने वर्ष 2007 में सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश में तामील पर हेग कन्वेंशन और सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विदेश में साक्ष्य लेने पर हेग कन्वेंशन को भी स्वीकार किया है। विधि और न्याय मंत्रालय दोनों कंवेंशनों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है। न्यायिक अनुभाग उक्त कन्वेंशन के तहत भारतीय नागरिकों को विदेशों से न्यायिक प्राधिकारियों के माध्यम से प्राप्त समन/नोटिस की तामील का कार्य भी देखता है। यह हमारे देश के न्यायिक प्राधिकरणों से उत्पन्न समन/नोटिस की तामील को विदेशों के केंद्रीय प्राधिकरणों को अग्रेषित करने से भी संबंधित है।

न्यायिक अनुभाग द्वारा की गई गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. विधि अधिकारियों/पैनल काउंसेलों के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों के समक्ष केन्द्र सरकार के मुकदमों का संचालन

1. दिनांक 01.10.2022 को, श्री आर. वेंकटरमणि, वरिष्ठ अधिवक्ता, को भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया था।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए भारत के अपर महासॉलिसिटर को तीन साल की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया गया। कलकत्ता, झारखंड, मद्रास और दक्षिण जोन (इसमें केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है) के उच्च न्यायालयों के लिए भारत के नए अपर महासॉलिसिटर नियुक्त किए गए।
3. भारत के दो अपर महासॉलिसिटर का त्यागपत्र, अर्थात एक भारत के उच्चतम न्यायालय से और दूसरा कलकत्ता के उच्च न्यायालय से स्वीकार किया गया।

H 001-Annual Report.indd 13 3/27/2023 4:12:42 PM

4. देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों/उच्च न्यायालयों की पीठों के समक्ष भारत के सात नए उप महासॉलिसिटर को नए सिरे से नियुक्त किया गया। भारत के दो उप महासॉलिसिटर के कार्यकाल को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया।
5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों के लिए अनेक अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किया गया या पैनल काउंसेलों के रूप में उनकी अवधियों को बढ़ाया गया।

तालिका III 1:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पैनलबद्ध काउंसेलों की संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पैनलबद्ध काउंसेल
1.	दिल्ली	1388
2.	पश्चिम बंगाल	314
3.	महाराष्ट	256
4.	तेलंगाना	120
5.	आंध्र प्रदेश	42
6.	झारखंड	14
7.	अरुणाचल प्रदेश	09
8.	अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश	06
9.	कर्नाटक	04
10.	राजस्थान	04
11.	तमिलनाडु	03
12.	असम	03
13.	गुजरात	02
14.	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	01
कुल		**2166**

6. 30 पैनल काउंसेल्स (भारत के दो उप महासॉलिसिटर सहित) के इस्तीफे स्वीकार किए गए।
7. मंत्रालयों/विभागों से अधिवक्ताओं के अलग-अलग पैनल के संबंध में और सामान्य या विशेष निबंधन और शर्तों पर विभिन्न न्यायालयों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों और निजी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में 250 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

H 001-Annual Report.indd 14 3/27/2023 4:12:42 PM

2. घरेलू के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों में माध्यस्थम पैनल काउंसेल का नामांकन, जिसमें एक ओर सरकार/पीएसई और दूसरी ओर पीएसई/निजी पक्षकार शामिल हैं:

माध्यस्थम मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए माध्यस्थम पैनल काउंसेलों की नियुक्ति के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए थे। ऐसे अनुरोधों के प्रत्युत्तर में 248 माध्यस्थम मामलों में माध्यस्थम पैनल काउंसेल लगाए गए।

3. आरटीआई: 215 आरटीआई आवेदनों का निस्तारण किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा

मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग आयकर विभाग को छोड़कर, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमों का काम संभालता है। मुकदमों का काम दो अनुभागों द्वारा निपटाया जाता है; मुकदमा (उच्च न्यायालय) अनुभाग 'क' और अनुभाग 'ख', का एक अधीक्षक (विधि) द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। अनुभाग 'क' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिकाओं, पत्र पेटेंट अपील (एलपीए), और विविध याचिकाओं से संबंधित अग्रिम सूचनाओं से संबंधित है। अनुभाग 'ख' दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल, अपीलीय, पुनरीक्षण और रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों से संबंधित है।

चित्र III 2:

दिल्ली उच्च न्यायालय (मुकदमा अनुभाग)

H 001-Annual Report.indd 15 3/27/2023 4:12:42 PM

केंद्र सरकार की ओर से मुकदमों का संचालन करने के लिए भारत का एक अपर महासॉलिसिटर (एएसजी) और केंद्र सरकार के स्थायी काउंसेल (सीजीएससी), वरिष्ठ काउंसेल और सरकारी प्लीडर (जीपी) का एक पैनल है। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार के हितों की रक्षा के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग और नामांकित पैनल काउंसेल के बीच घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा जाता है। (तालिका III.2).

तालिक III 2:

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमें

वर्ष	प्राप्त मामलों की संख्या
2022 - 2023	8749

यह अनुभाग विधि अधिकारियों, सीजीएससी, वरिष्ठ काउंसेलों और पैनल पर सरकारी प्लीडरों से संबंधित पेशेवर शुल्क के भुगतान से संबंधित है। वित्त वर्ष 2022-23

तालिक III 3:

बजटीय आवंटन और व्यय रु. में (2022-23)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजटीय आवंटन	व्यय व्यय किया हुआ
1.	2022-23	10 करोड़	10 करोड़

मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, तीस - हजारी, नई दिल्ली

आयकर विभाग को छोड़कर, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से दिल्ली में विभिन्न जिला न्यायालयों के साथ-साथ उपभोक्ता मंच/अधिकरणों में मुकदमे का काम मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग द्वारा संचालित किया जाता है। मुकदमे का पर्यवेक्षण कार्य एक सहायक विधि सलाहकार द्वारा किया जाता है और एक अधीक्षक (विधि) और सहायक (विधि) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

H 001-Annual Report.indd 16 3/27/2023 4:12:42 PM

चित्र III 3:

मुकदमा (निम्न न्यायालय) अनुभाग, तीसहजारी नई दिल्ली

नियुक्त पैनल काउंसेल

भारत संघ की ओर से मामलों के संचालन के लिए वरिष्ठ काउंसेल और अपर केंद्र सरकार काउंसेल का एक पैनल नामित किया जाता है। मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर, न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से उपस्थित होने के लिए एक उपयुक्त सरकारी काउंसेल को नियुक्त किया जाता है। जिला न्यायालयों/उपभोक्ता मंचों/अधिकरणों के समक्ष सरकार के हितों की रक्षा के लिए हर समय विभिन्न विभागों और सरकारी काउंसेलों के बीच घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा जाता है। तीन साल के कार्यकाल के लिए 284 पैनल काउंसेल नियुक्त किए गए हैं।

तालिक III 4:

दिल्ली में विभिन्न जिला न्यायालयों के साथ-साथ उपभोक्ता मंचों/अधिकरणों के समक्ष

कुल मामले	निपटाए गए मामले
920	21

बजट

न्यायालयों द्वारा मामले निर्णीत किए जाने पर सरकारी काउंसेल निर्धारित प्रारूप में शुल्क बिल प्रस्तुत करते हैं। इस अनुभाग को सरकारी काउंसेलों/वरिष्ठ पैनल काउंसेलों से 164 शुल्क बिल प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, इस अनुभाग को 1,30,00,000 रु. का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से 44,97,045 रु. का उपयोग व्यावसायिक शुल्क बिलों को निपटाने के लिए किया गया।

H 001-Annual Report.indd 17 3/27/2023 4:12:43 PM

लिम्ब्स (विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली)

विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स) सभी अदालती मामलों, जहां भारत संघ एक पक्षकार है, की निगरानी के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है। लिम्ब्स फरवरी, 2016 में अस्तित्व में आया और तब से यह एप्लिकेशन विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की देखरेख में काम कर रहा है। यह एक अभिनव और उपयोग करने में आसान ऑनलाइन टूल है जो सभी हितधारकों, अर्थात वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नोडल अधिकारियों और मंत्रालयों/विभागों के उपयोगकर्ताओं के लिए 24ग7 उपलब्ध है।

लिम्ब्स वर्जन 2.0, लिम्ब्स का उन्नत संस्करण है और इसे एनआईसी के सहयोग से वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। यह उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों के लिए एक डैशबोर्ड-आधारित प्रणाली है जिस पर वे अपने मामलों की निगरानी कर सकते हैं। यह संस्करण प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने और उसकी दक्षता में सुधार लाने के लिए पीएचपी के समन्वयक ढांचे का उपयोग करके ओपन सोर्स प्रोद्यौगिकियों का प्रयोग करता है।

लिम्ब्स मंत्रालय/विभाग स्तर पर विवाद के आंतरिक प्रसंस्करण से लेकर मध्यस्थों के नामांकन और कार्रवाई के बाद मध्यस्थता के मामलों को भी संभालता है। विधि कार्य विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग और प्रधान मंत्री कार्यालय लिम्ब्स पर मौजूद अदालती मामलों के विवरण देख सकते हैं। विधि कार्य विभाग का केंद्रीय अभिकरण अनुभाग (कैस) भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत संघ द्वारा दायर महत्वपूर्ण मामलों के विवरण की पहचान कर उनकी प्रविष्टि करता है। भारतीय विधि संस्थान जैसे विभिन्न अनुसंधान निकाय भी अनुसंधान और अध्ययन के लिए लिम्ब्स मंच पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। ईएसी-पीएम (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद) को भारत संघ की ओर से मुकदमेबाजी पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए लिम्ब्स पोर्टल तक पहुँच प्रदान की गई थी।

चित्र III 4:

विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली अनुभाग

H 001-Annual Report.indd 18 3/27/2023 4:12:45 PM

एक और अधिक स्वचालित प्रणाली में अपग्रेड करने और मैन्युअल डेटा प्रविष्टि प्रक्रिया को कम करने के लिए, लिम्ब्स को समेकित डेटा ट्रांसफर और अपडेट के लिए विभिन्न न्यायालयों और ट्रिब्यूनल डेटा बेस के साथ एपीआई के माध्यम से एकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और 17 अधिकरणों से संपर्क किया गया है। विधि कार्य विभाग ने एनआईसी और संबंधित न्यायालय/ट्रिब्यूनल प्राधिकरणों के सहयोग से निम्नलिखित न्यायालयों और अधिकरणों के साथ लिम्ब्स को सफलतापूर्वक एकीकृत कियाः

एपीआई के माध्यम से लिम्ब्स के साथ एकीकृत किए गए न्यायालय/अधिकरण अर्थात-

- उच्च न्यायालय
- जिला एवं सत्र न्यायालय

अधिकरण (9):

1.केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट)

2. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलय अधिकरण (टीडीसैट)

3. विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपटेल)

4. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीस्टेट)

5. आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)

6. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी)

7. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी)

8. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)

9. रेलवे दावा अधिकरण (आरसीटी)

उच्चतम न्यायालय और शेष 4 अधिकरणों (एएफटी, एनसीडीआरसी, सीजीआईटी और एसएएफईएमए के तहत अपीलीय अधिकरण) के साथ लिम्ब्स का एकीकरण प्रगति पर है।

लिम्ब्स को भारत सरकार के 55 मंत्रालयों, इसके विभागों और संलग्न कार्यालयों में लागू किया गया था और यह सभी हितधारकों, उपयोगकर्ताओं, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों, अधिवक्ताओं को एक मंच पर लाया है। मंत्रालयों/विभागों के ठोस प्रयासों से, एप्लिकेशन ने 14,345 पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के माध्यम से 9.24 लाख न्यायालयी मामलों (निपटाए गए मामलों सहित) को प्राप्त कर लिया है, जिससे भारत संघ से संबंधित मुकदमों का एकीकृत डेटाबेस तैयार हो गया है। एप्लिकेशन में 3,281 न्यायालयों और 22,930 अधिवक्ताओं का विवरण दर्ज किया गया है।

H 001-Annual Report.indd 19 3/27/2023 4:12:45 PM

लिम्ब्स की मुख्य विशेषताएं

लिम्ब्स उन्नत डेटा विश्लेषण के साथ सक्षम है। वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) से संबंधित मामलों की प्रविष्टि करने और निगरानी करने के लिए इसका एक अलग डोमेन है। 'एमआईएस रिपोर्ट' टैब के अंतर्गत भी रिपोर्ट तैयार की जा सकती हैं। ये विशेषताएं मामलों की निगरानी, विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों और अधिवक्ताओं द्वारा शुल्क बिलों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती हैं। लिम्ब्स की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. **डैशबोर्ड:** डैशबोर्ड पर, उपयोगकर्ता संबंधित मंत्रालय के मुकदमों की स्थिति देख सकते हैं अर्थात दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या, लंबित मामले, निपटाए गए मामले, अनुपालन के लिए लंबित मामले, महत्वपूर्ण मामले, अवमानना मामले, काउंसेल वार शीर्ष 10 मामले, विषयवार लंबित मामले आदि।
2. **एमआईएस रिपोर्ट:** उपयोगकर्ता सांख्यिकीय रिपोर्ट या सारांश रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे मामले की स्थिति वार सारांश, मामला श्रेणीवार सारांश, वित्तीय प्रभाव वार सारांश, न्यायालय वार सारांश, निर्णित मामले सारांश, कुल रिपोर्ट, कुल सदस्य सूची, संदर्भित विवाद मामले, संदर्भित नहीं किए गए विवादित मामले, कुल माध्यस्थम मामले, बनाए गए कुल बिल, कुल नोडल अधिकारियों की सूची, कुल उपयोगकर्ता सूची, आदि।

चित्र III 5:

लिम्ब्स पोर्टल का आउटरीच

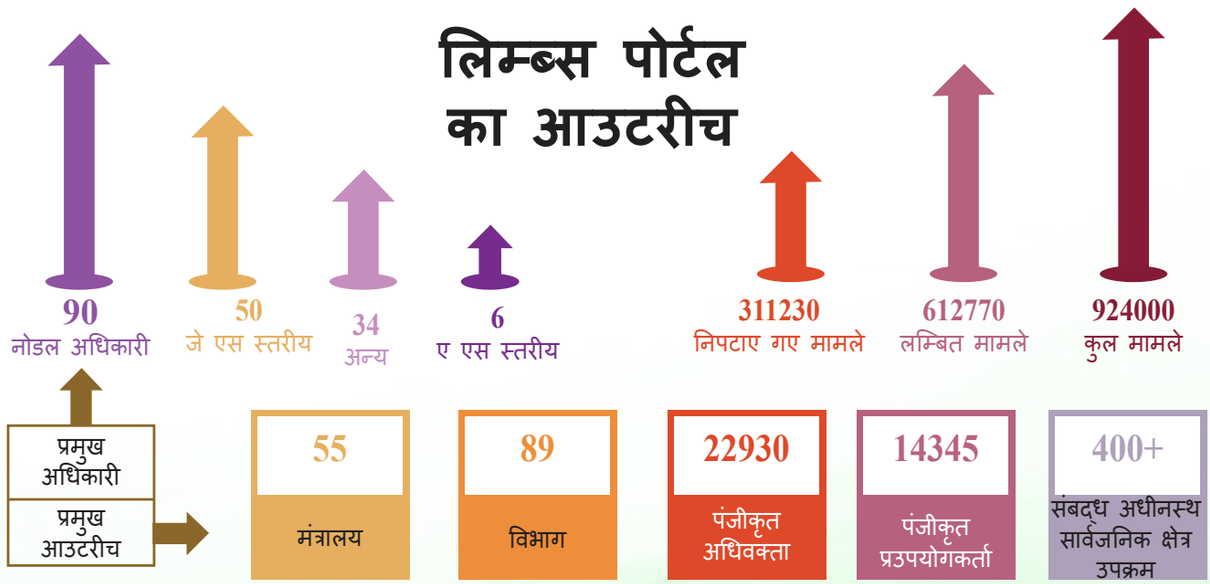

H 001-Annual Report.indd 20 3/27/2023 4:12:45 PM

3. **उन्नत खोज:** इस शक्तिशाली उपकरण द्वारा, उपयोगकर्ता विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से न्यायालयी मामलों की खोज कर सकते हैं- मंत्रालय/विभाग, न्यायालय का विवरण, मामले की श्रेणी, वित्तीय प्रभाव, मामले की स्थिति, पक्षकार का नाम, अधिवक्ता, प्रणाली तारीख, मामले की तारीख, मामले की अगली सुनवाई की तारीख /निर्णय तिथि और संक्षिप्त इतिहास।

4 **महत्वपूर्ण मामले:** नोडल अधिकारी को संबंधित सचिव से अनुमोदन प्राप्त कर मामलों को श्महत्वपूर्णश् चिन्हित करने की सुविधा है। उपयोगकर्ता डैशबोर्ड पर 'महत्वपूर्ण मामले' टैब के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग के महत्वपूर्ण मामले देख सकते हैं।

5. **नोडल अधिकारी और स्थानीय प्रशासन** संबंधित मंत्रालय/विभागों/उप-विभागों/स्वायत्त संगठनों/सीपीएसई आदि के नए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सक्रिय कर सकते हैं। वे सेवानिवृत्त या स्थानांतरित किए गए उपयोगकर्ताओं की प्रोफ़ाइल को बदल सकते हैं और गलत दर्ज या डुप्लिकेट मामलों को हटा सकते हैं।

6. **नए मामले की प्रविष्टि और मामले का अद्यतनीकरण:** उपयोगकर्ता डैशबोर्ड पर श्नई प्रविष्टिश् टैब का उपयोग करके नए मामले दर्ज कर सकते हैं। वे पिछली सुनवाई की तारीखों को अपडेट कर सकते हैं और 'मेरे न्यायलयी मामलेश् टैब के तहत श्अनुपालन प्रविष्टिश् का उपयोग करके किसी मामले से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता, सीएनआर संख्या, अधिवक्ता का नाम, मोबाइल नंबर, संक्षिप्त इतिहास आदि जैसे मामलों का मूल विवरण संपादित कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं।

7. **प्रगति जोड़ें:** उपयोगकर्ता मामलों की दिन-प्रतिदिन की प्रगति को जोड़ सकते हैं और वेब पेज पर इसका विवरण प्रदर्शित कर सकते हैं।

8. **मामलों का स्थानांतरण:** एक मंत्रालय/विभाग के उपयोगकर्ता मामलों को उसी मंत्रालय/विभाग के अन्य उपयोगकर्ताओं या अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को स्थानांतरित कर सकते हैं।

9. **माध्यस्थम मामले:** उपयोगकर्ता 'मामले प्रविष्टि' टैब का उपयोग करके विवरण दर्ज कर सकते हैं और 'माध्यस्थम' टैब के तहत सूची का उपयोग करके दर्ज मामलों को देख सकते हैं।

10. **अधिवक्ता लॉग इन:** वर्तमान में, अधिवक्ता अपने खातों में लॉग इन कर सकते हैं और नए मामले दर्ज कर सकते हैं। अधिवक्ता पिछली सुनवाई की तारीखों, अगली सुनवाई की तारीखों को अपडेट कर सकते हैं, संबंधित उपयोगकर्ता को श्यह मेरा मामला नहीं हैश् स्थिति चिह्नित करके मामलों को स्थानांतरित कर सकते हैं, उन संबंधित उपयोगकर्ताओं को संदेश भेज सकते हैं जो मामले से निपट रहे हैं और ऑनलाइन बिल तैयार कर सकते हैं।

11. **सलाह मॉड्यूल/(एसएलपी):** एसएलपी/अपील को समय पर दाखिल करने में देरी को रोकने के लिए भौतिक प्रक्रिया की समय-सीमा को पकड़ने के लिए एसएलपी मॉड्यूल विकसित किया गया था।

12. **अपवाद मामले:** अपवाद मामले वे मामले हैं जिनमें न्यायालयों, अधिवक्ता विवरण, मामले की श्रेणी, मामले

H 001-Annual Report.indd 21 3/27/2023 4:12:45 PM

की स्थिति, वित्तीय निहितार्थ, मामले की तारीख और सुनवाई की अंतिम तिथि से संबंधित अपवाद/त्रुटियां शामिल हैं। अपवादों/त्रुटियों को अद्यतन करने के लिए, एक उप-मॉडयूल विकसित किया गया था।

लिम्ब्स का उन्नयन

1. **एफएबी ऑनलाइन मॉडयूलः** विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 17 सितंबर, 2022 को विधि अधिकारियों को ऑनलाइन बिल बनाने में सक्षम बनाने के लिए एफएबी मॉडयूल (उपस्थिति बिल के लिए प्रपत्र) का उद्घाटन किया। यह डिजिटल पहल न केवल समय की बचत करती है बल्कि बिलों के सुचारू प्रसंस्करण में भी मदद करती है।
2. सीएनआर संख्या (ई-न्यायालय वेबसाइट में प्रत्येक मामले में उत्पन्न 16 अंकों की विशिष्ट संख्या) की सुविधा जोड़ी गई थी। उपयोगकर्ता सीएनआर संख्या का उपयोग करके अपने मामले खोज सकते हैं।
3. मामलों की मैन्युअल प्रविष्टि की त्रुटियों को कम करने के लिए एपीआई के माध्यम से अधिकरण की वेबसाइटों के साथ सीधा एकीकरण।
4. **सुरक्षा लेखापरीक्षा:** लिम्ब्स एप्लीकेशन की तृतीय पक्ष सुरक्षा लेखापरीक्षा पूरी की गई है।
5. ई-ऑफिस के साथ लिम्ब्स का एकीकरण शुरू किया गया था। मंत्रालय/विभाग का उपयोगकर्ता लिम्ब्स वेबसाइट से विभाग को फाइलों के मामले में सलाह देना शुरू कर सकते हैं। सलाह अनुभाग उक्त मंत्रालय/विभाग के संबंधित संयुक्त सचिव को अपलोड की गई सलाह अग्रेषित करते हैं।
6. **केंद्रीय एजेंसी अनुभाग:** इन-हाउस डिजिटलीकरण किया गया।
7. **नियमित लिम्ब्स कार्यशाला:** लिम्ब्स टीम मंत्रालय/विभाग के उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्रशिक्षण प्रदान करती है।

लिम्ब्स का प्रभाव

(I) लिम्ब्स मंत्रालयों/विभागों के न्यायालयी मामलों की निगरानी में प्रत्यक्ष सुधार लाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है और एक समग्र समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से इसे ई-कोर्ट एप्लिकेशन के साथ एकीकृत करता है। लिम्ब्स न्यायालयी मामलों से निपटने में भ्रम और अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए एकीकृत डेटाबेस, मानक टेम्पलेट्स और सामान्य नामकरण का उपयोग करता है। अधिवक्ताओं, उपयोगकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों को एसएमएस अलर्ट यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी मामला ध्यान से न छूटे। एमआईएस रिपोर्ट ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कानूनी प्रकोष्ठ के कामकाज में सुधार किया है।

(I I) लिम्ब्स ने मंत्रालयों में उपयोगकर्ताओं के बीच जवाबदेही, स्वामित्व और सामंजस्य स्थापित करते हुए इस वेब एप्लिकेशन पर आवश्यक जानकारी दर्ज करके पारदर्शिता में सुधार लाकर भारत संघ की मुकदमा निगरानी प्रणाली में क्रांति ला दी है।

H 001-Annual Report.indd 22 3/27/2023 4:12:45 PM

IV

विधिक सुधार

वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रबंधन

अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन के प्रमुख सफलता कारकों में से एक अदालतों द्वारा अनुबंधों के प्रवर्तन में व्यवसाय का विश्वास होना है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक घरेलू और विदेशी, दोनों निवेशों में वाणिज्यिक अनुबंधों में पक्षकारों का प्रवेश शामिल है। अनुबंध अक्सर, विवादों में परिणत होते हैं जिनके लिए अदालतों द्वारा उचित और त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है। यह अनुबंधों के तेजी से निष्पादन की सुविधा प्रदान करता है और व्यापार लागत को कम करता है तथा निवेश पर आय को बढ़ाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाणिज्यिक अनुबंधों को ठीक से लागू किया जा रहा है और व्यावसायिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहें, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अधिनियमित किया गया था और जिला स्तर पर वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना की गई थी। बंबई, दिल्ली, कोलकाता, हिमाचल प्रदेश और मद्रास पांच उच्च न्यायालय मूल सिविल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं जिनमें वाणिज्यिक खंड स्थापित किए गए हैं। अधिनियम को 2018 में संशोधित किया गया था। वाणिज्यिक अदालतों द्वारा अधिनिर्णित किए जाने वाले वाणिज्यिक विवादों का निर्दिष्ट मूल्य 3 लाख रुपए है। अधिनियम संस्था-पूर्व मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) के तंत्र को शुरू करके विवाद के निपटारे की प्रक्रिया को सरल बनाता है जहां किसी अंतरिम राहत पर विचार नहीं किया जाता है।

मध्यस्थता, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित की जानी होती है। पीआईएमएस तंत्र के माध्यम से विवाद को हल करने में विफल होने पर, दावेदार उनके व्यावसायिक विवाद समाधान के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। संशोधन ऐसे क्षेत्रों में जिला स्तर पर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय की स्थापना के लिए भी प्रदान करते हैं जहां उच्च न्यायालयों को सामान्य मूल सिविल क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और वाणिज्यिक विवाद का मामला प्रथमतया जिला न्यायाधीश के निचले न्यायालय द्वारा तय किया जाता है।

758 वाणिज्यिक न्यायालय जिला न्यायाधीश स्तर से नीचे के हैं, 494 वाणिज्यिक न्यायालय जिला न्यायाधीश स्तर के हैं, 379 वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग न्यायालय जिला न्यायाधीश स्तर के हैं, 25 वाणिज्यिक प्रभाग और 38 वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग उच्च न्यायालयों में गठित हैं।

H 001-Annual Report.indd 23 3/27/2023 4:12:46 PM

चित्र IV 1:

प्रशासन

भारतीय बार काउंसिल

भारतीय बार काउंसिल विधिक शिक्षा और कानूनी पेशे का वैधानिक नियामक है, जिसे उनके मानकों को बनाए रखने और सुधारने का काम सौंपा गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के आचरण और शिष्टाचार के व्यावसायिक मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करता है। यह अधिवक्ताओं के आचरण से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जबकि इस संबंध में पहला प्राधिकार संबंधित राज्य बार काउंसिल के पास है। भारतीय बार काउंसिल, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48ख के तहत, राज्य बार काउंसिलों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार रखती है और राज्य बार काउंसिलों के कार्यों के उचित और कुशल निर्वहन के लिए निर्देश जारी करती है।

भारतीय बार काउंसिल उन अधिवक्ताओं के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा भी आयोजित करती है, जो 2010 से स्नातक हैं और अपने संबंधित राज्य बार काउंसिल के साथ अस्थायी रूप से नामांकित हैं। प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए ऐसे अधिवक्ताओं को अपने अस्थायी नामांकन के दो साल की अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

H 001-Annual Report.indd 24 3/27/2023 4:12:48 PM

विधिक शिक्षा

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 भारत में विधिक शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है। यह भारतीय बार काउंसिल को अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए कानून में डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में कानूनी शिक्षा की पहुंच को मजबूत करने के लिए 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। तालिका IV-2 भारत में निजी और साथ ही सरकारी विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या प्रदान करती है।

विधि शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विधि शिक्षा मानकों को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए नियम बनाए गए हैं।

नियम न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं, जैसे बुनियादी ढांचा, क्लास रूम, न्यूनतम पुस्तकालय आवश्यकता, संकाय की योग्यता, मूट कोर्ट, कानूनी सहायता क्लिनिक, कम्प्यूटर सुविधा आदि।

ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेयन्सिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, वैकल्पिक विवाद समाधान, मूट कोर्ट और इंटर्नशिप जिसमें प्री-ट्रायल तैयारी शामिल है के माध्यम से अनिवार्य नैदानिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित कर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पुलिस थानों, अदालतों, महिला प्रकोष्ठों, जेलों का दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यावहारिक अवलोकन का अवसर प्रदान करता है।

भारत के प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में अपने भाषण में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक खोज, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक, कृत्रिम इंटेलिजेंस और बायोएथिक्स जैसे कुछ विषयों को विधिक शिक्षा में शामिल करने का आग्रह किया था। भारतीय बार काउंसिल ने इसे अपना लिया है।

विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श से भारतीय बार काउंसिल द्वारा पाठ्यक्रम और अन्य मानदंड निर्धारित किए जाते हैं।

विधिक शिक्षा नियम अंग्रेजी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में विधि शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करते हैं जो छात्रों को अंग्रेजी के अलावा किसी भी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देता है।

भारतीय बार काउंसिल प्रतिष्ठित न्यायविदों द्वारा संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का संचालन और प्रचार करती है और विधि हित की पत्रिकाओं को प्रकाशित करती है, जैसे इंडियन बार रिव्यू।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विधिक शिक्षा समिति, भारत में विधि शिक्षा के मानकों को नियंत्रित करती है।

H 001-Annual Report.indd 25 3/27/2023 4:12:48 PM

भारतीय बार काउंसिल की गतिविधियाँ

औचक निरीक्षण

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय औचक निरीक्षण समिति का गठन किया है। समिति का कार्य विधिक शिक्षा और कानूनी पेशे के मानकों में सुधार के लिए विधिक शिक्षा केंद्रों के कामकाज की जांच और निगरानी करना है।

एआईबीई पाठयक्रम और पद्धति की समीक्षा

भारतीय बार काउंसिल ने भारतीय बार काउंसिल बनाम ट्विंकल राहुल मलगांवकर और अन्य में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति यूके और यूएसए सहित विभिन्न न्यायालयों में आयोजित बार परीक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पद्धति का विश्लेषण कर रही है ताकि पाठ्यक्रम कानून के पेशेवरों के कौशल और ज्ञान का परीक्षण करने में सक्षम हो और अखिल भारतीय बार परीक्षा की पद्धति को और अधिक सार्थक बनाया जा सके।

विधि के छात्रों और नए विधि स्नातकों की इंटर्नशिप

बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत कानून के नए स्नातकों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसमें उनके प्रदर्शन के अनुसार उनके संबंधित राज्यों के सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध अधिवक्ताओं के अधीन इंटर्नशिप प्रदान करवाई जाएगी।

शिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार

वर्ष 2022 में भारतीय बार काउंसिल ने ष्न्यायालय की प्रौद्योगिकी और न्याय तक पहुंचरू बदलता परिप्रेक्ष्यष् ष्समाज के निर्माण में वकीलों का योगदानष् और ष्विधि शिक्षा का भविष्य और विधि शिक्षा के वैश्वीकरण का दायराष् जैसे विभिन्न विषयों पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

भारतीय भाषा समिति

भारतीय बार काउंसिल ने भारतीय भाषा समिति का गठन किया है। इसके सदस्य इस प्रकार हैंः-

1. **न्यायमूर्ति एस.ए.बोबडे,**
   भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश,
   अध्यक्ष, बी.सी.आई की भारतीय भाषा समिति
2. **श्री मनन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता,**
   अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया
   कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति

H 001-Annual Report.indd 26 3/27/2023 4:12:48 PM

3. **न्यायमूर्ति एल.नरसिम्हा रेट्ठी,**
   पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
   उपाध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति
4. **श्री. चामु कृष्णा शास्त्री,**
   चेयरमैन, भारतीय भाषा समिति,
5. **प्रो. (डॉ.) पी. ईश्वरभट,**
   कुलपति, केएसएलयू
   पूर्व कुलपति, एनयूजेएस कोलकाता
6. **श्री अशोक मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता,**
   इलाहाबाद उच्च न्यायालय
7. **श्रीमती अंजलि ठाकुर, अधिवक्ता,**
   बंबई उच्च न्यायालय, नागपुर
   सदस्य, भारतीय भाषा समिति, बी.सी.आई.
8. **प्रो. सत्यनारायण शर्मा,**
   विधि विभाग के पूर्व डीन एवं पूर्व प्राचार्य, उज्जैन
9. **प्रोफेसर वैद्यसुब्रमण्यम,**
   कुलपति, शास्त्र विश्वविद्यालय
10. **डॉ. एन. गोपुकुमार**
    संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
11. **श्री जे.पी.सिंह,**
    सहायक रजिस्ट्रार, भारतीय भाषा समिति।

समिति का उद्देश्य पुस्तकों के अनुवाद के माध्यम से विधिक शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। यह संकल्प लिया गया है कि स्थानीय भाषा में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों और वाक्यांशों के लिए भारतीय भाषा शब्दावली प्रदान करने का कार्य एक उप-समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

1. **न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी,**
   पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारतीय भाषा समिति के उपाध्यक्ष;
2. **श्री चामु कृष्णा शास्त्री,**
   चेयरमैन, भारतीय भाषा समिति; और
3. **श्रीमती अंजलि ठाकुर,** अधिवक्ता

H 001-Annual Report.indd 27 3/27/2023 4:12:49 PM

विधिक शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

भारतीय बार काउंसिल ट्रस्ट ने गोवा में इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च (आईआईयूएलईआर) की स्थापना की है। विश्वविद्यालय एकीकृत एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी पाठ्यक्रम के साथ साथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। शोध कार्य पर विशेष बल दिया जाता है।

नई शिक्षा नीति, 2020 के पैरा-17.3 के अनुसार, न्याय की व्यापक पहुंच और यथासमय वितरण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपायों और नई तकनीकों को अपनाते हुए, कानूनी शिक्षा को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पहले शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन 3 दिसंबर, 2022 को हुआ था।

अनुशासनात्मक मामले

सिविल अपील संख्या 7478/2019 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुशासनात्मक समितियों के माध्यम से 2370 स्थानांतरण मामलों की सुनवाई की है और 1605 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया है।

विजन @ 2047

भारत के प्रधानमंत्री ने विजन /2047 का वर्णन इस प्रकार किया है:-

"अमृत काल' के इस दशक में, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा वितरण जैसी सभी सुविधाएं अंतिम नागरिक तक पहुंचें; देश के समग्र विकास के लिए लोगों के जीवन में सरकार और सरकारी प्रक्रियाओं का अनावश्यक हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए।

भारत के प्रधानमंत्री के विजन /2047 आलोक में विधि कार्य के विभाग ने निम्नलिखित कार्यनीतियां निर्धारित की हैं: -

1. भारत को संस्थागत मध्यस्थता का केंद्र बनाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को मजबूत करना।
2. दिनांक 13 जून, 2022 की अधिसूचना द्वारा 'नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र' की स्थापना और इसके कामकाज के लिए नियमों की अधिसूचना, साथ ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। संस्था को वैश्विक पहचान देने के लिए, नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र कर दिया गया है।
3. 18 महीनों के भीतर भारत के सभी शीर्ष 10 शहरों में एडीआर इकोसिस्टम को सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण तथा विकास तथा 5 वर्षों के भीतर शेष टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में इस पहल का विस्तार।

H 001-Annual Report.indd 28 3/27/2023 4:12:49 PM

4. कार्यान्वयन योजना को सहायता प्रदान करने और मौजूदा 35 मध्यस्थता संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए मध्यस्थों, मध्यस्थता सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं आदि जैसे प्रासंगिक हितधारकों की पहचान।
5. प्रभावी संस्थागत मध्यस्थता तंत्र के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण और संचार रणनीति के निर्माण के माध्यम से बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित कार्यबल और संसाधनों का विकास।
6. मध्यस्थता के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ष्गिफ्ट सिटीष् इकोसिस्टम का निर्माण।
7. आभासी सुनवाई की सुविधा के लिए मेटावर्स के उपयोग के माध्यम से मध्यस्थता की कार्यवाही में उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी वाली प्रक्रियाओं की शुरूआत।
8. कर, जमानत मामलों, विचाराधीन मामलो, सिविल प्रक्रिया, और सरकारी कर्मचारियों के आचरण को विनियमित करने वाले नियमों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का सरलीकरण।
9. मध्यस्थता और माध्यस्थम पर जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल और प्रिंट मीडिया चैनलों का उपयोग।

चित्र IV 2:

विजन 2047 की मुख्य विशेषताएं

H 001-Annual Report.indd 29 3/27/2023 4:12:49 PM

V

पारदर्शिता

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

आरटीआई सेल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख करता है। यह ऑनलाइन मोड के साथ साथ भौतिक रूप में भी आवेदन और अपील प्राप्त करता है। यह उन्हें विभाग के भीतर सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारियों या अन्य संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को अग्रेषित करता है। आरटीआई सेल विधि और न्याय मंत्री के कार्यालय और भारत के महान्यायवादी के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। शाखा सचिवालय सहित विधि कार्य विभाग में 18 सीपीआईओ और 10 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

यह प्रकोष्ठ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संबंधित सभी सुनवाई/आदेशों के अनुपालन में विभिन्न मामलों की देखरेख करता है। यह प्रकोष्ठ आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) के तहत सीआईसी को त्रैमासिक रिटर्न प्रस्तुत करता है।

चित्र V 1:

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

H 001-Annual Report.indd 30 3/27/2023 4:12:52 PM

आरटीआई सेल आरटीआई से संबंधित किसी भी संदेह को दूर करने के लिए अन्य सभी अनुभागों/प्रभागों के लिए एक मास्टर डिवीजन के रूप में काम करता है और जब भी आवश्यक हो उनकी सहायता करता है। विभाग के आरटीआई सेल के अन्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के लिए सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों के लॉगिन-आईडी/पासवर्ड जारी करना और जब भी आवश्यक हो उनकी सहायता करना।
2. वेबसाइट पर स्वतरू प्रकटीकरण से निपटना
3. विभाग की वेबसाइट के आर.टी.आई पोर्टल पर सूचनाओं को समय-समय पर अद्यतन करना।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित कोई अन्य कार्य।

तालिका V 1:

आरटीआई आवेदन और निपटान

आरटीआई आवेदन	लंबित मामले	निपटाए गए मामले	आरटीआई प्रथम अपील	लंबित मामले	निपटाए गए मामले	आरटीआई द्वितीय अपील
3322	18	3304	429	1	428	41

लोक शिकायत (पीजी) सेल

विभाग का पीजी सेल ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में प्राप्त जन शिकायतों का निपटान करता है। ऑनलाइन शिकायतों को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। सीपीग्राम्स नागरिकों के लिए 24 × 7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें 'सेवा वितरण' से संबंधित किसी भी विषय पर सरकारी अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज की जा सकती है।

हालांकि, उप-न्यायिक मामलों या किसी भी न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों से संबंधित मामले, व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद, आरटीआई मामले, जो देश की क्षेत्रीय अखंडता या अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालते हैं और सुझाव सीपीग्राम्स के दायरे से बाहर रखे गए हैं।

H 001-Annual Report.indd 31 3/27/2023 4:12:53 PM

चित्र V 2:

लोक शिकायत प्रकोष्ठ

इस प्रभाग का नेतृत्व श्री राजवीर सिंह वर्मा, अपर सचिव कर रहे हैं, और श्री सजी गोपीनाथ, अवर सचिव, श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा, अनुभाग अधिकारी और सुश्री श्वेता नेगी, कोर्ट क्लर्क द्वारा उनको सहायता प्रदान की जा रही है।

तालिका V 2:

सीपीग्राम्स में लोक शिकायतों की स्थिति

कुल मामले	निपटाए गए मामले	लंबित मामले
4436	4435	1

सतर्कता एकक

विधि एवं न्याय मंत्रालय में सतर्कता इकाई विधि कार्य विभाग (आयकर अपीलीय अधिकरण सहित) और विधायी विभाग के मामलों की देखरेख करती है। सतर्कता इकाई का नेतृत्व अपर सचिव के स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति से नियुक्त किया जाता है। सतर्कता इकाई की अध्यक्षता वर्तमान में अपर सचिव डॉ. अंजु राठी राणा कर रही हैं। दोनों विभागों के लिए सतर्कता गतिविधियों की समग्र जिम्मेदारी मुख्य सतर्कता अधिकारी की है।

H 001-Annual Report.indd 32 3/27/2023 4:12:55 PM

संवेदनशील या कदाचार संभावित क्षेत्रों की पहचान पर जोर देने के साथ-साथ निवारक सतर्कता पर प्राथमिकता से ध्यान देना जारी रहा है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जाता है।

चित्र V 3:

सतर्कता एकक

मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता इकाई में नोडल बिंदु होता है और उसे निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं:

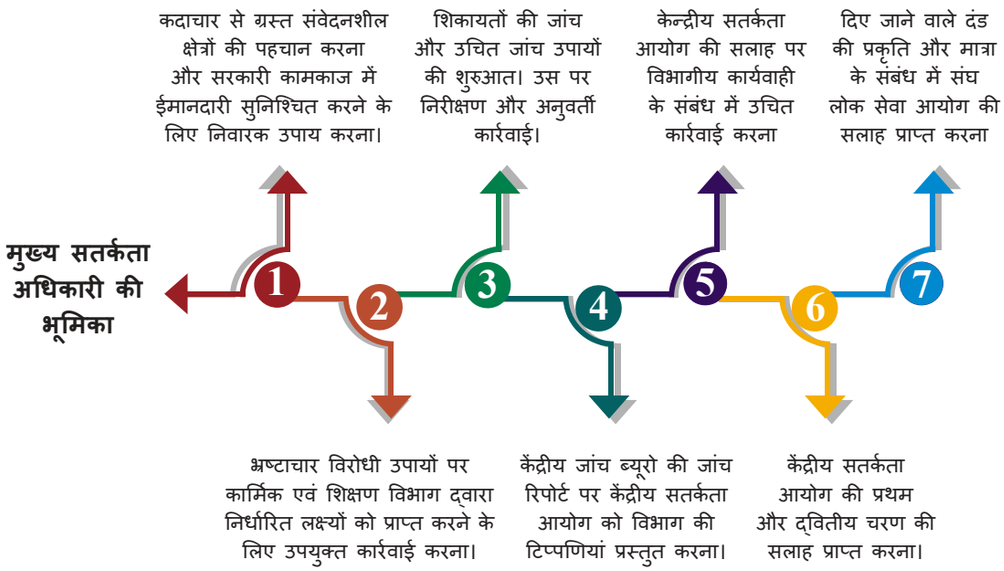

सतर्कता निकासी प्रमाणित करती है कि कोई कर्मचारी सतर्कता दृष्टिकोण से साफ है या नहीं। गैर-कानूनी परितोषण की मांग/स्वीकृति, आय से अधिक संपत्ति का स्वामित्व, गबन की घटनाएं, जालसाजी या धोखाधड़ी, आधिकारिक पद का दुरुपयोग तथा ऐसे अन्य कृत्य सतर्कता मंजूरी को रोकने के आधार माने जाते हैं।

H 001-Annual Report.indd 33 3/27/2023 4:12:58 PM

सतर्कता इकाई ने 370 सतर्कता निकासी पत्र जारी किए।

दिनांक 31.10.2022 से 06.11.2022 तक के सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। 31 अक्टूबर 2022 को विधि सचिव ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत विधि कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। विभाग के कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। भारतीय विधि संस्थान के प्रख्यात शिक्षाविदों ने भी विभाग के अधिकारियों के समक्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग के विषय 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत-एक विकसित राष्ट्र' पर भाषण दिया। उक्त विषय पर निबंध लेखन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। विधि सचिव ने 14 दिसंबर, 2022 को प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। यह महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करती है और आवश्यकता होने पर अन्वेषण शुरु करती है। शिकायत समिति को सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के उद्देश्य से अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जाँच प्राधिकारी माना जाता है। शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट के रूप में लिया जाता है। जांच पूरी होने पर, समिति किसी भी आवश्यक कार्रवाई के लिए विधि कार्य विभाग को अपने परिणाम प्रस्तुत करती है। वर्तमान में, शिकायत समिति की प्रभारी डॉ. अंजु राठी राणा, अपर सचिव, विधि कार्य विभाग हैं।

वर्तमान में विधि कार्य विभाग में यौन उत्पीड़न का कोई मामला लंबित नहीं है।

6 दिसम्बर, 2022 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। परस्पर संवाद वाली इस कार्यशाला में उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता श्री शशांक शेखर ने विषय पर व्याख्यान दिया।

कार्यशाला के अलावा, कल्चर सोसाइटी, कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने 7 दिसंबर, 2022 को शास्त्री भवन में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया तथा सभी महिलाओं के लिए सम्मान और समानता के मूल्यों को जागृत किया। छात्रों ने श्रोताओं को जीवंत संदेश देने के साथ यह दिखाते हुए कि कार्यस्थलों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सामाजिक प्रणाली में यौन उत्पीड़न की समस्या कैसे मौजूद है एक अभिनव तरीके से नाटक प्रस्तुत किया और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले विभिन्न उपायों को रेखांकित किया।

H 001-Annual Report.indd 34 3/27/2023 4:12:58 PM

VI
नोटरी

विधि कार्य विभाग का नोटरी सेल नोटरियों की नियुक्ति करता है और नोटरी अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यान्वयन करता है।

डिजिटल इंडिया अभियान के भाग के रूप में नोटरी के काम को डिजिटल किया गया है। इससे नोटरी की नियुक्ति प्रक्रिया और प्रशासन के कामकाज में आसानी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 23,565 नोटरी नियुक्त किए गए हैं।

नोटरी सेल के कार्य

नोटरी सेल विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संवीक्षा, इन आवेदनों की प्रक्रिया और नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित करने का कार्य करता है।

1. यह सेल नोटरी की ओर से पेशेवर कदाचार के आरोपों की जांच करता है।
2. यह सेल आरटीआई आवेदनों, प्रथम और द्वितीय अपीलों को भी देखता है।
3. यह सेल देश भर में विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर अदालती मामलों को संभालता है।
4. यह हर पांच साल में केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटरी की प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करता है। पर्याप्त कारणों के होने पर, यह अवधि विस्तार और नोटरी के प्रैक्टिस के क्षेत्र में विस्तार/परिवर्तन भी प्रदान करता है।

नोटरी नियम, 1956 में संशोधन

- विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सार्वजनिक नोटरी की रिक्तियों में वृद्धि की गई। (जीएसआर संख्या 438(ई) दिनांक 9 जून, 2022 द्वारा)

- नोटरी नियम, 1956 के नियम 8बी को वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात एक वर्ष के भीतर प्राप्त हुए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को नवीनीकृत करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए संशोधित किया गया था। (जीएसआर संख्या 597(ई) दिनांक 22 जुलाई, 2022 द्वारा)

H 001-Annual Report.indd 35 3/27/2023 4:12:58 PM

चित्र VI 1:

नोटरी सेल

तालिका V 1:

शुरूआत से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी

क्र.स.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	शुरुआत से नियुक्त नोटरी
1.	आंध्र प्रदेश	543
2.	अरुणाचल प्रदेश	00
3.	असम	15
4.	बिहार	230
5.	छत्तीसगढ	198
6.	गोवा	31
7.	गुजरात	4219
8.	हरियाणा	1500
9.	हिमाचल प्रदेश	464
10.	झारखंड	82

H 001-Annual Report.indd 36 3/27/2023 4:13:01 PM

क्र.स.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	शुरुआत से नियुक्त नोटरी
11.	कर्नाटक	1733
12.	केरल	1100
13.	मध्य प्रदेश	266
14.	महाराष्ट्र	4252
15.	मणिपुर	00
16.	मेघालय	01
17.	मिजोरम	00
18.	नगालैंड	00
19.	ओडिशा	93
20.	पंजाब	1350
21.	राजस्थान	2030
22.	सिक्किम	00
23.	तमिलनाडु	1640
24.	तेलंगाना	73
25.	त्रिपुरा	18
26.	उत्तर प्रदेश	2061
27.	उत्तराखंड	65
28.	पश्चिम बंगाल	300
29.	अंडमान और नोकोबार द्वीप समूह	00
30.	चंडीगढ़	129
31.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	01
32	जम्मू और कश्मीर	91
33	लदाख	00
34	लक्षद्वीप	03
35	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	817
36	पुदुचेरी	260
कुल		**23565**

H 001-Annual Report.indd 37 3/27/2023 4:13:01 PM

नोटरी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (एनओएपी)

विभाग के नोटरी सेल ने ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए। 27.05.2022 को नोटरी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल (एनओएपी) नामक एक विशेष वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। एनओएपी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. आवेदन पत्र उपयोगकर्ता के अनुकूल है और इसे बिना किसी तकनीकी सहायता के भरा जा सकता है;
2. दस्तावेज़ों की वास्तविक प्रति को नोटरी सेल को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप तंत्र पेपरलेस होता है;
3. नोटरी की नियुक्ति से संबंधित सभी प्रकार के वैधानिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन (भारतकोश के माध्यम से) किया जाना है;
4. आवेदनों को अब जिला न्यायाधीश के माध्यम से अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है;
5. नोटरी, एनओएपी के माध्यम से अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड कर सकते हैं;
6. नोटरी को अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नमूना हस्ताक्षर भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है;
7. पूरे भारत में प्राप्त नोटरी आवेदनों को नोटरी सेल के साथ-साथ आवेदकों द्वारा भी ट्रैक किया जा सकता है।

डिजिटल मोड के माध्यम से आयोजित नोटरी नियुक्ति साक्षात्कार

1. विभाग के नोटरी सेल ने हिमाचल प्रदेश राज्य में ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए, जहां केंद्र सरकार के नोटरी की नियुक्ति के लिए 685 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया।
2. विभाग के नोटरी सेल ने गुजरात राज्य में नोटरी की नियुक्ति के लिए 9198 उम्मीदवारों के ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए।

चित्र VI 2:

भौतिक से कागज रहित शासन में परिवर्तित

H 001-Annual Report.indd 38 3/27/2023 4:13:02 PM

तालिका VI 2:

सर्विस प्लस से एनओएपी में परिवर्तन

सेवा प्लस	एनओएपी
नोटरी शुल्क का ऑफलाइन भुगतान	भारतकोष के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान
ऑफलाइन इंटरव्यू कॉल लेटर जनरेशन	ऑनलाइन इंटरव्यू कॉल लेटर जनरेशन
भौतिक साक्षात्कार संपन्न	भारत वीसी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन साक्षात्कार
जटिल जीयूएल उपयोगकर्ता प्रतिकूल	उन्नत खोज के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल
कोई रिपोर्ट उत्पन्न नहीं	राज्य/जिलेवार रिपोर्ट तैयार करना
अन्य सेवाओं के साथ व्यापक पोर्टल	विभाग की वेबसाइट में नोटरी सेल के लिए विशेष पोर्टल
कोई डैशबोर्ड दृश्य नहीं	नोटरी के सभी आंकड़ों के साथ डैशबोर्ड देखें

H 001-Annual Report.indd 39 3/27/2023 4:13:02 PM

VII

डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा

भारत में डिजिटलीकरण ने एक दशक से भी कम समय में त्वरित विकास दर के साथ भारत की आबादी के 50ः से अधिक तक अपनी पहुंच बना ली है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए, विधि कार्य विभाग, जिसे अब तक कागजी कार्य से परिपूर्ण विभाग माना जाता था, ने एक कागज रहित संगठन बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

चित्र VII 1:

साइबर प्रकोष्ठ

विधि सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (लिम्ब्स) इन प्रमुख पहलों में से एक है, जो एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है और उन सभी न्यायालयी मामलों की निगरानी करती है जहां भारत संघ एक पक्षकार है। यह एप्लिकेशन भारत संघ से संबंधित सभी मामलों की वास्तविक समय निगरानी की अनुमति देती है, और साथ ही उन मामलों से जुड़े सभी विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेलों और अधिवक्ताओं के शुल्क का प्रबंधन भी करती है। पहले, अधिकारियों को केवल एक आदेश की स्थिति जानने के लिए न्यायालयों में कतार लगानी पड़ती थी, अब यह सुविधा एक बटन के क्लिक से उपलब्ध हो जाती है।

नोटरी के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की पहल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नागरिकों को नोटरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देकर प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण

H 001-Annual Report.indd 40 3/27/2023 4:13:05 PM

नोटरीकरण प्रक्रिया को एक डिजिटल प्रणाली में बदलना है जिससे घर पर बैठे-बैठे आसानी से पहुंच बनाई जा सके और उसे निष्पादित किया जा सके। यह पहल सरकार के लोक -केंद्रित दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह विजन 2047 के अनुरूप भी है, साथ ही यह व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देता है।

विधि कार्य विभाग ने भी अपनी वेबसाइट को अधिक व्यापक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया है जो अब अधिक पठनीय सामग्री के साथ नेविगेट करने में भी आसान है। वेबसाइट को अन्य संबद्ध और अधीनस्थ संगठनों के हाइपरलिंक्स के साथ-साथ विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाकर समृद्ध किया गया है और अब यह विभिन्न वेब ब्राउज़रों, ऑपरेटिंग सिस्टम, कनेक्शन स्पीड, मोबाइल ब्राउज़रों आदि में निर्बाध इंटर ऑपरेबिलिटी प्रदान करती है।

विधि कार्य विभाग भी कई दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करके एक कागजरहित कार्यालय की ओर बढ़ रहा है, जिससे पारदर्शिता और निर्णय लेने की गति बढ़ रही है। ई-ऑफिस 7.0 के माध्यम से फाइलों का सृजन, फाइलों में नोटिंग, विभिन्न स्तरों पर निर्णय और पत्र और अधिसूचना के रूप में निर्णय जारी करना सभी ऑनलाइन हो गए हैं।

ऑनलाइन फाइलें बनाने, फाइलों को ऑनलाइन ट्रैक करने और ऑनलाइन निगरानी से शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता के साथ, ई-ऑफिस तीव्र गति से सरकारी कार्यालयों में कार्य करने के तरीके में पूर्ण रूप से बदलाव ला रहा है। ई-ऑफिस हाई-टेक सुविधाओं जैसे ई-फाइल, सूचना प्रबंधन प्रणाली, सीएएमएस, ई-अवकाश, ई-टूर, स्पैरो, पीआईएमएस आदि से लैस है।

जीइएम पूरी तरह से कागजरहित, कैशलेस सिस्टम संचालित ई-मार्केट प्लेस है, जो कम से कम ह्यूमन इंटरफ़ेस के साथ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सक्षम बनाता है, इसे विधि कार्य विभाग द्वारा पूरी तरह से अपनाया गया है।

चित्र VII 2:

साइबर सुरक्षा संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) की विशेषताएं

H 001-Annual Report.indd 41 3/27/2023 4:13:06 PM

साइबर सुरक्षा पर विभाग की पहल

विधि कार्य विभाग के डिजिटल पदचिह्नों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ, महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे और डेटा और सूचना की सुरक्षा के लिए विभाग में साइबर सुरक्षा बढ़ाने पर उच्च स्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

साइबर आधारित खतरों की व्यापक और हानिकारक प्रकृति को देखते हुए, सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को अपने आईटी और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी संभावित आईटी और साइबर आधारित खतरों और हमलों के विरुद्ध उनके नेटवर्क, डेटा और संगठनों की सुरक्षा करना है।

इस संबंध में, विधि कार्य विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप कार्य योजनाएं शुरू की गई हैं। इसका पहला कदम साइबर सुरक्षा संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार करना था। इस योजना में सीसीएमपी के सृजन और कार्यान्वयन के समन्वय के लिए एक उप सीआईएसओ के साथ एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) भी पदनामित है।

सीसीएमपी ने इस तरह के संकट से निपटने के लिए विधि कार्य विभाग में एक संरचित नीति निर्माण प्रक्रिया का सृजन किया है। इस योजना में नेटवर्क और उपकरण सुरक्षा के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर के अद्यतन संस्करणों की स्थापना, साथ ही पुराने आईटी उपकरणों को आधुनिक, उच्च क्षमता और अधिक सुरक्षित मॉडल के साथ बदलना शामिल है। विभाग ने नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए विधि कार्य विभाग के बाहरी कार्यालयों को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया है।

इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा मामलों की निरंतर निगरानी करने, विशेष रूप से, विभाग में होने वाले किसी भी संभावित उल्लंघन या चूक के लिए एक समर्पित टीम तैयार की गई थी । विभाग को साइबर हमले से बचाने के लिए सीसीएमपी को लागू करने के लिए बजटीय अनुमान तैयार किए गए थे और उसकी निधि स्वीकृत की गई थी। उदाहरण के लिए, सीसीएमपी कार्य योजना विभाग में आईटी अवसंरचना से संबंधित सभी पहलुओं के लिए समग्र कवरेज प्रदान करने का प्रयास करती है ।

जागरूकता सत्र

सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा और साइबर आधारित खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने की समग्र योजना के भाग के रूप में, जैसा कि यह विधि कार्य विभाग से संबंधित है, विभाग ने नवंबर 2022 में एक व्यापक जागरूकता सत्र आयोजित किया जिसमें अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रस्तुतियां और व्याख्यान दिया गया। जागरूकता सत्र में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रदान की गई जानकारी में क्या करें और क्या

H 001-Annual Report.indd 42 3/27/2023 4:13:09 PM

न करें जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ-साथ इन हमलों की पेचीदगियों और इसके शमन के उपायों के उदाहरण शामिल थे। जागरूकता सत्र के लिए रुचि और उत्साह पैदा करने के लिए वास्तविक कार्यक्रम से पहले एक सप्ताह भर का एक लंबा अभियान शुरू किया गया जिसमें क्विज़ और अन्य सहायक प्रचार शामिल था। यह सत्र अंततः एक बड़ी सफलता सिद्ध हुआ जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया। विभाग की सबसे महत्वपूर्ण सफलता सभी स्तरों पर विभाग के सभी कार्मिकों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही।

चित्र VII 3:

साईबर सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें।

स्रोत: डेटा प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया

साइबर नीति को संस्थागत बनाना

कुल मिलाकर, वर्ष 2022 विभाग के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा था, जिसमें प्रमुख कार्य योजनाओं को लागू किया गया, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट बजटीय उपायों को क्रियान्वित किया गया था। इसका व्यापक लक्ष्य विभाग की सार्वजनिक सेवाएं जैसे नोटरीकरण और मध्यस्थता तथा केंद्र सरकार के 2047 विजन के अनुरूप भारत के आम नागरिक के लिए आसानी से पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना है। जैसे जैसे भारत विकास की ओर बढ़ता रहेगा, विभाग ऑनलाइन गेमिंग और खेल, डेटा संरक्षण, ऑनलाइन लॉटरी आदि के क्षेत्र में साइबर कानूनों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय कानूनी ढांचा प्रदान करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा।

H 001-Annual Report.indd 43 3/27/2023 4:13:10 PM

VIII

बजट एवं लेखापरीक्षा

समेकित वित्त प्रभाग

समेकित वित्त प्रभाग (आईएफडी) विधि कार्य विभाग के बजट प्रबंधन का कार्य करने और उसे नियंत्रित रखने में सहायता प्रदान करता है। श्रीमती रंजना चोपड़ा, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार इसकी प्रमुख है और श्री हंसराज मीणा, उप सचिव, विधि कार्य विभाग सहित विधि और न्याय मंत्रालय के बजट और वित्त की निगरानी में सहायता प्रदान करते हैं। समेकित वित्त प्रभाग इस विभाग को वित्तीय सलाह देती है। प्रभाग के व्यापक कार्यों में मंत्रालय में वित्तीय सलाह, बजट, लेखा और आंतरिक लेखापरीक्षा शामिल हैं।

वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लिए शीर्ष-वार व्यय विवरण

वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 का व्यय विवरण निम्न तालिका अनुसार देखा जा सकता है। प्रमुख शीर्षों में न्याय प्रशासन, आय पर करों का संग्रह और व्यय, सचिवालय की सामान्य सेवा, अन्य प्रशासनिक सेवाएं और अन्य प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित बजट प्रावधान, संशोधित आकलन, व्यय, अधिकता और बचत तथा उपलब्ध शेष के साथ-साथ पूंजी परिव्यय शामिल हैं।

वर्ष 2021-2022 का शीर्ष-वार व्यय विवरण

वर्ष 2021-2022 के लिए अधिकतम और न्यूनतम संशोधित अनुमान की कुल राशि क्रमशः 122 करोड़ रुपए (अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय) और 7.3 करोड़ रुपए (अन्य प्रशासनिक सेवाएं) है। अधिकतम और न्यूनतम व्यय की कुल राशि क्रमशः 120.79 करोड़ रुपए (अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय) और 4.27 करोड़ रुपए (अन्य प्रशासनिक सेवाएं) है।

वर्ष 2022-2023 के लिए शीर्ष-वार व्यय विवरण

वर्ष 2022-2023 के लिए अधिकतम और न्यूनतम व्यय की कुल राशि क्रमशः 92.37 करोड़ रुपए (आय पर करों का संग्रह और व्यय) और 3.53 करोड़ रुपए (अन्य प्रशासनिक सेवाएं) है। अधिकतम और न्यूनतम उपलब्ध शेष राशि क्रमशः 94.29 करोड़ रुपए (अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय) और 4.17 करोड़ रुपए (अन्य प्रशासनिक सेवाएं) है।

H 001-Annual Report.indd 44 3/27/2023 4:13:10 PM

तालिका VIII 1:

वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लिए शीर्ष-वार व्यय विवरणमां

वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 का शीर्ष-वार व्यय विवरण {करोड़ (₹) में}										
क्र.सं.	वर्ष	प्रमुख शीर्ष	बजटीय प्रावधान		संशोधित आकलन		व्यय		अधिकता(+) बचत(-)	शेष
			2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
1	2014	न्याय प्रशासन	60	64.6	69	-	63.82	48.10	-5.18	16.5
2	2020	आय पर करों कासंग्रह और व्यय	120.8	122	119.85	-	102.09	92.37	-17.76	29.63
3	2052	सचिवालय कीसमान्य सेवा	72.9	88.18	78.78	-	65.27	61.96	-13.51	26.22
4	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	7.3	7.7	7.3	-	4.27	3.53	-3.03	4.17
5	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	100	115	122	-	120.79	20.71	-1.21	94.29
कुल (रुपए)			361	397.48	396.93	-	356.24	226.67	-40.69	170.81

तालिका VIII 2:

जनवरी, 2000 से सभागार के निर्माण हेतु उपयोग न किए गए अनुदान

के संबंध में रिपोर्ट सं. 2020 की 6 का लेखा परीक्षा पैरा सं. 12.1

क्र.सं.	वर्ष	पैरा/पीए रिपोर्ट की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के बाद पीएसी को एटीएन प्रस्तुत किया गया है	पैरा/पीए रिपोर्टों का विवरण जिन पर एटीएन लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजे गए लेकिन टिप्पणियों के साथ लौटाए गए एटीएन की संख्या और लेखापरीक्षा को मंत्रालय द्वारा उनके पुनः स्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।	एटीएन की संख्या जिनका लेखापरीक्षाद्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण किया जा चुका है लेकिन मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
12.1	जनवरी, 2000 से सभागार के निर्माण हेतु उपयोग न किए गए अनुदान के संबंध में 2020 की रिपोर्ट सं. 6	1	0	0	0

H 001-Annual Report.indd 45 3/27/2023 4:13:10 PM

IX

वैकल्पिक विवाद समाधान

विवाद समाधान का पारंपरिक तरीका, यानी मुकदमेबाजी, एक लंबी प्रक्रिया है जो न्याय के वितरण में अनावश्यक देरी के साथ-साथ न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ डालती है। ऐसे परिदृश्य में, माध्यस्थम, सुलह और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये एडीआर तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवादों को हल करने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं।

एडीआर तंत्र में विभिन्न प्रकार के विवादों जैसे सिविल, वाणिज्यिक और पारिवारिक आदि को हल करने का लाभ मिलता है, जहां लोग किसी भी प्रकार की बातचीत शुरू करने और निपटान तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते हैं, और कई मामलों में जहां गोपनीयता महत्वपूर्ण होती है।

आधुनिक समय में, व्यापार और वाणिज्य के वैश्वीकरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, एडीआर तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई विधायी उपाय किए गए हैं। विधि कार्य विभाग माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 और मध्यस्थता विधेयक, 2021 से संबंधित है।

चित्र IX 1:

वैकल्पिक विवाद समाधान

H 001-Annual Report.indd 46 3/27/2023 4:13:14 PM

भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र

भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 संस्थागत माध्यस्थम की सुविधा के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (केंद्र) नामक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना का प्रावधान करता है। इस केंद्र को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम के लिए पसंदीदा केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

केंद्र में सुलह, मध्यस्थता और माध्यस्थम की कार्यवाही के लिए विश्व स्तर की सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिष्ठित मध्यस्थों के पैनल को बनाए रखने, अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने और माध्यस्थम, सुलह, मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों में सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन करने की परिकल्पना की गई है।

यह केंद्र, राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के नाते, इसकी उत्पत्ति संसद द्वारा पारित एक क़ानून से हुई है। विश्व स्तर पर, भारतीय पक्षकारों के पास बड़ी संख्या में माध्यस्थम के मामले हैं। यह केंद्र कम कीमत पर माध्यस्थम के मामलों का उचित और त्वरित समाधान प्रदान करेगा तथा इस प्रकार तदर्थ माध्यस्थम से जुड़ी अनिश्चितताओं में पक्षकारों को उलझाए बिना संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देगा। यह केंद्र महत्वपूर्ण रूप से दिल्ली में वसंत कुंज में स्थित है।

इस केंद्र की स्थापना दिनांक 13 जून, 2022 की अधिसूचना द्वारा की गई थी। इसके अलावा, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 के तहत आवश्यक निम्नलिखित नियमों को भी अधिसूचित किया गया थाः -

(I) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (पदों की संख्या और रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 2022.

(II) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (नियम और शर्तें तथा अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते) नियम, 2022.

(III) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (खातों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2022.

(IV) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (अंशकालिक सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2022.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अनुभवी मध्यस्थों को सूचीबद्ध करने के लिए इस केंद्र के तहत माध्यस्थम चैंबर की स्थापना की जाएगी।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय को इस केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री गणेश चंद्रू और श्री अनंत विजय पल्ली को केंद्र के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह केंद्र संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने और एक विशेष मध्यस्थ संस्था के रूप में केंद्र की विश्वसनीयता

H 001-Annual Report.indd 47 3/27/2023 4:13:14 PM

बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग और समन्वय के लिए अन्य समकालीन अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ संस्थानों के साथ सहयोग करेगा।

यह केंद्र खुद को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित माध्यस्थम केंद्र के रूप में स्थापित करके, भारत में व्यवसाय करने की निवेशकों की धारणा में एक गेम-चेंजर साबित होगा।

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 और भारत की माध्यस्थम परिषद

माध्यस्थम परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ तालमेल रखने और एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में माध्यस्थम को सक्षम बनाने के लिए, भारतीय माध्यस्थम कानून में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उक्त बदलाव संकेत है कि ये परिवर्तन में सक्षम हैं तथा मध्यस्थता की कार्यवाही का समय पर समापन सुनिश्चित करते है, माध्यस्थम प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप कम हुआ है और माध्यस्थम निर्णय लागू हुए हैं। संशोधनों का उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए कानून को अद्यतन करना और अस्पष्टताओं को हल करना है जिससे माध्यस्थम पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके जहां मध्यस्थ संस्थाएं फल-फूल सकें।

माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारतीय माध्यस्थम परिषद (परिषद) की स्थापना का प्रावधान करता है जो मध्यस्थता के संतोषजनक स्तर को सुनिश्चित करने के लिए मानदंडों की रूपरेखा, समीक्षा करेगी और इसको अद्यतन करेगी तथा मध्यस्थ संस्थानों की ग्रेडिंग को नियंत्रित करने वाली नीतियों को भी तैयार करेगी। यह परिषद देश में मध्यस्थ संस्थानों के बीच मानकों की एकरूपता लाने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी।

परिषद की स्थापना माध्यस्थम मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को और कम करती है, यह प्रावधान करती है कि पक्षकार माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थों की नियुक्ति के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा नामित और परिषद द्वारा श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं। परिषद् की स्थापना में तेजी लाने के उद्देश्य से संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए गए हैं:-

(I) भारतीय माध्यस्थम परिषद (नियम और शर्तें तथा अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते) नियम, 2022.

(II) भारतीय माध्यस्थम परिषद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की योग्यता, नियुक्ति और सेवा के अन्य नियम और शर्तें) नियम, 2022.

(III) भारतीय माध्यस्थम परिषद (अंशकालिक सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2022.

(IV) भारतीय माध्यस्थम परिषद (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, उनकी योग्यता, नियुक्ति तथा अन्य नियम और शर्तें) नियम, 2022.

H 001-Annual Report.indd 48 3/27/2023 4:13:15 PM

मध्यस्थता विधेयक, 2021

मध्यस्थता, जैसा कि ज्ञात है, अधिक अनौपचारिक है और विवादित पक्षों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करती है जो समझौते में परिणत हो सकती है। इस प्रकार, मध्यस्थता, माध्यस्थम की तुलना में, लोगों और व्यवसायों को अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयासों में मदद करता है, क्योंकि प्रक्रिया में समझौता एक स्वैच्छिक और सहमति के आधार पर होता है।

मध्यस्थता को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से सिविल और वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता, मध्यस्थता निपटान समझौतों को लागू करना, मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय का प्रावधान करना, सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना और एक स्वीकार्य और लागत प्रभावी प्रक्रिया के रूप में ऑनलाइन मध्यस्थता करना है। इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए, 20.12.2021 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मध्यस्थता पर एक व्यापक स्वतंत्र कानून पेश किया गया है।

इस विधेयक को 20.12.2021 को विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 13.07.2022 को सौंप दी है और यह सरकार के विचाराधीन है।

एएमआरसीडी/एएमआरडी

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के वाणिज्यिक विवादों (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र सीपीएसई और अन्य सरकारी विभागों और संगठनों के बीच वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए 22 मई 2018 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) वाणिज्यिक विवादों (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र नामक एक दो-स्तरीय तंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें शामिल लोग रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क और व्यायाम विभाग शामिल हैं।

तत्कालीन पीएमए (मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी) तंत्र को बदलने और इसे विवादित पक्षों पर अधिक प्रभावी और बाध्यकारी बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के सहयोग से इस तंत्र को विकसित किया गया था।

1. प्रयोज्यता

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)/पोर्ट ट्रस्ट और अन्य सीपीएसई के साथ-साथ सीपीएसई और सरकारी एजेंसियों या संगठनों (रेलवे आयकर, सीमा शुल्क, या व्यायाम विभाग से जुड़ी असहमति के अपवाद के साथ) के बीच एक वाणिज्यिक अनुबंध की शर्तों की व्याख्या और आवेदन के संबंध में कोई असहमति या विवाद, एएमआरसीडी के माध्यम से समाधान के लिए किसी भी पक्ष द्वारा लाया जा सकता है।

2. संरचना एवं प्रक्रिया

वाणिज्यिक विवादों को हल करने के लिए स्वीकृत नए तंत्र के अनुसार, संबंधित विवादित पक्षों द्वारा निम्नलिखित संरचना और प्रक्रिया का पालन किया जाएगाः

H 001-Annual Report.indd 49 3/27/2023 4:13:15 PM

- पहले स्तर पर, ऐसे वाणिज्यिक विवादों को एक समिति को भेजा जाएगा जिसमें प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव, जिनसे विवादित सीपीएसई/पार्टियां संबंधित हैं, और सचिव, विधि कार्य विभाग शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व उनके संबंधित वित्तीय सलाहकारों द्वारा किया जाएगा।
- यदि दो विवादित पक्ष एक ही मंत्रालय/विभाग से संबंधित हैं, तो उक्त समिति में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव, विधि कार्य विभाग के सचिव और लोक उद्यम विभाग के सचिव शामिल होंगे। ऐसे मामले में, मामले को वित्त सलाहकार और उस मंत्रालय/विभाग के एक संयुक्त सचिव द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यदि उपरोक्त समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद भी विवाद का समाधान नहीं होता है, तो उसे दूसरे स्तर पर कैबिनेट सचिव के पास भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा।

चित्र IX 1:

एएमआरसीडी की संरचना

H 001-Annual Report.indd 50 3/27/2023 4:13:16 PM

➢ **जब दोनों पक्षों में से एक राज्य सरकार का विभाग या संगठन हो:** ऐसे मामलों में जहां विवाद का एक पक्ष राज्य सरकार (प्रथम पक्ष) का विभाग/संगठन हो, तो विवाद को स्वीकार करने की प्रक्रिया ऊपर वर्णित के अनुसार ही होगी। हालाँकि, विवाद के समाधान के संबंध में सभी बैठकें दूसरे पक्ष (द्वितीय पक्ष) के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (संघ) में आयोजित की जाएंगी, भले ही पहले पक्ष की दावेदार या प्रतिवादी के रूप में स्थिति कुछ भी हो। इस मामले में उपरोक्त समिति के समक्ष मामलों की प्रस्तुति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकारों और राज्य सरकार के विभाग/संगठन के संबंधित प्रधान सचिव द्वारा की जाएगी।

3. अपील

प्रथम स्तर पर समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्षकार अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से प्रथम स्तर पर समिति के निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर दूसरे स्तर पर कैबिनेट सचिव के समक्ष अपील कर सकता है। जिसका निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा।

4. माध्यस्थम खंड

सीपीएसई परस्पर सीपीएसई और सीपीएसई, और सरकारी विभागों/संगठनों के बीच सभी मौजूदा और भविष्य के वाणिज्यिक अनुबंधों में एक मध्यस्थता खंड को शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।

5. पीएमए में लंबित मामलों का निपटान

एकमात्र मध्यस्थ- पीएमए (मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी) और अपीलीय प्राधिकरण के पास सभी लंबित मामले विवाद समाधान के एएमआरसीडी तंत्र के अनुसार निपटाए जाने वाले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। सभी मामले जिनमें सुनवाई एक एकल मध्यस्थ द्वारा पूरी की गई है, उसका निर्णय उस एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा। ऐसे मामलों के विरुद्ध यदि कोई अपील की जाती है तो वह द्वितीय स्तर के कैबिनेट सचिव के पास होगी।

विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी)

ऐसे विवादों के समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए, 31 मार्च 2020 को विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी) की स्थापना की गई थी।

1. प्रयोज्यता

एएमआरडी केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के बीच और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य मंत्रालयों/संगठनों/अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त के बीच कराधान से संबंधित विवादों को छोड़कर किसी भी/सभी विवादों पर लागू होगा। उनके प्रशासनिक पर्यवेक्षण/नियंत्रण के अधीन।

H 001-Annual Report.indd 51 3/27/2023 4:13:17 PM

2. संरचना

विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरडी) निम्नलिखित संरचना का अनुसरण करता हैः -

(I) मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, जिनसे विवादित पक्ष संबंधित हैं, और सचिव, विधि कार्य विभाग से मिलकर बनी एक समिति को संदर्भित किया जाएगा।

(II) दो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार (एफए) (वाणिज्यिक विवादों के लिए) समिति के समक्ष विवादित विवाद से संबंधित मुद्दों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

(III) यदि दो विवादित पक्ष एक ही मंत्रालय/विभाग से संबंधित हैं, तो उपरोक्त समिति में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव और विधि कार्य विभाग के सचिव शामिल हो सकते हैं। किसी सीपीएसई से संबंधित विवाद की स्थिति में सचिव, लोक उद्यम विभाग को आमंत्रित किया जा सकता है।

(IV) ऐसे विवादों का समाधान समिति के सर्वसम्मत निर्णय से होगा।

(V) यदि समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद विवाद अनसुलझा रहता है, तो इसे दूसरे स्तर पर कैबिनेट सचिव को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा।

3. क्रिया

चित्र IX 4:
एएमआरडी की प्रक्रिया

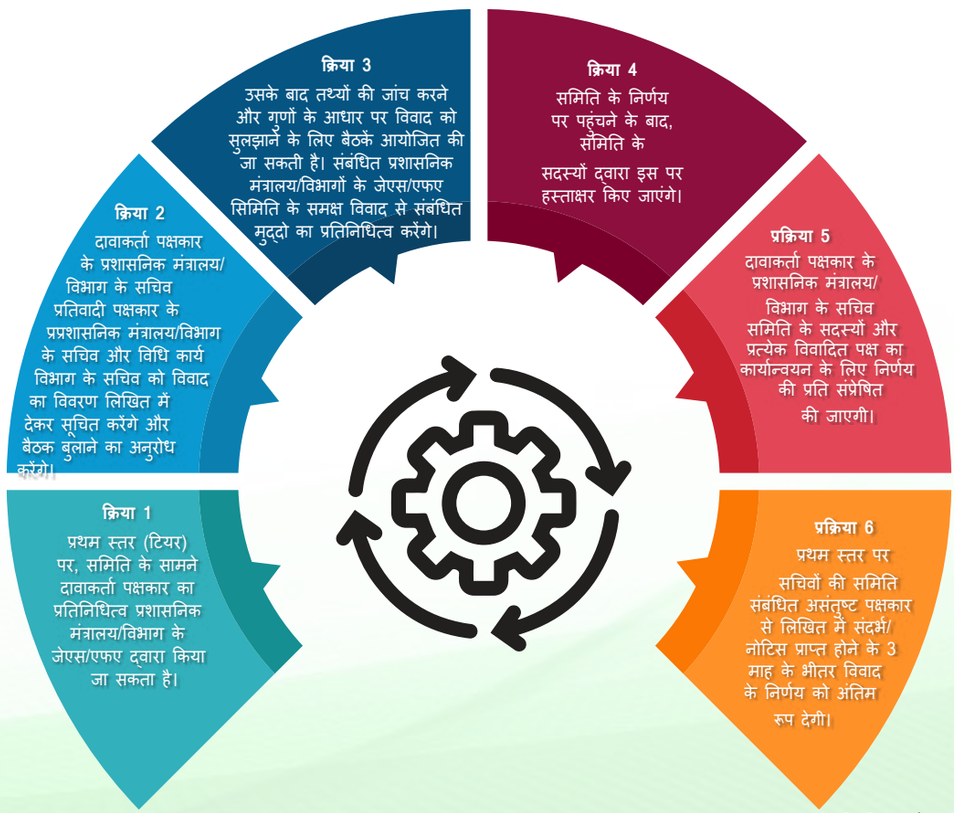

H 001-Annual Report.indd 52 3/27/2023 4:13:17 PM

4. अपील

प्रथम स्तर पर समिति के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्ष प्रथम स्तर पर समिति के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर दूसरे स्तर पर कैबिनेट सचिव के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका निर्णय सभी संबंधितों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एएमआरसीडी/एएमआरडी (निपटाए गए मामलों की सूची)

57 मामले एएमआरसीडी/एएमआरडी तंत्र को भेजे गए हैं, जिनमें से छह मामलों को पहले ही सचिवों की प्रथम स्तरीय समिति (सीओएस) द्वारा सुलझा लिया गया है। अन्य प्रक्रियाधीन हैं। निपटाए गए मामलों की सूची इस प्रकार हैः

तालिका IX 1:

सचिवों की पहले स्तर की समिति द्वारा निपटाए गए मामलों की सूची

क्र.सं.	दलों	31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति
1.	एएमआरसीडी - इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बीच वाणिज्यिक विवादों का समाधान	21.03.2022 को समाधान किया गया
2.	एएमआरसीडी - एचएलएल और ईपीआईएल के बीच	20.05.2022 को समाधान किया गया
3.	एएमआरसीडी - एनएचएफडीसी और आंध्र प्रदेश के बीच विकलांग और वरिष्ठ नागरिक सहायता निगम (एपीडीएएससीएसी) और अन्य।	08.08.2022 को समाधान किया गया
4.	एएमआरसीडी - टीसीआईएल और गुजरात राज्य पुलिस, गुजरात सरकार के बीच	24.08.2022 को समाधान किया गया
5.	एएमआरसीडी - एचपीसीएल और राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एनटीसी) के बीच विवाद का समाधान	04.11.2022 को समाधान किया गया
6.	एएमआरसीडी - ईपीआईएल और एमईए के बीच	09.12.2022 को समाधान किया गया

H 001-Annual Report.indd 53 3/27/2023 4:13:17 PM

X

मानव संसाधन प्रबंधन

क्षमता निर्माण

अधिकारियों को नवीनतम न्यायिक और कानूनी रुझानों से अवगत रखने और उन्हें कानून, कानूनी डेटाबेस, साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास से परिचित कराने के लिए, विधि कार्य विभाग अपने कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। कर्मयोगी, जोकि इसकी डिजिटल विंग है, सहित सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वंय को सुशासन, नागरिक केंद्रित प्रदर्शन और सार्वजनिक जवाबदेही के लक्ष्यों पर आधारित करता है तथा व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को उच्चतम गुणवत्ता और संसाधनों का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ

वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और क्षमता निर्माण आयोग द्वारा दिनांक 02.12.2022 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंत्रालय/विभाग/एजेंसी की योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, उभरती प्रौद्योगिकियों और नागरिक केंद्रितता के तीन लेंसों के माध्यम से उनकी क्षमता की जरूरतों की पहचान करेगी।

प्रारंभिक बैठक

कार्यशाला के बाद क्षमता निर्माण आयोग और विधि कार्य विभाग के बीच 19 दिसंबर 2022 को एक प्रारंभिक बैठक हुई। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के सृजन के उदेश्य को प्राप्त करने के लिए इसका ध्येय और 15 सप्ताह की योजना साझा की गई थी। विधि कार्य विभाग का दृष्टिकोण भारत के संविधान में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कानूनी मामलों में उत्कृष्टता हासिल करना है। कानूनी सुधारों, मंत्रालयों को सलाह, ई-गवर्नेंस समाधान, एडीआर विधियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मुकदमा संचालन जैसे मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। कर्मचारियों की भूमिकाओं और गतिविधियों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के आधार पर सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण रणनीति तैयार और विकसित की जाएगी।

H 001-Annual Report.indd 54 3/27/2023 4:13:19 PM

चित्र X 1:

प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन 1

तैयारी और योजनाः

वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करते समय, प्रशिक्षण के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों (डोमेन, प्रौद्योगिकी, व्यवहारिक और कार्यात्मक) की पहचान की गई है। प्रशिक्षण क्षेत्रों में अन्य के साथ मुकदमा, लिम्ब्स, कानूनी सलाह देना, निर्णय विश्लेषण, भाषणों का प्रारूपण, और आरटीआई शामिल हैं।

प्रशिक्षण प्रभाग

संघ लोक सेवा आयोग भारतीय विधि सेवा (आईएलएस) के लिए अधिकारियों को मुख्य रूप से उनकी कानूनी क्षमता और पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्त करता है। नियुक्ति पर, सेवा में नए भर्ती अधिकारियों को विभाग द्वारा तैयार आंतरिक कार्य आवंटन प्रणाली के आधार पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में रखा जाता है। विभाग की कार्य आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक क्षमताओं में सुधार के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता निरंतर महसूस की गई है।

प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण के समन्वय के लिए एक अलग प्रशिक्षण प्रभाग बनाया गया है। डॉ. अंजु राठी राणा, अपर सचिव, प्रशिक्षण प्रभाग की देखरेख करती हैं।

H 001-Annual Report.indd 55 3/27/2023 4:13:22 PM

प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा संचालित गतिविधियाँ

1. सहायक विधि सलाहकारों के लिए 18.05.2022 को एससीसी ऑनलाइन पोर्टल का प्रशिक्षण
2. उप विधि सलाहकारों और ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए 08.06.2022 को एससीसी ऑनलाइन पोर्टल का प्रशिक्षण।
3. दिनांक 07.07.2022 को विधायी विभाग के भारतीय विधि सेवा अधिकारियों, अधीक्षक (विधि) एवं सहायक (विधि) के लिए एससीसी ऑनलाइन पोर्टल का प्रशिक्षण।
4. संसद से संबंधित मामलों और प्रश्नों के संचालन के लिए प्रशिक्षण।
5. विधि और न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों के लिए डीपीआईआईटी के सहयोग से सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पीएम गति-शक्ति एनएमपी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
6. दिनांक 29.09.2022 को डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया।
7. एकता नगर, केवडिया, गुजरात में विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
8. 26 नवंबर, 2022 को संविधान दिवस मनाया गया।
9. दिनांक 28 दिसंबर, 2022 को विधि और न्याय मंत्रालय के सभी तीन विभागों अर्थात विधि कार्य विभाग, न्याय विभाग और धियी विभाग के लिए एक विशेष मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आयोजित करके मिलेट आधारित उत्पादों और भोजन के व्यापक प्रसार और इसे अपनाने के लिए जागरूकता पैदा की।

भारतीय विधि सेवाओं का प्रशासन

संक्षिप्त इतिहास

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है जो वर्ष 1833 से पहले का है जब से ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था।

स्वतंत्रता के बाद, सभी कानूनी मामलों अर्थात कानूनी सलाह, कानूनी मसौदा तैयार करना, मुकदमा और न्यायिक सुधार में सहायता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार की सेवा के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के भीतर सरकार ने विशेष विधि सेवा का एक संवर्ग बनाया।

केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय विधि सेवा नियम, 1957" नामक नियम बनाए, जो 1 अक्टूबर 1957 को लागू हुए। उक्त नियमों ने भारतीय विधि सेवा नामक एक सेवा बनाई जो अखिल भारतीय केंद्रीय समूह-क सेवा है।

H 001-Annual Report.indd 56 3/27/2023 4:13:22 PM

भारतीय विधि सेवा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों को कानूनी सलाह देकर और संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों और अध्यादेशों का मसौदा तैयार करके देश को समर्पित सेवा प्रदान कर रही है। उन्होंने सरकार के प्रधान विधि सलाहकार होने के नाते सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा उनसे की गई मांगों पर प्रभावी ढंग से और तेजी से प्रतिक्रिया दी है तथा सलाहकारी कार्य के साथ-साथ प्रारूपण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।

मुख्य सचिवालय अर्थात नई दिल्ली में पोस्टिंग के अलावा, आईएलएस सेवा के अधिकारियों को बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई के शाखा सचिवालयों और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों विभागों जैसे कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, रेलवे, श्रम और रोजगार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, एनटीआरओ, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, संपदा निदेशालय व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भी तैनात किया जाता है।

भारतीय विधि सेवा की संरचना

भारतीय विधि सेवा में चार संवर्ग हैं।

क) विधि सलाहकार संवर्गः इस संवर्ग के अधिकारियों को विधि कार्य विभाग में पदस्थापित किया जाता है और वे भारत सरकार के मुकदमा मामलों और नीतिगत मामलों में सलाह संबंधी कार्य करते हैं।

ख) विधि अधिकारी संवर्गः इस संवर्ग के अधिकारियों को भारत के विधि आयोग में पदस्थापित किया जाता है और उनका मुख्य कार्य विधि और न्याय वितरण प्रणाली के क्षेत्र में विशिष्ट विषयों पर कानूनी अनुसंधान और अध्ययन से संबंधित है।

ग)सरकारी अधिवक्ता संवर्गः इस संवर्ग के अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के परिसर के भीतर स्थित विधि कार्य विभाग के केंद्रीय अभिकरण अनुभाग और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में स्थित चार शाखा सचिवालयों में तैनात किया गया है। इस संवर्ग में तैनात अधिकारी केंद्र सरकार के मुकदमों का काम देखते हैं।

घ)विधायी परामर्शी संवर्गः इस संवर्ग के अधिकारियों को विधायी विभाग में पदस्थापित किया जाता है और वे विधानों, अधिसूचनाओं और सरकारी आदेशों के प्रारूपण का कार्य देखते हैं।

भारतीय सेवा नियम, 2022

विधि और न्याय मंत्रालय सरकार के सभी कानूनी मामलों में सहायता की आवश्यकता को पूरा करता है। इस सेवा के अधिकारी इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ दशकों के दौरान, तकनीकी प्रगति और अन्य कारकों के कारण समाज के सामाजिक-आर्थिक और कानूनी क्षेत्रों में बड़े बदलाव हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय के कार्यभार में कई गुना वृद्धि हुई है। इसलिए, सरकार के सामने मौजूद आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कानूनी सहायता के अपने आंतरिक तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार के इस महत्वपूर्ण खंड में सुधार करना अनिवार्य है। प्रस्तावित आईएलएस नियम, 2022 का

H 001-Annual Report.indd 57 3/27/2023 4:13:23 PM

लक्ष्य मंत्रालय की कार्यात्मक आवश्यकता, सेवा के अधिकारियों के कैरियर की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ आईएलएस अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए विभिन्न मंत्रालयोंध्विभागों की मांगों को पूरा करना है।

नए आईएलएस नियम, 2022 के अंतर्गत मुख्य परिवर्तनः

क) सभी संवर्गों में एकरूपता लाने के लिए मौजूदा पदों की नामावली में परिवर्तन।

4 कार्यात्मक आवश्यकता के कारण सरकारी अधिवक्ता संवर्ग के नामकरण में कोई परिवर्तन नहीं है।

क) संगठित समूह का केंद्रीय सेवा की विशेषताओं को पूरा करने के लिए जेटीएस स्तर पर सेवा में एक नए प्रवेश ग्रेड को शामिल करना।

ख) संगठित समूह केंद्रीय सेवा की विशेषताओं को पूरा करने के लिए जेटीएस स्तर के प्रवेश स्तर के पद पर केवल सीधी भर्ती।

ग) सेवा में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए प्रवेश स्तर के पद पर पात्रता मानदंड को कम करना जिन्हें सरकारी प्रणाली के भीतर कानूनी आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रशिक्षित और विशेषज्ञ बनाया जा सके।

घ) संगठित ग्रुप का केंद्रीय सेवा की विशेषताओं को पूरा करने के लिए और किसी अधिकारी के अवकाश, प्रतिनियुक्ति आदि पर जाने की स्थिति में अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित पदों का सृजन।

ङ) सभी मंत्रालय विभागों संगठनों में बढ़ती विधि सेवा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईएलएस संवर्ग में पदों की संख्या में वृद्धि।

केंद्रीय सचिवालय सेवा

केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) देश में सबसे पहले संगठित सेवाओं में से एक है। यह संसद और केंद्रीय सचिवालय के बीच महत्वपूर्ण कड़ी को बनाए रखने की सुविधा प्रदान करती है, खासकर जब संसदीय प्रश्नों, आश्वासनों, सरकारी विधेयकों आदि को संभालने की बात आती है।

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के वित्तीय प्रबंधन और बजट तैयार करने और भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित, लेकिन राज्यों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित योजनाओं की निगरानी में भी सीएसएस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। सीएसएस अधिकारी विभिन्न मुकदमा कार्यों को काफी प्रभावी ढंग से संभाल रहे हैं और केंद्र सरकार के हितों की रक्षा कर रहे हैं।

H 001-Annual Report.indd 58 3/27/2023 4:13:23 PM

चित्र X 2

प्रशासन चतुर्थ

यह सेवा प्रशिक्षित कर्मियों का एक समूह प्रदान करती है, जो संस्थागत स्मृति की सचिवालय परंपरा के वाहक के रूप में सेवा करते हैं तथा अतीत और वर्तमान के बीच और सरकार के निचले और शीर्ष प्रबंधन के बीच पुल का काम करते हैं। यह सेवा केंद्र सरकार के निचले और मध्य स्तरों पर एक मजबूत स्थायी नौकरशाही स्थापित करती है।

केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) केंद्रीय सचिवालय में तीन सेवाओं में से एक है, अन्य दो केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) हैं। सीएसएसएस का गठन सचिवालय और इसके संबद्ध कार्यालयों में अधिकारियों को सचिवीय और कार्यालय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। यह एक विशिष्ट सेवा है जिसके कर्मियों के पास आशुलिपिक कौशल की तकनीकी कोर योग्यता है।

सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों को सीएसएसएस नियम, 2010 और उसके अधीन बनाए गए विनियम के माध्यम से विनियमित किया जाता है। सीएसएसएस कर्मी सचिवध् विशेष सचिवध् अपर सचिव के निजी अनुभाग का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करते हैं। उनके कर्तव्यों में बैठकों की सुविधा, फाइलों और महत्वपूर्ण कागजात की ई-ट्रैकिंग, संसदीय कार्य समन्वय और महत्वपूर्ण संदर्भों की प्रबंधन प्रणाली भी शामिल है।

H 001-Annual Report.indd 59 3/27/2023 4:13:26 PM

केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवाएं

केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा सीएसएस में शामिल तीन सेवाओं में से एक है। यह वर्ष 1951 के दौरान सीएसएस के साथ गठित की गई थी, लेकिन इसके नियम बाद में बनाए गए थे और 1 नवंबर, 1962 को लागू हुए थे।

सीएससीएस कैडर में निम्नलिखित दो पद शामिल हैं: -

1. वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए) (पूर्व में अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में जाने जाते थे)
2. कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) (पूर्व में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में जाने जाते थे)

नवीनतम कार्यालय प्रक्रिया मैन्युअल के अनुसार एसएसए और जेएसए के कार्य निम्नानुसार हैं:-

1. **वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए):-** अनुभाग को आवंटित विषय क्षेत्रों से निपटना और समय-समय पर आवंटित सभी मामलों या उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य से निपटने की अपेक्षा की जाती है।
2. **कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए):-** फोटोकॉपी/रिकॉर्ड हैंडलिंग और रखरखाव, डाक का पंजीकरण/प्राप्तियां/फाइलें और अन्य संबंधित कार्यों को अंकित करने/भेजने जैसे दैनिक कार्य करने के लिए अनुभाग/यूनिट/डेस्क को विविध सहायता प्रदान करना या समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवाएं

राजभाषा के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवाओं का गठन किया गया है।

चित्र X 3:

प्रशासन द्वितीय

H 001-Annual Report.indd 60 3/27/2023 4:13:29 PM

सामान्य केंद्रीय सेवा

1.सामान्य केंद्रीय सेवा संवर्ग में चैदह (14) समूह ख और समूह ग पोस्टिंग हैं। इसमें कुल 174 अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध विभिन्न पदों में वितरित किया गया हैः -

तालिका X 1:

पदों के नाम और उनके समूह

क्र.सं.	पदों का नाम	पदों का समूह
1.	अधीक्षक (विधि)	समूह-ख
2.	सहायक (विधि)	समूह-ख
3.	जूनियर सेंट्रल गवर्नमेंट एडवोकेट (जूनियर सीजीए)	समूह-ख
4.	लाइब्रेरियन ग्रेड- 1	समूह-ख
5.	पुस्तकालय सूचना सहायक/वरिष्ठ पुस्तकालय सूचना सहायक	समूह-ख
6.	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचारक	समूह-ग
7.	लाइब्रेरी क्लर्क	समूह-ग
8.	सीनियर कोर्ट क्लर्क ग्रेड - 1	समूह-ख
9.	सीनियर कोर्ट क्लर्क ग्रेड- 2	समूह-ग
10.	कोर्ट क्लर्क	समूह-ग
11.	रिकॉर्ड क्लर्क	समूह-ग
12.	स्टाफ कार चालक	समूह-ग
13.	डिस्पैच राइडर	समूह-ग
14.	वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर	समूह-ग

H 001-Annual Report.indd 61 3/27/2023 4:13:29 PM

2. जीसीएस संवर्ग में अधीक्षक (विधि), सहायक (विधि) और जूनियर सीजीए निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करते हैं: -

क. कानूनी सलाह के लिए विभाग को भेजे गए मामलों पर पूर्व उदाहरण पेश करना।

ख. कानूनी सलाह/मुकदमे के संचालन के लिए संदर्भित मामलों के निपटान में विधि कार्य विभाग के अधिकारियों को सामान्य और सचिवीय सहायता प्रदान करना, ऐसे मामलों में नोट्स और ड्राफ्ट जमा करना शामिल है।

ग. नोट और ड्राफ्ट तैयार करने सहित कानूनी सलाह के लिए संदर्भित मामलों को संभालने में विभाग के विधि सलाहकारों को सामान्य और सचिवीय सहायता प्रदान करना।

घ. जब भी आवश्यक हो अनुसंधान और संदर्भ कार्य करना।

3. लाइब्रेरियन (ग्रेड-1), पुस्तकालय सूचना सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय परिचारक और लाइब्रेरी क्लर्क निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करते हैं: -

क. विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ विधि और न्याय मंत्री और विधि और न्याय राज्य मंत्री के कक्ष पुस्तकालयों द्वारा आवश्यक अनुसंधान सामग्री पुस्तकें प्रदान करना।

ख. जहां भी आवश्यक हो, अनुसंधान और संदर्भ कार्य को सुगम बनाना।

4. कोर्ट क्लर्क, सीनियर कोर्ट क्लर्क ग्रेड-1 और सीनियर कोर्ट क्लर्क ग्रेड-2 निम्नलिखित कार्य करते हैं

क. कम्प्यूटर पर दस्तावेजों की टाइपिंग।

ख. डायरी बनाना, अनुक्रमण करना और रिकॉर्ड बनाए रखना।

ग. वाद सूचियों को चिन्हित करने, रजिस्ट्री में कागजात दाखिल करने, न्यायालय शुल्क टिकटों की खरीद और उसके अभिलेखों को बनाए रखने जैसे न्यायालय से संबंधित नियमित कार्यों का प्रबंधन करना।

घ. न्यायालयीन कार्यवाही में भाग लेना।

ङ. विधि पुस्तकों/पत्रिकाओं में संदर्भों का पता लगाने में विधि अधिकारियों और काउंसेलों की सहायता करना।

5. आगे रिकॉर्ड क्लर्क, डिस्पैच राइडर और स्टाफ कार चालक मंत्रालय के विविध कार्य करते हैं।

परामर्शदाता

विधि कार्य विभाग द्वारा विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए तेईस परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया था।

युवा प्रोफेशनल्स

विधि कार्य विभाग ने कानून के विशिष्ट क्षेत्रों में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए कानूनी क्षेत्र से 29 युवा

H 001-Annual Report.indd 62 3/27/2023 4:13:29 PM

प्रोफेशनल्स को नियुक्त किया है। युवा प्रोफेशनल्स इन-हाउस टैलेंट पूल के रूप में काम करते हैं और विभाग की विशेष परियोजनाओं पर अनुसंधान और विश्लेषण कार्य करते हैं।

इंटर्नशिप कार्यक्रम

विभाग युवा कानून छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है। इस कार्यक्रम का उदेश्य युवा विधि छात्रों को विभाग के कार्यों से परिचित कराना है। इंटर्नशिप के दौरान, छात्रों को अनुसंधान और संदर्भ कार्य, विभिन्न कानूनी मुद्दों और कानून के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुकदमेबाजी मामलों पर सलाह देने के मामले में प्रशिक्षित किया जाता हैं। भारतीय कानूनी छात्र जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में अपना एलएलबी पूरा कर लिया है और वे जो लोग तीन साल के डिग्री प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे वर्ष या पांच साल के डिग्री प्रोग्राम के अपने तीसरे, चैथे या पांचवें वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं, वे इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इंटर्नशिप की अवधि आम तौर पर एक महीने के लिए होती है, जो प्रत्येक महीने की पहली तारीख से शुरू होती है।

वर्ष 2022 के दौरान नियुक्ति और पदोन्नति

एचएजी स्तर - दो संयुक्त सचिवों को अपर सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया।

एसएजी स्तर - 2 (दो) संयुक्त सचिवों और विधि सलाहकारों को सीधी भर्ती के माध्यम से एसएजी स्तर पर नियुक्त किया गया हैः 1 (एक) अपर विधि अधिकारी को संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार (जेएस एंड एलए) के रूप में पदोन्नत किया गया है और 2 (दो) अपर सरकारी अधिवक्ताओं को वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताओं के रूप में पदोन्नत किया गया था।

एनएफएसजी स्तर - 1 (एक) अपर सरकारी अधिवक्ता को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया है और 10 (दस) उप विधि सलाहकारों को अपर विधि सलाहकारों के रूप में पदोन्नत किया गया था।

जेएजी स्तर - 7 (सात) सहायक विधि सलाहकारों को उप विधि सलाहकारों के रूप में पदोन्नत किया गया था।

लैंगिक समानता

सरकार ने लैंगिक अंतर को कम करने के उद्देश्य से कार्यक्रम/योजनाएं शुरू की हैं और इस लक्ष्य के लिए समर्पित धनराशि आवंटित की है। इस प्रयास के माध्यम से सरकार सभी क्षेत्रों में और शासन के सभी स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करने पर ध्यान देने के साथ लैंगिक समानता को लगातार बढ़ावा दे रही है।

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्वः

विधि कार्य विभाग (विधायी विभाग सहित) में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

H 001-Annual Report.indd 63 3/27/2023 4:13:29 PM

तालिका X 2:

महिला कर्मचारियों की संख्या

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	132	37
समूह ख	164	40
समूह ग	243	18
कुल	**539**	**95**

विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

निम्नलिखित तालिका में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांगों की संख्या को दर्शाया गया है। उपरोक्त तालिका में विधायी विभाग, विधि आयोग और उपरोक्त तालिका में विधायी विभाग, विधि आयोग व केंद्रीय अभिकरण अनुभाग में मौजूदा पदों के संबंध में जानकारी शामिल है।

तालिका X 3:

कर्मचारियों की संख्या और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उनका प्रतिशत

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का:	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का:	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का:	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का:	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का:
समूह क'	132	31	23.48%	5	3.79%	14	10.61%	0	0%	2	1.52%
समूह 'ख'	164	20	12.20%	8	4.88%	38	23.17%	3	1.83%	7	4.27%
समूह 'ग'	243	68	27.98%	12	4.93%	37	15.04%	0	0%	4	1.63%
कुल	539	119	22.08%	25	4.64%	89	16.51%	3	0.56%	13 *	2.41%

* ओएच-10 (एससी-01, एसटी-01, ओबीसी-01), एचएच-01, वीएच-02 (ओबीसी-01)

उपरोक्त विवरण में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) में पदों के बारे में जानकारी शामिल नहीं है।

H 001-Annual Report.indd 64 3/27/2023 4:13:29 PM

XI

राजभाषा एकक

परिचय

राजभाषा एकक का उद्देश्य विधि कार्य विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना है। यह एकक आधिकारिक दस्तावेजों का अनुवाद तथा विभिन्न मीडिया प्रकाशन के लिए तैयारी और शोध कार्य करता है।

चित्र XI 1:

राजभाषा इकक

कौन क्या है

राजभाषा इकाई का नेतृत्व श्री राजवीर सिंह वर्मा, अपर सचिव एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा किया जाता है । इसका प्रबंधन श्रीमती सविता सिंह, उपनिदेशक द्वारा किया जाता है व श्री शमशेर सिंह , सहायक निदेशक सहित। वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों नामतः श्री जेठाराम गोदारा, सुश्री मधुलीना घोष तथा सुश्री इंदु और श्री सूर्य पाल यादव द्वारा कार्य में सहायता प्रदान
की जाती है।

विधि कार्य विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग

विधि कार्य विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)

H 001-Annual Report.indd 65 3/27/2023 4:13:32 PM

नियम, 1976 में यथा अंतर्विष्ट संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. नियम 8(4) के अंतर्गत व्यक्तिश आदेशः राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) की धारा 8(4) के अंतर्गत किए गये प्रावधानों के अनुपालन में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में किए जाने के संबंध में नवीनतम व्यक्तिशः आदेश दिनांक 02.12.2022 को जारी किए गए थे।

2. जांच बिंदुः राजभाषा से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जांच-बिंदुओं का पुनर्विलोकन किया गया था और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार पर्याप्त संख्या में जांच-बिंदु सृजित करने के लिए दिनांक 18.11.2022 को आदेश जारी किए गए थे। अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इन जांच-बिन्दुओं की प्रभावकारिता को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है।

3. हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमः ऐसे अनुभागों/एककों में जहां कर्मचारी हिन्दी में प्रवीण हैं, उनके दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के अवकाश प्रदान करने का कार्य हिंदी में किया जा रहा है। गृह निर्माण अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण आदि से संबंधित कार्य हिंदी में किया जा रहा है और आदेश भी हिंदी में जारी किए जा रहे हैं।

4. द्विभाषीकरण को बढ़ावा: सभी सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प और प्रशासनिक रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस संबंध में संगत नियमों का उल्लंघन न हो, कड़ी सतर्कता बरती जाती है। दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग के सभी अनुभागों को अंग्रेजी-हिंदी शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई हैं।

5. हिंदी नमूनों के मानक प्रपत्रः विभिन्न अनुभागों द्वारा बार-बार प्रयोग में लाए जाने वाले पत्रों के मानक प्रारूपों के नमूनों को एकत्रित करके उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। सभी मानक प्रारूपों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जा चुका है ताकि कर्मचारी बिना किसी कठिनाई के उनका उपयोग कर सकें।

H 001-Annual Report.indd 66 3/27/2023 4:13:32 PM

विभाग के सभी फार्मों का भी हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है । सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां भी हिंदी में की जा रही हैं। सभी रबर स्टाम्पों, नाम पट्टिकाओं, संकेत पट्टों आदि को भी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है।

6. द्विभाषी कम्प्यूटरः विभाग के सभी कम्प्यूटर द्विभाषी हैं। विभाग के अनुभागों तथा अधिकारियों को प्रदान किए गए कम्प्यूटरों में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है।

7. हिंदी शिक्षण योजनाः विभाग और इसके कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और उन्हें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, नकद पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन/अग्रिम वेतनवृद्धि आदि प्रदान किए जाते हैं।

8. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकेंः विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। विभाग के अपर सचिव (राजभाषा अधिकारी) इसके अध्यक्ष हैं और निदेशक (प्रशा.), सभी उप सचिव/अवर सचिव, और अनुभागों के प्रभारी तथा शाखा अधिकारी समिति के सदस्य हैं जबकि उप निदेशक (राजभाषा)/सहायक निदेशक (राजभाषा) इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। समिति की बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा संबंधी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी सदस्यों/अनुभागों को परिचालित किया जाता है ।

9. हिंदी कार्यशालाः संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, विधि कार्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को उनके दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए दिनांक 27.09.2022 को एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विधि कार्य विभाग के अनुभागों में तैनात अधिकारियों/सहायकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/कोर्ट क्लर्कों को श्री श्रीप्रकाश शुक्ल, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त) द्वारा व्याख्यान/प्रशिक्षण दिया गया।

10. हिन्दी पखवाड़ा का आयोजनः राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा नीति के प्रति कर्मचारियों में चेतना जगाने और शासकीय कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की दृष्टि

H 001-Annual Report.indd 67 3/27/2023 4:13:33 PM

से विधि कार्य विभाग द्वारा 14.09.2022 से 29.09.2022 तक "हिन्दी पखवाड़ा" का आयोजन किया। इस वर्ष हिन्दी पखवाड़ा के दौरान 5 प्रतियोगिताओं अर्थात "हिन्दी निबंध प्रतियोगिता," "अनुवाद प्रतियोगिता" "हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता," "हिन्दी टंकण प्रतियोगिता", "श्रुतलेखन प्रतियोगिता" (समूह 'ग' कर्मचारियों और अवर श्रेणी लिपिकों व कोर्ट क्लर्कों के लिए) का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विभाग के 83 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से 68 सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। विभाग के शाखा सचिवालयों और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में भी हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

11. हिंदी पखवाड़ा समापन समारोहः विधि कार्य विभाग में आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार/प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए दिनांक 29.09.2022 को डॉ. बी.आर.अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। पुरस्कारों/प्रमाण-पत्रों का वितरण माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के कर-कमलों से हुआ।

चित्र XI 2:

श्री किरेन रिजीजू, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री एक हिंदी प्रतियोगिता के विजेता को प्रमाण-पत्र वितरित करते हुए

H 001-Annual Report.indd 68 3/27/2023 4:13:33 PM

XII

आयकर अपीलीय अधिकरण

परिचय

आयकर अपीलीय अधिकरण सबसे पुराने अधिकरणों में से एक है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के तहत स्थापित किया गया था जो प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपील और प्रशासनिक आयुक्तों के संशोधन आदेशों के विरुद्ध अपील के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क या 80छ के तहत पंजीकरण से मना करने वाले आदेशों को सुनता है। यह आयकर,

धन-कर, उपहार-कर से संबंधित मामलों में अंतिम तथ्य-खोज प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। आईटीएटी द्वारा पारित निर्णय अंतिम होते हैं, यदि निर्धारण के संबंध में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

चित्र XII 1:

आईटीएटी की स्थिति

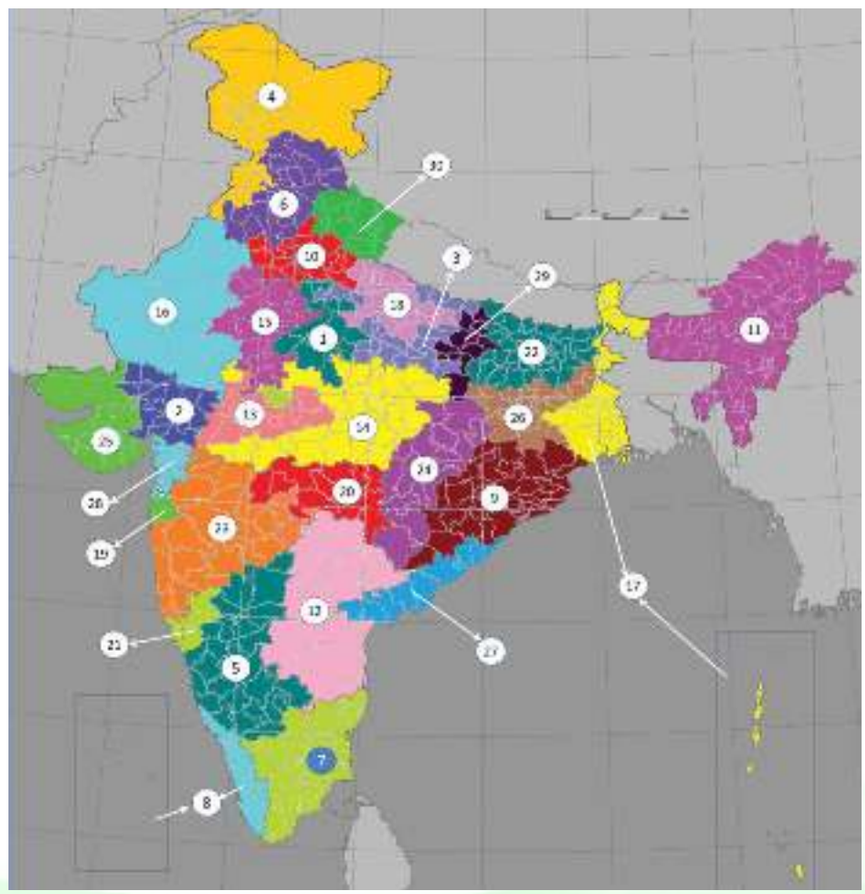

H 001-Annual Report.indd 69 3/27/2023 4:13:34 PM

तालिका XII 1:

आईटीएटी की स्थिति

आईटीएटी की स्थिति			
1.	आगरा	16.	जोधपुर
2.	अहमदाबाद (क्षेत्र)	17.	कोलकाता (क्षेत्र)
3.	इलाहाबाद	18.	लखनऊ (क्षेत्र)
4.	अमृतसर	19.	मुंबई (मुख्यालय और क्षेत्र)
5.	बेंगलुरु (क्षेत्र)	20.	नागपुर
6.	चंडीगढ़ (क्षेत्र)	21.	पणजी
7.	चेन्नई (क्षेत्र)	22.	पटना
8.	कोचीन	23.	पुणे (क्षेत्र)
9.	कटक	24.	रायपुर
10.	दिल्ली (क्षेत्र)	25.	राजकोट
11.	गुवाहाटी	26.	रांची
12.	हैदराबाद (क्षेत्र)	27.	विशाखपटनम
13.	इंदौर	28.	सूरत
14.	जबलपुर	29.	वाराणसी (सर्किट पीठ)
15.	जयपुर	30.	देहरादून (सर्किट पीठ)

क्षेत्र - क्षेत्रीय कार्यालय; मुख्यालय - मुख्यालय

संरचना

आयकर अपीलीय अधिकरण एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसका प्रधान इसका अध्यक्ष होता है और क्षेत्रीय उपाध्यक्षों और सदस्यों (लेखाकार सदस्य और न्यायिक सदस्य दोनों) द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है। आईटीएटी की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित पीठों द्वारा किया जाता है, जिसमें आम तौर पर एक न्यायिक सदस्य और एक लेखाकार सदस्य शामिल होते हैं।

H 001-Annual Report.indd 70 3/27/2023 4:13:34 PM

तालिका XII 2:

आईटीएटी का प्रशासनिक ढांचा

अध्यक्ष	
मुख्य कार्यालय (मुंबई)	**क्षेत्र (देश के विभिन्न भागों में 10 क्षेत्र)**
रजिस्ट्रार	उपाध्यक्ष
उप रजिस्ट्रार	सदस्य (एएम और जेएम)
सहायक रजिस्ट्रार	उप रजिस्ट्रार
	सहायक रजिस्ट्रार
	पीठें (30 स्थानों पर)
	सदस्य (एएम और जेएम)
	सहायक रजिस्ट्रार

पीठों में संख्या

वर्तमान में गठित अधिकरण में 63 पीठें हैं। पूरे देश में 30 स्थानों (02 सर्किट पीठों सहित) पर स्थित 63 पीठों के लिए, सदस्यों की वर्तमान स्वीकृत संख्या एक (01) अध्यक्ष और दस (10) क्षेत्रीय उपाध्यक्षों सहित 126 है। स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है।

तालिका XII 3:

आईटीएटी पीठों में संख्या

क्र.सं.	पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	अध्यक्ष	01	00	01$
2	उपाध्यक्ष	10	06	04
3	लेखाकार सदस्य	63	38	25
4	न्यायिक सदस्य	63	45	18
	कुल	**126***	**83****	**43*****

'01 अध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष सहित

''06 उपाध्यक्ष सहित

'''01 अध्यक्ष और 04 उपाध्यक्ष सहित

+ श्री जी. एस. पन्नू, उपाध्यक्ष, आईटीएटी के (प्रभारी) अध्यक्ष हैं।

शक्तियां और कार्य

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत गठित आयकर अपीलीय अधिकरण, प्रत्यक्ष करों के सभी मामलों में दूसरी अपील से संबंधित है, जिसमें प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 12क या धारा 80छ के तहत पंजीकरण से मना किए जाने आदि के आदेश शामिल हैं। अपीलीय अधिकरण प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा पारित किसी भी पुनरीक्षण आदेश सहित काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के अधिरोपण के सभी मामलों में दूसरी अपीलों का भी निपटान करता है।

अपीलीय अधिकरण की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। आम तौर पर, एक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखाकार सदस्य होता है। हालाँकि, उपयुक्त मामलों में, अध्यक्ष की इच्छा से, एक पीठ में दो से अधिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस ओर से प्राधिकृत अधिकरण का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, अकेले बैठकर, किसी भी मामले का निपटान कर सकता है, जिसे उस पीठ को आवंटित किया गया है, जिसका वह सदस्य है और जो एक ऐसे निर्धारिती से संबंधित है, जिसकी कुल आय जैसाकि निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया हो उस मामले में, पचास (50) लाख रु. से अधिक नहीं हो, और अध्यक्ष किसी विशेष मामले के निपटान के लिए तीन या अधिक सदस्यों वाली एक विशेष पीठ का गठन कर सकता है, जिनमें से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत एक अनिवार्य रूप से न्यायिक सदस्य और एक लेखाकार सदस्य होगा।

लंबित अपीलें

आईटीएटी ने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा कवर किए गए मामलों की जांच और पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पोस्ट करने के लिए सभी पीठों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। इसमें समूह और छोटे मामले शामिल हैं। बार के सदस्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि ऐसे सभी कवर किए गए मामलों को समय से पहले पोस्टिंग के लिए आईटीएटी के ध्यान में लाया जाए। इसके अलावा, प्रशासनिक आयुक्तों द्वारा धारा 263 के तहत जारी आदेश के विरूद्ध खोज और जब्ती के मामलों से निपटने वाली अपीलों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरह, धारा 12क के तहत धर्मार्थ संस्थानों का पंजीकरण करने से मना करने और धारा 80छ के तहत मान्यता देने से मना करने से संबंधित अपीलों को भी प्राथमिकता दी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों की अपीलों पर भी प्राथमिकता से सुनवाई की जाती है। इसके अलावा, वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए संशोधनों के अनुसार, 50 लाख रुपये तक की निर्धारित आय वाली अपीलों की सुनवाई एकल सदस्य पीठ द्वारा की जा सकती है।

बार चित्र आईटीएटी द्वारा 2018 से 2022 तक लंबित मामलों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम को दर्शाता है।

H 001-Annual Report.indd 72 3/27/2023 4:13:34 PM

तालिका XII 4:

पीठों के क्षेत्रवार स्थान

पीठों के क्षेत्रवार स्थान		
क्षेत्र	स्थान	पीठों की संख्या
अहमदाबाद	अहमदाबाद	4
	इंदौर	1
	राजकोट	1
	सूरत	1
बेंगलुरू	बेंगलुरू	3
	कोचीन	1
चंडीगढ़	चंडीगढ़	2
	अमृतसर	1
	जयपुर	2
	जोधपुर	1
चेन्नई	चेन्नई	4
दिल्ली	दिल्ली	9
	आगरा	1
	देहरादून	सर्किट पीठ
हैदराबाद	हैदराबाद	2
	विशाखपटनम	1
कोलकाता	कोलकाता	4
	कटक	1
	गुवाहाटी	1
	पटना	1
	रांची	1
लखनऊ	लखनऊ	2
	जबलपुर	1
	इलाहाबाद	1
	वाराणसी	सर्किट पीठ
मुंबई	मुंबई	11
पुणे	पुणे	3
	नागपुर	1
	पणजी	1
	रायपुर	1
		63

H 001-Annual Report.indd 73 3/27/2023 4:13:35 PM

डिजिटलीकरण

2000 के दशक की शुरुआत में शुरू किए गए, डिजिटलीकरण ने "निष्पक्ष सुलभ सतवर न्याय" के आदर्श वाक्य पर खरा उतरते हुए काफी गति पकड़ ली है। विभिन्न प्रयासों का विवरण निम्नलिखित हैः

(क) आईटीएटी ऑनलाइन परियोजना

यह परियोजना अधिकरण में न्यायिक प्रशासन की प्रक्रिया को स्वचालित करने की प्रथम पहल थी, जो अपीलों और आवेदनों की प्राप्ति और पंजीकरण से शुरू होकर अधिकरण के आदेशों के निपटान और उसकी अपलोडिंग तक थी। इस परियोजना को अधिकरण की सभी पीठों में चरणबद्ध तरीके से लागू और कार्यान्वित किया गया था। आईटीएटी ऑनलाइन एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जिसे कहीं से भी और कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। अब आईटीएटी की सभी पीठों को आईटीएटी ऑनलाइन डेटाबेस से जोड़ दिया गया है और पंजीकरण, डेटा का अद्यतनीकरण, अधिकरण के आदेश को अपलोड करना आदि जैसी गतिविधियाँ वेब एप्लिकेशन के माध्यम से की जाती हैं। इस परियोजना का वेब-सह-डेटाबेस सर्वर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के क्लाउड सर्वर में स्थापित किया गया है।

चित्र XII 2:

आईटीएटी के लंबित मामले

लंबित मामलों के घटती हुई संख्या का आलेखी प्रदर्शन

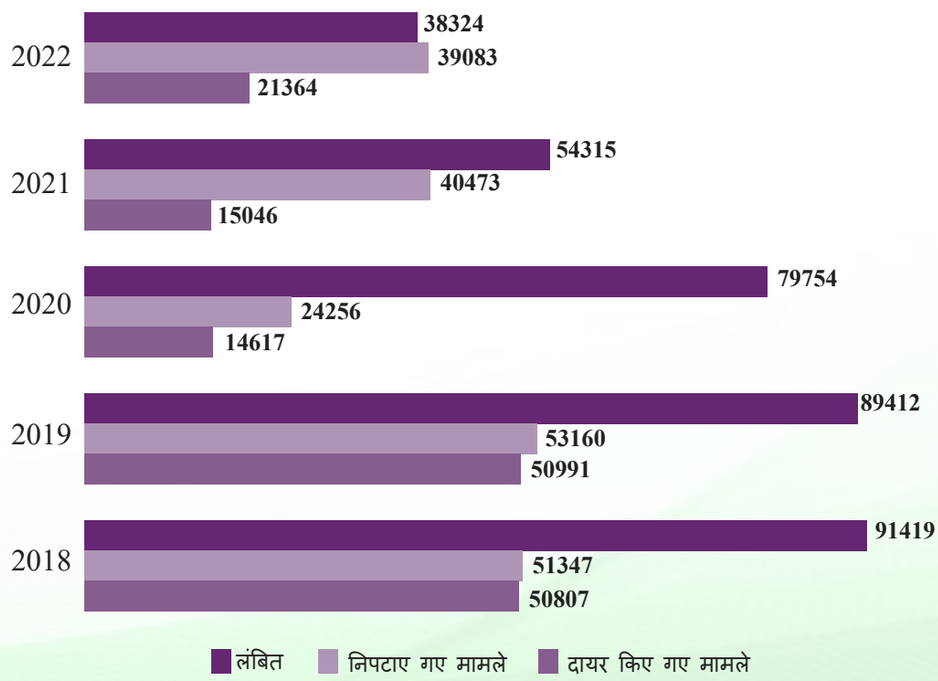

H 001-Annual Report.indd 74 3/27/2023 4:13:35 PM

(ख) आईटीएटी की आधिकारिक वेबसाइट

आईटीएटी ऑनलाइन परियोजना के विस्तार के रूप में, आयकर अपीलीय अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट का 2016 में पुनर्विकास किया गया था और जनता को न्यायिक और सामान्य जानकारी देने के लिए उसे पुर्नगठित किया गया था। आधिकारिक वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल, सूचनात्मक, अद्यतन और वेबसाइटों के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए इसे फिर से डिजाइन किया गया है। वादियों की न्यायिक सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाद सूची, संविधान, मामले की स्थिति, आदेश की खोज, निर्णय की खोज जैसी गतिशील जानकारी प्रदान की गई है। इसके अलावा, अवकाश सूची, निविदाएं और नीलामी, नोटिस बोर्ड, सूचना का अधिकार जैसी स्थाई जानकारी विशेष रूप से वादियों और आम जनता के लिए सुलभ है। इस वेबसाइट का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है और इसकी सराहना की गई है।

(ग) डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड

एक अभिनव और पर्यावरण के अनुकूल कदम के रूप में, आईटीएटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और रायपुर पीठों में भौतिक नोटिस बोर्डों को डिजिटल नोटिस बोर्डों द्वारा बदल दिया गया है। वाद सूचियां, संविधान, शुक्रवार की सूचियां आदि डिजिटल नोटिस बोर्ड पर डिजिटल रूप से प्रदर्शित की जाती हैं।

(घ) मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ

आईटीएटी न्यायिक सूचना पोर्टल का एंड्रॉयड संस्करण अपीलकर्ताओं, उत्तरदाताओं और साथ ही उनके अधिवक्ताओं के हित के लिए विकसित और जारी किया गया है। इसकी सहजता और उपयोग में आसानी के कारण यह पोर्टल बहुत सुविधाजनक है।

(ङ) ज्यूडिसिस एप्लीकेशन

ज्यूडिसिस विभिन्न दैनिक न्यायिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए आंतरिक रूप से विकसित एक आंतरिक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ज्यूडिसिस आंतरिक उपयोगकर्ताओं को वाद सूची, सुनवाई, नोटिस तैयार करने, समय-समय पर विवरण तैयार करने, ई-मेल भेजने, मामले की स्थिति अद्यतन करने और वेबसाइट पर दैनिक आदेश-पत्र प्रकाशित करने में सक्षम बनाता है।

(च) बजट और व्यय निगरानी प्रणाली

बजट की वास्तविक समय में कुशलतापूर्वक और सटीक रूप से उपलब्धता और व्यय की स्थिति की निगरानी

H 001-Annual Report.indd 75 3/27/2023 4:13:35 PM

और समेकन के लिए, आईटीएटी ने इन-हाउस टैलेंट पूल के माध्यम से विकसित बजटमैन नामक एक ऑनलाइन एप्लिकेशन लागू किया है। इस एप्लिकेशन ने प्रधान कार्यालय को एक बटन के क्लिक करने पर आवधिक बजटीय विवरण तैयार करने में सक्षम बनाया है।

(छ) सीसीटीवी कैमरे

भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, और विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरे कोर्ट रूम और आयकर अपीलीय अधिकरण के विभिन्न पीठों के अन्य महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदुओं पर स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में आईटीएटी की 26 पीठों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ये काम कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं और नियमित रूप से रिकॉर्डिंग की जा रही है और इन पीठों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। चार और पीठों पर खरीद और स्थापना का काम चल रहा है।

(ज) ई-न्यायालय

ई-कोर्ट परियोजना का उदेश्य गैर-कार्यात्मक पीठों को कार्यात्मक पीठों से जोड़ना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही करना है। आयकर अपीलीय अधिकरण की सभी पीठों में ई-न्यायालय का बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है। आईटीएटी राजकोट, गुवाहाटी, रांची और पटना पीठों में ई-न्यायालय के माध्यम से सुनवाई की जाती है।

(झ) अवसंरचना उन्नयन

बेहतर कम्प्यूटरीकरण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। तदनुसार, आईटीएटी चरणबद्ध तरीके से पुराने और खराब कम्प्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपकरणों को नवीनतम उपकरणों के साथ बदल रहा है। आईटीएटी के सभी सदस्यों को उनके आधिकारिक उपयोग के लिए पहले ही लैपटॉप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आदेशों के श्रुतलेख में सहायता के लिए आईटीएटी के सदस्यों को श्रुतलेख सॉफ्टवेयर भी प्रदान किया गया है। विभिन्न परियोजनाओं और अनुप्रयोगों की बैंडविड्थ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक पीठ को ऑप्टिक फाइबर-आधारित हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

(ञ) केंद्रीकरण

क्षेत्रीय मुख्यालय में अधीनस्थ पीठों के गैर-न्यायिक कार्यों के केंद्रीकरण की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

H 001-Annual Report.indd 76 3/27/2023 4:13:36 PM

यह आईटीएटी के मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए किया जा रहा है। 1 नवंबर, 2022 से क्रमशः आगरा और कोचीन पीठों का काम संभालते हुए दिल्ली और बंगलौर क्षेत्रीय मुख्यालयों में केंद्रीकरण कार्य शुरू हो चुका है।

वर्ष 2022 में उपलब्धियां

चित्र XII 3:

वर्ष 2022 में आईटीएटी की उपलब्धियां

ई-द्वार (आईटीएटी ई-फाइलिंग पोर्टल) का शुभारंभ
आयकर अपीलीय अधिकरण का ई-फाइलिंग पोर्टल(ई-द्वार), अपीलकर्ताओं को अपनी अपील, प्रति आपत्ति और आवेदन घर बैठे दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत के बाद से, आयकर अपीलीय अधिकरण की विभिन्न पीठों के समक्ष ई-द्वार के माध्यम से अपीलकर्ताओं द्वारा 600 से अधिक अपीलें, आपत्तियां और आवेदन दायर किए गए हैं।

कागज रहित न्यायालय
आईटीएटी, द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, कागज रहित वातावरण में न्यायालय कार्यवाही का ट्रायल रन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है और आईटीएटी, दिल्ली में अध्यक्ष के कोर्ट रूम को कागज रहित न्यायालय के रूप में अपग्रेड किया गया है।

आईटीएटी सदस्यों का ई-पुस्तकालय पोर्टल
यह पोर्टल आईटीएटी के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों के डिजिटल पुस्तकालयों तक पहुँच प्रदान करता है। यह पोर्टल केंई कर पोर्टलों तक निर्बाध पहुंच भी प्रदान करता है।

हियरिंग नोटिस आदि का इलेक्ट्रॉनिक संचार।
आईटीएटी ने पक्षकारों को अपील दायर करने, सुनवाई नोटिस, त्रुटिपूर्ण नोटिस आदि की पावती का इलेक्ट्रॉनिक संचार शुरू किया।

दैनिक आदेशों का प्रकाशन
न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, आईटीएटी ने अधिकरण के विभिन्न पीठों द्वारा पारित दैनिक आदेशों को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। सभी सदस्यों ने ज्यूडिसिस सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न दैनिक ऑर्डर शीट पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया है।

लिम्ब्स के साथ एपीएस लिंकेज
मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, लिम्ब्स पोर्टल को एपीआई के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण के साथ एकीकृत किया गया है। लिम्ब्स पोर्टल को आईटीएटी के साथ जोड़ा गया है, जो सभी एप्लिकेशनों में निर्बाध डेटा ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है, और आईटीएटी में मामलों से संबंधित लिम्ब्स पोर्टल पर रिकॉर्ड के ऑटो अपडेशन में मदद करेगा।

आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल
आईटीएटी के सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline-gov-in) पर ऑन-बोर्ड कर दिया गया है, जिससे आवेदक सूचना के लिए अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं और ऑनलाइन जवाब प्राप्त कर सकते हैं।

ई ऑफिस का कार्यान्वयन
विधि कार्य विभाग के सौजन्य से आईटीएटी में विधि कार्य विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभिन्न प्रस्तावों को अग्रेषित करने के लिए ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।

H 001-Annual Report.indd 77 3/27/2023 4:13:38 PM

XIII

भारत का विधि आयोग

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

भारत के विधि आयोग को कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निश्चित प्रयोजन के साथ विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा हर तीन साल में गठित किया जाता है। आयोग अपने अधिदेश के अनुसार, सरकार को सिफारिशें करता है।

22वें विधि आयोग का गठन दिनांक 21.02.2020 की अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में तीन पूर्णकालिक सदस्यों और दो अंशकालिक सदस्यों के साथ नियुक्त किया।

आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैंः न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन, केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, (प्रो.) डॉ. आनंद पालीवाल, प्रोफेसर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर और (प्रो.) डॉ. डी.पी. वर्मा, पूर्व प्रमुख और डीन, लॉ स्कूल, बीएचयू और पूर्व अतिरिक्त निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल।

आयोग के अंशकालिक सदस्य हैंः श्री एम. करुणानिधि, अधिवक्ता, और (प्रो.) डॉ. राका आर्य, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर। आयोग में दो पदेन सदस्य भी शामिल हैं, अर्थात् विधि सचिव और विधायी सचिव और एक सदस्य सचिव। आयोग को भारतीय विधि सेवा के विधि अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, सीएसएस और सीएसएसएस के अधिकारी प्रशासन के साथ काम करते हैं।

ध्येय

समाज में न्याय को बढ़ावा देने और कानून के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार की सिफारिश करना।

भूमिका

भारत के विधि आयोग के कार्य में, अन्य बातों के साथ-साथ, अप्रचलित कानूनों की समीक्षा, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करना और सामाजिक-आर्थिक विधानों के लिए पोस्ट-ऑडिट करना, न्यायिक प्रशासन की प्रणाली की समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह समय की उचित मांगों के प्रति उत्तरदायी है और विशेष रूप से देरी को समाप्त करना, बकाया की शीघ्र निकासी और लागत को कम करना ताकि मामलों का

H 001-Annual Report.indd 78 3/27/2023 4:13:38 PM

त्वरित और आर्थिक निपटान सुनिश्चित किया जा सके, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना और सुधार के तरीके सुझाना और ऐसे विधानों का सुझाव देना जो निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं तथा संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा कानूनों की जांच करने में बढ़ावा देने की दृष्टि से लैंगिक समानता और उसमें संशोधन के लिए सुझाव देना, सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके, खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभावों की जांच करना तथा वंचितों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

विधि आयोग के कार्य

विधि आयोग निम्नलिखित पर आधारित परियोजनाओं पर काम करता है।

(क) केंद्र सरकार और भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से प्राप्त संदर्भ।

(ख) स्वतः संज्ञानः विषय वस्तु के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आयोग विशिष्ट विषयों पर अध्ययन शुरू कर सकता है।

आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति

आयोग द्वारा जांच के लिए संदर्भ प्राप्त होने पर प्राथमिकताएं तय की जाती हैं और प्रारंभिक कार्य आयोग के सदस्यों को सौंपा जाता है। विषय की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के आधार पर, सुधार के प्रस्ताव के दायरे को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों और विचारों के संग्रह के लिए अनुसंधान पद्धति तैयार की जाती है।

इस अवधि के दौरान आयोग की बैठकों में हुई चर्चा न केवल मुद्दों को स्पष्ट करने और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, बल्कि आयोग के सदस्यों के बीच आम सहमति बनाने में भी मदद करती है। आयोग में इस प्रारंभिक कार्य से समस्या की रूपरेखा तैयार करने वाला और विचार करने योग्य मामलों का सुझाव देने वाला वर्किंग पेपर सामने आता है।

कानून सुधारों में आयोग के काम की सफलता लोगों के व्यापक वर्ग से परामर्श करने और जनता और संबंधित हित समूहों से डेटा, विचार/सुझाव, और इनपुट एकत्र करने की क्षमता पर निर्भर है।

टिप्पणियां प्राप्त करने की दृष्टि से कभी-कभार वर्किंग पेपर जनता और संबंधित हित समूहों/हितधारकों के बीच परिचालन के लिए भेजा जाता है। आमतौर पर, रुचि समूहों/हितधारकों को सावधानी से तैयार की गई प्रश्नावली भेजी जाती है।

विधि आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि कानून सुधारों के प्रस्तावों को तैयार

H 001-Annual Report.indd 79 3/27/2023 4:13:39 PM

भारत का बाइसवाँ आयोग

न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी, अध्यक्ष

पूर्णकालिक सदस्य

न्यायमूर्ति
के.टी. शंकरन

प्रो. (डॉ.) आनंद पालीवाल

प्रो. (डॉ.)
डी.पी. वर्मा

अंशकालिक सदस्य

श्री एस.एम.
करुणानिधी

प्रो. (डॉ.)
राका आर्य

पदेन सदस्य

डॉ. नितेन चंद्र,
विधि सचिव
(सदस्य सचिव, भारत
का विधि आयोग का
अतिरिक्त प्रभार)

डॉ. रीता वशिष्ठ,
सचिव, विधायी विभाग

प्रशासन

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

श्रीमती वर्षा चंद्रा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

श्री. अतुल कुमार गुप्ता,
उप विधि अधिकारी
प्रशासन

श्री. राजा कर,
उप सचिव

श्री. ओम प्रकाश गरवा,
अनुभाग अधिकारी प्रशासन

श्री. अरुण कुमार,
सहायक अनुभाग अधिकारी

श्री. राज तिलक,
सहायक अनुभाग अधिकारी

श्री. संजीव,
सहायक अनुभाग अधिकारी

H 001-Annual Report.indd 80 3/27/2023 4:13:40 PM

करने में लोगों के व्यापक वर्गों से परामर्श किया जाए। इस प्रक्रिया में, आयोग पेशेवर निकायों और शैक्षणिक संस्थानों को भी शामिल करता है। सुधार के लिए प्रस्तावित रणनीतियों पर महत्वपूर्ण राय जानने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। आयोग विचाराधीन मुद्दों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन के सुझावों का हमेशा स्वागत करता है।

अंतिम रिपोर्टः आंकड़ों और सुझावों को आत्मसात कर लेने के बाद, आयोग उनका मूल्यांकन करता है, और सूचना का उपयोग रिपोर्ट में उचित समावेश के लिए किया जाता है जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के मार्गदर्शन में लिखी जाती है। इसके बाद एक बैठक में पूरे आयोग द्वारा इसकी जांच की जाती है। रिपोर्ट और सारांश को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, आयोग एक मसौदा संशोधन या एक नया विधेयक तैयार करने का निर्णय ले सकता है जिसे इसकी रिपोर्ट में जोड़ा जा सकता है। इसके बाद, अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को विचार के लिए प्रस्तुत की जाती है।

अनुवर्ती कार्रवाईः विधि आयोग की रिपोर्ट समय-समय पर विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती है और कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों को भेजी जाती है। उन पर सरकार के निर्णय के आधार पर संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जाती है। निरपवाद रूप से, रिपोर्टों का न्यायालयों, संसदीय स्थायी समितियों और शैक्षणिक और सार्वजनिक विमर्शों में हवाला दिया जाता है।

बजट

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयोग को आवंटित कुल बजट 7.7 करोड़ रु.है।

मुख्य विशेषताएं

1. **तकनीकी उन्नतिः** भारत के विधि आयोग की वेबसाइट को HTML से कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) S3WAAS आधारित मॉड्यूल में अपग्रेड किया गया था। इसने आयोग को नागरिकों को विधि आयोग की जानकारी द्विभाषी रूप में अर्थात अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया। वेबसाइट की सामग्री का ऑडिट भी किया गया। भारत के विधि आयोग में, ई-ऑफिस को लागू किया गया है, जिससे भौतिक फाइलों का संचलन समाप्त हो गया है। ई-ऑफिस के सुचारू कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग के लिए सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर

H 001-Annual Report.indd 81 3/27/2023 4:13:40 PM

श्लिम्ब्सश् भारत के विधि आयोग में भी कार्य कर रहा है। विधि आयोग से संबंधित मामलों को उक्त पोर्टल में विधिवत रुप से अद्यतन किया जाता है।

2. **स्वच्छता अभियानः** भारत के विधि आयोग में "विशेष अभियान 2.0" के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के तहत, सितंबर 2022 के दौरान, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार समीक्षा की गई फाइलों को हटाने या अन्यथा बनाए रखने के लिए पुरानी फाइलों/अभिलेखों की समीक्षा की गई, जिससे कार्यालय की सफाई हुई। 231 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 90 फाइलों की छंटनी कर दी गई। पुराने, अप्रचलित/अनुपयोगी सामान, जैसे कि फर्नीचर, एसी, ई-कचरा, पुराने वाहन आदि की नीलामी की गई और कार्यालय में 308 वर्ग फुट जगह खाली हुई।

3. **कार्यक्रमः** भारत के विधि आयोग में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए 14 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। 16 सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2022 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान, चार प्रतियोगिताओं, अर्थात हिंदी निबंध, हिंदी टंकण, हिंदी श्रुतलेखन और हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में कुल 30 कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ नकद पुरस्कार दिए गए।

4. भारत के विधि आयोग में 21 जून 2022 को योग शिविर का आयोजन करके 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें सभी को योग का अभ्यास करने और इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योग टी-शर्ट और योग मैट वितरित किए गए। प्रैक्टिकल सत्र और ध्यान के लिए एक योग विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया था।

5. आयोग के सदस्य श्री न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन की उपस्थिति में दिनांक 26 नवम्बर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया।

6. **महिला अधिकारिताः** महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुपालन में, आयोग में पीड़ित महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति में दो महिलाएं (एक एनजीओ से एक सदस्य सहित) और एक पुरुष कर्मचारी शामिल हैं।

H 001-Annual Report.indd 82 3/27/2023 4:13:41 PM

XIV

भारतीय विधि संस्थान

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

विधि के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1956 में भारतीय विधि संस्थान (आईएलाई) की स्थापना की गई थी। इसे 2004 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा श्डीम्ड विश्वविद्यालयश् का दर्जा दिया गया था। 2017 में इसे एनएएसी द्वारा श्एश् ग्रेड (4.00 में से 3.35 सीजीपीए) से मान्यता प्रदान की गई और इसने मान्यता का पहला चक्र पूरा कर लिया है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का स्वायत्त चरित्र अपने उद्देश्यों और सार्थक अनुसंधान को पूरा करने के लिए अकादमिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

चित्र XIV 1:

भारतीय विधि संस्थान

ध्येय

इस संस्थान का पहला ध्येय अच्छे शोधकर्ता तैयार करना है। इसका उद्देश्य अंतःविषय दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान की कला प्रदान करना है। यह निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता हैः (I) नए विधिक ज्ञान, सिद्धांतों, विश्लेषणों और विधियों के निर्माण के लिए अनुत्तरित प्रश्नों और ज्ञान अंतराल के बारे में पूछताछ करना (I I) विधि और न्याय पर नए नीति प्रस्ताव तैयार करना और (III) वैश्विक अकादमिक संवाद में सक्रिय रूप से भाग लेना।

लक्ष्य

इस संस्थान के लक्ष्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैंः

I. विधि के विज्ञान को विकसित करना और उसे बढ़ावा देना;

H 001-Annual Report.indd 83 3/27/2023 4:13:43 PM

II. न्याय के प्रशासन में पर्याप्त सुधार लानाय और

III. विधि और उसके साधनों के माध्यम से आम लोगों की सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करना।

व्यापक उद्देश्य

इस संस्थान के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

I. विधि के सार्वभौमीकरण और व्यवस्थितकरण को बढ़ावा देना;

II. विधि और उसके संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और उसे संचालित करना;

II. विधिक ज्ञान और उसके सिद्धांतों का प्रसार करना;

IV. विधि और उसके संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित अध्ययनों, ग्रंथों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों और अन्य साहित्य को प्रकाशित करना;

V महत्वपूर्ण विधिक और संबद्ध सामग्रियों का प्रलेखन करना;

VI पुस्तकालयों का रखरखाव करना;

VII संस्थागत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में सुविधाजनक केंद्रों पर क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन करना।

कार्य

भारतीय विधि संस्थान कानून के विभिन्न क्षेत्रों में विधिक शिक्षा प्रदान करता है और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह व्यापक सामाजिक आवश्यकताओं और प्रयोज्यता के लिए विधि क्षेत्र में विभिन्न कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों/जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह कानूनी विचारों के प्रसार और कानून के नए आयामों के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों से भी जुड़ा हुआ है।

बजट

इस संस्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट 350 लाख रुपए है।

संस्थान की गतिविधियाँ

1. भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित व्याख्यान/सम्मेलन/वार्ता/सेमिनार की वेब श्रृंखला:

क. 08 मार्च, 2022 को श्सतत कल के लिए लैंगिक न्याय और महिलाओं के अधिकारश् पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।

ख. 14 मार्च, 2022 को 'हैंडलिंग एररोनियस कॉन्विक्शनः लर्निंग फ्रॉम द अमेरिकन एक्सपीरियंस' पर वेबिनार।

ग. मध्यस्थता में एकीकृत प्रमाणपत्र पाठयक्रम (7-8 अप्रैल और 13-15 अप्रैल, 2022)।

घ. इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (आईएलआई) और लॉयड लॉ कॉलेज (एलएलसी) के सहयोग से कॉमनवेल्थ लीगल एसोसिएशन (सीएलईए) और मेनन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग (एमआईएलएटी), तथा एम्पावरमेंट लॉ ऑफ द कॉमन पीपल (ईएलसीओपी), बांग्लादेश के शैक्षणिक सहयोग से ग्यारह दिवसीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय समर स्कूल-2022 का आयोजन किया गया। समर स्कूल का आयोजन 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' (27 मई - 06 जून, 2022) विषय पर किया गया था।

H 001-Annual Report.indd 84 3/27/2023 4:13:43 PM

ङ. भारतीय विधि संस्थान ने 31 मई, 2022 को श्लैंगिक उत्पीड़न पर उच्चतम न्यायलय के निर्णयश् पर एक फैकल्टी सेमिनार का आयोजन किया।

च. विश्व पर्यावरण दिवस समारोह, 2022 का उद्घाटन समारोह और सततता और निर्वाह पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनः मानवाधिकार और पर्यावरण संबंधी मुद्दे दिनांक 05-06 जून, 2022।

छ. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोहः योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, भारतीय विधि संस्थान ने 21 जून, 2022 को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

ज. मानवाधिकारः मुद्दे और चुनौतियाँ पर न्यायिक अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रमः 17-18 सितंबर, 2022

झ. 6-8 अक्टूबर, 2022 को लिंग और भारतीय दंड संहिता पर सम्मेलन।

ञ. दिनांक 31 अक्टूबर- 4 नवंबर, 2022 को भारतीय विधि संस्थान सीएलईए-एमआईएलएटी अनुसंधान मेंटोरिंग प्रोग्राम (आरएमपी) 2022"

2. पुस्तक विमोचनः इस संस्थान ने निम्नलिखित पुस्तकों का विमोचन कियाः

क. श्नॉवल डायमेंसन्स ऑफ कॉपीराइट लॉश्नामक पुस्तक

ख. श्लीगल रिसर्च एंड राइटिंगश् नामक पुस्तक

3. प्रकाशनः इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए गए:

क. जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (जेआईएलआई)- त्रैमासिक प्रकाशन, जिसमें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समकालीन कानूनी मुद्दों पर शोध लेख शामिल हैं।

ख. त्रैमासिक प्रकाशित आईएलआई न्यूजलेटर जिसमें वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों और आगामी गतिविधियों का संदर्भ दिया गया है।

ग. कानूनी पत्रिकाओं का सूचकांक - वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और इसमें आईएलआई लाइब्रेरी द्वारा प्राप्त विधि और संबंद्ध क्षेत्रों (या तो सदस्यता द्वारा या विनिमय या पूरक द्वारा) से संबंधित अनुक्रमणिका, पत्रिका (वार्षिक पुस्तकें और अन्य वार्षिक प्रकाशनों सहित) शामिल हैं।

घ. भारतीय विधि का वार्षिक सर्वेक्षण - वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और यह संस्थान का एक प्रतिष्ठित प्रकाशन है और इसमें महत्वपूर्ण कानूनों की प्रत्येक शाखा में नवीनतम रुझानों सहित भारतीय कानून का वार्षिक सर्वेक्षण शामिल है।

ङ. विधिक अनुसंधान मैनुअल - प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, आईएलआई द्वारा प्रकाशित

च. आईएलआई लॉ रिव्यू (ग्रीष्म) और (शीत)।

4. आगामी प्रकाशनः भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित श्आजादी का अमृत महोत्सवश् व्याख्यान श्रृंखला पर पुस्तक।

H 001-Annual Report.indd 85 3/27/2023 4:13:44 PM

XV

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग

परिचय

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग ('सीएएस') की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह कार्यालय केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयोंध्विभागों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ('सीएजी') का कार्यालय और सीएजी के अधीन आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के संचालन के लिए उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय में ऐसी विशेष अनुमति याचिकाओं या अपीलों को दायर करने की व्यवहार्यता पर विधि अधिकारियों की राय प्राप्त करने के बाद केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के माध्यम से विशेष अनुमति याचिकाएं और अपीलें दायर की जाती हैं। यह अनुभाग उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली से कार्य करता है।

चित्र XV 1:

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के कार्य

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी के संचालन में केंद्र सरकार और अन्य सभी संबद्ध निकायों की सहायता करता है। अनुभाग के अन्य कार्य इस प्रकार हैं:

I **मुकदमेबाजी का पर्यवेक्षणः** यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सीएजी और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से मुकदमेबाजी का संचालन और पर्यवेक्षण करता है।

II. **विधि अधिकारियों की नियुक्तिः** यह विभिन्न मामलों के लिए विधि अधिकारियों को नियुक्त करता है या पैनल काउंसेलों को अनुमोदित करता है।

III. **संदर्भों का प्रसंस्करणः** इसे विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संदर्भ प्राप्त होते हैं जिन पर यह महान्यायवादी विद्वान, विद्वान महासॉलिसिटर और

H 001-Annual Report.indd 86 3/27/2023 4:13:47 PM

अपर महासॉलिसिटर की राय लेता है।

IV. **अभिलेखों का रखरखाव और शुल्क बिलों की अदायगीः** यह रिकॉर्ड का पर्यवेक्षण और रखरखाव, विधि अधिकारियों, पैनल काउंसेल, कम्प्यूटर टंकक और फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटरों के शुल्क बिलों का भुगतान करता है।

चित्र XV 2:

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग और इसके मुख्य कार्य

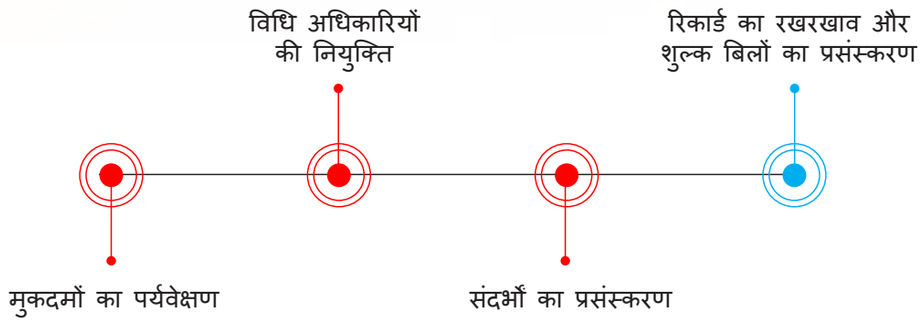

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग की संरचनाः

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग निम्नलिखित अधिकारियों से गठित हैः

I. **प्रभारीः** अपर सचिव इस अनुभाग के प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। उन्हें वर्तमान में 8 सरकारी अधिवक्ताओं और 1 सलाहकार (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सरकारी अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड की योग्यता की आवश्यकता होती है। वे उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार भारत संघ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सीएजी और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश होते हैं।

II. **सरकारी पैनल काउंसेलः** 586 सरकारी पैनल काउंसेल हैं जिनमें 11 विधि अधिकारी और 575 अधिवक्ता शामिल हैं।

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के पदाधिकारी इस प्रकार हैंः

I. डॉ. नितेन चंद्र, आईएएस, विधि सचिव, प्रभारी, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग

II. महेंद्र खंडेलवाल, वरिष्ठ सरकारी अधिवाय राज बहादुर, अपर सरकारी अधिवक्ता अमरीश कुमार, उप सरकारी अधिवक्ता जी.एस मक्कड़, अपर सरकारी अधिवक्ता एन.विशाकामूर्ति, सहायक सरकारी अधिवक्ता ए.के. शर्मा, परामर्शदाता/एओआर अरुण कुमार यादव, सहायक सरकारी अधिवक्ता।

(एम.के. मरोरिया, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, राज बहादुर, अपर सरकारी अधिवक्ता, सुदर्शन के., अपर सरकारी अधिवक्ता)

H 001-Annual Report.indd 87 3/27/2023 4:13:47 PM

लिंग प्रतिनिधित्वः केंद्रीय अभिकरण अनुभाग में कार्यरत महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई हैः

चित्र XV 3:

पुरुष और महिला कर्मचारियों की प्रतिशत भागीदारी

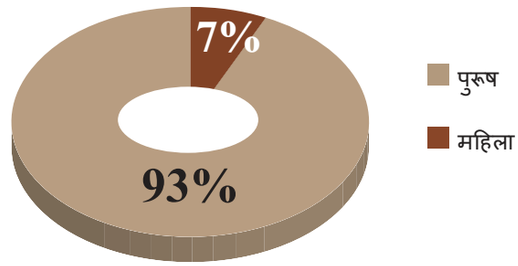

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग में कुल 72 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से पांच (अर्थात 7:) महिला कर्मचारी हैं और शेष पुरुष कर्मचारी (अर्थात 93:) हैं।

बजट और लेखा

➢ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को आवंटित बजट 42.60 करोड़ रु. है।

➢ शुल्क का भुगतान

परामर्श शुल्कः पैनल काउंसेलों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उनकी फीस का भुगतान किया जाता है। पैनल काउंसेल द्वारा जमा किए गए शुल्क बिलों को संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा रखे गए कार्यवाही रजिस्टरों से जांचा और सत्यापित किया जाता है।

न्यायालय शुल्कः ऐसे मामलों में जहां बड़ी मात्रा में न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, संबंधित मंत्रालयध्विभाग मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के माध्यम से न्यायालय शुल्क के भुगतान की व्यवस्था करती है। न्यायालय शुल्क की कम राशि के लिए, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग ने एसएचसीआईएल के साथ न्यायालय शुल्क के ई-भुगतान की व्यवस्था की है।

कम्प्यूटर टंकक/फोटोस्टेट ऑपरेटरः मुकदमेबाजी से संबंधित कार्य के निर्वहन हेतु कम्प्यूटर टंकक/फोटोस्टेट मशीन आपरेटरों का पैनल गठित किया गया है। आवश्यक जांच के बाद सीएएस उनके द्वारा जारी किए गए बिलों का भुगतान करता है।

H 001-Annual Report.indd 88 3/27/2023 4:13:48 PM

केस मैट्रिक्स एक नजर में

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कैग और केंद्र शासित प्रदेशों से 1666 मामले प्राप्त हुए थे जिनमें भारत संघ या केंद्र शासित प्रदेश एक पक्षकार थे। उनमें से 1210 (अर्थात 73 प्रतिशत) संघ के मामले हैं तथा 456 (अर्थात 27 प्रतिशत) राज्य के मामले हैं।

चित्र XV 4:

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग द्वारा प्राप्त मामलों की संख्या

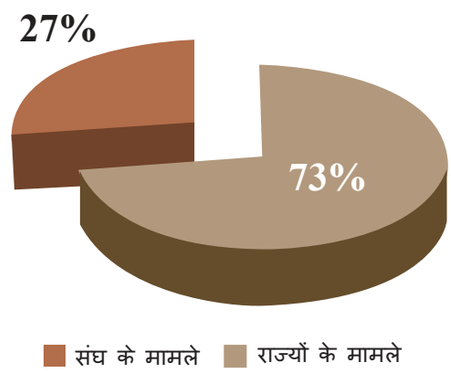

भारत सरकार द्वारा 19 मंत्रालयों के कुल 2480 मामलों का निस्तारण किया गया। भारत सरकार के 67 मंत्रालयों के कुल 39600 मामले लंबित हैं। भारत सरकार के 56 मंत्रालयों के कुल 4288 मामले (3437 संघ मामले और 851 राज्य मामले) दायर किए गए थे।

चित्र XV 5:

लंबित, निपटाए गए और दायर किए गए मामलों की संख्या (देखें अनुबंध- I II और III)

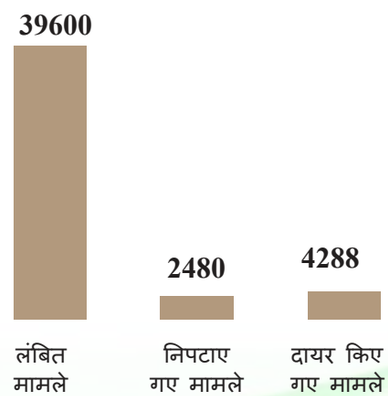

H 001-Annual Report.indd 89 3/27/2023 4:13:48 PM

XVI

शाखा सचिवालय

1. शाखा सचिवालय, बेंगलुरु

शाखा सचिवालय, बेंगलुरु के पास कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (आंध्र प्रदेश के साथ) में मुकदमों को संभालने और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को कानूनी सलाह देने का अधिकार क्षेत्र है। एक सहायक विधि सलाहकार शाखा सचिवालय, बेंगलुरु के प्रमुख हैं।

चित्र XVI 1:

शाखा सचिवालय, बेंगलुरु

1.1 सलाह

यह शाखा सचिवालय अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों को कानूनी सलाह देता है। कानूनी सलाह के लिए 591 संदर्भ प्राप्त हुए। सलाह के काम में प्लीडिंग्स की जांच और पुनरीक्षण यानी आपत्तियों का विवरण, उच्च न्यायालयों, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (धारवाड़ और कलबुरगी में पीठों सहित), हैदराबाद में तेलंगाना के उच्च न्यायालय और अमरावती में उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के समक्ष दायर किए जाने वाले जवाबी हलफनामे, बेंगलुरु और हैदराबाद में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के समक्ष दायर उत्तर विवरण, जिला न्यायालयों और विभिन्न अन्य अधिकरणों के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे, लिखित बयान शामिल हैं, सलाह कार्य में एसएलपी दाखिल करने की व्यवहार्यता की जांच, अपील, समीक्षा आदि शामिल हैं, विभागों को उनकी कार्रवाई की कानूनी स्थिरता पर मार्गदर्शन करने वाले कानूनों की व्याख्या और जब भी आवश्यक हो, प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श करना शामिल है।

H 001-Annual Report.indd 90 3/27/2023 4:13:49 PM

1.2 मुकदमों का पर्यवेक्षण

शाखा सचिवालय, बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय (धारवाड़ और कलाबुरगी में पीठों सहित), हैदराबाद में तेलंगाना के उच्च न्यायालय और अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय, बेंगलुरु और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अन्य जिले में स्थित जिला न्यायालयों इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी (आंध्र प्रदेश के साथ) में स्थित कैट में केंद्र सरकार के विभागों और कार्यालयों की संपूर्ण मुकदमा कार्य की निगरानी करता है। यह शाखा सचिवालय जिला उपभोकता विवाद निवारण मंचों, राज्यों के राज्य उपभोक्ता निवारण आयोगों, केंद्र सरकार औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष सरकारी मुकदमों को भी देखता है। इस संबंध में शाखा सचिवालय के कार्य में काउंसेल की नियुक्ति/नामांकन और केंद्र सरकार के काउंसेल के बीच मामलों का वितरण शामिल है। 5480 मुकदमा मामले, जिसमें काउंसेल का नामांकन, काउंसेल शुल्क बिल और मुकदमा से संबंधित सामान्य पत्राचार शामिल हैं, प्राप्त हुए थे।

1.3 काउंसेल के शुल्क बिल

यह शाखा सचिवालय परामर्श शुल्क बिलों को संसाधित करता है और भारत के सहायक महासॉलिसिटर और कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु में केंद्र सरकार के काउंसेल को सीधे अपने केंद्रीकृत फंड से शुल्क का भुगतान करता है। शाखा सचिवालय को 773 शुल्क बिल प्राप्त हुए थे। जहां तक धारवाड़ और गुलबर्गी में कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठों का संबंध है, काउंसेल शुल्क संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाता है जिसकी ओर से काउंसेल मामलों का संचालन करता है। संबंधित विभाग कैट और जिला न्यायालयों में केंद्र सरकार के पैनल काउंसेल के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं।

2. शाखा सचिवालय, चेन्नई

शाखा सचिवालय, चेन्नई के पास इस क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों को कानूनी सलाह देने और मुकदमों को संभालने में तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। इसका नेतृत्व एक सहायक विधि सलाहकार करता है जो प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा है।

H 001-Annual Report.indd 91 3/27/2023 4:13:49 PM

चित्र XVI 2:

शाखा सचिवालय, चेन्नई

2.1 सलाह

यह शाखा सचिवालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को कानूनी सलाह देता है। सलाह के लिए 707 संदर्भ प्राप्त हुए थे, जिनका निस्तारण किया गया।

2.2 मुकदमा का पर्यवेक्षण

यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ सहित) और केरल उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के मुकदमा कार्य (आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि से संबंधित मामलों को छोड़कर) देखता है। यह तमिलनाडु और केरल में जिला न्यायालयों, अधिकरणों, उपभोक्ता मंचों आदि में केंद्र सरकार के विभागोंध्कार्यालयों के मुकदमों के काम को भी देखता है । इसके अलावा, शाखा सचिवालय को चेन्नई में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मद्रास पीठ और केरल में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की एर्नाकुलम पीठ के समक्ष केंद्र सरकार के मुकदमों का काम भी सौंपा गया है। उच्च न्यायालय/सीएटीध्एलसी आदि के मामलों के लिए खोली गई मुकदमा रसीदों, शुल्क बिल सेंड फाइलों सहित 4807 मुकदमा मामले प्राप्त हुए थे।

यह शाखा सचिवालय केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उनके मामलों की महत्वपूर्ण प्रगति के साथ-साथ मुकदमा के परिणाम के बारे में सूचित करता रहता है और जब भी आवश्यक हो, आगे की कार्रवाई के लिए उपयुक्त सलाह प्रदान करता है। तमिलनाडु और केरल में न्यायालयों/अधिकरणोंध्उपभोक्ता मंचों/माध्यस्थम मामलों में दायर की जाने वाली दलीलों, हलफनामों आदि की मसौदा चरण में जांच और पुनरीक्षण किया जाता है। शाखा सचिवालय के कार्यों में कानूनी दृष्टिकोण से दस्तावेजों की आवश्यक जांच के बाद काउंसेल को अग्रेषित करने के लिए मामलों में शामिल केंद्र सरकार के विभागों से काउंसेल की नियुक्ति/नामांकन और इनपुट का संग्रह भी शामिल है।

H 001-Annual Report.indd 92 3/27/2023 4:13:49 PM

2.3 काउंसेलों के शुल्क बिल

यह शाखा सचिवालय मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ सहित) के समक्ष मामलों के संबंध में भारत के अपर महासॉलिसिटर, सहायक महासॉलिसिटर, वरिष्ठ पैनल काउंसेल और केंद्र सरकार के स्थायी काउंसेल को सीधे आवंटित धन से पेशेवर शुल्क का भुगतान करता है। उच्च न्यायालय, कैट और निम्न न्यायालय से संबंधित 1550 फीस बिलों पर कार्रवाई की गई, जिससे कुल 3,86,66,227/- रु. का भुगतान रिटेनर फीस के भुगतान सहित काउंसेल्स को किया गया।

3. शाखा सचिवालय, कोलकाता

शाखा सचिवालय, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा, असम, बिहार और अंडमान और निकोबार राज्य आते हैं, जहां क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों का मुकदमा कार्य और सलाह कार्य होता है। इसकी अध्यक्षता एक अपर सरकारी अधिवक्ता करता है जो प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा है।

चित्र XVI 3:

शाखा सचिवालय, कोलकाता

3.1 सलाह

यह शाखा सचिवालय, शाखा सचिवालय, कोलकाता इसके अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को कानूनी सलाह देता है। हालांकि, शाखा सचिवालय, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित केंद्र सरकार के मंत्रालयध्विभाग भी शाखा सचिवालय, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यायालयी मामलों से संबंधित मामलों में सलाह के लिए शाखा सचिवालय से संपर्क करते हैं। सलाह के लिए कुल 1218 संदर्भ प्राप्त हुए।

3.2 मुकदमा का पर्यवेक्षण

शाखा सचिवालय, कोलकाता कलकत्ता में उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में सर्किट पीठों और 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में स्थित विभिन्न अधिकरणों,

H 001-Annual Report.indd 93 3/27/2023 4:13:51 PM

जिला मंचों, राज्य आयोग और जिला न्यायालयों से संबंधित मुकदमा मामलों की देखभाल करता है। जब भी कोई मंत्रालय/विभाग शाखा सचिवालय, कोलकाता से संपर्क करता है तो शाखा सचिवालय अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष मामलों की निगरानी भी करता है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्त निकायों आदि से कलकत्ता में उच्च न्यायालय से संबंधित शाखा सचिवालय, कोलकाता को 7455 मामले प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, कोलकाता खंडपीठ से संबंधित 152 संदर्भ प्राप्त हुए थे। सीएटी, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में सर्किट पीठों से संबंधित मामलों के लिए काउंसेलों की नियुक्ति के लिए 3227 मामले प्राप्त हुए थे। माध्यस्थम मामलों सहित आरसीटी, औद्योगिक अधिकरण, सीईएसटीएटी, उपभोक्ता आयोग और जिला न्यायालयों में काउंसेलों की नियुक्ति के लिए 1252 मामले प्राप्त हुए थे।

3.3 काउंसेलों के शुल्क बिल

पैनल काउंसेल द्वारा प्रस्तुत दावों को पश्चिम बंगाल राज्य के लिए व्यावसायिक शुल्क और रिटेनरशिप शुल्क के भुगतान के लिए स्वीकृत बजट अनुमानों से आनुपातिक रूप से संसाधित किया गया है।

3.4 आरटीआई आवेदन

शाखा सचिवालय, कोलकाता ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सहायक विधि सलाहकार को सीपीआईओ और अपर सरकारी अधिवक्ता/प्रभारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। 37 आरटीआई आवेदन और 2 प्रथम अपील प्राप्त हुए थे।

3.5 बजट और लेखा

एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल आधारित भुगतान प्रणाली श्पीएफएमएसश् का उपयोग करते हुए शाखा सचिवालय, कोलकाता में बजट और लेखा संबंधी कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों, सरकारी काउंसेलों और अन्य सेवा प्रदाताओं को सभी भुगतान ऑनलाइन किए जा रहे हैं। आवधिक रिपोर्ट सीधे वेतन एवं लेखा कार्यालय और अन्य लोक प्राधिकरणों को ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती हैं। सामान, स्टेशनरी और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://gem.gov.in का उपयोग सीधे खरीद के साथ-साथ बोलियों के माध्यम से खरीद के लिए किया जा रहा है। पेंशन के मामले 'भविष्य' ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रोसेस किए जा रहे हैं।

3.6 पुस्तकालय और अनुसंधान

शाखा सचिवालय, कोलकाता के पुस्तकालय में लगभग 10800 पुस्तकें और पत्रिकाएँ हैं जिनका उपयोग मुकदमा और कानूनी सलाह में संदर्भ के लिए किया जाता है। इस शाखा सचिवालय द्वारा ऑनलाइन जर्नल श्मनुपत्रश् और 'एससीसी ऑनलाइन' भी खरीदे जाते हैं।

H 001-Annual Report.indd 94 3/27/2023 4:13:51 PM

3.7 लेखापरीक्षा

शाखा सचिवालय, कोलकाता की पिछली लेखापरीक्षा 05.05.2022 से 13.05.2022 तक प्रभावी लेखापरीक्षा सेंट्रल, कोलकाता के महानिदेशक के कार्यालय से एक लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा खातों के आवधिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा पाँच आपत्तियाँ उठाई गईं। लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुच्छेदों के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा की गई बकाया छह लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्रवाई पूरी हो गई थी, इसलिए वर्तमान लेखापरीक्षा पार्टी ने उक्त आपत्ति को छोड़ दिया।

3.8 लिम्ब्स पोर्टल की कार्यप्रणाली

'लिम्ब्स', पोर्टल शाखा सचिवालय, कोलकाता में 1 जनवरी, 2022 से कार्यरत है। कर्मचारियों और पैनल काउंसेलों के लिए अप्रैल, 2022 में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। पैनल काउंसेलों ने न्यायालय के आदेशों और शुल्क बिल को अपलोड करने में सक्षम बनाने के लिए खुद को लिम्ब्स पोर्टल पर पंजीकृत किया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को लिम्ब्स पोर्टल पर केस विवरण अपलोड करने और शाखा सचिवालय, कोलकाता को किए गए संदर्भों में लिम्ब्स आईडी का उल्लेख करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

पैनल काउंसेलों से लिम्ब्स पोर्टल के माध्यम से कुल 3389 बिल प्राप्त हुए।

4. शाखा सचिवालय, मुंबई

शाखा सचिवालय, मुंबई का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव में क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के मुकदमों से निपटना और कानूनी सलाह देना है। वर्तमान में शाखा सचिवालय, मुंबई प्रभारी के रूप में वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, श्री ए. ए. अंसारी हैं।

4.1 सलाह

यह शाखा सचिवालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर राज्यों में स्थित केंद्र सरकार के सभी विभागों/कार्यालयों को कानूनी सलाह देता है। यदि आवश्यक हो, सलाह के मामलों को भारत के अपर महासॉलिसिटर को उनकी विशेषज्ञ राय के लिए भी भेजा जाता है। शाखा सचिवालय को सलाह मांगने के लिए 3097 संदर्भ प्राप्त हुए।

H 001-Annual Report.indd 95 3/27/2023 4:13:51 PM

4.2 मुकदमों का पर्यवेक्षण

शाखा सचिवालय, मुंबई बॉम्बे उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मुकदमा मामलों को संभालता है। इस शाखा सचिवालय को 1738 मुकदमा मामले प्राप्त हुए। 513 मुकदमों का निस्तारण किया गया।

4.3 रेलवे मामले

विभाग द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए रेल मंत्रालय के काउंसेलों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की समीक्षा की गई। इसके बाद, रेल मंत्रालय की ओर से मामलों की देखरेख विधि कार्य विभाग द्वारा सूचीबद्ध काउंसेलों द्वारा किया जाएगा। 834 रेलवे मामले शाखा सचिवालय द्वारा प्राप्त किए गए और उनमें भाग लिया गया।

चित्र XVI 4:

शाखा सचिवालय, मुम्बई

4.4 प्रशासन

वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता और प्रभारी शाखा सचिवालय, मुंबई के प्रशासन के प्रमुख हैं। शाखा सचिवालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों को संभालने में उन्हें डीडीओ और अनुभाग अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

इस शाखा सचिवालय में बजट और लेखों का काम विभिन्न सॉफ्टवेयर और 'पीएफएमएस' पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन किया जाता है। सभी भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। जीईएम का उपयोग सामान, स्टेशनरी और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए किया जाता है। पेंशन के मामले 'भविष्य' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी संसाधित किए जाते हैं।

H 001-Annual Report.indd 96 3/27/2023 4:13:52 PM

4.5 पुस्तकालय

मुंबई शाखा सचिवालय में एक पुस्तकालय है जिसमें 14475 से अधिक पुस्तकें हैं। यह पुस्तकालय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सलाह देने और मुकदमा के मामलों में भी बहुत उपयोगी साबित होता है। अधिकारियों और कर्मचारियों के उपयोग के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें जैसे विभिन्न पत्रिकाएं, कानून की किताबें, स्वामी हैंडबुक, एमओपी आदि नियमित रूप से खरीदी जाती हैं। वर्ष के दौरान, 260 पुस्तकें और 248 बेयर एक्ट खरीदे गए। इस शाखा सचिवालय के पुस्तकालय में 20 पत्रिकाएँ आती हैं।

4.6 हिंदी का प्रगामी प्रयोग और हिंदी पखवाड़ा

शाखा सचिवालय में श्राजभाषा समितिश् का गठन किया गया है जो हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग पर प्रभारी को आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। विभिन्न विवरण और फॉर्म जैसे छुट्टी के फॉर्म, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आदि को द्विभाषी बनाया गया है। हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस सितम्बर, 2022 माह में आयोजित किया गया। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

4.7 आरटीआई मामले

वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, सहायक विधि सलाहकार को सीपीआईओ और एक अधीक्षक को सीएपीआईओ के रूप में नामित किया गया है।

आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को इस शाखा सचिवालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निपटाया जाता है। यदि आवेदक सीपीआईओ द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपील दायर कर सकता है तथा इसे अपीलीय प्राधिकारी

द्वारा उपयुक्त रूप से निपटाया जाता है। इस वर्ष इस शाखा सचिवालय को 29 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। इसे एक अपील तथा एक द्वितीय अपील भी प्राप्त हुई।

4.8 काउंसेलों के शुल्क बिल

मुंबई शाखा सचिवालय अपनी निधियों से स्वयं सीधे भारत के अपर महासॉलिसिटर, उप महासॉलिसिटर, वरिष्ठ पैनल काउंसेल और केंद्र सरकार के स्थायी काउंसेल को बंबई उच्च न्यायालय और नागपुर, औरंगाबाद और गोवा में इसकी पीठों के समक्ष मामलों के संबंध में पेशेवर शुल्क का भुगतान करता है। 1,45,38,931/- रु. काउंसेल्स को भुगतान किया गया और 18,06,000/- रु. रिटेनर शुल्क के रूप में भुगतान किया गया।

H 001-Annual Report.indd 97 3/27/2023 4:13:52 PM

XVII

अंतर्राष्ट्रीय कानून और संबंधित अनुभाग

वैश्वीकरण ने भारत के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। पिछले सात दशकों में, व्यापार और निवेश से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी नीतियां और नियम बदल गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेश और इसकी बहुरूपता में भी परिमाण और विषय वस्तु संबंधी पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। वैश्वीकरण के आगमन और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में हुई भारी प्रगति ने देशों को अन्योन्याश्रित बना दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

विधि कार्य विभाग ने निम्नलिखित कार्यक्रमों और वार्ताओं में भाग लियाः

1. सियोल, दक्षिण कोरिया में 3-4 नवंबर, 2022 के दौरान भारत और कोरिया के बीच हस्ताक्षरित एफटीए/सीईसीए की समीक्षा।
2. लंदन में 14-15 नवंबर, 2022 के दौरान जीपीआईएक्स वी यूनियन ऑफ इंडिया और सहायक अधिवक्ताओं के मामले में लंदन में साक्ष्य सुनवाई।
3. 5-8 दिसंबर, 2022 के दौरान वाणिज्य भवन में भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता।
4. 28-30 नवंबर, 2022 के दौरान भारत-कनाडा एफटीए वार्ता (आभासी रूप से)।
5. 12 नवंबर, 2022 को भारत-रूस बीआईटी वार्ता (आभासी रूप से)।
6. 16 फरवरी, 2022 को भारत-ऑस्ट्रेलिया एफआरए वार्ता (आभासी रूप से)।
7. 25-30 जुलाई, 2022 के दौरान भारत-यूके एफटीए वार्ता (आभासी रूप से) और 31 अगस्त-1 सितंबर, 2022 के दौरान अंतर-सत्रीय बैठक (आभासी रूप से) ।
8. 10 फरवरी, 2022, 18 अप्रैल, 2022 और 1 जून, 2022 को भारत-यूएई बीआईटी वार्ता (आभासी रूप से)।
9. 12 जनवरी, 2022 को भारत-उज्बेकिस्तान बीआईटी चर्चा (आभासी रूप से)।
10. 19 जनवरी, 2022 को भारत-दक्षिण अफ्रीका बीआईटी चर्चा (आभासी रूप से)।

[1] द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता (बीआईपीएएस)
[2] द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटीएस)
[3] व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)
[4] व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता(सीईसीए)

H 001-Annual Report.indd 98 3/27/2023 4:13:52 PM

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

पृष्ठभूमि

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक आठ सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में कजाकिस्तान गणराज्य, चीन लोक गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य के नेताओं द्वारा की गई थी।

एससीओ में दो स्थायी निकाय हैं - (i) बीजिंग में एससीओ सचिवालय और (ii) ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (आरएटीएस) की कार्यकारी समिति। सदस्य देश एक वर्ष के दौरान चक्रानुक्रम में एससीओ की अध्यक्षता करते हैं।

चीनी और रूसी भाषा शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक कार्य की भाषाएं हैं।

एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 9वीं बैठक

7 दिसंबर 2022 को आयोजित विशेषज्ञ समूह की तीसरी बैठक के बाद एससीओ सदस्य राज्यों के न्याय मंत्रियों की 9वीं बैठक 9 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गई। 9वीं न्याय मंत्रियों की बैठक की तैयारी के लिए पहली और दूसरी विशेषज्ञ समूह की बैठक क्रमशः 20-21 जून 2022 और 19-20 जुलाई 2022 को हुई थी। विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने 9वीं एससीओ न्याय मंत्रियों की बैठक में इस विभाग का प्रतिनिधित्व किया। विधि और न्याय मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विवरण इस प्रकार हैः -

(I) प्रो एस.पी. सिंह बघेल, विधि और न्याय राज्य मंत्री

(II) डॉ. नितेन चंद्र, विधि सचिव

(III) श्री आर.एस. वर्मा, अपर सचिव, विधि कार्य विभाग

(IV) डॉ. एस.के. जैन, निदेशक सह मुख्य फोरेंसिक वैज्ञानिक, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय।

(V) प्रो. (डॉ.) एस.ओ. जुनारे, कैंपस डायरेक्टर, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, दिल्ली कैंपस।

H 001-Annual Report.indd 99 3/27/2023 4:13:52 PM

पारस्परिक विधि सहायता संधिया (एमएलएटीएस)

भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, सिविल न्यायालयों में समन की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरण-पोषण भत्ते के प्रवर्तन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था जैसे कार्य भी देखता है।

विधि कार्य विभाग, नोडल विभाग होने के नाते, विदेशों के साथ नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (एमएलएटीएस) का कार्य भी देखता है।

सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 29 के खंड (ग) के अधीन समन की तामील, सीपीसी की धारा 44ए के अधीन डिक्री का निष्पादन, सीपीसी की धारा 77 के अधीन अनुरोध पत्र जारी करने, सीपीसी की धारा 78 के अधीन साक्ष्य लेने और माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 44 के खंड (ख) के अधीन मध्यस्थ पंचाटों को लागू करने विदेशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक व्यापक समझौता है।

बुल्गारिया गणराज्य और ईरान के इस्लामी गणराज्य के साथ सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों की क्रमशः दिनांक 29.07.2022 और 18.10.2022 को पुष्टि की गई।

हेग कन्वेंशन के तहत समन की तामील

भारत हेग कन्वेंशन, 1965 का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसके तहत विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय विदेश में समन की तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है, जो भारत में न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा जारी या विदेश में न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए समन की तामील करता है। वर्ष 2022 में, समन की सेवा के संबंध में द्विपक्षीय संधियों से उत्पन्न 2898 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई।

H 001-Annual Report.indd 100 3/27/2023 4:13:52 PM

XVIII

उपलब्धियां और प्रमुख विशेषताएं

निगरानी और आकलन अनुभाग स्थापित करना

कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने और इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए, विधि कार्य विभाग ने एक निगरानी और आकलन अनुभाग की स्थापना की है। यह अनुभाग संरचित तरीके से नियोजित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने में सहायता करता है। इस अनुभाग का उद्देश्य प्रासंगिक प्रगति और निष्पादन सूचना एकत्र करना और उसे संसाधित करना और वास्तविक समय के लिए किसी भी विचलन या कमी का नियमित आधार पर विश्लेषण करना, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना और समय-बद्ध तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करना है।

विशेष अभियान 2.0

सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 2021 में लंबित संदर्भों के निपटान और स्वच्छता पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। इसकी सफलता के बाद, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया। विधि कार्य विभाग ने स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 के भाग के रूप में शास्त्री भवन, नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। 14 से 30 सितंबर 2022 तक के प्रारंभिक चरण के दौरान, इस अभियान के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इस अभियान से विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कुशल स्थान प्रबंधन और कार्यस्थल के अनुभव में वृद्धि हुई है और लंबित मामलों में कमी आई है।

स्वच्छता संबंधी विशेष अभियान 2.0 के दौरान विभाग ने लंबित संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, सार्वजनिक शिकायतों, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता/स्वच्छता अभियान, रद्दियों और पुरानी फाइलों का निपटान करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह विशेष अभियान नोटरी सेल, केंद्रीय अभिकरण अनुभाग, तीस-हजारी, मुकदमा अनुभाग (उच्च न्यायालय), चार शाखा सचिवालयों, भारत के विधि आयोग, और एनडीआईएसी सहित 11 विशिष्ट स्थानों को विनिर्दिष्ट करते हुए श्स्वच्छताश् के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

H 001-Annual Report.indd 101 3/27/2023 4:13:53 PM

चित्र XVIII 1:

विधि कार्य विभाग के पुस्तकालय में स्वच्छता अभियान

तालिका XVIII 1:

विशेष अभियान 2.0 की उपलब्धियां

क्रम सं.	श्रेणी	विशेष अभियान 2.0
1	स्वच्छता अभियान स्थल	11
2	रिकॉर्ड प्रबंधन फाइलों की समीक्षा (भौतिक फाइले. ई- फाइलें)	27,927
3	लोक शिकायत. याचिकाओं का निवारण	2719
4	अर्जित राजस्व	₹ 1,38,960
5	खाली किया गया स्थान (वर्ग फीट)	2500 वर्ग फीट
6	सांसदों के संदर्भ	7
7	आईएमसी के संदर्भ (मंत्रिमंडल के प्रस्ताव)	141
8	राज्य सरकार के संदर्भ	शून्य

H 001-Annual Report.indd 102 3/27/2023 4:13:53 PM

9	पीएमओ के आईडी	02	
10	नियमोंध्क्रियाओं को आसान बनाना	01	
11	लंबित संसदीय आश्वासन	जनवरी 2022	दिसम्बर 2022
	लोक सभा	42	07
	राज्य सभा	33	08
	कुल	75	15

डिजिटल इंडिया की बेहतरीन कार्यप्रणाली को अपनाते हुए विधि कार्य विभाग ने कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भौतिक और ई-फाइलों की सफलतापूर्वक समीक्षा की गई। विशेष अभियान 2.0 के दौरान 27,927 फाइलों को स्कैन किया गया है।

सेवा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए, 2,719 लोक शिकायतों और अपीलों का निवारण किया गया। विशेष अभियान 2.0 के दौरान 2500 वर्ग फीट जगह खाली कराई गई। कागजरहित प्रबंधन के लिए ई-ऑफिस 7.0 लागू किया गया है।

पुस्तकालय और अनुसंधान अनुभाग और यंग प्रोफेशनल्स और लॉइंटर्न्स के सहयोग से विधि कार्य विभाग के पुस्तकालय अनुभाग में स्वच्छता अभियान चलाया गया। उपयोग में न आने वाली 15000 पुरानी किताबों और 22 जर्जर रैको की छंटाई के साथ इसका सफलतापूर्वक निपटान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वहां काफी खाली स्थान बन गया।

केंद्रीय अभिकरण अनुभाग में, पुराने रिकार्ड की पहचान करके 21,865 किग्रा. का रद्दी कागज, 3860 किग्रा. का आयरन स्क्रैप और 2900 किग्रा. गत्ते का निपटान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 4500 वर्ग फुट का अतिरिक्त खाली स्थान प्राप्त हुआ। स्क्रैप और रद्दी कागज को बेचकर 13,67,430 रुपये सरकारी खजाने में जमा किए गए।

रुविशेष अभियान 2.0 के दौरान विभाग द्वारा की गई पहलों पर चित्र और एक लघु फिल्म रुविशेष अभियान 2.0 के दौरान सभी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए।

इंटर्नशिप कार्यक्रम

विधि कार्य विभाग, विधि के युवा छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है। इस इंटर्नशिप का

H 001-Annual Report.indd 103 3/27/2023 4:13:53 PM

उद्देश्य उन्हें संवैधानिकऔर प्रशासनिक कानून, वित्त कानून, आधारभूत संरचना कानून, आर्थिक कानून, श्रम कानून, हस्तांतरण अभिलेख, माध्यस्थम और संविदा कानून आदि जैसे कानून के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में कानूनी सलाह देकर अनुसंधान और संदर्भ कार्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करके विभाग के कार्यों से परिचित कराना है। भारतीय छात्र जो तीन वर्ष के डिग्री पाठयक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं और पांच वर्ष के डिग्री पाठयक्रम के तीसरे से पांचवें वर्ष में हैं या ऐसे छात्र हैं जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज ध्विधि विश्वविद्यालय से अपना एलएलबी कोर्स पूरा कर लिया है, इस इंटर्नशिप के लिए पात्र हैं। इस इंटर्नशिप की अवधि एक माह है।

मानदेयः इंटर्न को उनकी इंटर्नशिप पूरी होने पर 5000 रुपये का मानदेय दिया जाता है।

युवा प्रोफेशनल

विधि कार्य विभाग विधि के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान करने के लिए संविदा आधार पर 'युवा प्रोफेशनलश् के पद के लिए आवेदन मांगता है। युवा प्रोफेशनल को एक स्वतंत्र सलाहकार का दर्जा दिया जाता है। इस विभाग ने 29 युवा प्रोफेशनल्स को नियुक्त किया।

युवा प्रोफेशनल्स इन-हाउस टैलेंट पूल के रूप में काम करते हैं और अनुसंधान और विश्लेषण का कार्य करते हैं। उन्होंने अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने और स्वतंत्रता-पूर्व के कानूनों के संशोधन के कार्य में विभाग की सहायता की है। उन्होंने इस वर्ष गुजरात में आयोजित विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के आयोजन में भी सहायता की है।

चित्र XVIII 2:

युवा प्रोफेशनल्स

H 001-Annual Report.indd 104 3/27/2023 4:13:56 PM

XIX

कार्यक्रम और सोशल मीडिया कवरेज

सोशल मीडिया सेल

विधि कार्य विभाग ने 6 जून, 2022 से एक सोशल मीडिया सेल की स्थापना की है जिसमें विभाग के अधिकारी और एक सोशल मीडिया टीम है जिसमें प्रोफशनल्स संविदा के आधार पर शामिल हैं। सोशल मीडिया सेल विधि कार्य विभाग के बारे में जानकारी के प्रसार और इसके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। आम जनता के बीच इस विभाग की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया सेल सक्रिय जन भागीदारी के लिए भारत सरकार के कई मंत्रालयों - विभागों के साथ काम करती है। डॉ. अंजु राठी राणा, अपर सचिव, सोशल मीडिया सेल के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करती हैं, और सेल के प्रभारी अधिकारी सुश्री मधुबाला सोनी, अवर सचिव, सुश्री प्रीती वाधवा, अनुभाग अधिकारी और श्री आलोक यादव, सहायक अनुभाग अधिकारी इसका संचालन करते हैं।

चित्रXIX 1:

सोशल मीडिया प्रकोष्ठ

H 001-Annual Report.indd 105 3/27/2023 4:13:58 PM

सोशल मीडिया सेल द्वारा संचालित/समन्वयित गतिविधियाँ

1. डोंग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस । 21 जून 2022
2. डिजिटल इंडिया सप्ताह में भागीदारी । 4 जुलाई - 6 जुलाई 2022
3. नोटरी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का शुभारंभ । 9 जुलाई 2022
4. हर घर तिरंगा अभियान । 22 जुलाई - 15 अगस्त 2022
5. कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव । 5 अगस्त 2022
6. राष्ट्रीय खेल दिवस । 29 अगस्त 2022
7. लिम्ब्स पोर्टल पर एफएबी (उपस्थिति बिल के लिए प्रपत्र) का उद्घाटन । 17 सितंबर 2022
8. इंटर मिनिस्ट्री, बार एंड पीठ बैडमिंटन चैंपियनशिप । 17 और 18 सितंबर 2022
9. नोटरी के कार्य । 20 सितंबर 2022
10. आयकर अपीलीय अधिकरण - रिक्तियों के लिए आवेदन । 21 सितंबर 2022
11. साइबर सुरक्षा युक्तियाँ । 21 और 26 सितंबर
12. हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा । 14 और 16-29 सितंबर 2022
13. शंघाई सहयोग संगठन के महाअभियोजकों की 20वीं बैठक । 23 सितंबर 2022
14. इंडो-यूके मीट । 28 सितंबर 2022
15. विशेष अभियान 2.0 । 2 - 31 अक्टूबर 2022
16. भारत के महान्यायवादी । 7 अक्टूबर 2022
17. नोटरी ऑनलाइन साक्षात्कार - हिमाचल प्रदेश और गुजरात । 12 और 21 अक्टूबर 2022
18. अखिल भारतीय विधि मंत्री और विधि सचिव सम्मेलन । 15 - 16 अक्टूबर 2022
19. आयुर्वेद /2047 के अंतर्गत आयुर्वेद दिवस - आजादी का अमृत काल । 23 अक्टूबर 2022
20. फिट इंडिया फ्रीडम रन । 29 अक्टूबर 2022
21. सतर्कता जागरूकता सप्ताह । 31 अक्टूबर - 6 नवंबर 2022
22. राष्ट्रीय एकता दिवस । 31 अक्टूबर 2022
23. साइबर जागरुकता दिवस । 7 - 18 नवंबर 2022
24. माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा केंद्रीय अभिकरण अनुभाग का दौरा । 9 नवंबर 2022
25. भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति । 9 नवंबर 2022
26. संविधान दिवस समारोह । 26 नवंबर 2022

H 001-Annual Report.indd 106 3/27/2023 4:13:58 PM

27. माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल की मंगोलिया प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक । 19 नवंबर 2022
28. माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल रोजगार मेले में । 22 नवंबर 2022
29. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस । 25 नवंबर 2022
30. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अभियान । 25 नवंबर - 10 दिसंबर 2022
31. राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों की बैठक । 30 नवंबर 2022
32. एससीओ न्याय मंत्रियों की बैठक । 9 दिसंबर 2022
33. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस । 10 दिसंबर 2022
34. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की बैठक । 13 दिसंबर 2022
35. अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का आयोजन । 28 दिसंबर 2022
36. मासिक गतिविधि - विधि इंटर्न सम्मान और प्रशंसापत्र । जुलाई - दिसंबर 2022

सोशल मीडिया सेल विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कू, फेसबुक और यूटयूब का उपयोग करके विधि कार्य विभाग के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। व्यापक आउटरीच के लिए सूचनात्मक अभियान चलाने के अलावा, इसकी गतिविधियों में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के दिनों को कवर करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर उपलब्धियां और विधि कार्य विभाग
द्वारा संचालित सफल गतिविधियां शामिल हैं।

सोशल मीडिया सेल द्वारा विधिवत हाइलाइट किए गए कुछ अभियानों और गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

H 001-Annual Report.indd 107 3/27/2023 4:13:59 PM

चित्र XIX 2:

सोशल मीडिया कार्य-निष्पादन

H 001-Annual Report.indd 108 3/27/2023 4:14:00 PM

2022 एक नज़र में

H 001-Annual Report.indd 109 3/27/2023 4:14:03 PM

H 001-Annual Report.indd 110 3/27/2023 4:14:05 PM

सचिव, विधायी विभाग की टिप्पणी

विधायी विभाग ने वर्ष 2022 में विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त सभी विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई की। मंत्रालयों/विभागों के 84 विधायी प्रस्तावों की जांच की गई है, जिनमें 28 विधायी विधेयकों को संसद को अग्रेषित किया गया है। वर्ष 2022 में, संसद द्वारा 23 अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों के नाम हैं: (i) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022; (ii) दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022; (iii) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022; (iv) सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियालापों का प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2022; (v) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022; (vi) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022; (vii) ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022; और (viii) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थन सुलह केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022. उपर्युक्त विधानों के अलावा, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 विनियमों को प्रख्यापित किया गया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, निरसन और संशोधन विधेयक, 2022 को 19.12.2022 को लोकसभा में पेश किया गया है, ताकि 65 अप्रचलित और निरर्थक कानूनों को निरसित किया जा सके, जो विचार और पारित किए जाने हेतु उसी सदन में लंबित हैं।

भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, संसद ने निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2022 के अधीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है।

निर्वाचन विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 49) को लागू करने के लिए, इसके अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2022 और निर्वाचनों का संचालन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 नामक नियम बनाए गए हैं, जिसमें मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने का उपबंध किया गया है; मतदाता सूची में नामांकन के लिए कई अर्हक तिथियों को निर्दिष्ट किया गया है; और कानूनों को लिंग तटस्थ बनाने के लिए प्रासंगिक फॉर्मों को संशोधित किया गया है।

H 002 Annual Report.indd 111 3/27/2023 3:45:20 PM

वर्ष 2022 के दौरान आईएलडीआर द्वारा संचालित बेसिक कोर्स से राज्य सरकारों के कुल 23 अधिकारी लाभान्वित हुए हैं।

यह वार्षिक रिपोर्ट इस विभाग की उपलब्धियों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

सादर,

रीता वशिष्ट

डॉ. रीटा वशिष्ट

H 002 Annual Report.indd 112 3/27/2023 3:45:21 PM

विधायी विभाग

जहां तक संघ सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है । यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है ।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा-उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग का कार्य निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:-

(I) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों का प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना;

(II) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर-सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह निर्धारित करने में सहायता देना कि गैर-सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;

(III) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना । इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है;

(IV) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना;

(V) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना;

(VI) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना;

(VII) सांविधानिक आदेशों अर्थात उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिन्हें संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है;

(VIII) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना;

(IX) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन

H 002 Annual Report.indd 113 3/27/2023 3:45:21 PM

राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है;

(X) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(XI) संसद, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन;

(XII) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान-मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रभाजन;

(XIII) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार;

(XIV) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;

(XV) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबधित विषय;

(XVI) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले;

(XVII) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान;

(XVIII) संघ सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(XIX) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवाद का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना;

(XX) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चुनिंदा निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन;

1.2 विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई कानूनी या स्वायत्त निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।

(क) विधायी विभाग का **राजभाषा खंड** मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथा अपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी

H 002 Annual Report.indd 114 3/27/2023 3:45:21 PM

केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है । यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथा अपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है । राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

(ख) **विधि साहित्य प्रकाशन** प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है ।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं । प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं । विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं । विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध- VI** पर है।

3. विधायी-1 अनुभाग

विधायन सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है । इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है ।

(2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधायी प्रस्ताव भी बनाता है ।

H 002 Annual Report.indd 115 3/27/2023 3:45:22 PM

(3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(क) संवैधानिक संशोधन;

(ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां;

(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान;

(घ) अप्रचलित विधियों का निरसन; और

(ङ) विविध विधियां।

(4) 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान, इस विभाग ने संसद के सदनों में पेश करने/प्रख्यापन के लिए विधेयकों/अध्यादेशों का मसौदा तैयार करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल/नए विधायी प्रस्तावों के लिए 87 टिप्पणियों की जांच की है। इस अवधि के दौरान संसद में पेश किए जाने हेतु 28 विधायी विधेयक अग्रेषित किए गए। इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नानुसार है:-

01.01.2022 से 31.12.2022 तक संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची

क्र.सं.	विधेयकों के नाम
1.	वित्त विधेयक, 2022
2.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
3.	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
4.	जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022
5.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2022
6.	विनियोग विधेयक, 2022
7.	विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2022
8.	विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2022

H 002 Annual Report.indd 116 3/27/2023 3:45:23 PM

क्र.सं.	विधेयकों के नाम
9.	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
10.	दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
11.	दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022
12.	भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022
13.	सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022
14.	कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022
15.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022
16.	ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022
17.	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022
18.	नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022
19.	विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022
20.	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022
21.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
22.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022
23.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022
24.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवा संशोधन) विधेयक, 2022
25.	विनियोग (संख्यांक-4) विधेयक, 2022
26.	विनियोग (संख्यांक-5) विधेयक, 2022
27.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
28.	जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2022

(5) 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की अवधि के दौरान पेश किए गए विधेयकों और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से 23 विधेयक अधिनियम में अधिनियमित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान, अधिनियमित किए गए अधिनियमों की सूची निम्नानुसार है:-

H 002 Annual Report.indd 117 3/27/2023 3:45:23 PM

क्र.सं.	अधिनियमों के नाम
1.	विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 1**)
2.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 2**)
3.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 3**)
4.	जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 4**)
5.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 5**)
6.	वित्त विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6)
7.	विनियोग विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 7)
8.	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 8**)
9.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 9**)
10.	दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 10**)
11.	दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 11**)
12.	चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल, कंपनी सचिव, (संशोधन) विधेयक, 2021 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 12**)
13.	भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 13**)
14.	सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 14**)
15.	राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 15**)
16.	कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 16**)
17.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 17**)
18.	वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 18**)
19.	ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 19)
20.	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 20**)
21.	विनियोग (संख्यांक-4) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 21**)
22.	विनियोग (संख्यांक-5) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 22**)
23.	नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 (**2022 का अधिनियम संख्यांक 23**)

H 002 Annual Report.indd 118 3/27/2023 3:45:23 PM

(6) उपर्युक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुल 6 विनियमों को प्रख्यापित किया गया है:-

क्र.सं.	विनियमों के नाम
1.	लक्षद्वीप मूल्य वर्धित कर विनियम,2022 (2022 का 1)
2.	लक्षद्वीप (लोक सेवाओं का अधिकार) विनियम, 2022 (2022 का 2)
3.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड (निरसन) विनियम, 2022 (2022 का 3)
4.	लक्षद्वीप सहकारी सोसाइटी विनियम, 2022 (2022 का 4)
5.	लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 2022 (2022 का 5)
6.	लक्षद्वीप सार्वजनिक स्थल (विरूपण की रोकथाम) विनियम, 2022 (2022 का 6)

(7) अधीनस्थ विधायन

1. जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 2332 सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई।

4. विधायी II अनुभाग

(1) निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार विधायी II, विधायी विभाग संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों, इन अधिनियमों तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन तथा उनसे संबंधित/प्रासंगिक मामलों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :-

(I) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(II) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(III) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(IV) परिसीमन अधिनियम, 2002

(V) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005

(VI) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010

(2) हमारे देश का निर्वाचन तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फर्स्ट-पास्ट-दी-पोस्ट) भी कहा जाता है, ने इकहत्तर वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने इन इकहत्तर वर्षों की यात्रा (भारत गणराज्य की स्थापना के बाद) को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों

H 002 Annual Report.indd 119 3/27/2023 3:45:23 PM

लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होनें इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून-पसीने से सींचा है। नि:संदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्तता एवं उथल-पुथल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निवार्चन प्रक्रिया युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रत्येक मत अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होता जा रहा है। ऐसे परिवेश में निरपवाद रुप से आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कुछ बेईमान और आपराधिक तत्वों के आगमन से निर्बाध एवं निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

(3) ऐसे परिवेश में, जोकि निरंतर बदल रहा है, अनेक बार निर्वाचन विधियों में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार-विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय-समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता ।

(4) भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, सरकार ने दिनांक 06 जनवरी, 2022 की अधिसूचना का.आ. 72 (ई), के माध्यम से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार द्वारा व्यय की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, इसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों के लिए क्रमशः 77 लाख और 30.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख और 40 लाख रुपये कर दिया गया है, और छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में, इसे संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के चुनावों के लिए क्रमशः 59.4 लाख और 22 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख और 28 लाख रुपये कर दिया गया है।

(4.1) निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 49) को आगे बढ़ाते हुए नियम बनाए गए हैं और ये दिनांक 17 जून, 2022 की का.आ. संख्या 2802-2805 (ई) के तहत राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। उक्त अधिनियम में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है -

(क) निर्वाचक नामावली को आधार प्रणाली से जोड़ने से एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर बहु नामांकन की आशंका पर अंकुश लगेगा;

(ख) निर्वाचक नामावली में नामांकन के लिए कई अर्हक तिथियां मतदाता आधार का विस्तार करेंगी और इसके परिणामस्वरूप निर्वाचकीय प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं की अधिक भागीदारी होगी;

(ग) हमारे निर्वाचनों के संचालन के साथ-साथ लैंगिक समानता और समावेशिता की घोषित नीति के अनुरूप संविधियों को लिंग तटस्थ बनाना; तथा

H 002 Annual Report.indd 120 3/27/2023 3:45:23 PM

(घ) कतिपय उद्देश्यों आदि के लिए परिसर की आवश्यकता के संदर्भ में निर्वाचन के संचालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

(4.2) निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 10 के तहत निर्धारित दावों और आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय/किसी अन्य नामित स्थान पर फॉर्म 5 में नोटिस जारी करने के भारत निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के जवाब में दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 को का.आ. (ई) 5038 के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में एक अधिसूचना भी प्रकाशित की गई है।

(5) निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले अदालती मामले

विधायी विभाग को विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते ऐसे विभिन्न अदालती मामलों को देखना पड़ता है जिसमें निर्वाचनों की वैधता का मामला शामिल होता है। वर्ष 2022 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 133 मामले लंबित थे। उक्त वर्ष के दौरान 43 नए मामले प्राप्त हुए थे, जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ-पत्र और समुचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, संबंधित सरकारी वकील को भेजे गए हैं। इस अवधि के दौरान 22 मामलों को निपटाया गया। इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 154 मामले लंबित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है ।

(6) संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2021-22 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्न कार्यों का संचालन किया है :

क्र. सं.	कारबार की मद	विधि और न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	217
2.	राज्य सभा प्रश्न	207
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	28
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	22
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	04
6.	शून्यकाल (लोक सभा) के दौरान उठाए गए मामले	08
7.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	07
8.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	11

H 002 Annual Report.indd 121 3/27/2023 3:45:23 PM

(7) भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी, पारदर्शी, नैतिक और सुरक्षित निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्षों में कई पहल की हैं। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पिछले 69 वर्षों के दौरान लोकसभा के 17 आम निर्वाचनों और राज्य विधान सभाओं के 397 से अधिक निर्वाचनों के अलावा भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के माध्यम से लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया है। जब से भारत ने वैश्विक मानचित्र पर खुद को आर्थिक, नाभिकीय या आईटी प्रमुख के रूप में स्थापित किया है उसके बहुत पहले से वैश्विक स्तर पर एक समृद्ध और जीवंत निर्वाचकीय लोकतंत्र भारत की विशिष्ट और स्थिर पहचान रहा है।

भारत के संविधान के भाग XV के अनुच्छेद 324 से 329 में भारत निर्वाचन आयोग के कार्यों, जिम्मेदारियों, संरचना और शक्ति को सूचीबद्ध किया गया है, जो नियमित आवधिक अंतराल पर संसद के निचले सदन, उच्च सदन (आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करते हुए) और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन कराने के लिए आयोग को अधिदेश भी देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचकीय शक्तियां, कर्तव्य और कार्य प्रदान करता है, जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 में लोक सभा के वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक नई लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचन कराने का प्रावधान है।

H 002 Annual Report.indd 122 3/27/2023 3:45:23 PM

संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग 1951-52 से पहली लोकसभा के पहले आम निर्वाचनों के बाद से अब तक पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक प्रबंधन कर रहा है - जिसमें निर्वाचनों की योजना बनाना, उनकी तैयारी करना, उनका संचालन करना, मतों की गिनती करना और परिणाम घोषित करना शामिल है।

(7.2) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का निर्वाचन, 2022

(1.2.1) राष्ट्रपति का चुनाव-2022 की घोषणा विज्ञान भवन में दिनांक 09.06.2022 को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 15 जून, 2022 को अधिसूचना की तिथि, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को मतदान की तिथि और दिनांक 21 जुलाई, 2022 को मतगणना की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव-2022 के लिए निर्वाचक मंडल तैयार किया गया था जिसमें कुल 4809 मतदाता शामिल थे। प्रत्येक सांसद के मतों का मूल्य 700 था जबकि विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य 7 से 208 के बीच था। उक्त चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य सभा के महासचिव ने दिनांक 21 जुलाई, 2022 को मतगणना के उपरांत, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 2824 मतों के साथ भारत का राष्ट्रपति घोषित किया, जिसमें सभी मतों का कुल मूल्य 6,76,803 रहा।

(7.2.2) उप-राष्ट्रपति का चुनाव-2022 की घोषणा दिनांक 29.06.2022 को की गई थी जिसमें 05 जुलाई, 2022 को अधिसूचना की तिथि, 06 अगस्त, 2022 को मतदान और मतगणना की तिथि के रूप में

H 002 Annual Report.indd 123 3/27/2023 3:45:23 PM

घोषणा की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उप राष्ट्रपति चुनाव-2022 के लिए निर्वाचक मंडल तैयार किया गया था जिसमें कुल 788 मतदाता शामिल थे। प्रत्येक मतदाता के मतों का मूल्य 01 था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदान 06 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में संसद भवन में किया गया था। उक्त चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर, लोकसभा के महासचिव ने मतगणना के उपरांत, श्री जगदीप धनखड़ को भारत का उपराष्ट्रपति घोषित किया।

(7.3) 2022 के दौरान हुए विधान सभाओं के आम चुनाव

2022 के दौरान गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात की विधान सभाओं के आम चुनाव देश की विशाल आबादी को कवर करते हुए आयोजित किए गए थे। इन चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या 15,06,17,460 थी, जिनका औसत मतदान प्रतिशत 71.75% था।

निर्वाचक नामावली के आंकड़े- 2023

निर्वाचक नामावली, 2023 का विशेष सारांश संशोधन

अर्हक तिथि के रूप में दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में एसएसआर 2023 के संबंध में प्रारूप 1-8 के अनुसार फोटो रॉल/निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में इमेज के ब्योरे

क्र.सं.	राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निर्वाचकों की कुल संख्या	जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों की कुल संख्या	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र कवरेज का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	3,99,16,706	3,99,09,815	99.98
2	अरुणाचल प्रदेश	8,31,619	8,31,619	100.00
3	असम	2,41,11,743	2,40,14,470	99.60
4	बिहार	7,58,13,806	7,58,13,740	100.00
5	छत्तीसगढ़	1,94,54,009	1,94,23,454	99.84
6	गोवा	11,67,802	11,67,723	99.99
7	गुजरात*	4,90,88,348	4,90,89,765	100.00
8	हरियाणा	1,95,48,412	1,95,48,412	100.00
9	हिमाचल प्रदेश*	55,07,261	55,07,239	100.00
10	लद्दाख	1,79,496	1,77,496	98.89

H 002 Annual Report.indd 124 3/27/2023 3:45:23 PM

क्र.सं.	राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निर्वाचकों की कुल संख्या	जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों की कुल संख्या	निर्वाचक फोटो पहचान पत्र कवरेज का प्रतिशत
11	जम्मू-कश्मीर*	83,59,762	75,19,111	89.94
12	झारखंड	2,45,29,473	2,45,29,473	100.00
13	कर्नाटक	5,05,00,739	5,04,97,985	99.99
14	केरल	2,67,95,581	2,67,07,635	99.67
15	मध्य प्रदेश	5,39,87,876	5,39,87,876	100.00
16	महाराष्ट्र	9,02,64,874	9,02,59,490	99.99
17	मणिपुर	20,57,854	20,29,265	98.61
18	मेघालय	21,61,129	21,61,129	100.00
19	मिजोरम	8,42,380	8,42,380	100.00
20	नागालैंड	13,09,651	12,71,906	97.12
21	ओड़िशा	3,23,49,431	3,23,46,815	99.99
22	पंजाब	2,11,92,854	2,11,92,854	100.00
23	राजस्थान	5,12,10,846	5,12,10,846	100.00
24	सिक्किम	4,50,550	4,50,550	100.00
25	तमिलनाडु	6,20,41,179	6,20,41,179	100.00
26	तेलंगाना	2,99,77,659	2,99,74,919	99.99
27	त्रिपुरा	28,13,478	28,13,478	100.00
28	उत्तराखंड	81,67,568	81,67,568	100.00
29	उत्तर प्रदेश	14,80,15,670	14,80,15,670	100.00
30	पश्चिम बंगाल	7,52,08,377	7,52,08,377	100.00
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,08,206	3,00,184	97.40
32	चंड़ीगढ़	6,43,182	6,43,182	100.00
33	दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव	3,83,417	3,80,674	99.28
34	लक्षद्वीप	55,860	55,860	100.00
35	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र	1,47,76,301	1,47,76,301	100.00
36	पुदुचेरी	10,02,595	10,02,232	99.96
कुल	**94,50,25,694**	**94,38,70,672**	**99.88**	

*अर्हक तिथि के रुप में 01.10.2022 के संदर्भ में आंकड़े

H 002 Annual Report.indd 125 3/27/2023 3:45:23 PM

(8) मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (ए एम एफ)

आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए थे कि प्रत्येक मतदान केन्द्र का भूतल पर होना आवश्यक है और मतदान केन्द्र भवन तक जाने वाली सड़क बढ़िया होनी चाहिए और मतदान केंद्र पेयजल, प्रतीक्षा शेड, जल सुविधा सहित शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्थाएं, दिव्यांग निर्वाचकों के लिए उचित ढलान वाले रास्ते और मानक मतदान कक्ष आदि जैसी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) से सुसज्जित होना चाहिए। वहां कोविड-19 को कम करने वाले उपाय भी किए जाने चाहिए तथा समय-समय पर यथाअधिसूचित सैनिटाइजरों, थर्मल स्कैनरों, साबुन आदि की आपूर्ति भी की जानी चाहिए।

(9) महिलाओं के लिए सुविधा

महिला मतदाताओं तक पहुंचने के उद्देश्य से, 'पूर्णरूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केन्द्र' निर्वाचन प्रक्रिया में लैंगिक समानता और महिलाओं की अधिक प्रतिभागिता के प्रति एक प्रतिबद्ध पहल है। ये प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित ऐसे मतदान केन्द्र हैं जिनमें सुरक्षा समेत सभी कर्मचारी महिलांए होती हैं। गत वर्षों में मतदान केन्द्रों पर महिलाओं के लिए पृथक कतारें, गर्भवती महिलाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर मतदान, कम महिला मतदाता वाले मतदान केन्द्रों की पहचान कर लक्ष्य बना कर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास करने जैसी पहलें आरंभ की गई हैं और इससे महिला मतदाताओं की उपस्थिति बहुत ही प्रभावी रूप से बढ़ी है ।

H 002 Annual Report.indd 126 3/27/2023 3:45:23 PM

10) दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं:

सभी मतदान केन्द्र भूतल पर अवस्थित हैं और व्हील चेयरों वाले दिव्यांग निर्वाचकों की सुविधा के लिए उचित ढलान वाले रास्ते का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन मतदाताओं को लक्ष्यित और आवश्यकता-आधारित सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग ने यह निदेश दिया है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जाए और उनके अपने अपने मतदान केन्द्रों के लिए चिन्हित किया जाए तथा मतदान के दिन उन्हें सहज और सुविधाजनक मतदान अनुभव के लिए आवश्यक दिव्यांग-विशिष्ट व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। पहचान किए गए दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों की सहायता रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त स्वंयसेवियों द्वारा की जाएगी। मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। आयोग ने सीईओ को निदेश दिया है कि मतदान के दिन हर एक मतदान केन्द्र में दिव्यांग निर्वाचकों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों के लिए उचित परिवहन सुविधा होनी चाहिए। दिव्यांग निर्वाचक और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों को मतदान के दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए नि:शुल्क पास प्रदान किए जाएंगे।

(11) निर्वाचक नामावली में हाल में किए गए संशोधन

विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 और दिनांक 17 जून, 2022 को अधिसूचित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में संशोधनों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित संशोधन किए हैं:

H 002 Annual Report.indd 127 3/27/2023 3:45:24 PM

(11.1) पंजीकरण प्रपत्रों में निर्वाचकों की आधार संख्या:

- संशोधित प्रपत्र दिनांक 01 अगस्त, 2022 से लागू हो गए हैं।
- पंजीकरण प्रपत्रों, अर्थात फॉर्म 1, 2, 2ए, 3, 6, 8, 18 और 19 में आवेदकों के आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।
- मौजूदा निर्वाचकों की आधार संख्या को स्वैच्छिक रूप से एकत्र करने के लिए नया फार्म 6ख शुरू किया गया है। मौजूदा निर्वाचकों जिनके पास आधार संख्या नहीं है, फॉर्म 6ख में निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
- आधार जमा न करना निर्वाचकों नामावली में मौजूदा निर्वाचकों के नाम को हटाने या पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं होगा

योजना का उद्देश्य: मौजूदा निर्वाचकों (स्वैच्छिक आधार पर) से आधार संग्रह का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान स्थापित करना और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करना है।

(11.2) चार अर्हक तिथियों के संदर्भ में निर्वाचक नामावली तैयार करना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में किए गए संशोधन के बाद, एक जनवरी की एक अर्हक तिथि के स्थान पर चार **अर्हक तिथियां अर्थात् 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर प्रभावी** हो गई हैं।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 10 के अधीन निर्गत निर्वाचक नामावली के प्रारूप-5 में प्रकाशन की सूचना को इस तरह संशोधित किया गया है कि पात्र बनने वाले नागरिकों से निर्वाचक नामावली के ऐसे प्रारूप प्रकाशन की तिथि से वर्ष में अंतिम तिमाही की अर्हक तिथि तक चार अर्हक तिथियों में से किसी भी एक तिथि के संदर्भ में पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन मांगा जाता है। इस तरह के अग्रिम आवेदनों को संबंधित ईआरओ द्वारा संबंधित आगामी तिमाही में निपटाया जाना है और इस प्रकार नामांकित निर्वाचक को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जाता है।

(12) व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन में सहभागिता (स्वीप):

"कोई मतदाता छूटने न पाए" के आमुख पर कार्य करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन में सहभागिता (स्वीप) के माध्यम से विश्व के विशालतम लोकतंत्र में सहभागिता, समावेशी,

H 002 Annual Report.indd 128 3/27/2023 3:45:24 PM

प्रलोभन रहित और सुगम्य निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए अनवरत रूप से प्रयासरत है। निर्वाचक सारक्षरता क्लबों, वेब रेडियो हेलो मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का राष्ट्रव्यापी समारोह जैसी नूतन पहलों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचने में मदद मिलती है और बड़ी संख्या में मतदाता तैयार होते हैं। महामारी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतदाता की जागरूकता में वृद्धि करने के लिए और निर्वाचनों के दौरान अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को प्रचारित करने के लिए विशेष आउटरीच गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है । सभी आउटरीच गतिविधियों अर्थात दूरदर्शन,प्रिन्ट, डिजिटल मीडिया और मीडिया के अन्य साधनों के लिए सम्पर्क रहित और डिजिटल माध्यमों का मतदाता शिक्षा, प्रेरणा तथा सुविधा के लिए समग्र 360 डिग्री संसूचना के भाग के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

कुछ अन्य नई पहलें की गई हैं जिनमें नए रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं के लिए ईपीआईसी किट, प्रत्येक परिवार के लिए पाकेट साइज मतदाता गाइड मतदान केन्द्र का संसूचना का फोकल बिन्दु के रूप में होना, तथा प्रत्येक बूथ पर न्यूनतम स्तर की स्वीप गतिविधियां शामिल हैं । सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/ डीईओ को निदेश दिए गए हैं कि वे नए रजिस्ट्रीकृत निर्वाचको को यह ईपीआईसी स्वीप किट सौपें/ सुपुर्द करें/कुरियर करें जिसमें मतदाता गाइड और मतदाता शपथ के साथ निर्वाचक के लिए व्यक्तिगत पत्र शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वीप रणनीति में बूथ के फोकल बिन्दु होने के कारण, आयोग ने राज्यों को बूथ स्तरीय कार्रवाई योजना को मजबूत बनाने और सभी मतदाताओं को सूचित करने एवं शिक्षित करने के लिए स्वीप गतिविधियों को न्यूनतम स्तर पर संचालित करने के लिए राज्यों को निदेश दिया है । इसके अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदान केन्द्रों और भीड़ वाले स्थानों पर ईवीएम, वीवीपीएटी, मतदाता रजिस्ट्रीकरण, नैतिक मतदान और आईटीएप के बारे में स्पष्टीकारक सूचना संप्रर्दशन भी हैं । मतदान केन्द्रों को सजावट के माध्यम से आकर्षक रूप दिया जाएगा । कम मतदाता उपस्थिति वाले मतदान केन्द्रों की कारण सहित पहचान की गई है तथा "कोई मतदाता छूटने न पाए" के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य बनाकर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया गया है। राज्यों में मतदाता सुविधा केन्द्र मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय होंगे। इसके अतिरिक्त, मतदाता हेल्प लाइन नम्बर 1950 और मतदाता हेल्प लाइन एप मतदाता के प्रश्नों का भी जवाब देगा। मतदाताओं को निर्वाचक नामावलियों में अपने नामों का सत्यापन करने के लिए 1950 पर एसएमएस सुविधा उपलब्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक पूर्ववृत्त मतदाताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में, सुविज्ञ तथा नैतिक मतदान को प्रोत्साहन देने के लिए मतदाताओं में जागृति पैदा करने हेतु एक समर्पित मल्टी मीडिया अभियान का प्रस्ताव है।

H 002 Annual Report.indd 129 3/27/2023 3:45:24 PM

(13) निर्वाचन प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी:

आयोग ने पूरे देश में 95 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता लाने के एकमात्र उद्देश्य से आईटी एप्लीकेशन के उपयोग को बढ़ावा दिया है। नागरिकों और राजनीतिक दलों और निर्वाचन प्रतियोगियों, जो एक साथ चुनाव प्रक्रिया और परिणामों के प्रमुख हितधारक हैं, को दिए जाने वाले लाभों के दृष्टिकोण से भारत निर्वाचन आयोग के आईटी एप्लीकेशनों की एक संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है।

(13.1) नागरिकों का दृष्टिकोण: मतदाता के रूप में नामांकित होने की प्रक्रिया को आसान बनाना और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना।

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) (https://www.nvsp.in/), और **मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए)** के माध्यम से, एक नागरिक उपयोगकर्ता विभिन्न सेवाओं का लाभ और उपयोग कर सकता है जैसे अपने निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली प्राप्त करना, मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करना, अपने मौजूदा मतदाता कार्ड में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, मतदान बूथ, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देखना, और संबंधित बूथ स्तर के अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी आदि का संपर्क विवरण प्राप्त करना इत्यादि। फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, वोटर पोर्टल '(https://voterportal.eci.gov.in/) पंजीकरण, प्रविष्टियों में बदलाव, हटाने, पते में बदलाव आदि के लिए एक सहज इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

H 002 Annual Report.indd 130 3/27/2023 3:45:24 PM

इलेक्ट्रॉनिक रुप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (ETPBS) के माध्यम से अपने मतपत्र डालने के लिए बाहरी क्षेत्रों में तैनात सेवा मतदाताओं के लिए एक विशेष सुविधा उपलब्ध है, जिससे एक कोरे पोस्टल बैलेट को सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है। इसके बाद सेवा मतदाता स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना वोट भेज सकता है।

सक्षम-ईसीआई एक मोबाइल ऐप है जिसे विशेष रूप से दिव्यांगजनों के उपयोग हेतु डिज़ाइन किया गया है। ऐप का उपयोग करके, वे मतदान केंद्र पर विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिए निर्वाचन अधिकारी से उन्हें दिव्यांगजन के रूप में चिह्नित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं (उदाहरण के लिए व्हीलचेयर के लिए अनुरोध)।, साथ ही, नए पंजीकरण, प्रवासन, मतदाता पहचान-पत्र विवरण में सुधार आदि के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं।

गरुड़ (ज्योग्राफिकल ऐसेट् रिकॉनिस्न्स् यूनिफाइड डिजिटल ऐप) बीएलओ के सभी कार्यों को एक स्थान/ऐप पर एकीकृत करके बीएलओ को सुविधा प्रदान करता है। अन्य बैकएंड कार्यों के अलावा, यह निर्वाचक के निवास स्थान पर बीएलओ द्वारा निर्वाचकों के क्षेत्र सत्यापन को सक्षम बनाता है, जिसमें उनकी वास्तविक तस्वीर और पता कैप्चर करना और उसका संग्रह करना, उनकी ओर से ऑनलाइन फॉर्म जमा करना आदि शामिल हैं। यह मोबाइल ऐप विशेषकर देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए काफी लाभदायक है, जिन्हें अब अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बीएलओ द्वारा संचालित कई सेवाएं मिल सकती हैं।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची उनके प्रोफाइल, नामांकन की स्थिति और उनके द्वारा निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों के साथ **उम्मीदवार शपथ पत्र पोर्टल** https://affidavit.eci.gov.in/ के माध्यम से जन अवलोकन के लिए उपलब्ध है।

अपने उम्मीद्वार को जानिए (केवाईसी) मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिक को एक और महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, जो उन्हें किसी भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की "आपराधिक पूर्ववृत्त" स्थिति के बारे में सूचित करता है, जिससे उन्हें अधिक सूचित निर्णय लेने और देश को संचालित करने के लिए बेहतर उम्मीदवारों का चयन करने में मदद मिलती है।

निर्वाचन के दौरान मतदान गणना के लिए डिज़ाइन की गई बूथ ऐप, जिसे इनकोर में मिला दिया गया है, मतदाताओं के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि यह मतदान अधिकारी के सामने उनके वास्तविक सत्यापन के लिए प्रतीक्षा समय को कम कर देता है। एक एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड द्वारा, मतदान केंद्र में मतदाता के पास उपलब्ध मतदाता पर्ची से मतदाताओं की तेजी से पहचान की जाती है। यह कतार को कम करता है, जिससे

H 002 Annual Report.indd 131 3/27/2023 3:45:24 PM

मतदान प्रक्रिया में तेजी आती है।

राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी) https://eci-citizenservices.eci.nic.in भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नागरिकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मीडिया और निर्वाचन अधिकारियों की शिकायतों के निवारण के लिए किया गया पहल है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शिकायतों का निपटान करने में सक्षम एक एकल इंटरफ़ेस कार्रवाई प्रक्रिया के ट्रैकिंग के साथ-साथ शिकायत की गंभीरता के आधार पर स्वतः उपयुक्त निर्वाचन अधिकारी को सौंपने में मदद करता है।

(13.2) राजनीतिक दल और प्रतियोगी का दृष्टिकोण - निर्वाचनों के आयोजन और निगरानी में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना:

ईवीएम प्रबंधन प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) इकाइयों की सूची को एक तरह से प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो स्पष्ट रूप से एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया और प्रशासनिक प्रोटोकॉल को प्रदर्शित करता है। इसके लिए मतदान केंद्रों में ईवीएम लगाने के लिए उनका यादृच्छिक रूप से आवंटन किया जाता है। यह प्रक्रिया पार्टियों के प्रतिनिधियों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में की जाती है ताकि वे आश्वस्त हो जाएं कि किसी विशेष बूथ को कोई पूर्व-निर्धारित ईवीएम आवंटित नहीं किया गया है।

सी-विजिल एक मोबाइल ऐप है जो नागरिकों को निर्वाचन अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है। नागरिक अपने द्वारा देखे गए उल्लंघन के प्रमाण के रूप में अपने स्मार्टफ़ोन का उपयोग करके एक फोटो या वीडियो क्लिक कर सकता है। ऐप अपने-आप रूप से फोटो पर समय और स्थान-मुद्रित प्रमाण स्पष्ट तरीके से संलग्न करता है। इसकी सूचना तुरंत चुनावी उड़नदस्ते को दी जाती है, जो मौके पर पहुंचकर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। अधिकारियों द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया यह ऐप उपयोगकर्ता को 100 मिनट के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने का भरोसा देता है।

जब एक चुनाव की प्रक्रिया चल रही होती है, तब राजनीतिक दल और प्रतियोगी दोनों एक निश्चित समय विशेष पर मतदाता के मतदान केंद्र पर पहुंचने संबंधी विवरण जानने में रुचि रखते हैं ताकि वे बूथों पर अधिक से अधिक मतदाताओं को लाने के लिए अग्रिम कार्रवाई कर सकें। वोटर टर्नआउट ऐप का उपयोग केवल प्रत्येक विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनंतिम अनुमानित मतदाता मतदान को इंगित करने के लिए किया जाता है, जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पूर्व-निर्धारित अंतराल पर दर्ज किया जाता है। दर्ज किया गया डेटा अनंतिम होता है, तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिभाषित नियत प्रक्रिया के पूरा होने के बाद

H 002 Annual Report.indd 132 3/27/2023 3:45:24 PM

ही अंतिम टर्न आउट डेटा प्रकाशित किया जा सकता है।

सुविधा पोर्टल https://suvidha.eci.gov.in उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए ऑनलाइन नामांकन जमा करने में मदद करता है।

सुविधा पोर्टल के माध्यम से, एक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अकांउट बना सकता है, नामांकन फॉर्म भर सकता है, जमानत राशि जमा कर सकता है, वास्तविक नामांकन जमा करने के लिए समय स्लॉट की उपलब्धता की जांच कर सकता है (यदि वह ऐसा करना चाहता हो तो) और जमा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपनी यात्रा की उचित योजना बना सकता है। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जा सकता है, जिसके लिए उम्मीदवार को केवल फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा, इसे नोटरीकृत करवाना होगा और संबंधित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होगा। यह सुविधा फॉर्म भरने की प्रक्रिया को काफी आसान करेगी और फॉर्म भरने में संभावित त्रुटियों को कम करेगी। कानून के तहत यथानिर्धारित नियमित ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।

तदनुरूपी आवेदन स्थिति की ट्रैकिंग के साथ, बैठकों, रैलियों, लाउडस्पीकर के उपयोग, अस्थायी कार्यालयों आदि की अनुमति प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को सीधे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी सुविधा पोर्टल पर प्रदान की गई है। यह कोविड अवधि के दौरान विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया था। ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों के कार्यालयों में संभावित भीड़ को कम करके संभावित संक्रमणों से सफलतापूर्वक बचा जा सकता है।

(14) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)

(I) **ए.सी. जोस बनाम सिवन पिल्लई, 1984** एससीआर (3) 74 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर, आयोग ने ईवीएम के उपयोग के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को विधायी संशोधन लाने की सिफारिश की थी। इसके परिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग को सक्षम करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में **धारा 61क को वर्ष 1989 में जोड़ा** गया था।

(II) भारत में मतदान प्रणाली कई बदलावों से गुजरी है। 1952 और 1957 में लोकसभा के पहले दो आम चुनावों के दौरान, प्रत्येक उम्मीदवार को उम्मीदवार चिन्ह के साथ एक अलग मतपेटी आवंटित की गई थी। मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम और चिन्ह मुद्रित नहीं थें और मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार के मतपेटी में एक पूर्व-मुद्रित मतपत्र डालना पड़ता था। इस प्रणाली ने अलग-अलग हितधारकों के मन में मतों के साथ छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और छल-कपट की आशंकाओं को प्रज्वलित

H 002 Annual Report.indd 133 3/27/2023 3:45:24 PM

किया और जल्द ही इसे बदल दिया गया। 1960-61 में, केरल और उड़ीसा में विधान सभाओं के मध्यावधि चुनावों के दौरान मतपत्र पर एक अंकन प्रणाली शुरू की गई थी और यह प्रणाली 1999 के लोकसभा चुनावों तक जारी रही।

(III) भारत निर्वाचन आयोग ने 1977 में मतदान प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग की संभावना के बारे में सोचा। 1979 में, एक प्रोटो-टाइप विकसित किया गया था और इसके संचालन को 6 अगस्त, 1980 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया था। देश में मतदान के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्नति का अभिनव उपयोग रचनात्मकता को पूर्ण समर्थन प्रदान करता है, बड़े पैमाने पर भारतीय समाज की आविष्कारशीलता और अग्रणी कुशाग्रता तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश की छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करता है।

(IV) ईवीएम का पहली बार प्रयोग मई 1982 में केरल में एक उप-चुनाव में हुआ। हालांकि, इसके उपयोग को निर्धारित करने वाले एक विशिष्ट कानून की कमी के कारण उच्चतम न्यायालय ने उस चुनाव को रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और एक नई धारा 61क को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में शामिल किया गया, जिससे भारत निर्वाचन आयोग को ईवीएम का उपयोग करने का अधिकार मिला। यह संशोधन 15 मार्च 1989 को लागू हुआ।

(V) 2004 में, लोकसभा के चुनाव के लिए सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। एक नई तकनीकी रूप से उन्नत मतदान प्रणाली ने मतपत्रों के उपयोग की पूर्ववर्ती मतदान पद्धति को पूरी तरह से बदल दिया। 2000 के बाद से, भारत ने 132 राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के 4 आम चुनाव (2004, 2009, 2014 और 2019) हुए हैं, जहां वोट ईवीएम का उपयोग करके डाले और रिकॉर्ड किए गए थे।

(VI) ईवीएम का निर्माण दो पीएसयू अर्थात रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और ईवीएम की तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) के समग्र मार्गदर्शन में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

(14.1) लोकसभा के अगले आम चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रापण

(14.1.1) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का नया प्रापण और एम2-एम3 वीवीपीएटी को एम3 वीवीपीएटी में अपग्रेड करना

कोविड सुरक्षित चुनावों और कोविड सुरक्षा सावधानियों और प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, लोक सभा 2024 के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता थी। इसलिए, आयोग

H 002 Annual Report.indd 134 3/27/2023 3:45:24 PM

ने अपने दिनांक 21.06.2021 के पत्र के 10.42 लाख बैलेट यूनिटों, 6.97 लाख कंट्रोल यूनिटों और 6.46 लाख वीवीपीएटी के अलावा, अतिरिक्त 2.84 लाख बैलेट यूनिटों, 2.12 लाख कंट्रोल यूनिटों और 2.46 वीवीपीएटी के प्रापण का निर्णय किया।

तदनुसार, 978.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उक्त अतिरिक्त प्रापण के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था। इसी प्रकार, 357.55 करोड़ रुपये की लागत से आगामी लोकसभा चुनावों में लगाने के लिए 2,43,414 एम2-एम3 वीवीपीएटी को एम3 वीवीपीएटी में अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था।

दोनों प्रस्ताव वर्तमान में विचार-विमर्श और अनुमोदन के अग्रिम चरण में हैं।

(14.1.2) 2022-23 में हुए चुनावों में ईवीएम का परिनियोजन

वर्ष 2022 के दौरान आयोजित विभिन्न राज्य विधान सभा आम चुनावों में ईवीएम और वीवीपीएटी के परिनियोजन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कुल मतदान केंद्र
1	गोवा	1,722
2	मणिपुर	2,968
3	पंजाब	24,740
4	उत्तराखंड	11,697
5	उत्तर प्रदेश	1,74,803
6	गुजरात	51,839
7	हिमाचल प्रदेश	7,884

(14.2) सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) अतिरिक्त पारदर्शिता सुविधा के साथ:

आयोग ने एसएलयू में प्रथम स्तर की जाँच और शुरूआत के दौरान वीवीपीएटी की सिंबल लोडिंग प्रक्रिया में एक अतिरिक्त पारदर्शिता सुविधा के रूप में एक नई सुविधा शुरू की है जिसके द्वारा वीवीपीएटी पर अपलोड की जा रही सामग्री (क्रम संख्या, प्रतीक और उम्मीदवारों के नाम) को हितधारकों को देखने के लिए मॉनिटर/टीवी स्क्रीन पर एक साथ विजुअल डिस्प्ले किया जाता है।

H 002 Annual Report.indd 135 3/27/2023 3:45:24 PM

(14.3) ईवीएम की उपलब्धियां:

2004 में, लोकसभा के चुनाव के लिए सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। 2001 में ईवीएम में कई तकनीकी बदलाव किए गए और 2006 में मशीनों को और अधिक उन्नत किया गया। 2006 से पहले के ईवीएम को 'एम1 ईवीएम' के रूप में जाना जाता है, जबकि 2006 से 2010 के बीच निर्मित ईवीएम को 'एम2 ईवीएम' कहा जाता है। 2013 से उत्पादित ईवीएम की नवीनतम पीढ़ी को 'एम3 ईवीएम' के रूप में जाना जाता है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यापनीयता में सुधार के लिए, वोटर वेरिफ़ाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) को 2013 में पेश किया गया था। इनका पहली बार नागालैंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 51-नोकसेन एसी के उपचुनाव में उपयोग किया गया था।

(14.4) ईवीएम और वीवीपीएटी की तकनीकी विशेषताएं

(क) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्टैंडअलोन मशीनें हैं जिनमें कोई तार/बेतार कनेक्शन नहीं है जिससे इसे बाहरी दुनिया के साथ किसी भी तार/बेतार से जोड़ा नहीं जा सकता है। आयोग वर्तमान में 2013 से नवीनतम एम3 ईवीएम का उपयोग करता है, जो तकनीकी रूप से अधिक सुदृढ़ और कुशल हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषतांए शामिल हैं:

- वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप (OTP)
- यूनिटों के बीच संकेतों की गतिशील और एन्क्रिप्टेड कोडिंग
- अनाधिकृत एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल (यूएडीएम) जो ईवीएम को खराब करने के किसी भी प्रयास का पता लगाता है और उसे रोकता है
- घटनाओं के समय मुद्रांकन के लिए रियल टाइम घड़ी
- एम्बेडेड डिजिटल प्रमाणपत्रों के सत्यापन द्वारा ईवीएम की यूनिटों के बीच पारस्परिक प्रमाणीकरण
- ईवीएम बाहरी बिजली आपूर्ति का उपयोग नहीं करती हैं और आंतरिक पावर पैक पर चलती हैं

(ख) वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मतदाताओं को लगभग 7 सेकंड के लिए पेपर स्लिप पर प्रदर्शित करके अपने मत को सत्यापित करने की अनुमति देकर उन्हें उनके द्वारा डाले गए मत के बारे में एक दृश्य पुष्टि देकर उनमें विश्वास पैदा करता है। इसमें निम्नलिखित विशेषतांए शामिल हैं:

- वीवीपीएटी की प्रिंट गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कंट्रास्ट सेंसर
- कागज पर्ची की निर्दिष्ट लंबाई निर्धारित करने के लिए लेंथ सेंसर

H 002 Annual Report.indd 136 3/27/2023 3:45:24 PM

- पेपर रोल के खत्म होने से पहले ही चेतावनी देने के लिए डिप्लेशन सेंसर
- प्रत्येक पेपर स्लिप समय पर कट जाए यह सुनिश्चित करने के लिए फॉल सेंसर
- ईवीएम में उपलब्ध सभी सुरक्षा विशेषताएं हैं।
- ईवीएम की तरह, वीवीपीएटी भी बाहरी बिजली आपूर्ति का उपयोग नहीं करते हैं और आंतरिक पावर पैक पर चलते हैं।

(15) 2022 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता

(15.1) 7 मार्च, 2022 को गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के चुनावों के दौरान वर्चुअल रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी) 2022

भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने लगभग 32 देशों और चार अंतरराष्ट्रीय संगठनों के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के लिए वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी) 2022 की मेजबानी की। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं में चल रहे चुनावों की सामान्य रूपरेखा को ऑनलाइन भाग लेने वाले 150 से अधिक ईएमबी प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत किया गया। आज के वर्चुअल आईईवीपी 2022 में नौ देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों और भारत स्थित डिप्लोमैटिक दल के अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया।

(15.2) सुश्री उज़रा ज़ेया, अवर सचिव, सिविलियन सिक्योरिटी, लोकतंत्र और मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ का 17 मई 2022 को भारत निर्वाचन आयोग का दौरा:

सिविलियन सिक्योरिटी, लोकतंत्र और मानवाधिकार की अवर सचिव सुश्री उज़रा ज़ेया के नेतृत्व में चार सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडेय से 17 मई 2022 को निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में मुलाकात की। 'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन' के भाग के रूप में, भारत से अनुरोध किया गया था कि वह 'चुनाव की अखंडता पर लोकतंत्र दल' का नेतृत्व करे और अपने ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभवों को दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के साथ साझा करे। भारत निर्वाचन आयोग से दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने और अन्य ईएमबी की जरूरतों के अनुसार तकनीकी परामर्श प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

सुश्री उज़रा ने चुनाव सेवाओं के आधुनिकीकरण और चुनावों को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत चुनाव प्रणाली को मजबूत करने के

H 002 Annual Report.indd 137 3/27/2023 3:45:24 PM

लिए अन्य ईएमबी को क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने में अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। भारत के नेतृत्व वाले दल जिसमें न्यूजीलैंड, फ़िनलैंड और यूरोपीय संघ शामिल हैं, ने भागीदारी के लिए रुचि व्यक्त की है और अन्य इच्छुक लोकतांत्रिक देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। क्षमता निर्माण के लिए सहयोग और अनुभवों को साझा करने के कई कार्यक्रम विचाराधीन हैं। उपरोक्त के आधार पर विदेश मंत्रालय के समन्वय से एक विशिष्ट रणनीति और कार्य योजना तैयार की जाएगी।

(15.3) भारत को 2022-24 के लिए एशियाई निर्वाचन प्राधिकणों के संघ (एएईए) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया

7 मई, 2022 को फिलीपींस के मनीला में कार्यकारिणी बोर्ड और महासभा की बैठक में भारत को सर्वसम्मति से 2022-2024 के लिए एशियाई निर्वाचन प्राधिकणों के संघ (एएईए) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री नितेश व्यास की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश अग्रवाल और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता के साथ मनीला में कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक में भाग लिया।

(15.4) निर्वाचक लोकतंत्र पर कैंब्रिज सम्मेलन निर्वाचनों पर तीसरा वर्चुअल सेमिनार: 'महामारी से अर्विभाव' 21 जुलाई 2022:

श्री राजीव कुमार, माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 21 जुलाई, 2022 को मलेशियाई कॉमनवेल्थ स्टडीज सेंटर और कैम्ब्रिज मलेशियन एजुकेशन एंड डेवलपमेंड ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'महामारी के दौरान चुनाव का प्रबंधन' विषय पर चुनावी लोकतंत्र पर वर्चुअल कैंब्रिज सम्मेलन को संबोधित किया।

H 002 Annual Report.indd 138 3/27/2023 3:45:24 PM

श्री राजीव कुमार ने सभी प्रतिभागियों के साथ साझा किया कि आजादी के बाद से पिछले 70 वर्षों में भारत में चुनाव कराने से कई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, हालांकि कोविड-19 महामारी ने एक अभूतपूर्व चुनौती पैदा की और महामारी के दौरान चुनाव कराने की यात्रा ने हमें कई चीजें सिखाईं। माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग ने 11 राज्य विधानसभाओं के चुनाव, 70 से अधिक उपचुनाव और हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन किया है।

(15.5) 11 अगस्त, 2022 को आयोजित "हमारे चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना" पर वर्चुअल एशियाई क्षेत्रीय फोरम

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 11 अगस्त 2022 को निर्वाचन सदन में "हमारे चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना" विषय पर 'एशियाई क्षेत्रीय मंच' की एक वर्चुअल बैठक की मेजबानी की। इस क्षेत्रीय फोरम की बैठक "चुनावी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन" से पहले की गई थी। "चुनावी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन" का

H 002 Annual Report.indd 139 3/27/2023 3:45:24 PM

आयोजन बाद में सितंबर, 2022 माह में मेक्सिको के निर्वाचक संस्थान द्वारा किया जाना था।

(15.6) भारत निर्वाचन आयोग ने एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंपी:

(15.6.1) भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ए-वेब कार्यकारिणी बोर्ड की विषेश बैठक और ए-वेब की 5वीं आम सभा तथा उसके बाद केपटाउन में 17

से 22 अक्टूबर, 2022 तक "वैश्विक लोकतांत्रिक मंदी के युग में चुनाव प्रबंधन निकायों की सुरक्षा" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

(15.6.2) विश्व निर्वाचन निकायों का संघ (ए-वेब) 109 देशों के 118 निर्वाचन प्रबंधन निकाय (ईएमबीएस) का वैश्विक संघ है। भारत अक्टूबर, 2013 में ए-वेब की स्थापना के बाद से इसका संस्थापक सदस्य है और सितंबर, 2019 में भारत के बेंगलुरु में आयोजित अंतिम महासभा में ए-वेब का अध्यक्ष बना। 19 अक्टूबर, 2022 को आयोजित 5वीं महासभा के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दक्षिण अफ्रीका के निर्वाचन आयोग को अध्यक्षता सौंपी गई थी।

(15.7) 31 अक्टूबर - 01 नवंबर, 2022 को आयोग द्वारा आयोजित ' निर्वाचन प्रबंधन निकाय की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर - 01 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में 'चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता' विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन

H 002 Annual Report.indd 140 3/27/2023 3:45:25 PM

का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में चुनावी अखंडता पर समूह/दलों के तहत किया गया था, जो दिसंबर, 2021 में वस्तुतः आयोजित 'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन' का अनुवर्ती रूप था।

श्री मो. इरफ़ान अब्दुल रहमान, मॉरीशस के निर्वाचन आयुक्त, सुश्री एगेलिकी बरोता, विभागीय निर्वाचन और राजनीतिक दलों के प्रमुख, आंतरिक मंत्रालय, यूनान, श्री एंथोनी बैनबरी, अध्यक्ष और सीईओ, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स, श्री केविन कैस- ज़मोरा, अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए के महासचिव, आर्मेनिया, मॉरीशस, नेपाल, काबो वर्डे, ऑस्ट्रेलिया, चिली, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, यूनान, फिलीपींस सहित यूएनडीपी और ईएमबी के प्रतिनिधि, महामहिम, राजदूत/उच्चायुक्त और राजनयिक समूह/दलों के अन्य सदस्य सुश्री एलिजाबेथ जोन्स , चार्ज डी अफेयर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोस्टा रिका, घाना, जमैका, अल्बानिया, नेपाल, ग्रीस, मोंटेनेग्रो, स्पेन के अन्य प्रतिनिधियों और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।

(15.8) 05 दिसंबर, 2022 को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधान सभाओं के आम चुनावों के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी):

भारत निर्वाचन आयोग ने 2-6 दिसंबर, 2022 के दौरान गुजरात विधान सभा के दूसरे चरण के आम चुनाव के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम (आईईवीपी) का आयोजन किया। दूसरे चरण के लिए मतदान 05 दिसंबर, 2022 को हुआ। आरंभ में अहमदाबाद जाने से पहले , मॉरीशस और श्रीलंका के प्रतिनिधियों को आयोग की भूमिका और कार्यों के बारे में भारत के चुनाव आयोग के मुख्यालय में जानकारी दी गई थी। इसके बाद प्रतिभागियों ने अहमदाबाद (गुजरात) जिले में चुनाव की तैयारियों और वास्तविक मतदान प्रक्रिया को देखा।

H 002 Annual Report.indd 141 3/27/2023 3:45:25 PM

(15.9) 6 दिसंबर 2022 को जर्मनी की विदेश मंत्री सुश्री अन्नालेना बेयरबॉक का भारत निर्वाचन आयोग का दौरा

जर्मनी की विदेश मंत्री सुश्री एच.ई. अन्नालेना बेयरबॉक के नेतृत्व में एक जर्मन प्रतिनिधि मंडल ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्तों श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल से मुलाकात की। जर्मन विदेश मंत्री के साथ चार सांसद अर्थात् सुश्री एग्निज़्का ब्रुगर, श्री

थॉमस एरंडल, श्री उलरिच लेचटे, श्री एंड्रियास लारेम, एच.ई. डॉ. फिलिप एकरमैन तथा भारत में जर्मन राजदूत और उनके विदेश कार्यालय के अन्य अधिकारी भी थे।

जर्मन विदेश मंत्री ने आयोग के साथ बातचीत करते हुए भारत में विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक और मतदाताओं की चुनौतियों को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रबंधन के व्यापक अभ्यास की सराहना की। मंत्री को मतदाताओं की भागीदारी, राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों और चुनाव मशीनरी लोजिस्टिक्स के तीन कार्यक्षेत्रों के तहत चुनावों के संचालन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के बारे में सूचना दी गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधिमंडल के लिए आयोजित ईवीएम-वीवीपीएटी कार्यप्रणाली के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ईवीएम के माध्यम से वोट डाला।

(15.10) भारत निर्वाचन आयोग ने 23-24 जनवरी, 2023 को 'चुनाव निष्ठा' पर समूह के नेतृत्व के रूप में 'प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 23-24 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में 'प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन अखंडता पर दल का नेतृत्व कर रहा है जिसे दिसंबर, 2021 में वर्चुअली हुए 'लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन' की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्थापित किया गया था। दल का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर - 01 नवंबर, 2022 को

H 002 Annual Report.indd 142 3/27/2023 3:45:25 PM

नई दिल्ली में 'निर्वाचन प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता' विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें 11 देशों के निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

II. दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल के साथ किया। ईसीआई के नेतृत्व में निर्वाचन अखंडता पर दल के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित तीन सम्मेलनों की श्रृंखला में यह दूसरा सम्मेलन है, जिसमें 16 देशों अंगोला, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, क्रोएशिया, डोमिनिका, फिजी , जॉर्जिया, इंडोनेशिया, किरिबाती, मॉरीशस, नेपाल, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस और सूरीनाम के 39 प्रतिनिधियों सहित नौ ईएमबी या चुनाव प्राधिकरणों के 13 प्रमुख/उप प्रमुख ने भाग लिया।

उपरोक्त के अलावा, चुनाव के क्षेत्र में काम करने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 6 प्रतिनिधि अर्थात निर्वाचन अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था (आईएफईएस) और लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए) और राजनयिक दल के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई पुस्तिका 'चुनावों में प्रौद्योगिकी के उपयोग में वैश्विक पहल' का भी अनावरण किया गया। यह पुस्तक दुनिया भर में ईएमबी की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी प्रथाओं

H 002 Annual Report.indd 143 3/27/2023 3:45:25 PM

का संकलन है। ईएमबीएस के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए आईआईआईडीईएम द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल भी जारी किए गए।

(16) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आईआईआईडीईएम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन प्रबंधन और प्रथाओं में परास्नातक का एक विशेष कार्यक्रम विकसित किया गया है।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से आईआईआईडीईएम के माध्यम से ईसीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन प्रबंधन और प्रथाओं में परास्नातक का एक विशेष कार्यक्रम विकसित किया गया है। दो साल का स्नातकोत्तर कार्यक्रम सेवारत अधिकारियों और महत्वाकांक्षी पेशेवरों के व्यावसायिक विकास के लिए एक व्यवस्थित, व्यापक और बहु-विषयक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। कार्यक्रम मुख्य रूप से अधिकारियों की क्षमता निर्माण और उन्हें विभिन्न उपकरणों और संस्थागत समझ से लैस करने के लिए है, ताकि वे अपनी भूमिकाओं को और अधिक कुशलता से निभा सकें।

स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पहला बैच जो दिसंबर 2022 में शुरू किया गया था, प्रतिभागियों के विविध समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग मुख्यालय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के राज्य कार्यालयों में कार्यरत 20 अधिकारी क्रमशः मालदीव, बांग्लादेश, फिलीपींस और भूटान के 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी और TISS द्वारा चयनित छात्र समुदाय के 8 प्रतिभागी शामिल हैं। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड में है क्योंकि इसमें वास्तविक सत्रों की अधिक आवश्यकता नहीं है।

(17) आईआईआईडीईएम का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल: आईएफईएस के साथ

भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) के कई अन्य लक्ष्यों और उद्देश्यों

H 002 Annual Report.indd 144 3/27/2023 3:45:25 PM

में से एक इसका प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों के लिए चुनावी प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना और विश्व स्तर के मानदंडों को पूरा करने के लिए सभी प्रकाशनों का मानकीकरण करना है।

(17.1.1) इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आईआईआईडीईएम ने निर्वाचन प्रणाली के लिए इंटरनेशनल फाउंडेशन (आईएफईएस), वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से दस मॉड्यूल को अद्यतन और विकसित किया है।

17.1.2 इन अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है

(18) 2022 - 23 के दौरान प्रशिक्षण प्रभाग, आईआईआईडीईएम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर रिपोर्ट

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अपने अधिदेश के अनुसरण में, आईआईआईडीईएम विविध हितधारको पर लक्षित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। अब तक इससे 109 देशों के 2392 प्रतिभागी लाभान्वित हो चुके हैं। 2011 में आरंभ होने के बाद 20 जनवरी, 2023 तक आईआईआईडीईएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारांश निम्नानुसार है:

कार्यक्रमों की संख्या			प्रशिक्षण दिवसों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या		
ऑफलाइन	ऑनलाइन	कुल		ऑफलाइन	ऑनलाइन	कुल
99	16	115	635	1990	402	2392

वित्त वर्ष 2022-23 (20 जनवरी, 2023 तक) में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सारांश में 41 देशों के 249 अधिकारियों को शामिल किया गया।

(18.1) अन्य निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) और संस्थानों से प्रतिनिधिमंडल का दौरा

(18.1.1) निर्वाचन आयोग फिजी (ईसीएफ) और फिजियन चुनाव कार्यालय (एफईओ) से वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल का दौरा

निर्वाचन आयोग फिजी (ईसीएफ) और फिजियन चुनाव कार्यालय (एफओआर) के 3 वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने क्रमशः 27 और 28 जुलाई, 2022 को आईआईआईडीईएम और भारत निर्वाचन आयोग का परिचय दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को आईआईआईडीईएम और इसकी गतिविधियों और पहलों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय के

H 002 Annual Report.indd 145 3/27/2023 3:45:25 PM

साथ 'भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका और कार्य' के बारे में जानकारी दी गई।

(18.1.2) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बांग्लादेश के लोक सेवकों का दौरा

एनसीजीजी, नई दिल्ली में बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। उनके कार्यक्रम के भाग के रूप में, एनसीजीजजी ने आईआईआईडीईएम के साथ एक संवाद सत्र प्रस्तावित किया था। अटैचमेंट का प्रयास देश में विकसित सर्वश्रेष्ठ मॉडल को प्रदर्शित करके मूल्य सृजित करना था। तदनुसार, एनसीजीजी में प्रशिक्षित किए जा रहे बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए आईआईआईडीईएम द्वारा 2 संवाद सत्र आयोजित किए गए:

5. विधायी III अनुभाग

(1) समवर्ती सूची के अंतर्गत विधायन

भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार विधायन के संबंध में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।।।-समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय इस विभाग को आवंटित किए गए हैं :-

(क) विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; दत्तकग्रहण, वसीयत; निर्वसीयत और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;

ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों, विलेखों और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को छोड़कर,);

(ग) संविदाएं, किन्तु इसमें कृषि भूमि से संबंधित संविदाएं शामिल नहीं हैं;

(घ) अनुयोज्य दोष;

(ङ) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;

(च) साक्ष्य और शपथ;

(छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;

(ज) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान ।

(2) भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III-समवर्ती सूची में वर्णित कतिपय विषयों, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, के संबंध में भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

H 002 Annual Report.indd 146 3/27/2023 3:45:25 PM

(3) लाभ के पद संबंधी संसद की संयुक्त समिति

लाभ के पद संबंधी संसद की संयुक्त समिति (जेसीओपी), जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा के दायित्व का निर्वहन करती है। विधायी विभाग जेसीओपी के सचिवालय के लिए संदर्भों की यह जांच करता है कि क्या कतिपय पद "लाभ के पद" के दायरे में हैं या नहीं। वर्ष 2022 के दौरान, हमने ऐसे 5 संदर्भों की जांच की और ऐसे मामलों में जेसीओपी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर जेसीओपी ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

(4) स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालयी प्रकरण

विधायी विभाग स्वीय विधियों (विधायन संबंधी) और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे संविदा अधिनियम, 1872; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; भारतीय न्यास अधिनियम, 1882; संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882; विभाजन अधिनियम, 1893; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; परिसीमन अधिनियम, 1963 आदि के साथ लाभ के पद सहित, का प्रभारी होने के नाते उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान 46 नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दे दिए गए।

(5) राज्यों के विधायी प्रस्ताव

राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित इस विभाग को आवंटित विषयों से संबंधित ऐसे विधायी प्रस्तावों, जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, की इस विभाग द्वारा संवीक्षा की जाती है। 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित 35 संदर्भों का परीक्षण किया गया है।

H 002 Annual Report.indd 147 3/27/2023 3:45:25 PM

(6) संसदीय कार्यों का संचालन

वर्ष 2022 के दौरान, विधायी ।।। अनुभाग ने तारांकित तथा अतारांकित दोनों प्रकार के संसदीय प्रश्नों तथा अन्य विषयों से भी संबंधित कार्यों का निपटान किया । संसदीय संदर्भों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य की मद	संख्या
1.	लोक सभा प्रश्न	10
2.	राज्य सभा प्रश्न	18
3.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	19
4.	सार्वजनिक महत्व के मामले	5

उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग में गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक तथा संकल्प से संबंधित संक्षिप्त टिप्पणी भी तैयार की गई । साथ ही, संसदीय प्रश्नों की हार्डकॉपी के साथ-साथ उसे इलेक्ट्रॉनिक रुप में भी भेजा गया।

(7) विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन।

विधायी विभाग ने 14 से 16 अक्टूबर, 2022 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, गुजरात में आयोजित विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान यह अवगत कराया गया कि हम विधायी प्रारूपण तैयार करने और अप्रचलित विधियों को निरसित करने के संबंध में सर्वोत्तम प्रयासों का पालन कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों से राज्य विधेयकों से संबंधित प्रस्तावों में एकरूपता लाने और विधि आयोग की रिपोर्टों के कार्यान्वयन में समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने और संसदीय आश्वासनों को समय पर पूरा करने का आग्रह भी किया।

6. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर)

(क) विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण करने का कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधायी प्रारूपण के कौशल को बढ़ाने के लिए विधियों की गहन जानकारी तथा उनके नियमित अद्यतनीकरण के अतिरिक्त सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विधि प्रारूपण करने वाले अधिकारियों तथा विधि के छात्रों के लिए विधायी प्रारूपण में अभिरूचि और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता होती है।

(ख) देश में विधायी प्रस्तावों से संबंधित कार्य करने वाले प्रशिक्षित अधिकारियों तथा साथ ही प्रशिक्षित विधायी परामर्शियों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि और न्याय मंत्रालय

H 002 Annual Report.indd 148 3/27/2023 3:45:25 PM

के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.) की स्थापना की गई थी।

(ग) आईएलडीआर प्रत्येक वर्ष विधायी प्रारूपण से संबंधित निम्नलिखित एक बुनियादी पाठ्यक्रम तथा एक मूल्यांकन पाठ्यक्रम का संचालन करता हैः

(I) बुनियादी पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है तथा यह राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के लिए है;

(II) पंद्रह दिन की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंद्ध कार्यालयों/ अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के लिए है।

(III) कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रूचि पैदा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके तथा वे विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकें। स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम चार से छह सप्ताह के लिए तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के छात्रों अथवा पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के चौथे या पांचवे वर्ष के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। उक्त स्कीम वर्ष 2013 से शुरु की गई थी। स्वैच्छिक इंटर्नशिप योजना को कोविड-19 संबंधी सभी रोकथाम के उपायों के साथ तथा सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए जुलाई, 2022 से पुन: शुरु किया गया है।

(iv) अब तक आईएलडीआर ने विधायी प्रारूपण पर 23 मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा 31 बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित किए हैं। राज्य सरकारों के विधायी प्रस्तावों से संबंधित कुल 344 अधिकारियों को बुनियादी पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित किया गया है तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के विधायी प्रारूपण से जुड़े 386 अधिकारी आई.एल.डी.आर. द्वारा चलाए गए मूल्यांकन पाठ्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, स्वैछिक इंटर्नशिप स्कीम द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के 338 विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए हैं।

(घ) केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर 23 जून, 2021 से 25 जून, 2021 तक तीन दिवसीय ऑनलाइन कैप्सूल पाठयक्रम का आयोजन किया गया था तथा इस पाठयक्रम में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

(ड़) राज्य सरकारों/राज्य विधान सभाओं के अधिकारियों के लिए 8 नवंबर, 2021 से 10 दिसंबर, 2021 तक एक महीने का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था तथा इस प्रशिक्षण से 40 प्रतिभागी लाभान्वित हुए थे।

H 002 Annual Report.indd 149 3/27/2023 3:45:25 PM

(च) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा राज्य विधान सभाओं के अधिकारियों के लिए एक महीने का ऑनलाइन प्रशिक्षण 16 अगस्त, 2022 से 15 सितंबर, 2022 तक आयोजित किया गया था तथा इस प्रशिक्षण से 26 प्रतिभागी लाभान्वित हुए थे।

6.1 ई-शासन के संबंध में की गई पहलें

(I) कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ आधारित आधिकारिक वेबसाइट):

विधायी विभाग ने कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) आधारित आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है। विभाग की उक्त सीएमएफ आधारित वेबसाइट को मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किए जाने के पश्चात 'सर्टिफाइड क्वॉलिटी वेबसाइट' (सीक्यूडब्ल्यू) प्रमाण पत्र जारी किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित उक्त ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुकूल है।

(II) ई-ऑफिस लाइट का कार्यान्वयनः

सुशासन के एक भाग के रूप में तथा सरकार की एक महत्वपूर्ण मिशन मोड परियोजना होने के नाते ई-ऑफिस (लाइट) का कार्यान्वयन विधायी विभाग में आरंभ हो गया है।

(III) विधायी विभाग में किसी भी संभावित साइबर हमले को विफल करने के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी अनुदेश:

साइबर हमलों से बचने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के समन्वय से सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ई-शासन नीति का समय-समय पर अनुपालन किया जाता है। गैर-सरकारी इकाइयों द्वारा डाटा चोरी, हैकिंग और इसी प्रकार के अन्य साइबर हमलों के बढ़ते खतरे के संबंध में विधायी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा संबंधी अनुदेशों को भी इसके पूर्ण अनुपालन हेतु जारी किया गया है ताकि विभाग की वेबसाइट पर किसी भी प्रकार के संभावित साइबर हमले को विफल किया जा सके और इसे सुरक्षित रखा जा सके।

7. सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) आवेदन

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, विधायी विभाग में 12 अगस्त, 2005 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ का गठन किया गया था, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में डॉ. एन.आर. बट्टू, अपर सचिव, श्री पी.सी. मीणा, निदेशक तथा श्री नवनीत कुमार, अनुभाग अधिकारी क्रमश: अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय

H 002 Annual Report.indd 150 3/27/2023 3:45:25 PM

लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अधीन एक पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके । इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई-मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र प्रकोष्ठ के समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करने में जनता के लिए इस विभाग की वेबसाइट को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया जा सके । अपीलीय प्राधिकारी का ई-मेल संपर्क पता aa-rti-legis@nic.in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio-rti-legis@nic.in है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर आवेदक को प्रदान की जाती है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय-वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही अंतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसके अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय-सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए एक हजार दो सौ सैंतीस (1237) आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर सतहत्तर (77) प्रथम अपीलों में से छिहत्तर (76) प्रथम अपीलों का उनके गुण-दोषों के आधार पर विधिवत निपटान कर दिया गया था।

8. शुद्धि अनुभाग

केंद्र तथा राज्यों के अधिनियमों का रख-रखाव

शुद्धि अनुभाग विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु केंद्रीय विधायनों, भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख-रखाव करता है। यह अनुभाग भारत संहिता की मास्टर कॉपी का

H 002 Annual Report.indd 151 3/27/2023 3:45:25 PM

रख-रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) के अधिकारियों तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ हैं तथा इनका प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए भी किया जाता है। केंद्रीय अधिनियमों का अद्यतनीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा वर्ष 2022 के चालू केंद्रीय अधिनियमों को भारत संहिता की मास्टर कॉपी में अद्यतन कर दिया गया है।

'दस्तावेज' शीर्षक के अंतर्गत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.legislative.gov.in पर वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार तरीके से भी अनिरसित केंद्रीय अधिनियमों की सूची को अपलोड किया गया है।

वर्ष 2022 में, अनुभाग ने संसद के सत्रह अधिनियमों (एक वित्त अधिनियम और छह विनियोग अधिनियमों सहित) और दस केंद्रीय अध्यादेशों की राजपत्र प्रतियों को मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www. egazette.nic.in से डाउनलोड किया है और केंद्रीय अधिनियमों का एक फ़ोल्डर तैयार किया है। डाउनलोड किए गए अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का विवरण इस प्रकार है:

केंद्रीय अधिनियम:

(क) मुख्य अधिनियम (विनियोजन अधिनियमों एवं वित्त अधिनियम को छोड़ कर)

1. दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 (2022 का 11)
2. भारतीय अंटार्टिक अधिनियम, 2022 (2022 का 13)
3. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 (2022 का 15)

(ख) संशोधन अधिनियम

1. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम. 2022 (2022 का 8)
2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 9)
3. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 10)
4. चार्टर्ड अकाउटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 12)
5. सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 14)
6. कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 16)

H 002 Annual Report.indd 152 3/27/2023 3:45:25 PM

7. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 17)
8. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 (2022 का 18)
9. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 19)
10. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 20)
11. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्तम केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 23)

(ग) विनियम:

1. लक्षद्वीप मूल्य वर्धित कर विनियम,2022
2. लक्षद्वीप(लोक सेवाओं का अधिकार) विनियम, 2022
3. लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड (निरसन) विनियम, 2022
4. लक्षद्वीप सहकारी सोसाइटी विनियम, 2022
5. लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 2022
6. लक्षद्वीप सार्वजनिक स्थल (विरूपण की रोकथाम) विनियम, 2022

वर्ष 2022 के दौरान संसद के संशोधित अधिनियमों के माध्यम से प्रमुख अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में संशोधन किए गए हैं, जो अधिनियम प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए हैं, उनके प्रवर्तन की तिथि और उससे संबंधित अधिसूचना संख्या अधिनियमों की मास्टर प्रतियों के संबंधित स्थानों पर दर्ज की गई हैं।

राज्य अधिनियम:

वर्ष 2022 के दौरान, अनुभाग को 8 राज्यों, अर्थात् केरल, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से कुल 41 राज्य अधिनियम प्राप्त हुए हैं। सभी अधिनियमों को संबंधित रजिस्टरों और फोल्डरों में रखा गया है।

9. भारत संहिता अद्यतनीकरण यूनिट

प्रत्येक वर्ष विधान मंडल द्वारा अनेक विधायन (मुख्य अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम दोनों) पारित किए जाते हैं तथा न्यायपालिका, अधिवक्ताओं और साथ-ही-साथ नागरिकों के लिए यह कठिन हो जाता है कि वे आवश्यकता होने पर प्रासंगिक एवं अद्यतन अधिनियमों का संदर्भ ले सकें। इस समस्या का समाधान यह हो

H 002 Annual Report.indd 153 3/27/2023 3:45:25 PM

सकता है कि एक वृहत्त रिपोजिटरी का निर्माण किया जाए जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं संशोधनों को इकट्ठा रखा जाए जो सबके लिए उपलब्ध हो। एक केंद्रीय रिपोजिटरी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जहां एक ही स्थान पर सभी अधिनियमों एवं समय-समय पर बनाए गए उनके अधीनस्थ विधायनों को रखा जाए जो समस्त हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो ताकि उन कानूनों को जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों आदि को आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन रूप में उपलब्ध कराया जा सके तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अद्यतन कानूनों पर अपनी कॉपीराइट का दावा करते हुए जनता से भारी कीमत वसूल करके उनका शोषण करने पर रोक लगाया जा सके। वस्तुत:, इंटरनेट पर भारत संहिता उपलब्ध कराने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) का निर्माण किया गया है जो कि एक वन स्टॉप डिजीटल रिपोजिटरी है जहां केंद्र व राज्य के सभी विधायनों के साथ-साथ उनके संबंधित अधीनस्थ विधायनों को इकट्ठा रखा गया है। सभी नागरिकों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने तथा साथ-ही-साथ एक राष्ट्र-एक मंच के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएं:

इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों तथा अन्य सभी इच्छुक पक्षकारों के आवश्यकतानुसार भारत के सभी अधिनियमों तथा विधायनों को नवीनतम तथा अद्यतन फार्मेट में वन स्टॉप रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रणाली से न केवल संबद्ध पूर्व दृष्टांतों तथा संशोधनों को ढूंढ़ने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी बल्कि अपनी रूचि के अनुसार किसी भी केंद्रीय या राज्य के अधिनियम को अद्यतन रूप में पुन:प्राप्त करना प्रयोक्ता अनुकूल हो जाएगा, वह भी एक बटन दबाते ही। ऐसी जानकारी मोबाइल पर कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। यह प्रणाली भारत में बने सभी कानूनों के बारे में सार्वजनिक ज्ञान को बढ़ावा देगी। यह प्रशासनिक अधिकारियों के काम का समर्थन करने के लिए प्रभावी सूचना प्रबंधन के रूप में भी मदद करेगी और डिजिटल रूप में तुरंत पहुंच के प्रावधान से जनता द्वारा इसे हासिल किया जा सकता है।

इस रिपोजिटरी में केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम शामिल हैं। यह एक केंद्रीय डाटाबेस रिपोजिटरी है जिसमें भारत में बने सभी कानून शामिल हैं। जब भी कोई नया अधिनियम या संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तथा अधीनस्थ विधायन बनाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारी को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे केंद्रीय रिपोजिटरी पर उसे अपलोड कर सकें।

H 002 Annual Report.indd 154 3/27/2023 3:45:25 PM

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) के अंतर्गत indiacode.nic.in वेबसाइट तैयार किया गया है जिस पर केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियमों के साथ-साथ उनके अधीनस्थ विधायन भी उपलब्ध हैं। केंद्र तथा राज्य के सभी अधिनियम धाराओं, अनुसूचियों, लघु शीर्षकों, अधिनियमन की तिथियों, आदि के संबंध में ब्योरे उपलब्ध कराएंगे तथा साथ-ही-साथ प्रत्येक अधिनियम में अति महत्वपूर्ण पाद टिप्पणियां उपलब्ध कराएंगे। खोजने की सुविधा निम्नलिखित क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है:

1. अधिनियम का वर्ष
2. अधिनियम सं.
3. अधिनियमन की तिथि
4. लघु शीर्षक
5. मंत्रालय
6. विभाग

फ्री पाठ खोज भी उपलब्ध है।

ई-शासन के रूप में उठाये गए महत्वपूर्ण कदम

इस प्रणाली से कोई भी व्यक्ति विद्यमान अधिनियमनों को देख सकता है। साथ ही, केंद्र और राज्य के किसी भी अधिनियम तथा उनके अंतर्गत बनाए गए अधीनस्थ विधायनों को पुन:प्राप्त करने के लिए संबद्ध पूर्व दृष्टांतों और संशोधनों को ढूंढ़ने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। अद्यतन विधायी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अत्यधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाया गया है तथा यह मात्र कुछेक बटन दबाकर प्राप्त किया जा सकेगा।

भारत संहिता की वेबसाइट पर केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन करने और अपलोड करने की प्रक्रिया के रूप में 1836 से 2022 तक 888 केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन और अपलोड कर दिया गया तथा 1834 से 2020 तक 3375 निरस्त अधिनियम भी अपलोड किए गए हैं। जहां तक अधीनस्थ विधायनों को अद्यतन और अपलोड करने का संबंध है, भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अद्यतन पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा कई मंत्रालयों और विभागों ने अपने अधीनस्थ विधायनों को अपलोड कर दिया है।

भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) ई-शासन के रूप में की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें हमारे इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में विद्यमान सभी केंद्रीय और राज्य अधिनियम एक स्थान

H 002 Annual Report.indd 155 3/27/2023 3:45:26 PM

पर उपलब्ध कराए गए हैं। अतः, उपलब्ध अधिनियमों को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर कानून निर्माताओं, न्यायपालिका, विद्वानों, विधि के छात्रों आदि द्वारा देखा जाता है। इस प्रकार, यह वेब पोर्टल दुनिया भर में देखा जाता है। भारत संहिता सूचना प्रणाली (आईसीआईएस) उन निजी प्रकाशकों के एकाधिकार को समाप्त करती है जो अपने प्रकाशनों द्वारा नागरिको के उनके अपने कानून पर कॉपीराइट का दावा कर सकते हैं।

10. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग का मुद्रण अनुभाग नामतः मुद्रण-I और मुद्रण-II। विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण हेतु विधायन का प्रसंस्करण करता है। ये दोनों अनुभाग विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें यथा अपेक्षित खंड व्यवस्था और अनुबंध को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करते हैं। मुद्रण अनुभाग विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमों पर जांच करते हैं तत्पश्चात उसे अनुमोदन के उपरांत विधायी-I अनुभाग को भेज दिया जाता है जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को "लोक सभा/राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए" मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प-सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है । तत्पश्चात, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं, जैसे "पुरःस्थापित किए जाने वाले' प्रक्रम, "लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित' प्रक्रम, "संसद के दोनों सदनों से यथा पारित' प्रक्रम, "अनुमति प्रति' प्रक्रम, "हस्ताक्षर प्रति' प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। भारत के राजपत्र में अधिनियम के प्रकाशन के तुरंत बाद, मुद्रण अनुभाग अधिनियम की संवीक्षा करता है और यदि आवश्यक हो तो शुद्धिपत्र प्रकाशित करता है।

2. उपरोक्त कार्यों के अलावा, मुद्रण अनुभाग भारत के संविधान की प्रूफरीडिंग और अद्यतन सरकारी रिकॉर्ड के साथ अन्य केंद्रीय अधिनियमों की विधीक्षा संबंधी कार्य भी करता है ताकि इसे भारत संहिता की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके और अन्य प्रकाशनों के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

3. 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान मुद्रण-I तथा मुद्रण-II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :-

(क) 89 विधेयकों और 6 विनियमों की पाण्डुलिपियों का संपादन किया, उनके प्रूफ़ों की जांच की तथा उनकी संवीक्षा की तथा 23 अधिनियमों एवं 6 विनियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया।

H 002 Annual Report.indd 156 3/27/2023 3:45:26 PM

(ख) भारत संहिता की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सरकारी रिकॉर्ड के साथ 722 पृष्ठों वाले 36 अधिनियमों तथा अन्य प्रकाशनों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 373 पृष्ठों वाले 17 अधिनियमों की विधीक्षा की।

11. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश (जी.एस.आर.ओ.) अनुभाग

(1) जी.एस.आर.ओ अनुभाग एक संदर्भ अनुभाग है जो भारत संहिता में शामिल अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों, आदेशों आदि का अनुरक्षण करता है। किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन जिनमें सामान्य सांविधिक नियम और आदेश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधीक्षा करवाने के उपरांत उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से संबंधित होता है। अधीनस्थ विधायन संबंधी संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी । उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे अपने द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख-रखाव करें।

(2) वर्ष 2022 के दौरान, सामान्य कानूनी नियम और आदेश (जीएसआरओ) अनुभाग ने भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) और (ii) के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी अधीनस्थ विधान से संबंधित राजपत्रित अधिसूचनाओं को साधारण और असाधारण दोनों भागों में क्रमबद्ध किया है। विभिन्न सामान्य और असाधारण के भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) और (ii) से संबंधित सुधारों के साथ वर्णानुक्रमिक रजिस्टरों में विभिन्न अधिसूचनाओं की प्रविष्टियां की गई हैं। जीएसआरओ अनुभाग ने आरटीआई आवेदनों और संसद प्रश्नों आदि से संबंधित अन्य विविध कार्य भी किए।

12. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट-पूर्व विचार-विमर्श और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू शामिल होते हैं और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना

H 002 Annual Report.indd 157 3/27/2023 3:45:26 PM

अपेक्षित होती है, से संबंधित कार्य भी करता है तथा उन्हें वित्त मंत्रालय भेजे जाने से पूर्व उनकी प्रोसेसिंग भी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांग संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य भी इस अनुभाग द्वारा समन्वयित किया जाता है।

(2) एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल वाले) के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अनंतिम रूप से जारी करने से संबंधित कार्य के लिए भी उत्तरदायी है ।

13. प्रकाशन अनुभाग

प्रकाशन अनुभाग समय-समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों जैसे कि भारत के संविधान, निर्वाचन विधि संबंधी निर्देशिका, सांविधिक परिभाषाओं की सूची आदि के संशोधित संस्करण प्रकाशित करता है।

2. वर्ष 2022 के दौरान, प्रकाशन अनुभाग ने भारत के संविधान (अंग्रेजी पाठ) में नवीनतम संशोधनों तथा संविधान (105वां संशोधन) अधिनियम, 2021 को संकलित किया, इसकी जांच और विधिक्षा की, तथा साथ ही फ़ुटनोट्स को अद्यतन कर इस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023 के लिए भारत के संविधान के नए संस्करण की पांडुलिपि तैयार की गई है और डिग्लोट संस्करण (अंग्रेजी और हिंदी) में प्रकाशन के लिए राजभाषा खंड को अग्रेषित की गई है।

3. यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियां (अंग्रेजी पाठ) भी तैयार करता है, जिसमें अद्यतन संशोधनों को शामिल किया जाता है, उसके बाद डिग्लोट संस्करण में प्रकाशित करने के लिए राजभाषा खंड को अग्रेषित किया जाता है। वर्ष 2022 के दौरान, निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियां तैयार की गईं,

(I) राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19);

(II) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49);

(III) मुस्लिम विवाह का विघटन अधिनियम, 1939 (1939 का 8);

(IV) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54);

(V) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2);

(VI) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36);

(VII) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 (2009 का 35);

(VIII) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10);

(IX) लैंगिग अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32);

(X) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15)।

H 002 Annual Report.indd 158 3/27/2023 3:45:26 PM

14. राजभाषा अनुभाग

(1) राजभाषा नीति के सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयनः-

विधायी विभाग ने 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :-

राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों को क्रमशः 91.30%, 81.35% तथा 67.43% पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उप धारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेतु अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप- नियम (4) के अधीन अपना कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टो के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(3) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खंड) सह राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों

H 002 Annual Report.indd 159 3/27/2023 3:45:26 PM

की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। इस समिति की पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी बैठक का आयोजन क्रमश: 31.03.2022, 28.06.2022, 26.09.2022 तथा 30.12.2022 को किया गया था। यह समिति हिंदी के प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार-विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(4) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति:-

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिए गए दिशा - निर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त 1967 को गठन किया गया था। यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मनोनित माननीय संसद सदस्य, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के मनोनित सदस्य, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा विधि और न्याय मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के मनोनित गैर सरकारी सदस्य होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं।

(5) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के ये पाठ्यक्रम प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(6) हिंदी पखवाड़ा

इस विभाग में 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2022 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस

H 002 Annual Report.indd 160 3/27/2023 3:45:26 PM

अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए विशेष रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार राशि प्रदान की गई थी तथा पुरस्कार राशि के रूप में कुल रू 88,300 की राशि प्रदान की गई थी।

(7) संसदीय राजभाषा समितिः-

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निगरानी करने व सुझाव देने के लिए किया गया था। जहां तक विधायी विभाग का संबंध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

15. राजभाषा खंड

परिचय- राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग के उत्तरवर्ती संगठन के रूप में वर्ष 1976 में अस्तित्व में आया था। राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जिम्मेदारी 1 अक्टूबर, 1976 से इस खंड को सौंप दी गई।

(1) कृत्य

इस खंड को निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :-

(I) उपयोग के लिए यथासंभव सभी राजभाषाओं में मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन;

(II) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

(III) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी;

(IV) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की संबंधित राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था;

(V) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि के हिन्दी

H 002 Annual Report.indd 161 3/27/2023 3:45:26 PM

पाठ की तैयारी;

(VI) राष्ट्रपति शासन के अधीन स्थित राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों के हिन्दी पाठ की तैयारी;

(VII) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि के हिन्दी पाठ की तैयारी;

(VIII) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण;

(IX) हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वय समिति से संबंधित कार्य करना ताकि हिंदी के एकसमान विधि शब्दावली और मानक वाक्यांशों के मॉडल को क्रमिक रूप से विकसित करने तथा उन्हें प्रकाशित करने के कार्य में प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके;

(X) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य;

(XI) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने से संबंधित कार्य;

(XII) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;

(XIII) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण; तथा

(XIV) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन;

(XV) भारत सरकार द्वारा इसे समय-समय पर दिए गए अन्य कार्यों का निष्पादन।

(2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग के गठन के बाद से अब तक विधि शब्दावली के सात संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि छठे संस्करण (2001), जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में लगभग 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, जिसे विधि क्षेत्र के ज्ञानियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

(3) भारत का संविधान

भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ का प्रकाशन हिंदी (संघ की राजभाषा) के अलावा 17 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात् असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में किया गया है।

H 002 Annual Report.indd 162 3/27/2023 3:45:26 PM

(4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दिया गया है। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ खंडों में प्रकाशित किया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिगलॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और इसे भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी शामिल किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता के खण्ड XXXII और XXXIII की पांडुलिपि मुद्रण हेतु प्रेस भेज दी गई है।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अनुसार सरकारी राजपत्र में 26 अधिनियमों तथा 05 विनियमों का प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किया जा चुका है। 1963 से लेकर अब तक 2561 केंद्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत पाठ तैयार किया जा चुका है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) रूप में प्रकाशित किया जाता है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी पाठ

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार विधायी विभाग को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) में संदर्भित केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों और उपनियमों के हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद के प्रकाशन का कार्य आवंटित किया गया है। यह कार्य राजभाषा खंड द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान-

(I) विधेयक/मंत्रिमंडल हेतु टिप्पणी/अधिनियम- इस खंड द्वारा 39 विधेयकों का प्रबंधन किया गया तथा संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले विधेयकों का हिंदी संस्करण तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त,

H 002 Annual Report.indd 163 3/27/2023 3:45:26 PM

इस खंड द्वारा 5 मंत्रिमंडल हेतु टिप्पणी, 11 अधिनियम भी तैयार किए गए। विधेयकों, मंत्रिमंडल हेतु टिप्पणी और अधिनियमों की सूची अनुबंध-II पर दी गई है।

(II) अधिसूचनाएं/भर्ती नियम/विनियम/संसदीय प्रश्न/सांविधिक नियम आदि- अधीनस्थ विधायन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सामान्य सांविधिक नियम, अधिसूचनाएं, भर्ती नियम आदि तैयार करने के लिए इस खंड को संदर्भ प्राप्त होते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस खंड के विभिन्न अनुभागों द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए गए -

(क) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 1007 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें ऐसे सांविधिक नियमों/अधिसूचनाओं आदि के 6046 पृष्ठों के हिंदी पाठ तैयार किए गए थे।

(ख) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 289 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें भर्ती नियमों के 1821 पृष्ठों के हिंदी पाठ तैयार किए गए थे।

(ग) लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 2022, लक्षद्वीप (नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार) विनियम, 2022, लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड (निरसन) विनियम, 2022, लक्षद्वीप सहकारी समिति विनियम, 2022 और लक्षद्वीप मूल्य वर्धित कर विनियम, 2022 जैसे महत्वपूर्ण विनियमों से संबंधित 5 प्रस्ताव गृह मंत्रालय से प्राप्त हुए थे, जिसमें 365 पृष्ठों का हिंदी पाठ तैयार किया गया।

(घ) रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के संसदीय प्रश्नों/आश्वासनों संबंधी 3150 पृष्ठों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(8) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख-रखाव

राजभाषा खंड का संशोधन अनुभाग, भारत संहिता, भारत संहिता (डिगलॉट), एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट (अंग्रेजी) तथा संसद के अधिनियम (हिंदी) के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों का अनुरक्षण करने और उसे अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए भारत का संविधान तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की उपर्युक्त मूल प्रतियों में, संसद द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, डिग्लॉट रूप में प्रकाशित कराए जाने वाले प्रस्तावित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ की पांडुलिपियां भी तैयार की गई हैं। वर्ष के दौरान इस अनुभाग द्वारा दो द्विभाषी अधिनियमों की पांडुलिपि तैयार की गई।

H 002 Annual Report.indd 164 3/27/2023 3:45:26 PM

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

(क) केंद्रीय अधिनियमों की ई-गजट प्रतियों के प्रकाशन से संबंधित सूचना विभिन्न राज्य सरकारों को उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में उन अधिनियमों के अनुवाद के लिए भेजी;

(ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली ई-गजट प्रतियां, अपने-अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजी;

(ग) राजभाषा खंड की प्रादेशिक भाषा यूनिट को प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद के संबंध में सहायता की तथा इस यूनिट को कार्यदल (प्रादेशिक भाषा) की बैठक के आयोजन में भी मदद की ताकि वे अपनी संबंधित प्रादेशिक भाषाओं की शब्दावली में शामिल किए जाने वाले शब्दों का निर्णय ले सकें और उसका अनुमोदन कर सकें।

(9) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्पावधिक सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, उनका लोक सभा या राज्य सभा की ओर से मुद्रण करता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के संशोधित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के आशोधित द्विभाषी (डिगलॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है । यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिगलॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस अनुभाग ने सौंपे गए सभी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 26 अधिनियम प्रमाणित किए गए और 05 विनियमों का प्रकाशन कराया गया।

(10) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) के अनुसार केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं

H 002 Annual Report.indd 165 3/27/2023 3:45:26 PM

आदि के लिए हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ खंडों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है।

(11) विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड, प्रादेशिक भाषा यूनिट केंद्रीय अधिनियमों का हिंदी में निरंतर अनुवाद कर रहा है, जैसा कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित है। जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध है यह कार्य संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है ।

राजभाषा खंड ने प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के तहत परिकल्पित केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 61 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद को कार्यदल (क्षेत्रीय भाषाएं) द्वारा अनुमोदित किया गया है और हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषाओं में 86 केंद्रीय अधिनियमों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत पाठ के रूप में प्रमाणित किया गया है। हिंदी के अलावा भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ को 17 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात् असमिया, बंगाली, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में प्रकाशित किया गया है।

(12) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके प्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं। साथ ही, इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं । भारत का संविधान तथा विधि शब्दावली लोक सभा तथा राज्य सभा तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भी वितरित की गई है।

(13) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की बारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2014-

H 002 Annual Report.indd 166 3/27/2023 3:45:26 PM

रा.भा.(वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए किया गया तथा इसके पश्चात इसका कार्यकाल 14 मई, 2018 से एक वर्ष के लिए अथवा वर्तमान लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को सामान्यत: निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :-

(I) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी पाठ तैयार करना;

(II) सामान्य विधि शब्दावली का विकास;

(III) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना;

(IV) विधि पत्रिकाओं और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन;

(V) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषांगिक और सम्बन्धित विषय;

(VI) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(14) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना को वर्ष 1985 में लागू किया था, जो विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य के विकास तथा प्रचार के कार्यकलापों में सम्मिलित हैं। ये साहित्य विधिक विषयों पर प्रस्तावित टिप्पणियों, निबंधों, पुस्तकों, विधि पत्रिकाओं, विधि सार-संग्रह तथा अन्य प्रकाशनों के रूप में हो सकते हैं जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक हैं। न्यायमूर्ति डा० सतीश चन्द्र (सेवानिवृत्त), न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 23 नवंबर, 2022 को तीन वर्षों की अवधि हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति में डॉ. वैभव गोयल, प्रोफेसर, सरदार पटेल सुभारती विधि संस्थान (विधि संकाय), मेरठ, उत्तर प्रदेश और श्री के.जी. अग्रवाल, अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली अन्य सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं।

(15) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड से संबंधित सामग्री एवं सूचना URL https://legislative.gov.in के रूप में वेबसाइट पर डाली गई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम राजभाषा खंड की वेबसाइट

H 002 Annual Report.indd 167 3/27/2023 3:45:26 PM

पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, आदेशों, भर्ती नियमों आदि के प्रिंटआउट लेने को सुविधाजनक बनाने के लिए राजभाषा खंड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को हिंदी पाठ की साफ्ट कॉपी उपलब्ध कराता है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, निर्वाचन विधि निर्देशिका तथा आय कर आधिनियम को पहले ही इस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा चुका है । इस वेबसाइट पर 1838 से 2018 तक के केंद्रीय अधिनियमों की सूची उपलब्ध करवा कर तथा कुछ महत्तवपूर्ण विधायनों के साथ-साथ प्रधान एवं संशोधन विधायनों को पीडीएफ फार्मेट में इस विभाग की वेबसाइट पर राजभाषा खंड के होम पेज पर अपलोड करके इसे और अधिक समृद्ध बनाया गया है जो विधि के क्षेत्र से जुड़ी बिरादरी, आम जनता तथा विधि के छात्रों के लिए खासा लाभकारी है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत थे। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। सुगमतापूर्वक कार्य करने के लिए राजभाषा खण्ड ने मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल शुरू किया है जिसका हिंदी भाषा में सार्वभौमिक रूप से प्रयोग किया जाता है।

ई-ऑफिस को प्रशासन और रोकड़ अनुभाग से संबंधित फाइलों के लिए राजभाषा खंड में लागू किया जा रहा है।

होम पेज पर उपलब्ध विधि शब्दावली को इसके व्यापक प्रसार हेतु और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए इसे खोजे जाने योग्य पीडीएफ फार्मेट में बदल दिया गया है।

राजभाषा खंड के सभी समूह "क" अधिकारियों के नामों, ई-मेल, पतों और संपर्क नम्बरों की अंग्रेजी और हिंदी में एक सूची भी इस विभाग के होमपेज पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने की योजना का ब्यौरा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

16. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की कि विधि के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

H 002 Annual Report.indd 168 3/27/2023 3:45:26 PM

को प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि मंत्रालय के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंपा जाए। तत्पश्चात्, हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया। इस खंड को ही बाद में "विधि साहित्य प्रकाशन" नाम दिया गया। विधि साहित्य प्रकाशन ने माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के लगभग पचास हजार निर्णयों का हिंदी पाठ प्रकाशित किया है। विधि साहित्य प्रकाशन ने विभिन्न विषयों पर हिंदी में उच्च स्तर की 38 विधि पाठ्य पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। ये पुस्तकें विधि साहित्य प्रकाशन के अधिदेश के तहत भारत सरकार के कॉपी राइट के अधीन हैं, जो भारत के संविधान (अनुच्छेद 351), संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों और भारत के माननीय राष्ट्रपति के आदेशानुसार विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित है।

प्रारंभ में, माननीय उच्चतम न्यायालय के सभी प्रतिवेद्य (reportable) निर्णयों के प्रकाशन के लिए एक मासिक हिंदी पत्रिका "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" अप्रैल, 1968 में शुरू की गई थी। तत्पश्चात् विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के हिन्दी पाठ के प्रकाशन के लिए एक अन्य मासिक पत्रिका जनवरी, 1969 में प्रारंभ की गई और इसे "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1987 में "उच्च न्यायलय निर्णय पत्रिका" को दो पत्रिकाओं में विभाजित कर दिया गया, अर्थात् "उच्च न्यायालय नागरिक निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका"।

उपर्युक्त 3 पत्रिकाओं के प्रकाशन के अतिरिक्त विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है:-

(क) विधि के छात्रों, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों और विधि संकाय के सदस्यों के लाभ हेतु विधि के क्षेत्र में हिंदी में उच्च स्तर की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन;

(ख) विधि के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर हिंदी पाठ्य पुस्तकों के सर्वोत्तम प्रकाशन के लिए विभिन्न पुरस्कार प्रदान करना;

(ग) हिंदी विधि पत्रिकाओं, विभिन्न विधिक विषयों पर हिंदी पाठ्य पुस्तकें, डिग्लोट संस्करण में केंद्रीय अधिनियमों, भारत का संविधान, निर्वाचन मैनुअल, विधि शब्दावली आदि की बिक्री; और

(घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार और लोकप्रियता के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सम्मेलन, सेमिनार और पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करना।

(2) वर्ष 2022-23 के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा की गई प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:-

H 002 Annual Report.indd 169 3/27/2023 3:45:26 PM

हिंदी विधि पत्रिकाओं का प्रकाशन: रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, नवंबर, 2021 तक की उच्चतम न्यायालय की पत्रिका 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका' को विधायी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जनवरी, 2021 तक की उच्च न्यायालय की सिविल पत्रिका 'उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका' को अपलोड किया गया है तथा जून, 2021 तक की उच्च न्यायालय की दांडिक पत्रिका 'उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका' को अपलोड किया गया है। उपर्युक्त विधि पत्रिकाओं को विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya पर अपलोड किया गया है।

पुरस्कार प्रदान किया जाना : विधि साहित्य प्रकाशन उपर्युक्त तीन विधि पत्रिकाओं एवं विधि पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर हिंदी में विधि की पाठ्य पुस्तकों के लेखन एवं प्रकाशन के लिए हिंदी में विधि की पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कार/अलंकरण प्रदान करता रहा है। एक पुरस्कार 'डॉ. राजेंद्र प्रसाद हिंदी विधि पुरस्कार' के रूप में जाना जाता है जो वार्षिक आधार पर दिया जाता है। दूसरे को 'दशक की पाठ्य पुस्तक' के रूप में जाना जाता है और दस वर्षों में एक बार दशक की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लेखक को दिया जाता है। इस वर्ष ये दोनों पुरस्कार/अलंकरण विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को सौंप दिए गए हैं।

डिजिटलीकरण: भारत सरकार के किसी भी अन्य विभाग की तरह, विधि साहित्य प्रकाशन ने भी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के युग में प्रवेश कर लिया है, हालांकि यह लक्ष्य से बहुत दूर है और अभी तक केवल पांच प्रतिशत विधि पत्रिकाओं का ही डिजिटलीकरण किया गया है। हिंदी पाठ्य पुस्तकों का डिजिटलीकरण नहीं किया गया है। विधि साहित्य प्रकाशन ने विधायी विभाग की साइट **http://legislative.gov.in/vidhi-sahitya** पर 2012 से पीडीएफ फार्मेट में तीन हिंदी विधि पत्रिकाओं को अपलोड किया है। राजस्व विभाग की साइट **https://bharatkosh.gov.in/Product/Product/** पर डिजिटल भुगतान के आधार पर अर्थात क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग पर केंद्रीय अधिनियम और विधि प्रकाशन की हार्ड कॉपी ऑनलाइन बिक्री के लिए भी उपलब्ध हैं और इसका लिंक विधायी विभाग (मुख्य) के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध है। यह 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का भी हिस्सा है।

(3) उपलब्धियां अर्थात प्रदर्शनियां, सम्मेलन, सेमिनार और विधि पुस्तकों की बिक्री:

विधि साहित्य प्रकाशन विधि पुस्तकों के सम्मेलनों, सेमिनारों और प्रदर्शनी सह बिक्री काउंटरों का आयोजन करता रहा है। जनता के लिए उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन विधि की हिंदी पत्रिकाएं, विधि की हिंदी

H 002 Annual Report.indd 170 3/27/2023 3:45:26 PM

पाठ्य पुस्तकें, भारत का संविधान, डिग्लॉट (हिंदी-अंग्रेजी) संस्करण में केंद्रीय अधिनियम, विधि शब्दावली, निर्वाचन संबंधी कानूनों की नियमावली आदि हैं। इन प्रकाशनों की हार्ड कॉपी राजस्व विभाग की साइट **https://bharatkosh.gov.in/Product/Product/** पर डिजिटल भुगतान के आधार पर अर्थात क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आदि पर ऑनलाइन बिक्री के लिए जनता के लिए उपलब्ध है और लिंक विधायी विभाग के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध है। यह 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का हिस्सा है। 1 जनवरी, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन की कुल बिक्री का आंकड़ा 21,90,443/- रुपये (इक्कीस लाख नब्बे हजार चार सौ तैंतालीस रुपये मात्र) रहा है।

विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन एवं उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) परिसर में विधि की हिन्दी पत्रिकाओं, विधि की हिन्दी पाठ्य पुस्तकों, केन्द्रीय अधिनियमों (द्विभाषिक), भारत के संविधान, निर्वाचन नियमावली एवं विधि शब्दावली आदि की प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन 11 अक्टूबर से 2022 से 14 अक्टूबर, 2022 तक किया गया।

1 जनवरी, 2022 से 30 नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन की कुल बिक्री 22,87,023 रू. (बाईस लाख सत्तासी हजार एवं तेईस रू. मात्र) रही है।

(4) संपादकीय बोर्ड और मूल्यांकन समितियाँ: विधि साहित्य प्रकाशन में दो समितियाँ हैं, अर्थात् संपादकीय बोर्ड और मूल्यांकन समिति। इन दोनों समितियों के सदस्यों की नियुक्ति माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा की जाती है। संपादकीय बोर्ड सरकार की राजभाषा नीति के तहत विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हिंदी की विधि पत्रिकाओं और हिंदी पाठ्य पुस्तकों के मानकों पर सरकार को सलाह देता है। मूल्यांकन समिति लेखकों द्वारा हिन्दी में विधि के विभिन्न विषयों पर लिखी गई पुस्तकों का मूल्यांकन करती है तथा वार्षिक एवं दशकीय आधार पर पुरस्कार देने की सिफारिश करती है। इन पुरस्कारों को (i) डॉ. राजेंद्र प्रसाद विधि हिंदी पुरस्कार और (ii) दशक की पुस्तक के नाम से जाना जाता है।

17. सरकारी पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा

H 002 Annual Report.indd 171 3/27/2023 3:45:26 PM

दिव्यांगजनों के लिए सरकारी पदों में आरक्षण संबंधी सरकार के आदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों तथा उनमें महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। (**अनुबंध-VII** तथा **अनुबंध -VIII**)

18. स्वच्छता पखवाड़े तथा अन्य कार्यकलापों का आयोजन

इस विभाग ने जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग के स्वच्छता कैलेंडर के अनुसार कोविड-19 बचाव अनुकूल व्यवहार के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा, 2022 का आयोजन किया है। इसने समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एहतियाती कोविड डोज शिविर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर यूनिटी/राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया। यह विभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष अभियान 2.0 भी मना रहा है। (**अनुबंध-IX**)।

19. लोक शिकायतः

1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान, विधायी विभाग में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 934 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2022 से पहले 102 लोक शिकायतें लंबित थीं। उक्त अवधि के दौरान, 975 लोक शिकायतों का निपटान किया गया तथा शेष शिकायतों के निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

H 002 Annual Report.indd 172 3/27/2023 3:45:27 PM

H 002 Annual Report.indd 173 3/27/2023 3:45:27 PM

विधायी विभाग का संगठन चार्ट- विधि साहित्य प्रकाशन एवं राजभाषा खंड

(31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

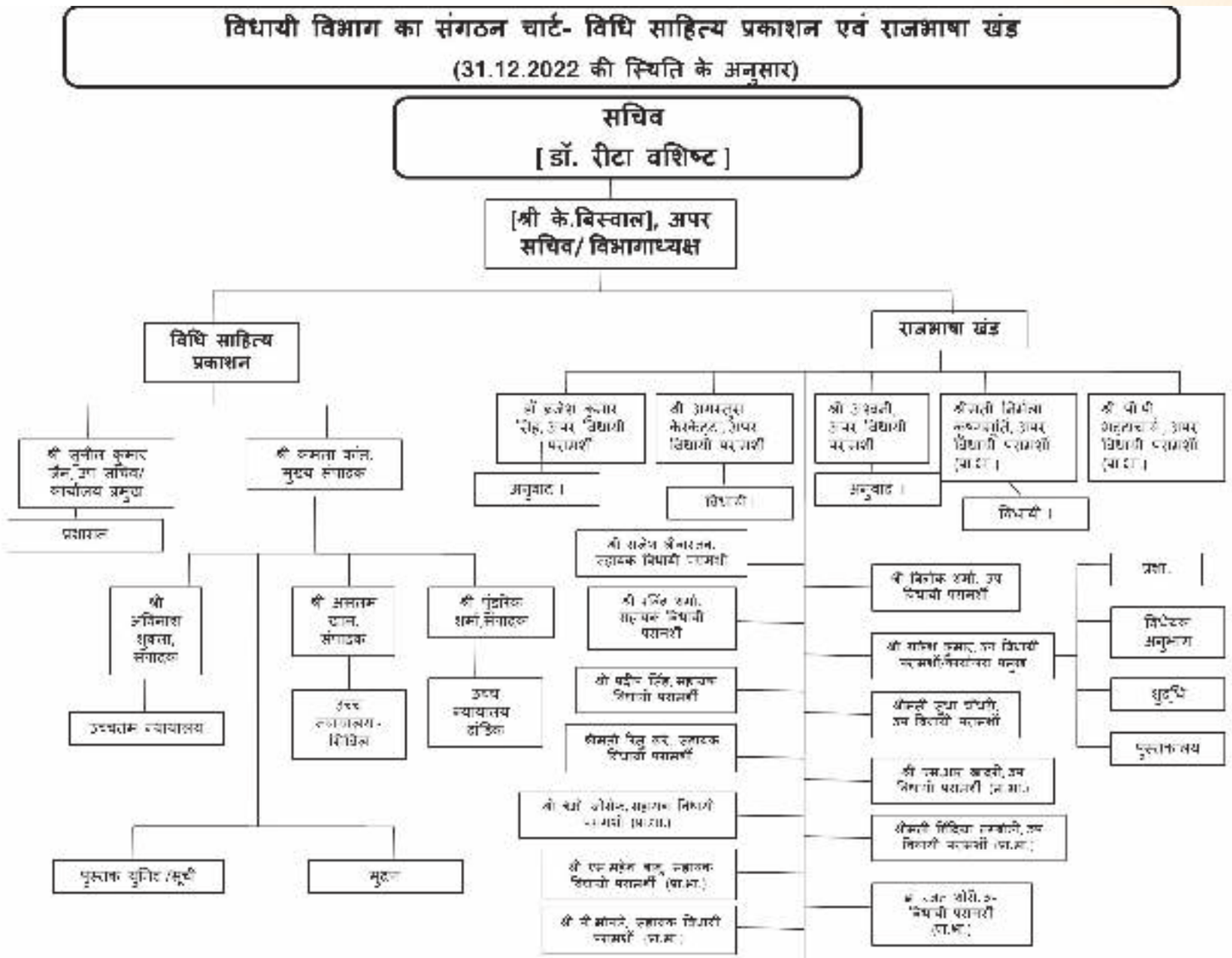

अनुबंध– VI
[देखें अध्याय-I, पैरा 2]

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठन चार्ट
(31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

H 002 Annual Report.indd 174
3/27/2023 3:45:27 PM

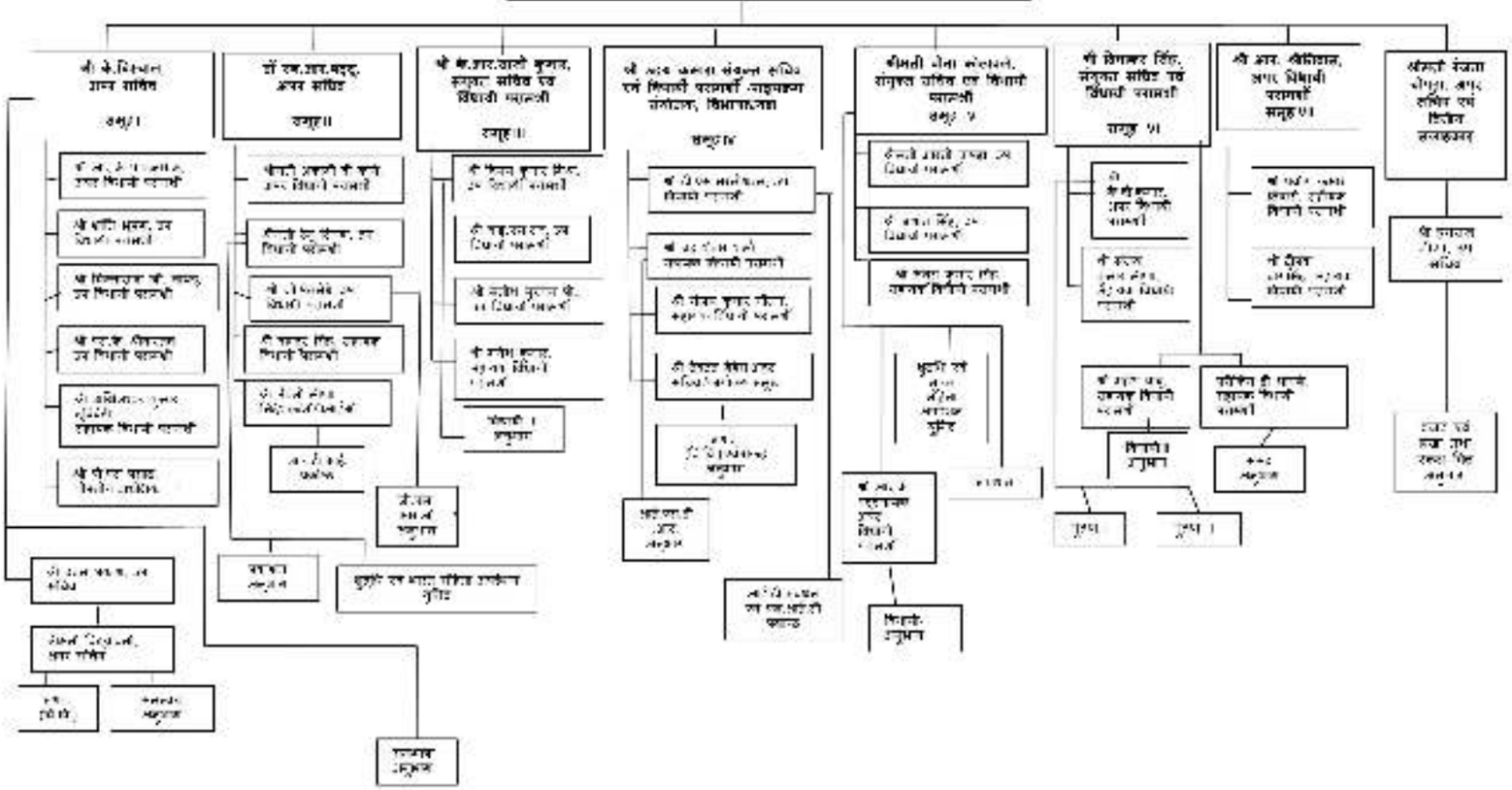

अनुबंध-VII

(देखें अध्याय -I, पैरा 17)

31 दिसंबर, 2022 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग जनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी

समूह	कर्मचारियों की संख्या	अ. जा.	%	अ.ज.जा.	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	दिव्यांग जन	%
क	78	08	10.25	9	11.53	20	25.64	-	-	2	2.56
ख	84	14	16.66	2	2.38	14	16.66	-	-	1	1.19
ग	116	26	22.41	9	7.75	20	17.24	2	1.72	1	0.86
कुल	278	48	17.26	20	7.19	54	19.42	2	0.71	4	1.43

अनुबंध-VIII

(देखें अध्याय -I, पैरा-17)

31 दिसंबर, 2022 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत (%)
समूह 'क'	78	20	25.46
समूह 'ख'	84	22	26.19
समूह 'ग'	116	17	14.66
कुलः-	278	59	21.22

H 002 Annual Report.indd 175 3/27/2023 3:45:27 PM

अनुबंध-IX

(देखें- अध्याय I, पैरा 18)

H 002 Annual Report.indd 176 3/27/2023 3:45:27 PM

H 002 Annual Report.indd 177 3/27/2023 3:45:27 PM

H 002 Annual Report.indd 178 3/27/2023 3:45:27 PM

H 002 Annual Report.indd 179 3/27/2023 3:45:28 PM

सचिव, न्याय की टिप्पणी

वर्ष 2022 के दौरान न्याय विभाग ने उल्लेखनीय पहलें कीं । वर्ष 2022 में 165 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जो किसी वर्ष में की गई नियुक्तियों की सर्वाधिक संख्या है। उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 6 नए पद और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 4 नए पदों का भी सृजन किया गया। वर्ष के दौरान, ई-कोर्ट फेस-II मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत, 6 उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायालयी कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग और 7 डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवाओं को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, पूरे भारत में, कुल 99.4% न्यायालय परिसरों को वैन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। ई-कोर्ट परियोजना को राष्ट्रीय ख्याति के अनेक पुरस्कार दिए गए हैं। महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में, एफ़टीएससी और विशेष पोक्सो न्यायालयों द्वारा बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत 1,37,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटान किया गया। वाणिज्यिक मामलों के निपटान की प्रक्रिया में गति लाने के लिए, समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर 35 कर दी गई है। पहले दिल्ली में 22 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय और बैंगलुरु में 2 अतिरिक्त समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय थे। अब बैंगलुरु में समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है । न्यायिक अवसंरचना योजना के सफल कार्यान्वयन से 21,245 न्यायालय हॉल की उपलब्धता संभव हुई है जो पहली बार न्यायिक अधिकारियों की वर्तमान कार्य क्षमता से अधिक है। इससे न्यायालय की उत्पादकता और न्यायिक दक्षता को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली है।

ई-ऑफिस 7.0 के अंतर्गत फाइलों की पारदर्शिता और तीव्र आवाजाही (मूवमेंट) से विभाग को तीव्रता से निर्णय लेने और मामलों पर कार्रवाई करने की पेपरलैस पद्धति को अपनाने में मदद मिली है । गणतन्त्र दिवस परेड, 2022 के दौरान, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की झांकी में लोक अदालतों के सशक्त कामकाज को दर्शाया गया जिसका थीम 'एक मुट्ठी आसमान' था जिसमें कानूनी सहायता और न्याय प्रदायगी प्रणाली का प्रदर्शन किया गया । विभाग की सभी डिजिटल पहलों के लिए नागरिकों को वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, विभाग की 'दिव्यांग अनुकूल' S3WaaS प्लेटफॉर्म (एक सेवा के रूप में सुरक्षित, मापनीय और सुगम वेबसाइट) को माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 30.03.2022 को विज्ञान भवन में माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था । देश में न्याय-प्रशासन से संबंधित विविध मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का एक संयुक्त सम्मेलन 30 अप्रैल, 2022 को विज्ञान भवन में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था । पेपर लैस, डिजिटल, ऑनलाइन अदालतें बनाने के लिए न्यायालयी

H 003 Annual Report.indd 180 3/27/2023 3:55:57 PM

प्रक्रियाओं के स्वचालन के अगले स्तर के लिए ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे महत्वाकांक्षी चरण की संकल्पना की गई और 7200.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया और सक्षम स्तरों पर आवश्यक अनुमोदन की शुरुआत की गई। विभाग ने पूरे भारत में स्थित विभिन्न न्यायालय परिसरों में न्यायपालिका के परस्पर संपर्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), 2022 मनाया जिसमें न्यायपालिका सहित उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों और बार के अधिकारियों तथा सदस्यों ने हिस्सा लिया । न्यायपालिका ने पूरे भारत में विभिन्न न्यायालय परिसरों और घरों में इस विभाग के परस्पर संपर्क में 'हर घर तिरंगा' अभियान में पूरे दिल से भाग लिया।

मुझे विश्वास है कि विभाग की यह झलक, पाठकों को देश में विधिक जागरूकता और विधिक सशक्तिकरण में सुधार लाने की पहल के बारे में और अधिक जानने के लिए गहराई में जाने और स्वयं को सशक्त करने के साथ-साथ साथी नागरिकों को उनके कानूनी विशेषाधिकारों और अधिकारों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी ।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ।

सुधीर रहाटे

एस.के.जी. रहाटे

H 003 Annual Report.indd 181 3/27/2023 3:55:58 PM

न्याय विभाग

1. संगठन और कार्य :

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का भाग है । विधि और न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष हैं । सचिव (न्याय) सचिवालय के प्रमुख हैं। संगठनात्मक ढाँचे में एक अपर सचिव और तीन संयुक्त सचिव, आठ निदेशक / उप सचिव और सात अवर सचिव शामिल हैं । न्याय विभाग की स्वीकृत कार्मिक संख्या 101 है, जिसमें से 50 पद रिक्त हैं । वर्तमान में 51 वर्तमान पदाधिकारियों में से केवल 07 महिला अधिकारी/कर्मचारी इस विभाग में काम कर रही हैं । न्याय विभाग का संगठनात्मक ढांचा **अनुबंध-I** पर है ।

1 भारत सरकार (समय-समय पर यथासंशोधित आवंटन नियम-1961 के अनुसार) अन्य बातों के साथ-साथ न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

I. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अधिकार (छुट्टी भत्ते सहित), पेंशन और यात्रा भत्ते;

II. राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना; उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ता सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्राभत्ते;

III. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति;

IV. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोड़कर) (किन्तु इस न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क;

V. उच्च न्यायालय और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालय का संघटन और संगठन सिवाय इन न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर;

VI. संघ शासित क्षेत्रों में न्याय प्रशासन और न्यायालय का संघटन और संगठन तथा इस प्रकार के न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क;

VII. संघ शासित क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और डयूटी

VIII. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन ;

IX. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें;

X. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ शासित क्षेत्र तक विस्तार करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ शासित क्षेत्र को बाहर रखना ।

H 003 Annual Report.indd 182 3/27/2023 3:55:59 PM

XI. गरीबों को विधिक सहायता

XII. न्याय का प्रशासन

XIII. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों तक पहुंच ।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण

2.1 भारत का उच्चतम न्यायालय :

31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित) 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 28 न्यायाधीश पद पर हैं, 06 पद रिक्त है जिन्हें भरा जाना है । वर्तमान में, भारत के उच्चतम न्यायालय में 03 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं । 01.01.2022 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय में 03 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है ।

2.2 उच्च न्यायालय :

(I) 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1108 है, जिसके प्रति 773 न्यायाधीश कार्यरत हैं और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 335 पद रिक्त हैं । वर्तमान में, विभिन्न उच्च न्यायालय कॉलेजियम से न्यायाधीशों के पद के लिए 169 सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और ये सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के विचाराधीन हैं। शेष 166 पदों के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम से अनुशंसाएं अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(II) 01.01.2022 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में 165 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 40 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है । इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के 08 मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की गई । उच्च न्यायालयों के 02 मुख्य न्यायमूर्तियों और 06 न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया । दो (02) अतिरिक्त न्यायाधीशों को नया कार्यकाल दिया गया ।

(III) उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 06 पदों की और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 04 पदों की वृद्धि की गई, इस प्रकार उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़कर 33 और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 17 हो गई है ।

3. कुटुंब न्यायालय (फेमिली कोर्ट)

(I) कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 में विवाह और कुटुंब मामलों से संबंधित विवादों और उससे जुड़े मामलों के समाधान और त्वरित निपटान को बढ़ावा देने की दृष्टि से उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य

H 003 Annual Report.indd 183 3/27/2023 3:55:59 PM

सरकारों द्वारा कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है । कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1) (क) के तहत, राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करें, जिसमें कोई ऐसा शहर या कस्बा आता हो जिसकी आबादी दस लाख से अधिक हो । यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझें तो राज्य के अन्य क्षेत्रों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है ।

(II) कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परिवार से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से पारिवारिक मामलों से निपटने के लिए एक विशेष न्यायालय का निर्माण करना, एक सस्ता उपाय प्रदान करना और कार्यवाही के संचालन में लचीलापन लाना और एक अनौपचारिक वातावरण प्रदान करना है ।

(III) कुटुंब न्यायालयों (फेमिली कोर्टों) की स्थापना के लिए वर्ष 2002-03 में केंद्रीय वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार, केंद्र सरकार ने कुटुंब न्यायालय के भवन और न्यायाधीश के आवास के निर्माण के लिए लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया, जो योजना सहायता के रूप में एकमुश्त अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए और गैर-योजना के तहत आवर्ती लागत के रूप में सालाना 5 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के तहत है । राज्य सरकार को बराबरी का हिस्सा प्रदान करना आवश्यक था । वर्ष 2012-13 तक राज्य सरकारों को 11.50 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया था । कुटुंब न्यायालय के भवन के निर्माण और न्यायाधीशों के आवासीय आवास के लिए प्रदान किए गए अनुदान को न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना में शामिल किया गया है । 25 राज्यों में 743 कुटुंब न्यायालय काम कर रहे हैं (31.12.2022 तक) ।

4. फास्ट ट्रैक कोर्ट :

राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) स्थापित किए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग ने जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और एचआईवी/एड्स और अन्य लाइलाज बीमारियों से प्रभावित वादियों से संबंधित दीवानी मामलों, 5 साल से अधिक समय से लंबित भूमि अधिग्रहण और संपत्ति/किराया विवाद से जुड़े सिविल विवाद से निपटने के लिए 1800 एफ़टीसी स्थापित करने की सिफ़ारिश की और राज्य सरकारों से हस्तांतरण (डेवोल्यूशन) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बढ़ी हुई निधि का उपयोग करने का आग्रह किया । 21 राज्यों में 848 फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं, (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार) ।

H 003 Annual Report.indd 184 3/27/2023 3:56:00 PM

5. निर्वाचित सांसदों/विधायकों के आपराधिक मामलों की जाँच के लिए विशेष न्यायालय

अश्वनी कुमार बनाम संघ सरकार (2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 699) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में आपराधिक मामलों का शीघ्रता से विचारण और निपटान करने के लिए 10 विशेष न्यायालय (दिल्ली में 02 विशेष न्यायालय और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक में 1-1 विशेष न्यायालय) कार्य कर रहे हैं ।

6. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफ़टीएससी) :

6.1 दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, भारत संघ ने अगस्त 2019 में देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को अंतिम रूप दिया, ताकि बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 से संबंधित लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई की जा सके और उनका निपटान किया जा सके । दो वित्तीय वर्ष (2019-20 और 2020-21) में फैली यह योजना एक वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी । परियोजना की कुल अनुमानित लागत 767.25 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 474 करोड़ रुपए का है, जो निर्माण फंड से दिया जाएगा । सूआ मोटो रिट (सिविल) संख्या-1/2019 दिनांक 25 जुलाई, 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से उन जिलों में पोक्सो अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए योजना के तहत 1023 एफ़टीएससी में से 389 ई-पोक्सो न्यायालय प्रस्तावित हैं, जहां ऐसे मामलों का लंबन 100 से अधिक है ।

6.2 योजना का मूल्यांकन, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किया गया था और निर्भया फंड की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा आकलन किया गया था और इसे 02 वर्ष तक जारी रखने की सिफ़ारिश की गई थी । मंत्रिमंडल ने इस योजना को 1572.86 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ 31 मार्च, 2023 तक 02 और वित्तीय वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र का शेयर 971.70 करोड़ रुपए है ।

पात्र 31 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में से 28 इस योजना में शामिल हो गए हैं । इन 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी चिन्हित एफ़टीएससी को कार्यात्मक बना दिया है । 09 राज्यों में, एफ़टीएससी को आंशिक रूप से चालू किया गया है । एफ़टीएससी और विशेष पोक्सो न्यायालयों की स्थापना के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 2019-20 में 140 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 160 करोड़ रुपए, 2021-22 में 134.55 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2022-23 (31 दिसंबर, 2022 तक) में 186.00

H 003 Annual Report.indd 185 3/27/2023 3:56:01 PM

करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (31.12.2022 तक) में 417 एक्सक्लूसिव पोक्सो न्यायालयों सहित 767 एफ़टीएससी कार्यरत हैं । शेष एफ़टीएससी एक्सक्लूसिव ई-पोक्सो न्यायालयों को शीघ्रता से चालू करने और स्थापित करने के लिए राज्यों से सक्रिय रूप से प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है ।

7. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

7.1 राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 1993 में स्थापित एक स्वायत्त शासी संस्था है । यह स्वतंत्र निकाय, भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैंपस भोपाल, मध्य प्रदेश में है । यह देश के न्यायाधीशों / न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कोर्ट प्रबंधन तथा न्याय प्रशासन का अध्ययन करने, कोर्ट प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों, व्याख्यानों तथा अनुसंधान का आयोजन करने के लिए एक प्रमुख निकाय है । इस सोसायटी का मुख्य उद्देश्य, देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय प्रशासन, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना रहा है ।

7.2 भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभा (जनरल बॉडी) के साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की कार्यकारी समिति की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) और शैक्षिक परिषद के अध्यक्ष भी हैं । अकादमी के मामले एक शासी परिषद द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं । अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । निदेशक, इसके प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं । वित्त वर्ष 2022-23 में, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को (20.12.2022 की स्थिति के अनुसार) कुल 13.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा (31.10.2022 तक) 14 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ।

8. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना

भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय नीति और कार्रवाई योजना के आधार पर भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का विकास करने के लिए राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के भाग के रूप में ई-कोर्ट परियोजना, एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है जो वर्ष 2007 से कार्यान्वित की जा रही है । ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड परियोजना को प्रौद्योगिकी का उपयोग

H 003 Annual Report.indd 186 3/27/2023 3:56:01 PM

करके न्याय तक पहुँच में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था । इस परियोजना के तहत, देश भर में अब तक 18,735 अदालतों को सॉफ्टवेयर अनुरूपता और अंतर-प्रचालनीयता के साथ कम्प्यूटरीकृत किया गया है । अब तक, 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों को 31.12.2021 तक 1620.54 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है ।

(क) वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) कनेक्टिविटी :

ई-कोर्ट परियोजना के तहत वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना का उद्देश्य ओएफसी (ऑप्टिकल फाइवर केबल), आरएफ (रेडियो फ्रिक्वेंसी), वीसैट (वैरी स्माल अपरेचर टर्मिनल) जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके देश-भर में फैले सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है । इस उद्देश्य के लिए, BSNL को अब तक 293.68 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । अब तक, 2992 साइटों में से 2976 साइटों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ गति (99.4% साइटों को पूरा करने) के साथ चालू किया गया है । यह देश के कोने-कोने की अदालतों में डेटा कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाली ई-न्यायालय परियोजना की रीढ़ है ।

ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई अदालतें दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं, जिन्हें तकनीकी रूप से अव्यवहार्य (टीएनएफ) साइट कहा जाता है, जहां स्थलीय केबल का उपयोग नहीं किया जा सकता । इन साइटों को आरएफ, वीसैट, सबमरीन केबल आदि जैसे हर संभव वैकल्पिक साधनों का उपयोग करके जोड़ा जा रहा है।

(ख) केस इन्फोर्मेशन सिस्टम :

केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस), जो ई कोर्ट सेवाओं के लिए आधार है, कस्टमाइज्ड फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित है, जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में, सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 3.2, जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया जा रहा है और सीआईएस नेशनल कोर वर्जन 1.0 को उच्च न्यायालयों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

हर एक मामले को एक विशिष्ट पहचान कोड प्रदान किया गया है, जिसे सीएनआर नंबर और क्यूआर कोड कहा जाता है। इससे न्यायिक डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक नई संचार पाइपलाइन के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) का विकास हुआ है।

घ. ई-कोर्ट सेवाएँ :

ई-कोर्ट परियोजना के हिस्से के रूप में, वकीलों / वादीगणों को SMS Push और Pull (प्रतिदिन 12,00000 SMS भेजे गए), ई-मेल (31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए), बहुभाषी और

H 003 Annual Report.indd 187 3/27/2023 3:56:01 PM

स्पर्शनीय ई-कोर्ट सर्विसेज पोर्टल (प्रतिदिन 35 हिट्स), न्यायिक सेवा केन्द्रों और सूचना क्योस्कों के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूचियों, निर्णयों आदि पर रियल टाइम जानकारी देने के लिए 7 प्लेटफॉर्म सृजित किए गए हैं । इसके अलावा, वादी और वकीलों के लिए eCourts Services Mobile App (31 अक्टूबर 2022 तक कुल 1.50 करोड़ डाउनलोड) और जजों के लिए JustIS ऐप (30 नवंबर 2022 तक 17,709 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ECMT) बनाए गए हैं। JustIS मोबाइल ऐप 2.0 एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग न्यायाधीश अपनी अदालतों के साथ-साथ उनके अधीन काम करने वाले न्यायाधीशों के लंबित मामलों पर नज़र रखकर अपनी अदालतों प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए और मामलों को कर सकते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अब इस ऐप का उपयोग करके, जो उन्हें भी उपलब्ध कराया जाता है, अपने दायरे में आने वाले प्रत्येक राज्य और जिले की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।

ङ. नेशनल सर्विस एड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसज (NSTEP)

सम्मनों की तामील करने और उनकी ट्रैकिंग करने की तकनीक सक्षम प्रक्रिया के लिए नेशनल सर्विस एड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसज (NSTEP) शुरू की गई है । अधिक सक्षमता और प्रक्रियाओं के शीघ्र वितरण के लिए सम्मन की तालीम के लिए बेलीफ को एक जीपीएस सक्षम डिवाइस दिया जाता है । यह सम्मनों के तालीम के समय में प्रक्रिया सर्वर के भौगोलिक निर्देशांकों पर नजर रखने के अलावा सम्मन की तालीम के रियल टाइम का अद्यतन ब्यौरा भी प्रदान करता है। वर्तमान में इसे 25 उच्च न्यायालयों में कार्यान्वित किया गया है ।

च. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड :

ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत विकसित राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड का उपयोग करते हुए वकील और वादीगण आज लोचदार खोज तकनीक के साथ 19.76 करोड़ मामलों की स्थिति की जानकारी और 15.99 करोड़ से अधिक आदेशों / निर्णयों को देख सकते हैं । यह पोर्टल, कोर्ट पंजीकरण, वाद-सूची, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय के विवरण से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है । अब देश के सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालय के आंकड़ों तक पहुँच प्रदान की गई है । यह मामलों के लंबन (केस पेंडेंसी) की पहचान करने, उनका प्रबंधन करने और उनमें कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है । वर्तमान में मामले के निपटान में देरी का कारण दिखाने के लिए एक सुविधा (फीचर) को जोड़ा गया है । भारत सरकार द्वारा घोषित नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसीबिलिटी पॉलिसी (एनडीएसएपी) के अनुरूप, केंद्र और राज्य सरकारों को एक ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान किया गया है, जिससे वे आसानी से विभागीय आईडी और एक्सेस का उपयोग करते हुए एनजेडीजी डेटा का उपयोग कर सकें । इससे संस्थागत वादियों की अपने मूल्यांकन और निगरानी उद्देश्यों

H 003 Annual Report.indd 188 3/27/2023 3:56:01 PM

के लिए उनकी एनजेडीजी डेटा तक पहुँच हो सकेगी । भूमि विवादों से संबंधित मामलों का पता करने के लिए 26 राज्यों के भूमि रिकार्डों के आंकड़ों को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से लिंक किया गया है ।

ट्रैकिंग अपराधों की सुनवाई करने के लिए दिल्ली में (2), हरियाणा, तमिलनाडू, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश और उड़ीसा मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 21 वर्चुअल कोर्ट स्थापित किए गए हैं । इस अवधारणा का उद्देश्य अदालत में आने वाले लोगों की उपस्थिति को कम करना है । न्यायिक अदालत को किसी आभासी न्यायाधीश (जो एक व्यक्ति नहीं, लेकिन एक एल्गोरिथ्म होता है) द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, जिसकी अधिकारिता को पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और पूरे सातों दिन चौबीसों घंटे काम हो सकता है । नवंबर, 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने "डिजिटल नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स (एनआई) अधिनियम - न्यायालय परियोजना कार्यान्वयन मार्ग-निर्देश" जारी किए हैं और नेगोशिएट इन्स्ट्रूमेंट्स अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए शीघ्र ही 34 आभासी न्यायालय स्थापित किए हैं । इस प्रकार के न्यायालय, पेपरलैस होने के अलावा पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, जिससे न्यायिक जनशक्ति की बचत होती है और नागरिकों की सुविधा में इजाफा होता है ।

ज. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

कोविड लॉकडाउन की अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी है, क्योंकि भौतिक सुनवाई और जमावड़ा प्रकार में सामान्य अदालती कार्यवाही संभव नहीं थी । कोविड लॉकडाउन के शुरू होने के समय से लेकर 31.10.2022 तक जिला अदालतों ने केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 1,65,20,791 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 75,80,347 मामलों की सुनवाई की (कुल 2.41 करोड़) । लॉकडाउन अवधि के शुरू होने से लेकर 03.09.2022 तक उच्चतम न्यायालय में लगभग 2,97,435 सुनवाई हुईं । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन करने में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 2020 को एक व्यापक आदेश पारित किया गया, जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई अदालती सुनवाई को कानूनी मान्यता और वैधता प्रदान की । इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को 5 न्यायाधीशों वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसे सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किया गया था, ताकि वे स्थानीय संदर्भों को ध्यान में रखने के बाद वे उसे अपना सकें । अब तक इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को 24 उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया गया है । इसके अलावा, 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, 25 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के तहत 25 जिला न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को अपनाया है । प्रत्येक तालुक स्तर की अदालतों सहित सभी न्यायालय परिसरों को

H 003 Annual Report.indd 189 3/27/2023 3:56:01 PM

एक-एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण प्रदान किए गए हैं और इसके अलावा 14,443 कोर्ट रूमों के लिए अतिरिक्त वीडियो उपकरण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है । 2506 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिनों को स्थापित करने के लिए निधियाँ उपलब्ध कराई गई हैं । इसके अलावा, 1500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं । 3240 कोर्ट परिसरों और उनसे संबन्धित 1272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं पहले से ही संचालित की गई हैं । तेलंगाना और उत्तराखंड में वकीलों और वादीगणों की सुविधा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा वाली मोबाइल वैनों को शुरू किया गया है ।

गुजरात उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है जिसमें विडियो और इच्छुक व्यक्ति कार्यवाहियों में शामिल हो सकते हैं ।

झ. ई-फाइलिंग

ई-फाइलिंग सिस्टम (संस्करण 1.0) को कानूनी दस्तावेजों की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग के लिए तैयार किया गया है । इससे वकील किसी भी स्थान से सातों दिन चौबीसों घंटों मामलों से संबंधित दस्तावेजों को देख और अपलोड कर सकते हैं, जिससे कागजात दाखिल करने के लिए अदालत में आना अनावश्यक हो जाता है । इसके अलावा, ई-फाइलिंग आवेदन में दर्ज मामले के विवरण सीआईएस सॉफ्टवेयर में आ जाता है और इसलिए गलतियाँ होने की संभावनाएं कम से कम हो जाती हैं ।

मसौदा ई-फाइलिंग नियम तैयार किए गए हैं और अपनाए जाने के लिए वे उच्च न्यायालयों को भेजे गए हैं । 31.10.2021 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है । इसके अतिरिक्त, 25 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में, 31.10.2021 की स्थिति के अनुसार 17 जिला न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

न्यायालयों में ई-फाइलिंग के उपयोग के लिए समान दिशानिर्देशों प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा एक प्रक्रिया ज्ञापन (एसओपी) तैयार किया गया है ।

नए ई-फाइलिंग 3.0 पोर्टल का उद्घाटन 9 अप्रैल 2021 को किया था और यह https://filing.ecourts.gov.in पर उपलब्ध है। नए संस्करण में, नया टैब प्रदान किया गया है, जो अधिवक्ताओं और वादियों को दस्तावेज़

H 003 Annual Report.indd 190 3/27/2023 3:56:01 PM

अपलोड करते समय, इन-सिस्टम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपनी शपथ रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है । नए संस्करण में माई पार्टनर, केस फाइलिंग, वकालतनामा, प्लीडिंग, ई-पेमेंट, एप्लिकेशन और पोर्टफोलियो के विकल्पों सहित नया डैशबोर्ड भी प्रदान किया गया है । नए संस्करण में उपलब्ध कराए गए हैल्प सेक्शन में ट्यूटोरियल वीडियो, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उपयोगकर्ता पुस्तिका उपलब्ध है । इसमें वादी को अधिवक्ताओं को प्रस्ताव भेजने का विकल्प भी प्रदान किया गया है । नया पोर्टल, अधिवक्ताओं के लिए दस्तावेजों के अनुक्रमण (इंडेक्सिंग) का विकल्प भी प्रदान करता है।

ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे वाणिज्यिक अदालतों में आने वाले सभी वाणिज्यिक विवादों में ई-फाइलिंग का उपयोग करें । उच्च न्यायालयों की ई-समितियों द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि सभी सरकारी मुकदमे जनवरी, 2022 तक ई-फाइल हो जाने चाहिए। इसी तरह की एक सूचना, न्याय विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों के साथ साझा की गई है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि जनवरी, 2022 तक सभी सरकारी मुकदमों में ई-फाइलिंग को उपयोग में लाया जाए । अक्टूबर, 2022 तक, ई-फाइलिंग सुविधा का उपयोग करके उच्च न्यायालयों में 3,33,920 मामले और जिला और तालुका न्यायालयों में 505,125 मामले दर्ज किए गए ।

ट. ई-सेवा केंद्र :

न्याय वितरण को समावेशी बनाने और डिजिटल विभाजन के कारण होने वाली बाधाओं को कम करने, वकीलों और वादियों को ई-फाइलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 619 ई-सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। सभी ई-सुविधाएं प्रदान करने के लिए नागपुर में एक न्याय कौशल केंद्र शुरू किया गया है।

ठ. ई-भुगतान:

मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प की आवश्यकता होती है, जिसमें कोर्ट फीस, जुर्माना और दंड शामिल हैं, जो सीधे समेकित निधि को देय होती हैं । मामलों की ई-फाइलिंग के लिए न्यायालयी शुल्कों के ई-भुगतान हेतु सुविधाओं की आवश्यकता होती है । https://pay.ecourts.gov.in के माध्यम से न्यायालयी शुल्कों, जुर्माने एवं शास्तियों का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया गया है । न्यायालयी शुल्कों एवं अन्य नागरिक भुगतानों का इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण शुरू करने के लिए मौजूदा न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों की आवश्यकता है ।

H 003 Annual Report.indd 191 3/27/2023 3:56:01 PM

इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोहाटी-असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपुर, उड़ीसा, पटना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के कुल 18 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान शुरू किया है । 31.10.2022 तक, 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय शुल्क अधिनियम (कोर्ट फीस एक्ट) में संशोधन किया गया है ।

ढ. निर्णय और आदेश खोज पोर्टल (जजमेंट एंड ऑर्डर सर्च पोर्टल) :

आसानी से निर्णयों को ढूंढने में हितधारकों की सुविधा के लिए एक नए 'जजमेंट एंड ऑर्डर सर्च' की शुरुआत की गई है । जजमेंट सर्च के लिए नया पोर्टल, तैयार किया गया है जो उच्च न्यायालयों के निर्णयों और अंतिम आदेशों के लिए एक भंडार प्रदान करेगा । https://judgments.ecourts.gov.in पर 'जजमेंट सर्च' सेगमेंट देखा जा सकता है, जिसमें बेंच द्वारा सर्च, केस टाइप, केस नंबर, साल, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, जज का नाम, एक्ट, खंड, निर्णय: तिथि से, तिथि तक और पूर्ण पाठ की खोज जैसे फीचर दिए गए हैं ।

ड. न्याय घड़ी (जस्टिस क्लॉक) :

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और जानकारी को जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए जस्टिस क्लॉक के नाम से एलईडी डिस्प्ले मैसेज साइन बोर्ड सिस्टम स्थापित किया गया है । जस्टिस क्लॉक का उद्देश्य, न्याय क्षेत्र के बारे में लोगों में जागरूकता लाना, विभाग की विभिन्न योजनाओं को विज्ञापित करना और लोगों को विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना है, जिसमें अदालतों द्वारा निपटान के बारे में जानकारी, अदालत परिसरों में दी जाने वाली विभिन्न योजनाओं और सेवाओं और जनता को विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति और अन्य जानकारी प्रदान करना शामिल है, जिसके माध्यम से नागरिक लाभान्वित हो सकते हैं ।

24 उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद (इलाहाबाद और लखनऊ), आंध्र प्रदेश, बंबई (4 बेंच), कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोहाटी (04 बेंच- अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम), गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (02 बेंच), झारखंड, कर्नाटक (03 बेंच), केरल, मध्य प्रदेश (03 बेंच), मद्रास (02 बेंच), मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पटना, राजस्थान (02 बेंच), सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड में पहले ही कुल 38 जस्टिस क्लॉक स्थापित की जा चुकी हैं । न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस में भी एक न्याय घड़ी (जस्टिस क्लॉक) लगाई गई है।

H 003 Annual Report.indd 192 3/27/2023 3:56:01 PM

वर्चुअल जस्टिस क्लॉक न्यायालय स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें न्यायालय स्तर पर दिन/सप्ताह/महीने के आधार पर दाखिल मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण दिया गया होता है। न्यायालय द्वारा निपटाये गये मुकदमों की स्थिति को जनता के साथ साझा कर न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। जनता जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उपयोग कर सकती है।

ड़. माननीय प्रधान मंत्री द्वारा नई ई-पहल का शुभारंभ

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर, 2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह के दौरान ई-कोर्ट परियोजना से संबंधित 4 नई पहलों का शुभारंभ किया । प्रधान मंत्री ने "वर्चुअल जस्टिस क्लॉक," "जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0," "डिजिटल कोर्ट," और "S3WaaS वेबसाइट्स" की शुरुआत की ।

ण. आईईसी अभियान और ई-कोर्ट संपर्क कार्यकलाप :

S3WAaS प्लेटफॉर्म पर विकसित एक दिव्यांग अनुकूल वेबसाइट को विशेष रूप से ई-समिति के लिए 13 भाषाओं में शुरू किया गया है । यह वेबसाइट सभी हितधारकों को ई-कोर्ट परियोजना से संबंधित जानकारी का प्रसार करती है । इसमें उच्च न्यायालयों के लिए उनकी उपलब्धियों और उनके सर्वोत्तम पद्धतियों को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है । ई-समिति की वेबसाइट को न्याय विभाग की वेबसाइट से भी जोड़ा गया है ।

वकीलों के बीच ई-फाइलिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें इससे परिचित कराने के लिए, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली बार काउंसिल के लिए ई-फाइलिंग पर जून 2020 के दौरान वेबिनार आयोजित किए गए थे, जिन्हें 19,000 से अधिक लोगों ने देखा । अधिवक्ताओं और वादियों के उपयोग के लिए "ई-फाइलिंग के लिए " स्टेप बाई स्टेप गाइड" नामक ई-फाइलिंग पर एक मैनुअल तैयार किया गया है और इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है । इसे 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल एप्लिकेशन के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका जारी की है और इसे 14 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगू में ई-समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है । वकीलों के उपयोग के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर कि "ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण कैसे करें" अंग्रेजी और हिंदी में एक ब्रोशर उपलब्ध कराया गया है। इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में भी जारी किया गया है। जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, ई-कोर्ट सेवाओं के नाम पर एक यूट्यूब चैनल बनाया गया

H 003 Annual Report.indd 193 3/27/2023 3:56:01 PM

है, जहां हितधारकों के लिए उनकी अधिक पहुंच के लिए ई-फाइलिंग पर वीडियो ट्यूटोरियल उपलब्ध कराए गए हैं । जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम के तहत अधिवक्ताओं के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 7 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-फाइलिंग पर 12 स्वयं सहायता वीडियो तैयार किए गए और प्रसारित किए गए। ई-कोर्ट सेवाओं के तहत अधिवक्ताओं के लिए ई-मेल और ईसीएमटी टूल्स पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पहले ही शुरू किया जा चुका है । प्रत्येक उच्च न्यायालय में 25 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिन्होंने देश-भर में 5409 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है । इन 5409 मास्टर प्रशिक्षकों ने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अधिवक्ताओं के लिए देश के प्रत्येक जिले में ई-कोर्ट सेवाओं और ई-फाइलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया है और मास्टर ट्रेनर अधिवक्ताओं की पहचान भी की है।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने मई 2020 से जनवरी 2022 तक ई-कोर्ट परियोजना के तहत प्रदान की जाने वाली आईसीटी सेवाओं पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं । इन कार्यक्रमों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों, न्यायालय स्टाफ, न्यायाधीशों/ डीएसए के बीच में से मास्टर प्रशिक्षकों, उच्च न्यायालयों के तकनीकी स्टाफ और अधिवक्ताओं सहित लगभग 5,13,080 हितधारकों को शामिल किया गया है । जिला न्यायपालिका के प्रत्येक न्यायालय में स्टाफ के एक-एक सदस्य को कुल 69,750 को प्रशिक्षित किया गया । अधिवक्ताओं के लिए जागरूकता वेबिनार शुरू किए गए हैं, जिन्हें 96,775 लोगों द्वारा देखा गया है ।

त. चरण-III के लिए विजन डाक्यूमेंट :

परियोजना का चरण-II पूरा होने के करीब है और ई-कोर्ट चरण-III के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को ई-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है । परियोजना के तीसरे चरण में विभिन्न नई सुविधाओं जैसे डिजिटल कोर्ट, पेपरलेस कोर्ट, ऑनलाइन कोर्ट, ट्रैफिक उल्लंघन के अधिनिर्णय के अलावा वर्चुअल कोर्ट के दायरे का विस्तार; केस पेंडेंसी के विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके सबसेट जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का उपयोग, भविष्य की मुकदमेबाजी का पूर्वानुमान आदि की संकल्पना की गई है ।

थ. पुरस्कार और सम्मान :

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर (ई-ताल) पोर्टल पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, पिछले

H 003 Annual Report.indd 194 3/27/2023 3:56:01 PM

एक वर्ष में कुल 638 करोड़ ई-ट्रान्जेक्सन के साथ ई-कोर्ट, भारत में शीर्ष 5 अग्रणी एमएमपी में से एक है ।

2) ई-गवर्नेंस पहलों के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान के तहत ई-कोर्ट प्रोजेक्ट को 'स्वर्ण श्रेणी I - डिजिटल परिवर्तन के लिए गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता' में राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-2021 से सम्मानित किया गया है ।

3) ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट को इसके "जजमेंट एंड सर्च पोर्टल" (https://judgments.ecourts.gov) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वाधान के तहत 'स्वर्ण श्रेणी' में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021-2022 से सम्मानित किया गया है।

4) ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक स्थानों को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के लिए सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 (सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन/सूचना एवम संचार प्रोद्योगिकी) से सम्मानित किया गया है ।

5) ई-कोर्ट प्रोजेक्ट को जजमेंट और सर्च पोर्टल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान के तहत भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा श्रेणी- नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है ।

9. राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन (नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलिवरी एंड लीगल रीफ़ोर्म्स)

9.1 **उद्देश्य** : प्रणाली में देरी और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाने और प्रदर्शन मानकों और क्षमताओं को निर्धारित करके पहुंच बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन की स्थापना की गई थी । इस मिशन में न्यायिक प्रशासन में मामलों के बकाया और उनके लंबन को चरणबद्धरूप से समाप्त करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचा बनाना, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्याबल में वृद्धि करना, अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय करना, मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग करना और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है ।

H 003 Annual Report.indd 195 3/27/2023 3:56:02 PM

9.2 सलाहकार परिषद

राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और कार्य योजना तथा इसके कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसमें सदस्यों के रूप में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष; विधि और न्याय मंत्री, आंध्र प्रदेश; विधि, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री, जम्मू और कश्मीर; भारत के अटॉर्नी जनरल; अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग; सचिव, विधि कार्य विभाग; सचिव, विधायी विभाग; सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया; भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव; निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी; और अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया शामिल हैं । न्याय विभाग के सचिव इस सलाहकार परिषद के संयोजक हैं । पाँच रणनीतिक पहलों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मिशन की एक कार्य योजना तैयार की गई थी, जिनकी समय-समय पर राष्ट्रीय मिशन की सलाहकार परिषद द्वारा समीक्षा की जाती है । सलाहकार परिषद की बैठक छह महीने में एक बार होती है । अब तक सलाहकार परिषद की ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं ।

9.3 अधीनस्थ न्यायपालिका

संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति करना संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । उच्च न्यायालयों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.12.2022 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 25042 है । न्यायिक अधिकारियों के भरे हुए और खाली पदों की संख्या क्रमशः 19192 और 5850 है ।

9.4 न्यायालयों में लंबित मामले

देश में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति नीचे दी गई है :

उच्चतम न्यायालय * (01.12.2022 की स्थिति के अनुसार) 69,598

उच्च न्यायालय **(31.12.2022 की स्थिति के अनुसार) 59,78,714

जिला और अधीनस्थ न्यायालय **(30.11.2022 की स्थिति के अनुसार) 4,32,07,597

* उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार

** राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार

H 003 Annual Report.indd 196 3/27/2023 3:56:02 PM

वर्तमान में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित कुल दीवानी और आपराधिक मामलों से संबंधित त्रैमासिक आँकड़े, उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं । इसके अलावा, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी), देश भर के जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों पर आंकड़े प्रदान करता है । एनजेडीजी को केस मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के सृजन के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में वर्ल्ड बैंक को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 में सराहना प्राप्त हुई है ।

आपराधिक और दीवानी मामलों के त्वरित निपटान के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में कई प्रावधान किए गए हैं । सिविल विचारणों के मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) में प्रासंगिक संशोधन किए गए हैं जिसमें प्रत्येक पक्ष को दिए जाने वाले स्थगनों की संख्या को सीमित करना, ई-मेल के माध्यम से सम्मन की तामील करने की अनुमति देना, उन मामलों में वाद को खारिज करने के लिए उपबंध करना, जहां लागत का भुगतान करने में वादी की विफलता के परिणाम स्वरूप सम्मन नहीं दिए गए हों, और प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दर्ज करने की समय सीमा को सीमित करने के उपबंध करना शामिल हैं । इसी तरह, शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (Cr P.C.) में कई संशोधन किए गए हैं । इनमें अनावश्यक स्थगनों को हतोत्साहित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 का संशोधन करना, शमनीय अपराधों की सूची को युक्तिसंगत बनाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 का संशोधन करना, सौदा अभिवाक पर एक नए अध्याय-XXIक को अंतर्वेशित करना, उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए धारा 436क को अंतर्वेशित करना, जो अधिकतम कारावास का आधा हिस्सा गुजार चुके हैं ; और आपराधिक मामलों में ऑडियो / वीडियो प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति देना शामिल है ।

9.5 विश्व बैंक की 'डुइंग बिजनेस रिपोर्ट' के संविदा संकेतक प्रवर्तन के तहत सुधार

विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 11 संकेतकों पर उन विनियमों को मापती है जो व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाते हैं और जो इसमें बाधा बनते हैं । न्याय विभाग, संविदा संकेतक प्रवर्तन (इन्फोर्सिंग कोंट्रेक्ट इंडिकेटर) के लिए नोडल विभाग है । संविदा संकेतक प्रवर्तन में किसी भी देश के प्रदर्शन को किसी वाणिज्यिक विवाद के निपटान के लिए, लिए गए समय, किसी वाणिज्यिक विवाद को हल करने में शामिल लागत; वाणिज्यिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और वाणिज्यिक अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं की गुणवत्ता के प्रति मापा जाता है ।

इस विभाग ने सचिव, न्याय विभाग की अध्यक्षता में और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग,

H 003 Annual Report.indd 197 3/27/2023 3:56:02 PM

विधि कार्य विभाग, उच्च न्यायालय, दिल्ली, बंबई, और कलकत्ता तथा दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के विधि विभागों और उच्चतम न्यायालय की ई-समिति से सदस्यों के साथ एक कार्यबल (टास्क फोर्स) बनाया है । इस कार्यबल ने अब तक 12 बैठकें की हैं । इन्फोर्सिंग कोंट्रेक्ट के तहत सुधारों को कार्यान्वित करने में सरकार और भारतीय न्यायपालिका के निरंतर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारत की रैंक में सुधार आया है, जो वर्ष 2014 के 186 स्थान से सुधर कर वर्ष 2020 में 163वें स्थान पर आ गई है । 23 स्थानों की यह छलांग पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों के कारण संभव हो पाई है ।

संविदा संकेतक प्रवर्तन (एन्फोर्सिंग कोंट्रेक्ट इंडिकेटर्स) में निम्नलिखित मापदंडों को मापा जाता है :

क. व्यावसायिक मामलों के लिए समय का अनुमान : इसमें फाइलिंग और सर्विस चरण, विचारण और निर्णय चरण और निर्णय चरण को कार्यान्वित करने के दौरान लिया गया समय शामिल होता है ।

ख. वाणिज्यिक मामलों के लिए लागत अनुमान : इसमें, अटॉर्नी की फीस, कोर्ट की फीस (केवल निर्णय तक) और विशेषज्ञ की फीस और एन्फोर्सिंग फीस शामिल होती है ।

ग. न्यायिक प्रक्रिया सूचकांक की गुणवत्ता : इसमें कोर्ट संरचना और कार्यवाही, केस मैनेजमेंट, कोर्ट ऑटोमेशन और वैकल्पिक विवाद समाधान शामिल होता है ।

9.5.1 इस वर्ष में संविदा संकेतक को लागू करने में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं:

विभाग ने वाणिज्यिक विवादों को तेजी से हल करने और "संविदाओं को लागू करने" की व्यवस्था को मजबूत करने हेतु विशेष और संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं और न्यायपालिका के सहयोग से इन चरणों को संस्थागत रूप दिया है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार से है:

I. वाणिज्यिक मामलों के शीघ्र समाधान के लिए सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2018 में संशोधित) को पुरःस्थगित किया, जिसके कारण दिल्ली और मुंबई में जिला स्तर पर "समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों" की स्थापना हुई । इन वाणिज्यिक अदालतों में हल किए जाने वाले वाणिज्यिक मामलों का निर्दिष्ट मूल्य 3 लाख रुपए से शुरू हो रहा है । इन न्यायालयों के पास विशेष अधिकारिता के साथ-साथ विशेष जनशक्ति भी होती है । दो (02) पेपरलेस डिजिटल वाणिज्यिक न्यायालयों सहित दिल्ली में 35 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं; मुंबई में 6 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं; बेंगलुरु शहर में 8 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं और बेंगलुरु ग्रामीण में 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय है और कलकता में 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं तथा 2 और समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों का

H 003 Annual Report.indd 198 3/27/2023 3:56:02 PM

गठन किया जाना है । सरकार द्वारा पुरःस्थापित इस संरचनात्मक सुधार का उद्देश्य, वादकारियों और वकीलों के लिए तेजी से वाणिज्यिक विवादों का निपटान करने को सुगम बनाना है और साथ के साथ कोर्पेट निवेशकों में विश्वास पैदा करना है ।

II. वाणिज्यिक मामलों के उचित और निष्पक्ष न्यायनिर्णयन को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका के साथ मिलकर सरकार, ई-कोर्ट परियोजना को लागू कर रही है । इस परियोजना के तहत न्यायिक पारदर्शिता और अदालती स्वचालन को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक मामलों के "यादृच्छिक और स्वचालित आवंटन" को शुरू किया गया है । समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में दर्ज किए गए सभी नए वाणिज्यिक मामले, नवीनतम केस इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीआईएस 3.2) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वचालित और यादृच्छिक रूप से न्यायाधीशों को आवंटित किए जाते हैं । सरकार का यह डिजिटल सुधार, जिनका पहले अभाव था, न्यायाधीशों के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाने पर केन्द्रित है, जो फेसलेस, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से मामलों का आवंटन करती हो । इससे न केवल बिजनेस करने में सुगमता (डूइंग बिजनेस) में सुधार हुआ है बल्कि यह एक पेपरलेस और पर्यावरण हितैषी कोर्ट प्रक्रिया में भी सहायक हुई है ।

III. सरकार द्वारा पुरःस्थापित वाणिज्यिक आदेश अधिनियम, 2015 के सीपीसी आदेश XV-क के तहत "केस मैनेजमेंट हियरिंग या प्री-ट्रायल कॉन्फ्रेंस सुविधा" को इस सरकार द्वारा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कलकत्ता में सभी वाणिज्यिक मामलों के लिए चालू किया गया है । इसे विचारण से पहले आयोजित किया जाता है और इससे विवादास्पद मुद्दों / साक्ष्यों के प्रश्नों में कमी आती है, विचारण प्रक्रिया में भी तेजी आती है और यह देरी की किसी भी रणनीति को हतोत्साहित करती है । इसका उद्देश्य, मुकदमे की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके मामले के निपटान में तेजी लाना है, इस प्रकार मुकदमों के साथ-साथ वकीलों को लाभ पहुंचाना है ।

IV. प्रधानमंत्री के प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए, जो पिछले 4 वर्षों में एक जन आंदोलन बन गया है, संविदा प्रवर्तन संकेतक के तहत की गई पहलों में सुपरिष्कृत प्रयास किए गए हैं, जैसे कि "ई-फाइलिंग की सुविधा" । ई-फाइलिंग ने मामलों के दर्ज होने को रियल टाइम और ऑनलाइन बना दिया है, जिसका अर्थ है वकील द्वारा मामलों को घर या किसी भी स्थान से सातों दिन चौबीसों घंटे (24X7) दर्ज कराया जा सकता है । भारत में अदालतों के समक्ष मामले दायर करने के लिए प्रौद्योगिकी-

H 003 Annual Report.indd 199 3/27/2023 3:56:02 PM

संचालित समाधान को अपनाकर ई-फाइलिंग प्रणाली का उद्देश्य, पेपरलेस फाइलिंग को बढ़ावा देना और समय और लागत बचत की सार्मथ्य को सृजित करना है ।

V. "ई-सम्मनस", ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से सम्मन जारी करने और सम्मन भेजने की प्रक्रिया है, जिसके बाद एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है, जो ई-कोर्ट सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो दिल्ली और मुंबई न्यायालयों में पूरी तरह से चालू है । सरकार के डिजिटल इंडिया के दर्शन के अनुरूप इस अग्रणी पहल से विवादों में पक्षकारों को स्वचालित रूप से सम्मन भेजने से समय और संसाधनों की बचत होगी ।

VI. सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 को पुरःस्थापित किया है, जिससे वाणिज्यिक मामलों के "संस्थित होने से पहले की मध्यस्थता और निपटान" (प्री-इन्स्टीट्यूशन मिडीएशन एंड सेटलमेंट) की परिवर्तनकारी नीतिगत पहल की शुरुआत हुई है, जिसमें किसी जरूरी अन्तरिम राहत पर विचार नहीं किया जाता है और यह कार्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनलबद्ध, विषय के अनुभवी मध्यस्थतों द्वारा किया जाता है । "संस्थित होने से पहले की मध्यस्थता और निपटान" (प्री-इन्स्टीट्यूशन मिडीएशन एंड सेटलमेंट) नियम, 2018 (2020 में संशोधित) को अधिसूचित किया गया है । इसके कारण विवादों का परिहार हुआ है और वाणिज्यिक अदालतों में मुकदमों में कमी आई है । इसके अलावा, इसने अनुबंध प्रवर्तनीयता व्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया है ।

VII. डिजिटल इंडिया और ई-कोर्ट्स परियोजना का विजन, देश की न्यायिक प्रणाली को आईसीटी से युक्त अदालतों द्वारा सक्षम बनाना है । न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से बढ़ाने के लिए न्यायिक वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाते हुए "इलेक्ट्रोनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी)" पेश किया गया है । यह न्याय वितरण प्रक्रिया और कोर्ट प्रबंधन को बेहतर और कुशल बनाते हैं और ई-कोर्ट्स सेवा वेब पोर्टल, ई-कोर्ट्स सेवा मोबाइल एप और (JustIS Mobile App) के माध्यम से उपलब्ध हैं । न्यायाधीश और वकील कहीं से भी और कभी भी, ई-कोर्ट सर्विसेज वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों तक पहुँच बना सकते हैं । एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रोनिक केस मैनेजमेंट टूल्स का एकीकरण किया गया है, जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में एंफोर्सिंग कोंट्रेक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण सुधार है ।

H 003 Annual Report.indd 200 3/27/2023 3:56:02 PM

VIII. जस्टिस एप (JustIS Mobile App), न्यायिक अधिकारियों के लिए एक आवश्यक उपकरण है और यह उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारत के न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराया गया है । यह वर्तमान समय में सूचीबद्ध हुए मामलों, अद्यतित मामलों, संस्थान द्वारा प्राप्त मामलों, पिछले महीने में स्थानांतरण द्वारा प्राप्त मामलों और वर्तमान महीने में लंबित और निपटाए गए वाणिज्यिक मामलों की संख्या की एक त्वरित झलक देता है । ई-कोर्ट्स एप का उद्देश्य, वकीलों और वादियों को शीघ्र और सटीकता के साथ मामले की जानकारी प्रदान करके न्यायिक उत्पादकता और कार्य की गति को बढ़ाना है ।

IX. सरकार ने माना है कि उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के समाधान की एक प्रभावी और तेज प्रणाली को शीघ्रता से स्थापित करने के लिए विशेष मंचों की आवश्यकता है । 500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली, इलाहाबाद, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों में विशेष वाणिज्यिक पीठों की स्थापना की गई है ।

X. सरकार ने यह महसूस किया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 हमारे देश में तेजी से हो रहे आर्थिक वृद्धि के अनुरूप नहीं है । अतः सरकार ने विशिष्ट राहत (संशोधन) अधिनियम, 2018 को पुरःस्थापित किया है । इस संशोधित अधिनियम की धारा 20ख में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नामित विशेष न्यायालयों की स्थापना करना अनिवार्य है । वर्तमान में, 22 उच्च न्यायालयों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नामित विशेष न्यायालयों की स्थापना की है । कलकत्ता, कर्नाटक, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए सप्ताह में विशिष्ट दिन आवंटित किए हैं ताकि ये न्यायालय ऐसे दिनों में बुनियादी ढांचे की संविदाओं के लिए समर्पित अदालतों के रूप में कार्य कर सकें ।

XI. ई-समिति, उच्चतम न्यायालय ने कलर बैंडिंग की सुविधा सृजित कर तीन स्थगन नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया है। ये कलर किसी मामले में स्थगन की संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं

XII. बॉम्बे, कलकत्ता, कर्नाटक और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए समर्पित वेबसाइटें विकसित की गई हैं।

XIII. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के सहयोग से बिजनेस और कमर्शियल लॉ पर तीन महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है

H 003 Annual Report.indd 201 3/27/2023 3:56:02 PM

XIV. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल- न्याय विभाग ने अनुबंधों का प्रवर्तन पोर्टल भी लॉन्च किया है जो "अनुबंधों को लागू करने" के मापदंडों पर किए जा रहे सुधारों पर जानकारी का एक व्यापक स्रोत प्रदान करता है।

9.6. विधि का शासन सूचकांक (रूल ऑफ लॉ इंडेक्स (ROLI)) :

विधि का शासन सूचकांक, (रूल ऑफ लॉ इंडेक्स (ROLI) वैश्विक न्याय परियोजना (डबल्यूजेपी) द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है । रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में 140 देशों को कवर करता है और "जवाबदेह सरकार, अच्छी विधियाँ, अच्छी प्रक्रिया और न्याय तक पहुंच" के चार सिद्धांतों के आधार पर 8 घटकों और 44 उप-घटकों में संकलित देश-विशिष्ट आंकड़ों के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करता है । अक्टूबर, 2022 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक न्याय परियोजना (डब्ल्यूजेपी) द्वारा मूल्यांकन किए गए 140 देशों में से विधि का शासन सूचकांक (आरओएलआई) में भारत की वर्तमान रैंक 77 है । न्याय विभाग, नोडल विभाग होने के कारण नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जीआईआरजी (सुधारों एवं वृद्धि के लिए वैश्विक सूचकांक) के तहत इस प्रयोजनार्थ 8 मुख्य संकेतकों / घटकों तथा 44 उप घटकों पर भारत के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए 22 हितधारक मंत्रालयों / विभागों के साथ कार्य कर रहा है ।

9.7 डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) :

डाटा तैयारी को मानीटर करने और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए DEMO और नीति आयोग द्वारा अपने डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) के भाग के रुप में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की डाटा तैयारी का आकलन करने के लिए डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) I मूल्यांकन अभ्यास (एक्सार्साइज़) किया जाता है । इस एक्सार्साइज़ के दो संस्करण हो चुके हैं । डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) 1.0 (वर्ष 2020 के दौरान आयोजित) और डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) 2.0 (वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित) । डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) 2.0 के तहत वर्तमान मूल्यांकन में, न्याय विभाग को मंत्रालयों / विभागों की "सामाजिक" श्रेणी के तहत 24 विभागों में से 8वें स्थान पर रखा गया था, जबकि इसने चौथी तिमाही के दौरान डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) मूल्यांकन के तहत 74 मंत्रालयों / विभागों में से 24 का समग्र रैंक हासिल किया था । न्याय विभाग ने चौथी तिमाही में 05 में से 4.05 का स्कोर हासिल किया, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) 2.0 के मूल्यांकन में पिछली दूसरी तिमाही के 5.0 में से इसके 3.77 के स्कोर से सुधार हुआ । दिसंबर, 2022

H 003 Annual Report.indd 202 3/27/2023 3:56:02 PM

तक 5.0 स्कोर हासिल करने के लिए, कार्य योजना / रोडमैप के विकास और कार्यान्वयन करने के लिए 5 जुलाई 2021 को एक डेटा रणनीति इकाई का गठन किया गया था । विभाग ने नीतियों, कार्यक्रमों और प्रथाओं को विकसित करने के उद्देश्य से न्याय विभाग के लिए डेटा प्रबंधन दिशानिर्देश भी तैयार और जारी किए हैं, जो डेटासेट के मूल्य और न्याय विभाग द्वारा रिपोर्ट / एकत्रित की गई जानकारी को नियंत्रित, संरक्षित करेंगे और उसे बढ़ाएँगे ।

10. न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन योजना

22.1 स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के साथ न्याय विभाग द्वारा सितंबर, 2013 में न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन की एक प्लान योजना को तैयार किया गया था । इस योजना का उद्देश्य न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में कार्य अनुसंधान और अध्ययनों को बढ़ावा देना है । अब तक इस योजना के तहत 45 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 33 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं । कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्रवाई योग्य बिंदुओं को संबंधित अधिकारियों को उनके समुचित विचार हेतु भेज दिया गया है।

11. न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)

11.1 **उद्देश्य और कार्य क्षेत्र :** राज्यों में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना संबंधित राज्य सरकारों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है । हालाँकि, राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की गई थी । इस योजना में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों / न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करना शामिल है । योजना को 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पाँच वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है । इस योजना में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी शामिल किया गया है ।

11.2 इस योजना के शुरू होने से लेकर, केंद्र सरकार ने अब तक राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को 9445.46 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है । इसमें से 2014-15 से लेकर 31.12.2022 तक 6001.16 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है (63.53%), जिसमें 2021-22 में 684.14 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है और वर्ष 2022-23 के दौरान (30.12.2022 की स्थिति के अनुसार) 436.08 करोड़

H 003 Annual Report.indd 203 3/27/2023 3:56:02 PM

रुपए जारी किए गए हैं । 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 21,176 कोर्ट हॉल / कोर्ट रूम उपलब्ध थे । इसके अलावा, न्याय विकास पोर्टल के अनुसार 2766 कोर्ट हॉल / कोर्ट रूम निर्माणाधीन थे । 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों द्वारा बताई गई 19,192 न्यायाधीशों / न्यायिक अधिकारियों की कार्यकारी संख्या के साथ यदि इन आंकड़ों की तुलना की जाए, तो न्यायिक संख्याबल की वर्तमान संख्या के लिए पर्याप्त न्यायालय कक्ष / कोर्ट हॉल उपलब्ध हैं । वर्ष 2014-15 से लेकर दिनांक 31.12.2022 तक 4,883 कोर्ट हॉल और 3,195 रिहायशी आवास निर्मित / पूरे किए गए, जिनमें से वर्ष 2022-23 में 31.12.2022 तक 327 कोर्ट हॉल और 320 रिहायशी आवासों का निर्माण किया गया है । अब कोर्ट रूमों / कोर्ट हॉलों की उपलब्धता को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 25,042 न्यायिक अधिकारियों / न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के बराबर करने पर ध्यान केंद्रित करना है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों की उपलब्धता के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है । दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, 18,558 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध थीं और 1,604 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन थीं ।

11.3 योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशानिर्देशों को 19 अगस्त, 2021 को संशोधित किया गया है । संशोधित दिशा-निर्देशों में भारित मानदंड (वेटेज क्राइटेरिया), शामिल हैं, जो एक वैज्ञानिक फार्मूला है, जिसे इस योजना के तहत धन के अंतर-राज्यीय वितरण के लिए वर्ष 2018-19 से अपनाया गया है । ये मानदंड, 4 मापदंडों पर आधारित हैं, अर्थात् (i) राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत / कार्यरत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले कोर्ट हॉल की संख्या, (ii) राज्य / केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्य न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में निर्माण किए जाने वाले रिहायसी इकाइयों की संख्या (iii) राज्य / संघ शासित क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संदर्भ में न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या, और (iv) अधीनस्थ न्यायपालिका में 10 वर्ष और इससे अधिक पुराने मामलों का लंबन । इस तरह के मानदंडों के आधार पर, राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को निधियों के अस्थायी आवंटन के बारे में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष की शुरु में सूचित किया जाता है, ताकि वे तदनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें । इन दिशानिर्देशों में फ्लेकसी फंड योजना का प्रावधान भी शामिल है, जिसके अनुसार राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, यदि वे चाहें, स्थानीय आवश्यकताओं / अनिवार्यताओं जैसे कि मौसम, जलवायु आदि की स्थानीय दशा के संबंध में आवश्यक अनुकूलन अथवा विशिष्ट स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए निधियाँ आवंटित कर सकते हैं।

H 003 Annual Report.indd 204 3/27/2023 3:56:02 PM

11.4 न्याय विकास वेब पोर्टल और मोबाइल एप वर्जन 2.0, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र की तकनीकी सहायता से एक ऑन-लाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है । निर्माण परियोजनाओं की निगरानी के लिए "न्याय विकास" नाम का वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिसे 11 जून, 2018 को माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया । राज्य सरकारों ने चल रही और पूरी की गई योजनाओं के संबंध में राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी और आंकड़ों / सूचना को दर्ज और अपलोड करने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए सर्वेयर और माडरेटर नामांकित किए हैं । केंद्र और राज्य स्तर पर उपयोगकर्ताओं के अनुभव और अवलोकनों के आधार पर न्याय विकास पोर्टल और मोबाइल एप को उन्नत किया गया है और वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है और यह 1.04.2020 से कार्य कर रहा है । सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र में उपयोगकर्ता, वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा दर्ज कर रहे हैं और भू-टैगिंग वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं । पोर्टल में दर्ज परियोजनाओं की कुल संख्या 2,308 है, जिसमें 1,371 पूरी हो चुकी और 749 निर्माणाधीन और 188 प्रस्तावित परियोजाएँ भी शामिल हैं । 2,051 परियोजनाओं को जियो-टैग किया गया है ।

कुडलोर जिला न्यायालय

मंगन जिला न्यायालय

जुडिशल काम्प्लेक्स, फतेहाबाद

जुडिशल काम्प्लेक्स, कैथल

H 003 Annual Report.indd 205 3/27/2023 3:56:02 PM

12 ग्राम न्यायालय :

12.1 ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, 2 अक्टूबर, 2009 से लागू हुआ । इस अधिनियम में नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध है । न्याय विभाग की वेबसाइट पर इस अधिनियम की एक प्रति रखी गई है । ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 3(1) के संदर्भ में, राज्य सरकारें, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के किसी समूह के लिए एक या दो ग्राम न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं, जहां किसी राज्य में सन्निहित पंचायतों के समूह के लिए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है । इसलिए, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है । हालाँकि, राज्य सरकारों से समय-समय पर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया जाता है ।

12.2 उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 15 राज्यों द्वारा 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 264 ग्राम न्यायालय कार्य कर रहे हैं । राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती व्यय के लिए और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को चलाने के लिए आवर्ती व्यय की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । आवर्ती और गैर-आवर्ती सहायता, वित्तीय सीमा के अधीन है, जैसा कि योजना के दिशा-निर्देशों में दिया गया है । केंद्र सरकार, ग्राम न्यायालय के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित करने की लागत के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की एकबार की सहायता के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय 18.00 लाख रुपए (कार्यालय भवन के लिए 10 लाख रुपये, वाहन के लिए 5 लाख रुपये और कार्यालय सज्जा के लिए 3 लाख रुपये) और तीन वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती व्यय के रूप में प्रति ग्राम न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपए की राशि शामिल है ।

12.3 ग्राम न्यायालय योजना को 50.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 31.03.2021 से आगे यानी 31.03.2026 तक पांच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के साथ-साथ न्याय विभाग के ग्राम न्यायालय पोर्टल पर रिपोर्ट किए जाने के साथ-साथ उन्हें अधिसूचित करने के साथ-साथ चालू करने के बाद ही ग्राम न्यायालयों के लिए धनराशि जारी की जाएगी । ग्राम न्यायालयों के प्रदर्शन की समीक्षा एक वर्ष के बाद की जाएगी ताकि ग्रामीण हाशिए पर रहने वाले लोगों को त्वरित

H 003 Annual Report.indd 206 3/27/2023 3:56:02 PM

और किफायती न्याय प्रदान करने में एक संस्था के रूप में इसकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके और इसके भविष्य के बारे में फैसला किया जा सके ।

12.4 31 दिसंबर, 2022 तक राज्यों को अब तक 83.40 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें 2022-23 में जारी किए गए 0.80 करोड़ रुपए भी शामिल हैं । विवरण नीचे दिया गया है:

क्रं. संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अधिसूचित ग्राम न्यायालय	कार्यात्मक ग्राम न्यायालय	जारी की गई निधि (लाख रुपए में)
1	मध्य प्रदेश	89	89	2456.40
2	राजस्थान	45	45	1240.98
3	केरल	30	30	828.00
4	महाराष्ट्र	36	23	660.80
5	उड़ीसा	23	19	524.40
6	उत्तर प्रदेश	113	51	1323.20
7	कर्नाटक	2	2	25.20
8	हरियाणा	2	2	25.20
9	पंजाब	9	2	25.20
10	झारखंड	6	1	75.60
11	गोआ	2	0	25.20
12	आंध्र प्रदेश	42	0	436.82
13	तेलंगाना	55	0	693.00
14	जम्मू कश्मीर	20	0	0.00
15	लद्दाख	2	0	0.00
कुल		**476**	**264**	**8340.00**

13. न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान निर्मित करना (डिजायनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (DISHA)

भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय को भारत के लोगों के लिए प्राप्त किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण परिदेयों में से एक मानती है । भारत के संविधान में प्रतिपादित अनुच्छेद 39क राज्य को आर्थिक, भौगोलिक विषमताओं आदि के कारण वंचित लोगों को न्याय तक पहुँच एवं मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है । न्याय तक पहुंच को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक मौलिक

H 003 Annual Report.indd 207 3/27/2023 3:56:02 PM

अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है ।

इस अधिदेश के अनुपालन में, न्याय विभाग ने पांच वर्षों 2021-2026 की अवधि के लिए एक नई योजना - न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान निर्मित करना (डिजायनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (DISHA) बनाई है । प्रौद्योगिकी के साथ न्याय तक पहुंच को एकीकृत करके नागरिक केंद्रित न्याय वितरण प्रणाली को वरीयता देने के लिए, दिशा के उद्देश्य हैं : -

- **टेली-लॉ** के माध्यम से मुकदमेबाजी से पहले तंत्र को सुदृढ़ करना;
- अपने **न्याय बंधु कार्यक्रम** के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सेवाओं की प्रभावी व्यवस्था विकसित करना;
- **न्याय मित्र** नामक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के कैडर के माध्यम से अदालतों में लंबित मामलों के निपटान की सुविधा को सुगमबनाना; और
- **अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम** के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना।

14. टेली लॉ : वंचितों तक पहुँच

14.1 टेली लॉ : वंचितों तक पहुँच: 2017 में लॉन्च किया गया, टेली-लॉ एक ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य लोगों को उनकी सही हकदारियों का दावा करने और उनकी कठिनाइयों के समय पर निवारण के लिए मुकदमा पूर्व सलाह के माध्यम से सशक्त बनाना है । यह जन सेवा केंद्रों (सीएससी) में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के एक समर्पित पूल के साथ समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों को जोड़ने का प्रयास करता है, जो देशभर में सीएससी के 4 लाख से अधिक नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों की सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है ।

H 003 Annual Report.indd 208 3/27/2023 3:56:03 PM

14.2 वृद्धि : प्रारंभ में 2017 में, टेली-लॉ 11 राज्यों के 170 जिलों में 1800 कॉमन सर्विस सेंटरों में उपलब्ध था । टेली-लॉ सेवाओं का विस्तार देश के 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 755 जिलों (112 आकांक्षी जिलों सहित) में 100,000 सीएससी को कवर करने के लिए किया गया है । टेली-लॉ ने 29 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया है जिसमें 31 दिसंबर, 2022 तक 9,81,859 (महिलाएं) 9,21,780 (अनुसूचित जाति) 5,25,512 (अनुसूचित जनजाति) और 8,48,007 (ओबीसी) लाभार्थी शामिल

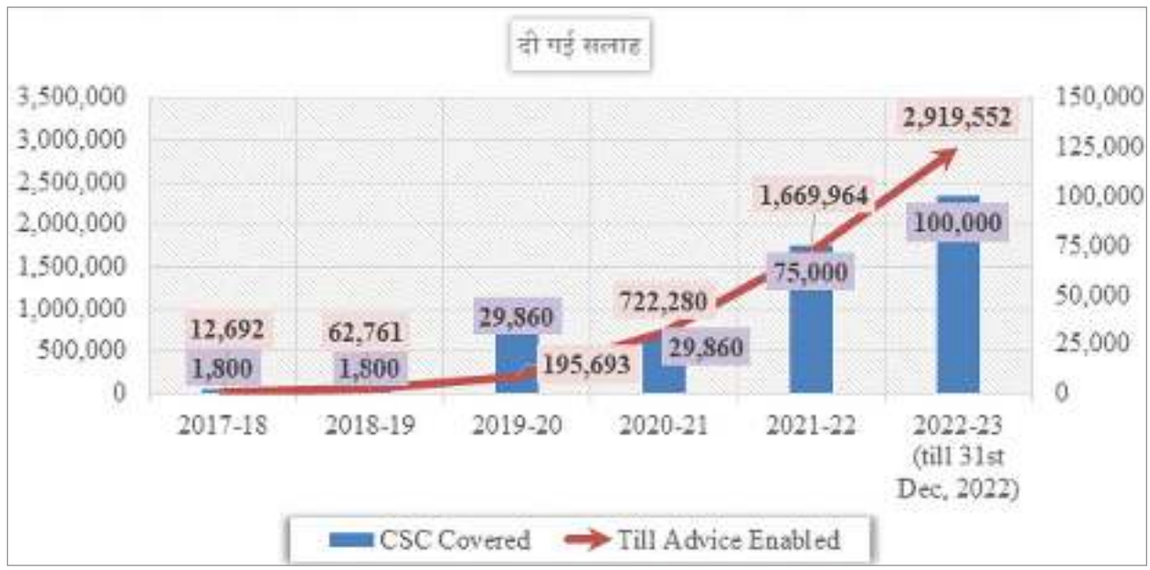

हैं ।

टेली-लॉ वर्ष दर वर्ष वृद्धि

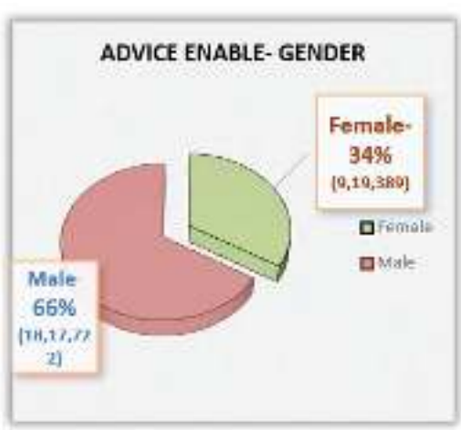

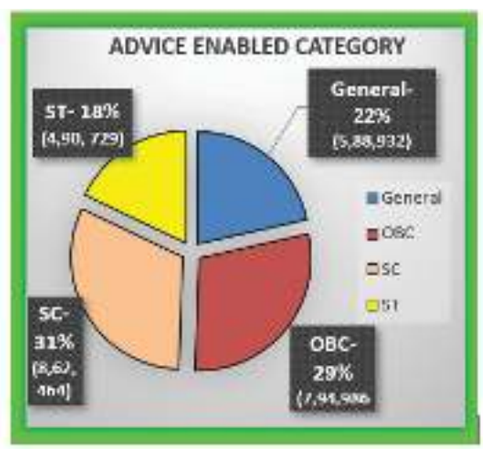

H 003 Annual Report.indd 209 3/27/2023 3:56:03 PM

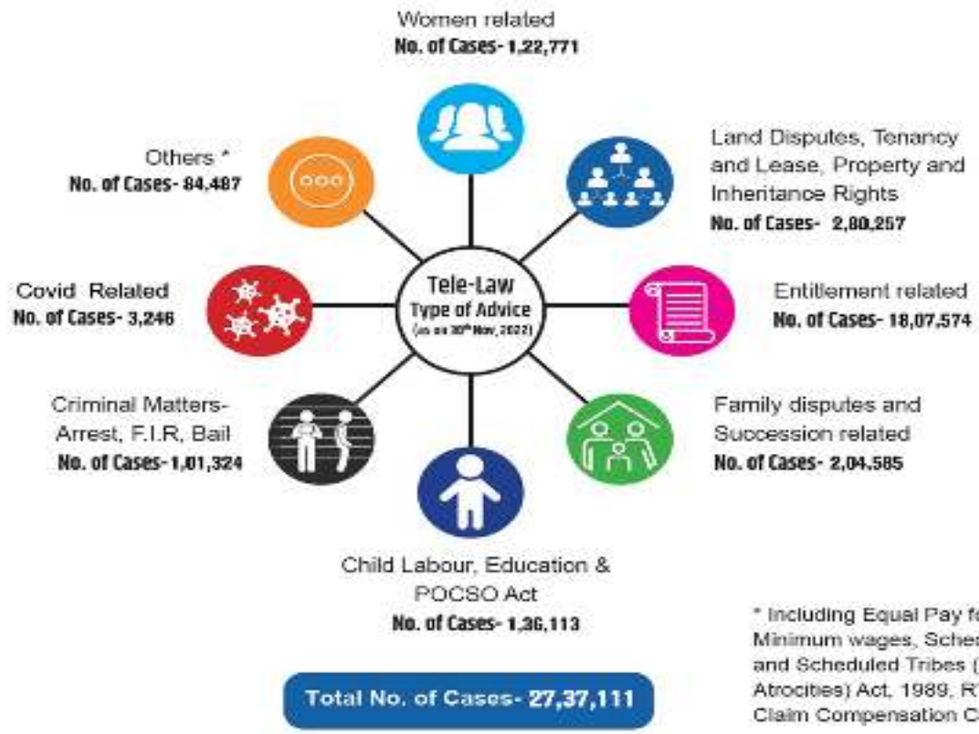

2017 दिसंबर, 2022

14.3 लाभार्थियों की आवाज: न्याय विभाग, पारिवारिक विवादों, प्रक्रियात्मक बाधाओं पर काबू पाने, संपत्ति विवादों के समाधान, कोविड व्यथित लोगों को राहत, सूचना के साथ सशक्तिकरण आदि से संबंधित मामलों में लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के इतिहास को कैप्चर करता है।

14.4 मोबाइल ऐप का उपयोग: सिटिजन्स टेली-लॉ मोबाइल ऐप 13 नवंबर, 2021 को लॉन्च किया गया है, जो लाभार्थियों को पैनल वकीलों से सीधे उनके मोबाइल फोन के माध्यम से मुफ्त में जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है । पैनल के अधिवक्ताओं के लिए एक अलग मोबाइल ऐप उपलब्ध है । यह ऐप 22 भाषाओं में उपलब्ध है । वर्तमान में यह यह ऐप एंड्रॉइड वर्जन पर उपलब्ध है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल ऐप के

H 003 Annual Report.indd 210 3/27/2023 3:56:03 PM

उपयोग के लिए ई-ट्यूटोरियल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है ।

15. न्याय बंधु (निशुल्क (प्रो-बोनो) विधिक सेवाएँ):

न्याय विभाग का उद्देश्य, नि:शुल्क (प्रो-बोनो) विधिक सेवाएँ की संस्कृति जी अपनाने लिए और नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रभावी वितरण ढांचे का निर्माण करना है । नि:शुल्क विधिक सेवाओं के लिए न्याय विभाग ने पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए चार रणनीतियां बताई हैं : -

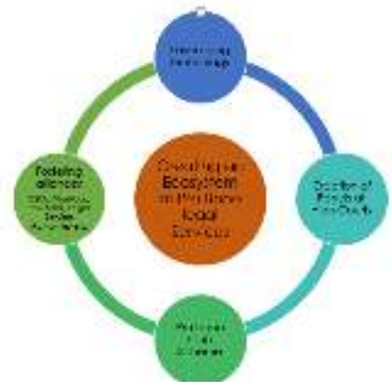

15.1 प्रौद्योगिकी से लाभ उठाना : एंडरोइड और iOS वर्जन में मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है और इसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय के UMANG प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है । न्यायबंधु ऐप के उपयोग पर आभासी प्रशिक्षण प्रदान किया गया । जून 2021 में 100 प्रो-बोनो अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

15.2 प्रो-बोनो अधिवक्ताओं का राज्य विशिष्ट विकेन्द्रीकृत पूल उपलब्ध कराने के लिए उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों की सहायता से उच्च न्यायालयों में प्रो-बोनो पैनल्स सृजित किए गए हैं । 21 उच्च न्यायालयों ने उच्च न्यायालयों में प्रो-बोनो पैनल सृजित किए हैं और इन पैनलों के माध्यम से 1183 अधिवक्ताओं का नामांकन किया गया है ।

15.3 युवाओं में प्रो-बोनो की समझ एवं दर्शन विकसित करने के लिए और अनुसंधान और विधिक प्रारूपण में प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए प्रो-बोनो योजना शुरू की गई है । 69 लॉ स्कूलों ने इस योजना में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की है ।

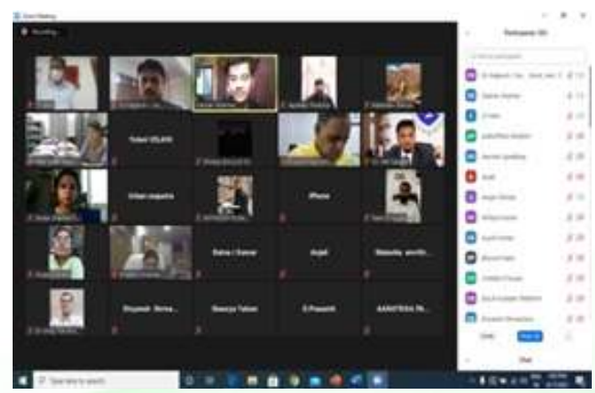

15.4 स्टार्ट-अप्स, सीएसओ आदि के साथ गठबंधन को बढ़ावा देना : विधिक सहायता एवं जागरूकता पहल के लिए समेकित मंच उपलब्ध कराने के लिए गैर सरकारी संगठन **प्रो-बोनो इंडिया के**

H 003 Annual Report.indd 211 3/27/2023 3:56:03 PM

सहयोग से, **न्याय विभाग** ने विद्यार्थी स्वयंसेवी भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया है । 43 विधि विद्यार्थी (विभिन्न लॉ कॉलेजों / विश्वविद्यालयों से) जिन्हें प्रो-बोनो सहायक नामित किया गया है, जिन्हें योजनाओं (केंद्र/ राज्य) के संकलन के लिए अनुसंधान में सहायता प्रदान की गई, विभिन्न वर्ष 2016 से कल्याणकारी विधियों पर विभिन्न संशोधन / आदेश / निर्णय; महत्वपूर्ण हिलपलाइनों को निर्देशिका किया, जिला / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के ब्यौरे को अद्यतित किया और विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम पर न्याय विभाग द्वारा विकसित IEC की विधिक्षा

15.5 वृद्धि : 24 बार काउंसिल से 5331 अधिवक्ता न्याय बंधु कार्यक्रम में शामिल हुए हैं । वर्ष दर वर्ष वृद्धि

और अधिवक्ताओं का बार काउंसिल वार प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है: -

16. अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता

16.1 न्याय विभाग ने देश में विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक पांच आयामी समावेशी दृष्टिकोण की रणनीति बनाई है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :

- मंत्रालयों और संबद्ध विभागों, संस्थानों, स्कूलों आदि में साझेदारी बनाना ;
- मौजूदा बुनियादी/अग्रणी कार्यकर्ताओं/स्वयंसेवकों के क्षमता निर्माण को

H 003 Annual Report.indd 212 3/27/2023 3:56:03 PM

सुकर बनाना ;

- विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता पर मापनीय संकेतक विकसित करना
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना
- अपने कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन और आवधिक मूल्यांकन करना।

16.2.1 डिजायनिंग इनोवेटिव सोल्यूशन्स फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस (DISHA) के तहत, एनईजेके परियोजना का अब अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के रूप में विस्तार किया गया है । 2021-22 के दौरान न्याय विभाग ने निम्नलिखित एजेंसियों के साथ करार ज्ञापन (MoAs) पर हस्ताक्षर किए हैं और अब तक 4,20,572 लाभार्थियों तक संपर्क किया गया है । उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

16.2.2 अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 'परंपरागत ग्राम परिषद प्रणाली और भारत के औपचारिक कानूनों के प्रथागत रिवाजों के बीच तालमेल' पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है (संपर्क : अब तक: 2924) ।

16.2.3 **सिक्किम राज्य महिला आयोग** (SSCW) **को** 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा और मानव तस्करी रोध पर कार्यशाला/प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। (संपर्क अब तक: 65240)।

16.2.4 **मनोचिकित्सा विभाग, जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान** (JNIMS), मणिपुर को "बाल यौन शोषण पर हितधारकों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण" पर एक परियोजना प्रस्ताव को लागू करने के लिए चुना गया

H 003 Annual Report.indd 213 3/27/2023 3:56:03 PM

है (संपर्क अब तक: 1365) ।

16.2.5 **सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी**, जयपुर राजस्थान, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए विधिक जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है । (संपर्क अब तक : 41342)

16.2.6 **छाया विज्ञापन और संचार प्रा. लिमिटेड**, **भुवनेश्वर** 'ओडिशा, अभिनव विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम' पर एक परियोजना लागू कर रहा है । (संपर्क अब तक: 3155)

16.2.7 **राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय**, **नई दिल्ली उत्तर प्रदेश**, 'अधिकारों का ज्ञान उन्नति की पहचान' नामक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। (संपर्क अब तक : 160)

16.2.8 **राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय**, **भोपाल एक राष्ट्रीय स्तर की 'डिजिटल विधिक साक्षरता -** डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण - ई-न्यायगंगा परियोजना' लागू कर रहा है (संपर्क अब तक: 2020) ।

16.2.9 **नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी**, **बेंगलुरु 'डिजिटल विधिक साक्षरता**- प्रसार और मूल्यांकन' नामक एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है (संपर्क अब तक: 2561) ।

16.2.10 **राज्य ग्रामीण विकास संस्थान**, **पुणे**, **महाराष्ट्र राज्य,** 100 ग्राम पंचायतों में महाराष्ट्र में विधि दूतों को बढ़ावा देना (आउटरीच अब तक: 205) ।

16.2.11 **बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट** (**बीआईपीएआरडी**), पटना बिहार, ग्राम पंचायतों में 700 विधि मित्रों को बढ़ावा दे रहा है।

16.2.12 कर्नाटक के पंचायती राज कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए अब्दुल नज़ीर सब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, मैसूर, कर्नाटक ।

16.2.13 **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान**, **नई दिल्ली** 'विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता परियोजनाओं

H 003 Annual Report.indd 214 3/27/2023 3:56:03 PM

की निगरानी और मूल्यांकन' पर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना लागू कर रहा है।

16.3 वेबिनार सीरीज :

पैन इंडिया लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का केंद्र बिन्दु, उपकरणों (टूल) और कार्यप्रणाली को विकसित करना है जिससे समाज को उनके कानूनी अधिकारों और हकदारियों की जानकारी तक पहुंच बनाने

में सक्षम बनाया जा सके ।

इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर कानूनी जागरूकता वेबिनारों की श्रृंखला आयोजित की गई है । अब तक न्याय विभाग ने 3,18,106 लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए 13 वेबिनार आयोजित किए हैं।

इसमें घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं का संरक्षण, बाल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013), भारत में लैंगिक न्याय, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे और भारत में मानव तस्करी वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध और जागरूकता, संवैधानिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार शामिल हैं ।

17. विधिक सेवाओं की एकीकृत प्रदायगी ।

H 003 Annual Report.indd 215 3/27/2023 3:56:04 PM

जून 2022 में, अखिल भारतीय स्तर पर विधिक सेवाओं के एकीकृत वितरण पर न्याय विभाग और नालसा के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों के 700 से अधिक पैनल वकीलों को उनके फ्रंट ऑफिस में टेली-लॉ सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) के तहत प्रोबोनो वकीलों का विकेंद्रीकृत नेटवर्क बनाया जा रहा है और विधिक साक्षरता और जागरूकता अंतराल को कम करने के लिए 112 आकांक्षी जिलों में विशिष्ट कानूनी संवर्धन सत्र आयोजित किए जाएंगे ।

18. आजादी का अमृत महोत्सव : गहन जन-केंद्रित संपर्क

आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न में शामिल होकर, मुकदमेबाजी से पहले की सलाह तक पहुंच को प्रोत्साहित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए गहन जन-केंद्रित संपर्क शुरू किया गया है । विभिन्न पहलों का विवरण निम्नानुसार है : -

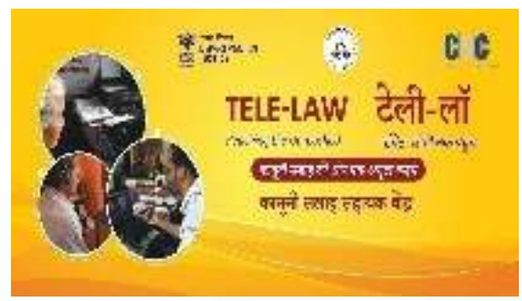

18.1 टेली-लॉ पहला हाइब्रिड समारोह : 6 जुलाई, 2021 को, कोविड प्रतिबंधों में छूट के बीच, टेली-लॉ हाइब्रिड मोड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2020-2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टेली-लॉ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। डाक विभाग के सहयोग से एक विशेष टेली-लॉ पोस्टल कवर जारी किया गया था, जिसमें प्री लिटिगेशन एडवाइस के साथ प्रदान किए गए 9 लाख से अधिक लाभार्थियों के कवरेज को चिन्हित किया गया था। टेली-लॉ पर ई-बुकलेट का तीसरा संस्करण, जिसका शीर्षक 'वॉयस ऑफ द बेनिफिशियरीज' है, जारी किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के 50,000 से अधिक फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। टेली-लॉ सेवा प्रदान करने वाले सीएससी के लिए एक नया साइनबोर्ड, उन्हें **"विधिक सलाह सहायक केंद्र"** के रूप में ब्रांडिंग करते हुए जारी किया गया ।

H 003 Annual Report.indd 216 3/27/2023 3:56:04 PM

18.2 एक पहल अभियान : 'एक पहल' नामक रीज़न आधारित लॉगिन दिवस अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2021 तक चलाया गया। इस अभियान के दौरान, 11,140 मामले दर्ज किए गए और 7,318 लाभार्थियों को सलाह दी गई।

18.3 अखिल भारतीय लॉगिन सप्ताह और टेली-लॉ ऑन व्हील्स आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए निर्धारित सप्ताह के दौरान 8 नवंबर से 14 नवंबर, 2021 के दौरान, न्याय विभाग ने विधिक सलाह और परामर्श की आवश्यकता वाले लोगों को शिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए एक अखिल भारतीय लॉगिन सप्ताह अभियान का आयोजन किया ताकि वे अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर जा सकें, टेली-लॉ सेवाओं के लिए अपने मामले दर्ज करें और पैनल वकीलों से सलाह लें। अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 16 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 'टेली-लॉ ऑन व्हील्स' अभियान चलाया गया, जहां अभियान के संदेश को प्रदर्शित करने वाली विशेष टेली-लॉ ब्रांडेड वैनों ने प्रतिदिन 30-40 किलोमीटर की यात्रा की, टेली-लॉ पर पत्रक वितरित किए, फिल्मों का प्रसारण किया और टेली-लॉ सेवाओं के बारे में रेडियो जिंगल्स और लोगों को टेली-लॉ सेवाओं के लिए उनके मामले दर्ज करने में मदद की गई । देश भर में 4,248 जागरूकता सत्र आयोजित किए गए । इस सप्ताह के दौरान इसमें 52,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और 17,000 लाभार्थियों को सलाह दी गई ।

टेली लॉ मेगा इवेंट: टेली लॉ मेगा इवेंट 13 नवंबर, 2021 को आयोजित किया गया था, जिसमें 65,000 से अधिक लोगों ने व्यक्तिगत और आभासी (वर्चुअल) दोनों रूप से भाग लिया । कार्यक्रम के दौरान सिटीजंस टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया । 126 टेली-लॉ फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को टेली-लॉ को जनता के लिए सुलभ

H 003 Annual Report.indd 217 3/27/2023 3:56:04 PM

बनाने में उनकी कड़ी मेहनत और प्रयास के लिए सम्मानित किया गया। कई सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संबंधी सामग्री को प्रिंट और डिजिटल प्रारूप में जारी किया गया था, जिसमें टेली-लॉ, टेली-लॉ फिल्मों के बारे में जानकारी के साथ एक ब्रोशर और एक नया टेली-लॉ शुभांकर शामिल था, जिसमें पैनल की एक महिला वकील को न्याय विभाग द्वारा इन-हाउस एक मोबाइल फोन पकड़े हुए दर्शाया गया है और एक नया टेली-लॉ लोगो बनाया गया है, जिसे ऑनलाइन प्रतियोगिता की विजेता प्रविष्टियों में से प्रेरणा लेकर बनाया गया है । टेली-लॉ लोगो, स्लोगन और जिंगल के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएससी का वर्चुअल दौरा भी किया गया ।

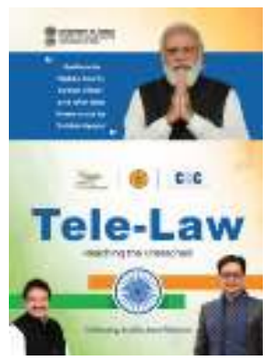

18.4 **बैकलॉग क्लीयरेंस ड्राइव**- न्याय विभाग द्वारा अपने टेली-लॉ: रीचिंग द अनरीच्ड प्रोग्राम के तहत वकीलों को उन लाभार्थियों से जोड़ने के लिए एक छह-दिवसीय (8-14 अगस्त, 2022) विशेष अभियान शुरू किया गया था, जिनके मामले में 6 महीने से अधिक समय से टेली-लॉ पोर्टल पर कानूनी सलाह और परामर्श नहीं मिल पाया। 8 अगस्त, 2022 को अभियान की शुरुआत करते हुए, यह पाया गया कि 21 लाख से अधिक मामलों जिनमें सलाह दी गई थी, में से 82,567 मामले विभिन्न कारणों से लंबित थे, जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी या लाभार्थी द्वारा कॉल नहीं उठाना आदि शामिल हैं, इस अभियान में कुल 282 पैनल वकील शामिल हुए (सीएससी ई-गवर्नेंस और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों के माध्यम से नियुक्त) उन सभी लाभार्थियों को सीधे कॉल करने का प्रयास किया गया जो अपने संबंधित अधिकारों/कानूनी मामलों पर सलाह और परामर्श लेने के बारे में शायद अब तक भूल चुके थे या उम्मीद खो चुके थे । इन पैनल वकीलों के प्रतिबद्ध संकल्प और प्रयासों के माध्यम से लंबित मामलों की लंबित स्थिति 14 अगस्त 2022 को उल्लेखनीय रूप से शून्य पर आ गई है । आजादी का अमृत महोत्सव की इस 75वीं वर्ष गांठ पर टेली-लॉ सेवा, न्याय प्राप्त करने के लिए वास्तव में रास्ते खोल रही है और एक आम आदमी के जीवन में इसे साकार कर रही है ।

H 003 Annual Report.indd 218 3/27/2023 3:56:04 PM

गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया एसएमएस अभियान, 4 महीने (अक्टूबर, 2022- जनवरी, 2023) के लिए पूरे देश में टेली-लॉ पर जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। हर महीने (हिंदी और अंग्रेजी) में एसएमएस के माध्यम से 50 लाख लाभार्थियों तक पहुंचा जाएगा । दिसंबर 2022 तक एक करोड़ पचास हजार नागरिकों तक संपर्क किया जा चुका है ।

सेल्फी ड्राइव अभियान - इस पहल का उद्देश्य सोशल मीडिया साइटों पर जागरूकता को बढ़ावा देना है, जहां लाभार्थी और फील्ड कार्यकर्ता (वीएलई और पैनल वकील) टेली-लॉ सेवा पर सेल्फी/वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव साझा करेंगे । 30 दिसंबर, 2022 तक टेली लॉ सोशल मीडिया पर कुल 61 सेल्फी/वीडियो अपलोड किए गए ।

18.5 विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए Release_UTRC@75 अभियान :

स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने जिला-स्तरीय अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (यूटीआरसी) द्वारा रिहाई के लिए पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान 'रिलीज़_UTRC@75' शुरू किया । वह अभियान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था:

- अनिवार्य श्रेणियों के तहत यूटीआरसी द्वारा विचार किए जाने वाले पात्र कैदियों की पहचान करना;
- कैदियों के सभी पात्र मामलों की समीक्षा करने के लिए पूरे देश में एक ही दिन/दिनों पर UTRC बैठकें आयोजित करना;

H 003 Annual Report.indd 219 3/27/2023 3:56:04 PM

- ऐसे सभी मामलों में रिहा करने की सिफारिश करना जिन्हें यूटीआरसी रिहा करने पर विचार करने के लिए उपयुक्त समझता है;
- आवश्यक राहत पाने के लिए यूटीआरसी द्वारा रिहाई के लिए अनुशंसित सभी कैदियों के लिए पैनल वकीलों के माध्यम से तत्काल जमानत या उपयुक्त आवेदन दायर करना;
- स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखते हुए, यूटीआरसी द्वारा अनुशंसित अधिक से अधिक कैदियों को रिहा करना;
- एक्शन टेकन रिपोर्ट और अच्छी प्रथाओं के प्रलेखीकरण के आधार पर यूटीआरसी की सिफारिशों की स्थिति को अद्यतन करना;
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जेलों, वकीलों और संबंधित अदालतों के बीच प्रभावी समन्वय की तलाश करना और;
- अभियान के दौरान और उसके बाद भी अनावश्यक प्रि-ट्रायल डिटेन्शन की जाँच करने, कैदियों के निष्पक्ष सुनवाई अधिकारों को प्राप्त करने और कैदियों की संभावित रिहाई के लिए UTRCs को अधिक सतर्क बनाना ।

इस अभियान की अवधि 16 जुलाई से 13 अगस्त 2022 तक थी। इस अवधि के दौरान जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 24,789 है। इन रिहाइयों से अनुमान है कि देश भर में जेल में कैदियों की संख्या में 4.47% और विचाराधीन कैदियों की संख्या में 5.8% की कमी आई है। इससे जेल निवास की दर में अनुमानित 5.7 प्रतिशत अंकों (130% से 124.3% तक) और विचाराधीन कैदियों के अनुपात में 4.5 प्रतिशत अंक (77.1% से 72.6% तक) की कमी आई होगी ।

18.6 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 समारोह

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 का विषय "मानवता के लिए योग" था क्योंकि यह दर्शाता है कि कैसे कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान, योग ने पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की । कोविड के बाद के भू-राजनीतिक परिदृश्य में भी, योग ने करुणा, दया, एकता की भावना को बढ़ावा देने और दुनिया भर के लोगों के बीच लचीलापन पैदा करने के माध्यम से लोगों को एक साथ जोड़ा है। न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने 21.06.2022 को जैसलमेर हाउस में अपने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। श्री एस.के.जी. रहाटे, सचिव, न्याय विभाग के साथ-साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

H 003 Annual Report.indd 220 3/27/2023 3:56:04 PM

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 को पूरे देश में अद्वितीय वास्तुकला वाले प्रतिष्ठित इमारतों में अभूतपूर्व पैमाने पर न्यायपालिका के साथ घनिष्ठ समन्वय में मनाया गया। न्यायपालिका के 30,000 से अधिक सदस्यों, जिनमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश शामिल हैं, ने विभिन्न स्थानों पर स्टाफ के सदस्यों और बार के सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया।

18.7 हर घर तिरंगा अभियान, 2022

न्याय विभाग ने 13 से 15 अगस्त, 2022 तक मनाए गए हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया, ताकि समानता, न्याय, शांति के मूल्यों को विकसित किया जा सके और आजादी का अमृत महोत्सव के सम्मान में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा सके। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की भागीदारी के साथ पूरे देश में न्यायपालिका द्वारा अभूतपूर्व पैमाने पर यह अभियान मनाया गया और स्टाफ सदस्यों ने अपने आवासों और संबंधित कार्यालय भवनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

H 003 Annual Report.indd 221 3/27/2023 3:56:05 PM

18.8 सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 (31.10.2022 से 05.11.2022 तक)

विभाग में दिनांक 31.10.2022 से 05.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 मनाया गया। 31.10.2022 को न्याय विभाग के अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी सहित न्याय विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई । 31.10.2022 को शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद, सचिव, न्याय विभाग ने सतर्कता जागरूकता गतिविधियों की आवश्यकता के बारे में सभा को संबोधित किया। न्याय विभाग द्वारा 'एक विकसित राष्ट्र के लिए' भ्रष्टाचार मुक्त भारत विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई ।

19. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण:

19.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39क में निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने का उपबंध है

H 003 Annual Report.indd 222 3/27/2023 3:56:05 PM

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न रह जाए । अनुच्छेद 14 और 22 (1) में राज्य को कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित अधिदेश दिया गया है । वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था जो 9 नवंबर, 1995 को समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए लागू हुआ था । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने और अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करने के लिए किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरणों का संगठनात्मक नीचे दिखाया गया है:

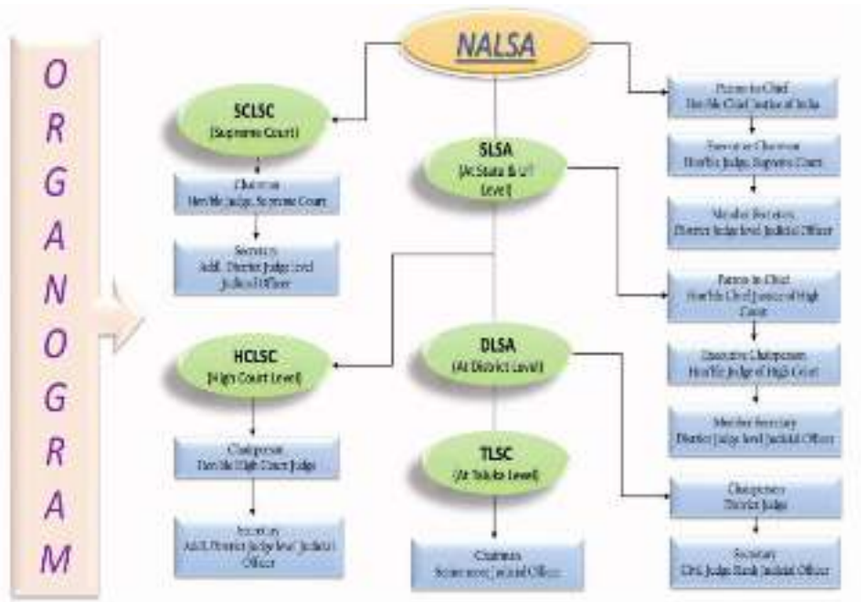

H 003 Annual Report.indd 223 3/27/2023 3:56:05 PM

19.2 अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरणों की 18वीं बैठक :

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) हर वर्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की अखिल भारतीय बैठक आयोजित करता है ताकि भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श किया जा सके और उसे अंतिम रूप दिया जा सके और पिछले वर्षों में शुरू की गई विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन भी किया जा सके। इस वर्ष 18वीं अखिल भारतीय बैठक का आयोजन 16 और 17 जुलाई, 2022 को जयपुर (राजस्थान) में किया गया। माननीय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, नालसा के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष ने 2047 तक हासिल किए जाने वाले एजेंडे को प्रस्तुत किया । बैठक में सत्र शामिल थे जिनमें, एलएडीसी योजना का विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग और विधिक सेवाओं की डिलीवरी बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, वंचित समूहों के लिए विधिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण, विवादों के त्वरित निपटान के लिए मध्यस्थता और लोक अदालतों को मजबूत करना और हिरासत में लिए गए लोगों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल थे ।

19.3 अखिल भारत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठक

माननीय श्री न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष नालसा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक 30-31 जुलाई, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें जिला

H 003 Annual Report.indd 224 3/27/2023 3:56:05 PM

विधिक सेवा की कार्यप्रणाली को एक समान बनाने के लिए एक दस्तावेज का मसौदा तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया था ।

19.4 विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम)

विधिक सेवा प्राधिकरण, उन अभियुक्तों/दोषियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो हिरासत में हों या अन्यथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में वर्णित पात्रता मानदंड के भीतर आते हों । कानूनी सेवाएं, गिरफ्तारी से पहले, रिमांड, ट्रायल और आपराधिक मामलों में अपीलीय चरणों प्रदान की जा रही हैं। जिला स्तर पर लगभग 2 लाख आपराधिक मामलों (ट्रायल) में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है ।

वर्तमान में, भारत में विधिक सहायता प्रदायगी की निर्धारित परामर्श प्रणाली (काउसल सिस्टम) का पालन किया जा रहा है । उक्त प्रणाली के तहत, विधिक सेवा संस्थानों द्वारा पैनल वकीलों को मामले सौंपे जाते हैं । ऐसे पैनल वकील जिन्हें मामले सौंपे जाते हैं, वे निजी प्रैक्टिस भी करते हैं, और इसलिए, वे कानूनी सहायता मामलों के लिए अपना समय विशेष रूप से समर्पित नहीं कर पाते हैं। कई बार, क्लाइंटों को समय पर परामर्श मिलना और कानूनी सहायता चाहने वालों को उनके मामलों की प्रगति के बारे में अद्यतन करने के लिए उनकी पहुंच और उपलब्धता एक मुद्दा बना रहता है ।

समाज के कमजोर और वंचित वर्ग को मजबूत, प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाओं के लिए, नालसा ने कई अन्य देशों जैसे इज़राइल, दक्षिण अफ्रीका और यू.एस.ए. में प्रचलित पब्लिक डिफ़ेंडर सिस्टम की भांति आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक और कानूनी सहायता वितरण-आधारित मॉडल, 'लीगल एंड डिफेंस काउंसल सिस्टम' को अपनाया है ।

यह योजना 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई थी, लेकिन इसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे 13 राज्यों में कार्यात्मक बनाया गया था । 30 अप्रैल 2022 को मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों सम्मेलन में पायलट आधार पर योजना की सफलता के बाद, तत्कालीन माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने देश भर में LADCS को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया । यह योजना अखिल भारतीय आधार पर 20-21 अगस्त, 2022 को 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 365 जिलों में शुरू की गई थी ।

H 003 Annual Report.indd 225 3/27/2023 3:56:05 PM

19.5 नागरिक सेवा केंद्र : लाभार्थियों की ओर एक कदम

नागरिक सेवाओं के लिए नालसा केंद्र का उद्घाटन 6 सितंबर 2022 को जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली में किया गया । उद्घाटन के दिन माननीय डॉ. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नागरिक सेवा केंद्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आम आदमी को बिना किसी परेशानी के प्रभावी कानूनी सेवाएं प्रदान करने का एक उत्कृष्ट माध्यम साबित होगा । माननीय डॉ. जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि यह केंद्र, नालसा को लोगों तक संपर्क बनाने में मदद करेगा क्योंकि यह केंद्रीय स्थान में स्थित है और सभी तकनीकी सुविधाओं से लैस आसानी से सुलभ जगह पर है । नालसा कार्यालय जो पहले जामनगर हाउस में था, उसे 9 नवंबर, 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया था । नालसा को प्रदान की गई जैसलमेर हाउस की जगह का उपयोग नागरिकों के लिए कानूनी सहायता केंद्र की स्थापना, एनआरआई के लिए कानूनी सहायता केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, देश भर में भविष्य की कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल कमांड सेंटर के लिए किया जाएगा ।

19.6 राष्ट्रीय लोक अदालत

लोक अदालत या पीपुल्स कोर्ट की संस्था, विवादों के निपटारे के लिए एक मंच के रूप में भारत में युगों से जानी जाती रही है। लोक अदालतों में, न्यायालय या मुकदमेबाजी पूर्व स्तर पर लंबित विवादों/मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लोक अदालत को न्याय प्रशासन की एक त्वरित, कम खर्चीली और तेज प्रणाली के रूप में इसकी प्रभावकारिता को पहचानते हुए वैधानिक

H 003 Annual Report.indd 226 3/27/2023 3:56:05 PM

दर्जा दिया गया है । इस अधिनियम के तहत, लोक अदालत द्वारा दिए गए किसी निर्णय (अवार्ड) को किसी सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है और यह अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और अवार्ड के खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष कोई अपील नहीं होती है ।

लोक अदालतें एक समय में मुख्य रूप से अदालत से जुड़ी एक प्रक्रिया रही हैं, जो अनिवार्य रूप से लंबित मुकदमों को कम करने की दिशा में काम कर रही हैं। वे इस कार्य का निर्वहन करते रहे लेकिन वे इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए । मुकद्मेबाजी पूर्व चरण में विवादों के शीघ्र निपटान की प्रक्रिया को, हालांकि, अभी तक निजी या व्यक्तिगत मुकदमेबाजी में बहुत सफलता नहीं मिल पाई है; फिर भी इसे बैंकों, बिजली वितरण कंपनियों आदि जैसे संस्थागत वादकारियों से जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है ।

मुक़दमेबाज़ी से पहले के मामले					
तिथि	सुने गए मामले	निपटान	कुल निपटान राशि (रुपए में)	सुने गए मामले	
12.03.22	16862532	5359481	25066282670	4962282	
14.05.22, 25.06.22 और 26.06.22	14428609	6707435	18009204714	5553794	
13.08.22	20410902	8246801	22048396115	5215548	
12.11.22	23953773	10701498	25190258045	6232491	
कुल योग	**75655816**	**31015215**	**90314141544**	**21964115**	

19.7 नालसा की डिजिटल पहल

नालसा ने हमेशा समाज के सबसे दूरस्थ वर्ग तक पहुंचने और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विधिक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया है ।

19.7.1 लीगल एड केस मैनेजमेंट सिस्टम (LACMS) वेब पोर्टल: लीगल एड सिस्टम को अधिक समकालिक और पारदर्शी बनाने के लिए नालसा ने इस वर्ष लीगल एड केस मैनेजमेंट सिस्टम (LACMS) लॉन्च किया है । इस पोर्टल को नालसा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा एक्सेस किया जा सकता है । ये प्राधिकरण उन अधिवक्ताओं को एक्सेस दे सकते हैं जिन्हें

H 003 Annual Report.indd 227 3/27/2023 3:56:05 PM

कानूनी सहायता सेवाओं के लिए लाभार्थी को सौंपा गया है। अधिवक्ता, नियमित आधार पर विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उन्हें सौंपे गए मामले के विवरण को अपडेट करेंगे । अधिवक्ताओं द्वारा की गई हर कार्रवाई को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करके ट्रैक किया जा सकता है जिससे बेहतर निगरानी और पारदर्शिता की व्यवस्था तैयार हो सके । इस पहल से न केवल प्रभावी निगरानी में मदद मिलेगी बल्कि मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी । आवेदक इस पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल को नालसा की वेबसाइट यानी https://nalsa.gov.in/ पर जाकर एक्सेस किया जा सकता है।

19.7.2 मामलों के दाखिल होने से पूर्व की मध्यस्थता (प्री-इंस्टीट्यूशन लिटिगेशन) (पीआईएम) : वैकल्पिक

	लंबित मामले		कुल		
	निपटान	कुल निपटान राशि (रुपए में)	सुने गए मामले	निपटान	कुल निपटान राशि (रुपए में)
	2435878	110338175201	21824814	7795359	135404457871
	2870774	76215650373	19982403	9578209	94224855087
	2604752	78770952949	25626450	10851553	100819349064
	2999391	93530501897	30186264	13700889	118720759942
	10910795	**358855280420**	**97619931**	**41926010**	**449169421964**

विवाद समाधान समय की आवश्यकता है। नालसा ने लोक अदालत के एक तरीके में सफलतापूर्वक अपनी छाप छोड़ी है। मध्यस्थता के क्षेत्र में समान परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से, नासला ने इस वर्ष प्री-इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता पोर्टल लॉन्च किया है । नालसा-पीआईएम एक कानूनी मंच है, जो पार्टियों को किसी मध्यस्थ की मदद से चर्चा और बातचीत के माध्यम से विवादों को हल करने का वैकल्पिक साधन प्रदान करता है । वादी, क्षेत्रीय अधिकारता के आधार पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है और पीआईएम वेबसाइट के माध्यम से प्री-इंस्टीट्यूशन लिटिगेशन के लिए आवेदन कर सकता है । प्रक्रिया शुरू करने के लिए, वादी को वेबसाइट पर मामला दर्ज करना होगा, विवाद का विवरण भरना होगा, विरोधी पक्ष का विवरण भरना होगा और फिर आवेदन

H 003 Annual Report.indd 228 3/27/2023 3:56:05 PM

जमा करना होगा । मध्यस्थता की प्रतिबद्धता से पहले, वाणिज्यिक विवाद के पक्ष को प्राधिकरण को 1000/- रुपये का एक बार का मध्यस्थता शुल्क का भुगतान करना होगा । मध्यस्थ, वेबसाइट पर जाकर उन्हें आवंटित मामलों को देख सकते हैं। नालसा किसी मध्यस्थ को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत है। नालसा, वेबसाइट पर पंजीकृत सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देख सकता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विशेष राज्य के आवेदन और जिलेवार आवेदन देख सकते हैं और तदनुसार उन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं। पार्टियों द्वारा सहमति दिए जाने के बाद मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है। सभी प्रासंगिक विवरण पीआईएम वेबसाइट के माध्यम से अपलोड और डाउनलोड किए जा सकते हैं।

19.7.3 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन: नालसा की वेबसाइट और मोबाइल ऐप, विधिक सेवा प्राधिकरणों से संबंधित सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। वेब पोर्टल और एप्लिकेशन को 10 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया गया है ताकि इसे अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ और लाभकारी बनाया जा सके। लाभार्थी/आवेदक, पीड़ित मुआवजा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपने आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, और नालसा की विभिन्न योजनाओं और दिशानिर्देशों और नालसा के कार्यक्रमों और पहलों आदि के बारे में जान सकते हैं ।

19.7.4 ई-प्रिजन पोर्टल : ई-प्रिजन परियोजना गृह मंत्रालय की एक पहल है जहां एनआईसी द्वारा एक जेल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है और देश की जेलों द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों पर 7 प्रमुख अनुप्रयोगों के तहत लगभग 65 मॉड्यूल हैं । राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल, ई-प्रिजन प्लेटफार्म की एक नागरिक केंद्रित सेवा है और देश की जेलों में उपयोग किए जाने वाले एमआईएस के साथ समेकित रूप से एकीकृत है । यह पोर्टल, जेल के अंदर कैदी से मिलने के लिए पंजीकरण और ई-मुलाकात सुविधा सहित सेवाओं की पेशकश करता है । जेलों के अंदर अपने वार्डों के संबंध में शिकायतों को भी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है और कार्रवाई के लिए संबंधित जेलों को अग्रेषित किया जा सकता है । विधिक सेवा प्राधिकरण, ई-प्रिजन पोर्टल पर उपलब्ध डेटा का उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग जेल के कैदियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कर सकते हैं ।

H 003 Annual Report.indd 229 3/27/2023 3:56:07 PM

19.7.5 ई-पैरोल : पैरोल प्रबंधन का डिजिटल तरीका: पैरोल किसी कैदी का है, या तो अस्थायी रूप से एक विशेष उद्देश्य के लिए या सजा की समाप्ति से पहले, अच्छे व्यवहार के वादे पर रिहाई है; इस तरह के वादे को पैरोल ऑर्डर में दिए गए वर्ड ऑफ ऑनर के रूप में जाना जाता है। यह सजा की मात्रा को अक्षुण्ण रखते हुए, कुछ समय के लिए सजा का निलंबन मात्र है। अगर पैरोल पर छूटे कैदी उन शर्तों का उल्लंघन करते हैं जिन पर उन्हें रिहा किया जाता है, तो उन्हें वापस जेल भेजा जा सकता है । ई-पैरोल मॉड्यूल किसी कैदी के पैरोल आवेदन और संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके प्रसंस्करण, इसकी स्वीकृति और निष्पादन/रिलीज और कैदी की वापसी को ऑनलाइन तरीके से समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए है। यह जेलों के कैदियों के साथ-साथ जेलों, पुलिस और प्रशासन सहित हितधारकों को कुशल और पारदर्शी तरीके से पैरोल देने/आवेदन करने में सुविधा प्रदान करेगा।

19.8 विधिक सेवा सप्ताह मनाने के लिए अखिल भारतीय अभियान

नालसा के अखिल भारतीय विधिक जागरूकता और संपर्क अभियान की शुरुआत 2021 में शुरू की गई थी । हाल ही में 31 अक्टूबर, 2022 से 13 नवंबर, 2022 तक दो अभियान शुरू किए गए थे, जो लोगों को कानून के तहत, उपलब्ध विभिन्न हकदारियों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए थे। इस प्रकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा की भावना देना है और व्यवस्था में उनके विश्वास को बढ़ाना था ।

19.8.1 "विधिक जागरूकता और संपर्क के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण" - इस अभियान का उद्देश्य विधिक जागरूकता फैलाकर और पात्र लाभार्थियों को कानूनी अधिकारों का वितरण सुनिश्चित करके और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाकर संस्थानों और वंचितों के बीच की खाई को पाटना था और कल्याणकारी क़ानूनों और योजनाओं, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों, विधिक सेवा संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता और सेवाओं, संस्था से संपर्क करने के लिए डिजिटल पहल- विधि चैटबॉट, व्हाट्सएप चैटबॉट, कानूनी सहायता मामला प्रबंधन प्रणाली, कानूनी सेवा प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाइन मध्यस्थता पोर्टल और विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध अधिकार और उपचारों के बारे में जागरूकता फैलाना था ।

19.8.2 "हक_हमारा_भी_तो_है@75" - इस अभियान ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जेलों और बाल

H 003 Annual Report.indd 230 3/27/2023 3:56:08 PM

देखभाल संस्थानों में बंद व्यक्तियों को बुनियादी कानूनी सहायता प्रदान की।

19.9 अप्रैल 2022-सितंबर 2022 तक लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता और सेवाएं विधिक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण									
उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अप्रैल, 2022 से नवंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सेवाओं के माध्यम से पैनल अधिवक्ता मुहैया कराए गए									
क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	बच्चे	हिरासत में	दिव्यांग-जन	इंड-स्ट्रियल वर्कमैन	
1	अंडमान और निकोबार	1	0	34	0	13	1	1	
2	आंध्र प्रदेश	165	51	833	61	1489	21	1	
3	अरुणाचल प्रदेश	401	1386	1028	9	1100	1	0	
4	असम	1117	1937	3228	660	6543	266	812	
5	बिहार	8364	1175	13611	5514	22771	164	33	
6	छत्तीसगढ़	3058	6497	3766	292	6741	13	20	
7	दादर और नागर हवेली	1	0	18	0	2	0	5	
8	दमन और द्वीप	4	2	7	0	6	0	2	
9	दिल्ली	1089	21	15309	442	20139	156	1187	
10	गोआ	5	56	632	7	185	52	3	
11	गुजरात	2049	1107	6166	273	5691	43	44	
12	हरियाणा	539	0	4615	196	18534	68	2	
13	हिमाचल प्रदेश	338	60	2104	117	389	48	14	
14	जम्मू और कश्मीर	423	276	1698	135	445	177	58	

H 003 Annual Report.indd 231 3/27/2023 3:56:09 PM

सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के गरीब और सीमांत वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवाओं का लाभ उठाने वाले समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित

	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण					
	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अप्रैल, 2022 से नवंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सेवाओं के माध्यम से पैनल अधिवक्ता मुहैया कराए गए					
	ट्रांसजेंडर	मानव दुर्व्यापा-रमें तस्करी या बेगार पीड़ित	भारी आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगि-की आपदा के पीड़ित	सामान्य (जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है)	अन्य	कुल
	0	0	0	2	32	84
	2	1	0	873	2832	6329
	0	3	0	31	20	3979
	0	25	555	2405	12731	30279
	0	0	506	1261	88234	141633
	1	5	0	3734	4973	29100
	0	0	0	0	0	26
	0	0	0	1	0	22
	2	8	0	7210	17792	63355
	0	0	0	482	13	1435
	0	0	0	4227	2077	21677
	0	0	0	1760	1001	26715
	1	0	0	641	317	4029
	8	0	6	657	1564	5447

H 003 Annual Report.indd 232 3/27/2023 3:56:09 PM

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण									
उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अप्रैल, 2022 से नवंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सेवाओं के माध्यम से पैनल अधिवक्ता मुहैया कराए गए									
क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिला	बच्चे	हिरासत में	दिव्यांग-जन	इंड-स्ट्रियल वर्कमैन	
15	झारखंड	6651	8996	14617	3831	6107	180	2069	
16	कर्नाटक	3063	1882	6070	239	4357	181	88	
17	केरल	498	167	7582	891	2755	187	6	
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	
19	मध्य प्रदेश	10994	10774	26178	15008	35827	626	586	
20	महाराष्ट्र	1675	516	9046	329	5396	131	220	
21	मणिपुर	951	7723	6102	1194	1028	184	1	
22	मेघालय	21	914	281	24	631	3	0	
23	मिजोरम	0	1434	501	0	1077	0	0	
24	नागालैंड	347	2738	1214	433	376	64	0	
25	उड़ीसा	881	652	2002	14	3057	33	1	
26	पुडुचेरी	17	0	144	147	94	2	0	
27	पंजाब	3124	29	9469	264	12481	265	116	
28	राजस्थान	180	57	963	5297	2438	15	17	
29	सिक्किम	21	86	341	16	276	0	0	
30	तमिलनाडू	1591	205	7663	181	6758	122	103	
31	तेलंगाना	102	40	1140	98	3316	0	0	
32	त्रिपुरा	362	401	1709	115	272	0	0	
33	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	9	0	745	103	444	9	0	
34	उत्तर प्रदेश	4266	2	1338	134	5738	4	8	
35	उत्तराखंड	101	13	794	27	1413	5	6	
36	पश्चिम बंगाल	2005	1134	7681	844	10008	226	70	
37	लद्दाख	10	324	148	12	1	14	32	
	कुल	**54423**	**50655**	**158777**	**36907**	**187898**	**3261**	**5505**	

H 003 Annual Report.indd 233 3/27/2023 3:56:09 PM

	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण					
	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अप्रैल, 2022 से नवंबर, 2022 तक की अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सेवाओं के माध्यम से पैनल अधिवक्ता मुहैया कराए गए					
	ट्रांसजेंडर	मानव दुर्व्यापारमें तस्करी या बेगार पीड़ित	भारी आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप और औद्योगिकी आपदा के पीड़ित	सामान्य (जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है)	अन्य	कुल
	45	0	0	389	42562	85447
	5	0	0	1373	8568	25826
	9	13	238	1770	1059	15175
	0	0	0	0	0	0
	10	0	103	7963	12653	120722
	0	84	213	3821	1507	22938
	11	0	139	935	600	18868
	0	0	1	72	35	1982
	0	109	24	95	286	3526
	0	0	0	229	0	5401
	0	0	0	755	708	8103
	0	0	2	72	10	488
	22	15	25	6817	4037	36664
	2	0	0	484	80	9533
	0	0	0	73	14	827
	23	0	6	5416	10881	32949
	0	0	0	1274	1924	7894
	0	0	0	623	313	3795
	1	0	0	262	181	1754
	1	0	0	2368	988	14847
	0	0	0	407	100	2866
	25	21	4	8692	682	31392
	0	0	17	13	0	571
	168	**284**	**1839**	**67187**	**218774**	**785678**

H 003 Annual Report.indd 234 3/27/2023 3:56:09 PM

लाभार्थियों की संख्या से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं:

20. न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए

न्याय विभाग ने न्यायिक सहयोग के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के क्षेत्र में ग्यारह देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए मालदीव के साथ एक समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 23.08.2022 को मालदीव के साथ न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में एक अन्य समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए ।

21. शिकायतों का निवारण :

न्याय विभाग को नागरिकों से सीधे और ऑनलाइन CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिकों की शिकायतें प्राप्त होती हैं । 1.1.2022 से 31.12.2022 तक 14845 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अब तक 14742 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है । इस विभाग को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा उन 20 विभागों में से एक माना गया है जिन्हें बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं ।

शिकायत धारकों/नागरिकों की जानकारी/मार्गदर्शन के लिए न्याय विभाग द्वारा शिकायतों के निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश वेबसाइट www.doj.gov.in पर अपलोड किए गए हैं ।

22. भारत की न्यायिक प्रणाली पर विजन @ 2047 - राष्ट्रीय हितधारक परामर्श

भारत की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने और अगले 25 वर्षों के लिए सुधारों पर एक विजन डोक्यूमेंट, जो भारत को एक नेता के रूप में प्रस्तुत करेगा, प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार के सचिवों के सेक्टोरल ग्रुप द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन, सामाजिक और कल्याण, रक्षा, शासन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर "विजन इंडिया @ 2047" विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

शासन पर सचिवों के सेक्टोरल ग्रुप-09 के तहत, न्याय विभाग, भारत की न्यायिक प्रणाली पर विज़न इंडिया @ 2047 दस्तावेज़ तैयार कर रहा है, जिसके लिए शॉर्टलिस्ट की गई थीम है- "जस्टिस फॉर ऑल: डेवलपिंग ए स्पीडी, अफोर्डेबल एंड टेक्नोलॉजी-एनेबल्ड सिटीजन-सेंट्रिक डोरस्टेप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। 8 से 13 जून, 2022 तक सचिव (न्याय) के नेतृत्व में विधि छात्रों, अधिवक्ताओं, विभिन्न बार काउंसिलों के

H 003 Annual Report.indd 235 3/27/2023 3:56:09 PM

सदस्यों, और नागरिक समाज संगठन (CSOs), कानूनी स्टार्ट-अप आदि के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई । भारतीय न्यायिक प्रणाली पर विजन @ 2047 दस्तावेज़ में शामिल करने के लिए प्रतिभागियों से नवीन और परिवर्तनकारी विचार और व्यावहारिक सुझाव मांगे गए थे । ये विचार-विमर्श, न्यायिक प्रणाली क्या होनी चाहिए"; वर्तमान प्रणाली में अंतराल और 2047 की न्यायिक प्रणाली की आकांक्षात्मक दृष्टि और सुधारों को प्राप्त करने के तरीके और साधन, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं सहित जो भारत को दुनिया भर में न्याय वितरण प्रणाली के लिए कसौटी के रूप में उभरने में सक्षम बनाएंगे, जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित थी ।

23 विभाग की विविध गतिविधियां

23.1 **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू किए:

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करने और संबन्धित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी / लोक प्राधिकारी को आवेदन पत्र हस्तांतरित करने और आरटीआई आवेदनों / अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है ।

H 003 Annual Report.indd 236 3/27/2023 3:56:09 PM

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(i) के तहत जैसा कि अपेक्षित है, विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ-साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://doj.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर दिया गया है ।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(i) के तहत सभी अवर सचिवों / अनुभाग अधिकारियों को उनके द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(i) के संदर्भ में सभी निदेशक / उप सचिव / अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यरत अवर सचिवों / अनुभाग अधिकारियों, जिन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है, के संबंध में अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है।

(ड.) वर्ष 2022 के दौरान (01.01.2022 से 31.12.2022 तक) विभाग में दस्ती रूप से 226 आरटीआई आवेदन पत्र और 05 अपीलें और ऑनलाइन तरीके से 5590 आरटीआई आवेदन पत्र और 160 अपीलें प्राप्त हुईं, उन्हें अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों / लोक प्राधिकरणों को अग्रेषित कर दिया गया ।

(च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/5/2011-आईआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पैरा-1.4.1 के अनुसार यह विभाग, सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है ।

2022 के दौरान प्राप्त कुल आरटीआई आवेदनों की संख्या इस प्रकार है : -

विषय	ऑनलाइन	ऑफलाइन

H 003 Annual Report.indd 237 3/27/2023 3:56:09 PM

सूचना का अधिकार(आरटीआई)	5590	286
अपील	160	05

23.2 महिलाओं का सशक्तीकरण:

कार्य - स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण : कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिबंध) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुपालन में विभाग की पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए 24.11.2020 को एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है । समिति में तीन महिला कर्मचारी (गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी हैं ।

23.3 स्वच्छ भारत अभियान

भारत सरकार के नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभाग में स्वच्छ भारत कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया । वर्ष 2022-23 के दौरान, न्याय विभाग में 01.04.2022 से 15.04.2022 तक **'स्वच्छता पखवाड़ा'** और **'स्वच्छता ही सेवा'** नामक दो कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके दौरान कई कार्यकलाप जैसे कि लॉन का सौंदर्यीकरण, परिसरों के अंदर वृक्षारोपण, व्यापक सफाई अभियान, परिसर के अंदर पुराने रिकार्डों की छंटाई, जंक/ पुरानी वस्तुओं का निपटान, और न्याय विभाग के अधिकारियों / कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान, आदि किए गए । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, स्वच्छता कार्रवाई योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए जैसे कि शौचालयों और कैंटीन क्षेत्र का नवीकरण, सफाई उपकरणों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 37.00 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे । अब (31.12.2022) तक 32.18 लाख रुपए का व्यय किया गया है ।

23.4 ई-ऑफिस का कार्यान्वयन :

कागज रहित कार्यालय की ओर बढ़ने की सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग ने ई-ऑफिस के संचालन की पहल की है। ई-ऑफिस प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग के लिए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एनआईसी की मदद से विशेष कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप, न्याय विभाग, भारत सरकार के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों/विभागों में से एक है, जिन्होंने पूर्ण रूप से ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म को अपना लिया है । भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के बीच आंकड़ों और सूचनाओं के निर्बाध प्रवाह के लिए न्याय विभाग, पहले ही संस्करण 7.0 को अपना चुका है।

24. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

H 003 Annual Report.indd 238 3/27/2023 3:56:09 PM

विभाग में राजभाषा अनुभाग का गठन किया गया है । यह अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करने में विभाग को सहायता प्रदान करता है । इस अनुभाग को अनुवाद कार्य के अतिरिक्त विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने का कार्य भी सौंपा गया है । विभाग में हिन्दी के उत्तरोत्तर उपयोग के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए वर्ष 2022 में प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं । तिमाही बैठकों में विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती है । हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभाग में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । टिप्पण और आलेखन की योजना के तहत, 30 सितंबर, 2022 को हिंदी दिवस के अवसर पर 05 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । वर्ष के दौरान हर तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इसके अलावा, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 28 सितंबर, 2022 को इस विभाग का निरीक्षण किया गया है ।

समिति ने पाया कि न्याय विभाग के 80% कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान है, इसलिए न्याय विभाग को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसार अधिसूचित किया जाना चाहिए । तदनुसार, न्याय विभाग को अधिसूचना संख्या-12022/1/2022-राभा (कार्यान्वयन), दिनांक 13.12.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

24.1 हिन्दी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन

विभाग में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितंबर, 2022 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया । हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय सचिव महोदय की उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री महोदय के संदेश का वाचन किया गया । अपने सम्बोधन में सचिव (न्याय) ने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करने का आग्रह किया । इसके अतिरिक्त, विभाग में 14 सितंबर, 2022 से 29 सितंबर, 2022 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । हिन्दी पखवाड़े के दौरान चार प्रतियोगिताओं नामतः हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता और हिन्दी आशु संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में कुल 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

H 003 Annual Report.indd 239 3/27/2023 3:56:09 PM

प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त नकद पुरस्कार (प्रथम : 3000/- रुपए, द्वितीय : 2500/- रुपए, और तृतीय: 1500/- रुपए और दो 1000/- रुपए के प्रोत्साहन) प्रदान किए गए ।

25. एक विशेष अभियान 2.0

02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक पेंडेंसी कम करने और जगह (स्पेस) का कुशल प्रबंधन करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को भी स्पेस प्रबंधन अभियान के तहत लाया गया । अभियान के पेंडेंसी क्लियरेंस साइलो में, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों की क्लियरेंस के संबंध में, न्याय विभाग भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों में चौथे स्थान पर रहा है ।

26. निरयंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैरा की स्थिति

न्याय विभाग में कोई निरयंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) पैरा लंबित नहीं है ।

****

H 003 Annual Report.indd 240 3/27/2023 3:56:09 PM

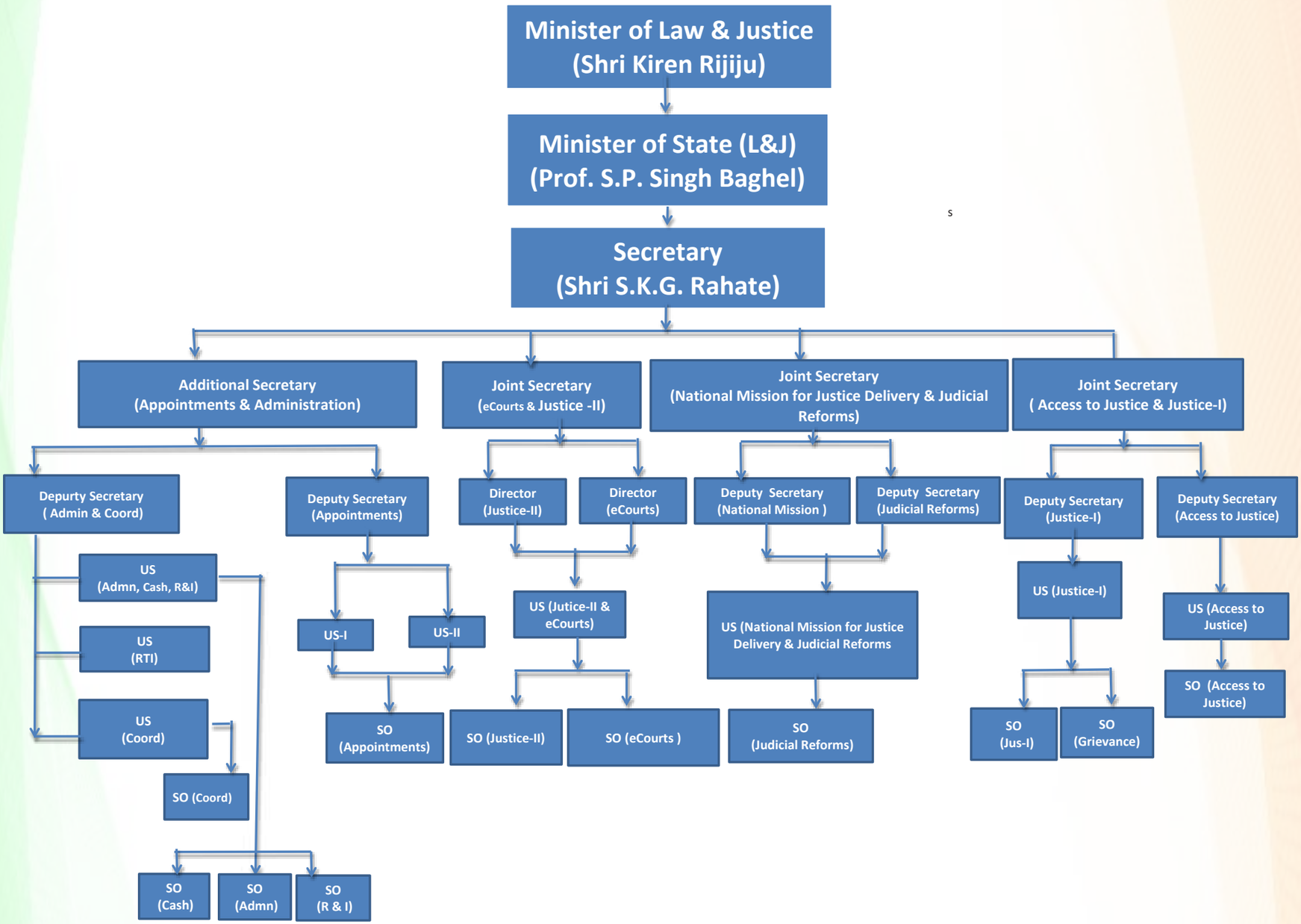

H 003 Annual Report.indd 241 3/27/2023 3:56:11 PM

विभागीय लेखा संगठन

1. विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अपर सचिव (वित्तीय सलाहकार) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

2. सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/ विभाग के सचिव, जो अपने मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी होते हैं, वेः-

   (i) अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होंगे।

   (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।

   (iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना -लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उतरदायी होंगे।

   (iv) लोक-लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।

   (v) अपने मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं या नहीं।

   (vi) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा -निर्देशों या निदेशों के अनुसार अपने मंत्रालय के व्यय-संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उतरदायी होंगे।

   (vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वित्तीय संव्यवहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।

   (viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य-निष्पादन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत-प्रभावी तरीके से लागू करे।

   (ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालयः

      (1) सरकार को देय सभी धन एकत्रित करे तथा

      (ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।

H 003 Annual Report.indd 242 3/27/2023 3:56:12 PM

3. मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा लेखांकन कार्य में मुख्य लेखा प्राधिकारी की सहायता की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

4. विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 51 डीडीओ, 32 सीडीडीओ और 19 एनसीडीडीओ हैं। गैर-चेक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलों को भुगतान की "प्री-चैक" प्रणाली के अन्तर्गत वेतन और लेखा कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय-वार विवरण नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनसीडीडीओ
1.	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	4	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.का.)	29	10+1 (न्याय विभाग)
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

5. प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कर्तव्यों को निभाता है और स्थानीय वेतन ओर लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा सबंधी सलाह भी देता है। यह प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप-शीर्षकों के अधीन मासिक और प्रगामी व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ-साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मॉनीटरिंग हो सके। यह मंत्रालय के कर्मचारियों के गृह निर्माण अग्रिम एवं मोटर कार अग्रिम जैसे दीर्घकालीन खातों तथा सामान्य भविष्य निधि के खातों को भी मेनटेन करता है। प्रधान लेखा कार्यालय, कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर

H 003 Annual Report.indd 243 3/27/2023 3:56:13 PM

अधिकारियों और कर्मचारियों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा-नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

6. आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखों की लेखा परीक्षा करता है ताकि इन कार्यालयों के दैनिक कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। वित्त वर्ष 2022-23 में विधि और न्याय मंत्रालय की छह यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई है। और अधिक यूनिटों/डीडीओ की लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि इस मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के अंतर्गत आंतरिक लेखा परीक्षा खंड के लिए कोई स्वीकृत पद/स्थायी जनशक्ति नहीं है। लेखा परीक्षा कार्य की व्यवस्था विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा प्रधान लेखा कार्यालय में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा मेनटेन की जा रही अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची से लिए गए परामर्शदाताओं द्वारा की जा रही है।

7. बैंकिंग व्यवस्था:- इंडियन बैंक (पीएओ-ईओ), भारतीय स्टेट बैंक (पीएओ-एलडी), यूको बैंक (पीएओ-एससीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा (पीएओ-एलए) विधि और न्याय मंत्रालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के पीएओ और इसके क्षेत्र कार्यालयों के लिए अधिकृत बैंक हैं। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी चेकों को भुगतान हेतु अधिकृत बैंकों की नामित शाखाओं में जमा किया जाता है। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा अधिकृत बैंकों को प्राप्तियों का भुगतान भी किया जाता है। अधिकृत बैंकों में बदलाव के लिए महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित होता है।

H 003 Annual Report.indd 244 3/27/2023 3:56:14 PM

8. विनियोग लेखा, 2021-22 की मुख्य विशेषताएं

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिशेष(+) बचत (-)
अनुदान सं. 64 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	147.40	148.61	129.33	-19.28
2014-न्याय का प्रशासन	303.32	379.57	371.30	-8.27
2015-निर्वाचन	169.30	1607.11	1604.60	-2.51
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	119.30	119.29	102.08	-17.21
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	14.30	14.30	10.36	-3.94
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.20	0.20	---	-0.20
2552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	92.28	---	---	---
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	839.72	823.00	776.70	-46.30
3602-संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान	60.00	60.00	50.00	-10.00
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में पूंजीगत परिव्यय	1100.00	1122.00	1119.62	-2.38
वर्ष के दौरान वापस की गई राशि				-129.00
योग	2845.82	4274.08	4163.99	239.09
विनियोग सं. 66-भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष-2014 न्याय का प्रशासन (प्रभारित)	334.96	350.86	341.41	-9.45*

(रू. करोड़ में)

*वर्ष के दौरान वापस की गई राशि

(स्रोतः विनियोग लेखा 2021-22)

H 003 Annual Report.indd 245 3/27/2023 3:56:15 PM

H 003 Annual Report.indd 246 3/27/2023 3:56:15 PM